

# वार्षिक रिपोर्ट 1997-98



राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

# राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग



वार्षिक रिपोर्ट

1997-98

सददार पटेल भवन  
संसद मार्ग, नई दिल्ली



## राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – वार्षिक रिपोर्ट 1997-98

### विषय सूची

	पृष्ठ
1. भूमिका	1
2. आयोग की क्षमताओं को शक्तिशाली बनाना	3
3. नागरिक स्वतंत्रताएं	9
(क) आतंकवाद और विद्रोहग्रस्त क्षेत्रों में मानव अधिकार	9
(ख) हिरासतीय मौत, बलात्कार और उत्पीड़न	11
(ग) उत्पीड़न के विरुद्ध समझौते का पालन	13
(घ) पोस्टमार्टम जांच की वीडियो फिल्मिंग और शब-परीक्षण प्रपत्र में संशोधन	15
(ङ) पुलिस हवालातों का निरीक्षण	16
(च) व्यवस्थागत सुधार—पुलिस	17
(छ) व्यवस्थागत सुधार—कारागार	18
(ज) कैदियों के स्वास्थ्य की स्थितियों पर अध्ययन	19
(झ) कारागार विधेयक के प्रारूप को तैयार करना	20
(ञ) मानव अधिकारों की दृष्टि से कारागार की स्थिति को सुधारने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का प्रारूप	20
(ट) जेलों का निरीक्षण	20
(ठ) विचाराधीन कैदियों की रिहाई के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का कार्यान्वयन	20
(i) तिहाड़ जेल में विचाराधीन कैदियों के मामलों की संवीक्षा	20
(ii) महाराष्ट्र के लिए गैर-सरकारी जेल निरीक्षक	21
(iii) सुधारगृहों का निरीक्षण	21



(ड) मानव अधिकार और आपराधिक न्याय प्रशासन	22
4. कानूनों की पुनरीक्षा, संधियों तथा मानव अधिकारों विषयक अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का कार्यान्वयन	24
(क) सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958	24
(ख) बाल—विवाह अवरोध अधिनियम, 1929	25
(ग) संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का कार्यान्वयन	27
(घ) शरणार्थियों की स्थिति के संबंध में संयुक्त राष्ट्र समझौते पर विचार	27
5. बंधुआ मजदूरी उन्मूलन	28
6. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार	30
7. मानसिक रोगियों के मानव अधिकार : मानसिक रोग चिकित्सालयों में गुणवत्ता का आश्वासन	31
8. उच्चतम न्यायालय ने आगरा संरक्षण गृह और तीन मानसिक रोग अस्पतालों की कार्यप्रणाली के पर्यवेक्षण में आयोग को शामिल किया	33
9. हाथ से मल—दुलाई प्रथा का उन्मूलन	35
10. मानव अधिकार और एड्स	36
11. मानव अधिकार साक्षरता और जागरूकता का संवर्धन	38
(क) मानव अधिकार शिक्षा और अन्य जागरूकता अभियान के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक का मनाया जाना	38
(ख) शैक्षणिक व्यवस्था को गतिशील बनाना	39
(ग) पुलिस कार्मिकों के लिए मानव अधिकार शिक्षा	41
(घ) अर्ध—सैनिक बलों और सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए मानव अधिकार शिक्षा	42
(ङ) राजनैतिक दल	42
(च) सेमीनार तथा कार्यशालाएं	44
(छ) प्रकाशन और प्रचार माध्यम (मीडिया)	46



(ज) अनुसंधान	48
12. गैर-सरकारी संगठन	49
13. राज्य मानव अधिकार आयोग और मानव अधिकार न्यायालय	51
14. आयोग के समक्ष शिकायतें	54
(क) संख्या और स्वरूप	54
(ख) मामलों का अन्वेषण	55
(ग) दृष्टांत भाषण	56
(i) असित कुमार चतुर्वेदी की हिरासतीय मौत : उत्तर प्रदेश	57
(ii) पंजाब पुलिस द्वारा बिना पहचान के शवों का सामूहिक दाह संस्कार : उच्चतम न्यायालय द्वारा संदर्भित मामला	58
(iii) पुलिस के तथाकथित उत्पीड़न से उस्मान अंसारी की मृत्यु : भाराष्ट्र	60
(iv) उड़ीसा में भुखमरी से होने वाली मौतों को रोकने के उपाय	61
(v) लक्ष्मण सोमनाथ वर्मा की हिरासतीय मौत : महाराष्ट्र	64
(vi) काशगार में एक व्यक्ति की श्रम के कारण हुई मृत्यु के लिए मुआवजा : उत्तर प्रदेश	65
(vii) बालू कालू शेल्के की हिरासतीय मौत : महाराष्ट्र	65
(viii) अटल बिहारी मिश्र की हिरासतीय मौत : उत्तर प्रदेश	67
(ix) संघ बनाने का अधिकार : विश्वविद्यालयों के अध्यापकों और अन्य संकाय सदस्यों को आंध्र प्रदेश नागरिक स्वतंत्रता समिति (एपीसीएलसी) से संबंध होने से रोकने के लिए राज्य सरकार के आदेश : आंध्र प्रदेश	70
(x) हवालातों के उपलब्ध न होने पर गिरफ्तार व्यक्तियों के साथ अमानवीय व्यवहार : बिहार	71
(xi) गैर-कानूनी गिरफ्तारी के पीड़ित को मुआवजा : पंजाब	71
(xii) पुलिस पदाधिकारी द्वारा उत्पीड़न : दिल्ली	72
(xiii) गैर-कानूनी गिरफ्तारी : दिल्ली	73



(xiv) भारतीय जेलों में बंद विदेशी नागरिकों की रिहाई	75
(xv) पेरिन उपमंडल में 29 बस यात्रियों की हत्या : नागालैंड	75
(xvi) पुलिस ने कार्रवाई नहीं की : जम्मू और कश्मीर	75
(xvii) पुलिस द्वारा गैर-कानूनी गिरफ्तारी/उत्पीड़न – श्री बाबा खान की शिकायत : राजस्थान	76
(xviii) गैर-कानूनी गिरफ्तारी के लिए मुआवजा – श्री रणवीर यादव की शिकायत : उत्तर प्रदेश	77
(xix) असी घाट, वाराणसी में पी.ए.सी. कार्मिकों की मनमानी के पीड़ितों को मुआवजा : उत्तर प्रदेश	77
(xx) बिक्रम लामा की हिरासतीय मौत : अरुणाचल प्रदेश	78
(xxi) पुलिस उत्पीड़न और एक आपराधिक मामले में झूठे तौर पर फँसाया जाना : हरियाणा	79
(xxii) अवयस्कों के साथ बलात्कार और उनकी मृत्यु : राजस्थान	80
(xxiii) पुलिस उत्पीड़न और मृत्यु : राजस्थान	81
(xxiv) कुड़बालौर बार एसोसिएशन के सदस्य श्री ए. राम सिंह के उत्पीड़न के मामले में आयोग की सिफारिशों का अनुपालन : तमिलनाडु	82
15. बाहरी दलों और संगठनों से पारस्परिक बातचीत	83
16. प्रशासन और लॉजिस्टिक सपोर्ट	85
17. सारांश	89



अनुबंध :	93
I. प्रक्रिया निर्देश संख्या-1 से 10	94
II. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित की गई हिरासतीय मौतों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	115
III. पुलिस हवालातों (पुलिस लॉकअप) का निरीक्षण के सम्बंध में महासचिव द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को 1 अगस्त, 1997 को लिखा गया पत्र	116
IV. पुलिस हवालातों (पुलिस लॉकअप) का निरीक्षण करने वाले राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिकारियों के लिए जांच सूची—उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए के बारे में निर्देश	117
V. दूसरे पुलिस आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा उच्चतम न्यायालय से निवेदन	119
VI. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सूची में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल होने के लिए फार्म	129
VII. मानव अधिकार न्यायालयों के गठन के सम्बंध में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए प्रश्नों और रिकार्ड किए गए निष्कर्षों का सारांश	131
VIII. पंजीकृत मामलों/विचारे गए मामलों तथा विचारार्थ अस्थगित मामलों की राज्यवार सूची	142
IX. वर्ष 97-98 के दौरान आयोग द्वारा निपटाए गए/निपटान के लिए लम्बित मामलों की राज्यवार सूची	143
X. 1.4.97 से 31.3.98 तक निपटाने के लिए स्वीकृत मामलों का राज्यवार वर्गीकरण दर्शाने वाला विवरण	144
XI. उन मामलों का विवरण जिनका अन्वेषण प्रभाग द्वारा अन्वेषण किया गया	145
XII. रिपोर्ट तथा उसकी मुख्य सिफारिशों का सारांश	146



## राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

### वर्ष 1997-98 की वार्षिक रिपोर्ट

#### 1. भूमिका

1.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की यह रिपोर्ट 1 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 1998 तक की अवधि की है। आयोग की यह ऐसी पाँचवीं रिपोर्ट है। 1 अप्रैल, 1996 से 31 मार्च, 1997 तक की पिछली रिपोर्ट केन्द्र सरकार को 21 अगस्त, 1997 को प्रस्तुत की गई थी।

1.2 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20(2) के तहत केन्द्र सरकार "आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को आयोग की सिफारिशों पर की गई अथवा की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के ज्ञापन सहित और सिफारिश की अस्वीकृति के कारणों सहित, यदि कोई हो, यथास्थिति, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी।" आयोग की पहली तीनों वार्षिक रिपोर्टें, उन पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन सहित संसद के दोनों सदनों के समक्ष सरकार को प्रस्तुत कर देने के तत्काल पश्चात् चालू सत्र के दौरान प्रस्तुत की गई थी, जबकि वर्ष 1996-97 की वार्षिक रिपोर्ट इसके प्राप्त हो जाने के नौ माह के बाद 9 जून, 1998 को संसद के समक्ष प्रस्तुत की गई।

1.3 वर्ष 1996-97 की रिपोर्ट विलम्ब से पटल पर रखे जाने के कारण वर्तमान रिपोर्ट को तैयार करने के कार्यक्रम में रुकावट आ गई, क्योंकि पिछली रिपोर्ट पर की गई कार्रवाइयों को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया जाना था। आयोग में सदस्यों के दो पद इस रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान रिक्त रहे और तीसरे सदस्य भी अपनी शारीरिक अस्वस्थता के कारण उस दौरान अनुपस्थित रहे जब रिपोर्ट का भसौदा तैयार किया जाना था। इसके फलस्वरूप वर्तमान रिपोर्ट की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और स्थिति यथावत् बनी रही।

1.4 आयोग की वार्षिक रिपोर्टों को विलम्ब से प्रस्तुत करने का खेद है, क्योंकि रिपोर्ट देश में मानव अधिकारों की स्थिति और आयोग के प्रयासों की सूचना का एक आवश्यक स्रोत है। इसे देश और विदेशों में बहुत बड़ी संख्या में लोग विशेष रुचि से पढ़ते हैं। अतः आयोग ने यह सिफारिश की कि उसकी वार्षिक रिपोर्ट अपेक्षित कार्रवाई ज्ञापन के साथ तत्काल संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाए और साधारणतया इन रिपोर्टों को इनकी प्रस्तुति के तत्काल बाद चालू सत्र में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

1.5 आयोग का यह सौभाग्य है कि न्यायमूर्ति श्री एम०एन० वेंकटाचलय्य ने इसके अध्यक्ष और श्री वीरेन्द्र दयाल तथा न्यायधीश श्री वी०एस० माडिमठ ने इसके सदस्य के रूप में कार्य किया। आयोग की



संविधि की धारा 3(3) के अनुसार प्रोफेसर (डा०) ताहिर महमूद, श्री एच० हनुमन्थप्पा और श्रीमती वी० मोहिनी गिरि भी जो क्रमशः राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की हैसियत से आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करते रहे।

1.6 श्री आर०वी० पिल्लौ आयोग के महासचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में, श्री शंकर सेन महानिदेशक (अन्वेषण) के रूप में और श्री आर०सी० जैन रजिस्ट्रार (विधि) के रूप में पूर्ववत् पदासीन रहे।



## 2. आयोग की क्षमताओं को शक्तिशाली बनाना

2.1 अपनी पूर्व रिपोर्ट में आयोग ने भारत की स्वतंत्रता के पचासवें वर्ष में वर्तमान राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का मूल्यांकन उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया और उन कारकों का आकलन किया जिनके कारण भारत के लोगों को स्वतंत्रता के पचास वर्ष बाद भी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12(ङ) में उल्लिखित अधिकार नहीं मिल पाये।

2.2 यह रिपोर्ट उक्त विचारों की पुनरावृत्ति नहीं है। इसमें आयोग ने केवल अपना यह दृढ़ विश्वास दोहराया है कि नागरिक व राजनैतिक अधिकारों के उचित समर्थन तथा विकास और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के प्रोत्साहन के बीच एक अभिन्न संबंध है। देश में अशिक्षित लोगों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है और आज यह संख्या देश की स्वतंत्रता के समय की जनसंख्या से अधिक हो गई है, 6-14 वर्ष की आयु-वर्ग के 6 करोड़ से अधिक बच्चे स्कूल नहीं जाते और बालश्रम के कारण इनमें से अधिकांश अपनी युवा अवस्था और जीवन खो देते हैं। जब-तक ये परिस्थितियाँ कायम हैं तब-तक भारत के अधिसंख्य लोगों और वास्तव में पूरे देश की प्रतिष्ठा और मूल्य में गिरावट जारी रहेगी। हमारे देश में प्रतिभा और क्षमता होने के बावजूद भी विश्व के समस्त गरीब लोगों में से एक तिहाई भारतीय हैं। देश के अधिकतर लोगों को स्वच्छ पेयजल नहीं मिल रहा है। सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य सुविधा और खाद्य पोषण का स्तर निम्न से भी कम है। यह स्थिति अच्छी नहीं है। आयोग के अनुसार इस प्रकार की स्थिति का बना रहना सरकार की असफलता है, जिसे दूर करने के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए। अंतिम विश्लेषण में मानव अधिकार प्रोत्साहन और संरक्षण अच्छे शासन के स्तंभों-समानता और न्याय की नीतियों के प्रति दृढ़ व्यवनबद्धता पर टिके हुए हैं।

2.3 यही कारण है कि आयोग ने ऐसा कोई भी अवसर नहीं छोड़ा जब उसने हमारे देश में शासन वाली संस्थाओं को अच्छी स्थिति में रखने की आवश्यकता पर और आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में ऐसी नीतियाँ अपनाने पर, जो हमारे समाज के अत्यधिक संवेदनशील समूहों के अधिकारों के प्रति वस्तुतः प्रभावी हैं, जोर न दिया हो। इस संबंध में उसने नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमृत्यसेन, को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए अभी हाल ही में देश में सम्मानित करने के कदम की बहुत प्रशंसा की है। आयोग का मानना है कि उनके कार्य से यहाँ के मामलों को निपटाने में सहायता मिल सकती है और यह देश में अधिकारों के उत्तम संरक्षण के लिए उपयुक्त बहस, नीतियों और व्यावहारिक उपायों को प्रेरित करेगा।

2.4 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग स्वयं शासन की एक संस्था है और स्पष्ट तौर पर एक अच्छे शासन की। अतः इसको निरंतर निपुणता और निष्ठा के उच्चतम स्तर के साथ कार्य करने की आकांक्षा



करनी चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए। आयोग ने वर्ष 1997-98 में नई विशिष्ट चुनौतियों का सामना किया, जिसके लिए उसे अपने कार्य करने के तरीकों को अधिक सख्त और मजबूत बनाने की आवश्यकता थी, ताकि वह निहित अपेक्षाओं और विश्वास के योग्य बना रहे। संक्षेप में ये चुनौतियां निम्न कारणों से उत्पन्न हुईं :

- (i) आयोग को प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या में, जिसमें हिंसातीय मौतों की रिपोर्ट शामिल हैं, आकस्मिक वृद्धि हुई। वर्ष 1996-97 में 20,000 से बढ़कर 1997-98 में यह 36,000 हो गई। यह वृद्धि लगभग 77 प्रतिशत है।
- (ii) भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोग के पास कुछ जटिल मामले भेजना, जिनमें मानव अधिकार हनन के गंभीर मामले शामिल हैं। इनमें से निम्नलिखित हैं :
  - \* देश में बंधुआ मजदूरी की गंभीर एवं चिरस्थायी समस्या।
  - \* उड़ीसा के कोरापुट-बोलनगिर-कालाहाण्डी जिलों में भूख से हुई मौतों के आरोपों की पुनरावृत्ति।
  - \* मानसिक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आगरा, ग्वालियर और राँची में स्थित संस्थानों का उचित प्रबंधन।
  - \* आगरा के महिला सुधार गृह का उचित प्रबंधन।
- (iii) विभिन्न प्रकार के लगभग 20 महत्वपूर्ण मामलों के सारांश तैयार करने का प्रबंध, जिसमें आयोग को स्वयं देश के उच्च न्यायालयों के समक्ष पेश होना था। इनमें उच्चतम न्यायालय में पड़े मामले भी शामिल थे :
  - \* पुलिस सुधार से संबंधित प्रश्नों पर रिट याचिका (सी) सं0 310/96।
  - \* सशस्त्र बलों की (विशेष) शक्तियाँ अधिनियम 1958 पर रिट याचिका (दण्डनीय) सं0 5328/80,550/92।
  - \* कैदियों की मजदूरी विषयक दण्डनीय अपील सं0 308/86, सिविल अपील सं0 83 का 8443 एवं 844।
  - \* उड़ीसा में भूख से हुई मौतों से संबंधित रिट याचिका (सी) सं0 42/97।



- अरुणाचल प्रदेश में चकमा शरणार्थियों के उत्पीड़न से संबंधित रिट याचिका (दण्डनीय) सं0 13/98।

### उच्च न्यायालयों के समक्ष मामले

- जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में जलिल अंद्राबी का सुरक्षा बलों द्वारा तथाकथित कत्तल से संबंधित बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका सं0 32/96।
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी ए0 बी0 मिश्रा की हिरासतीय मौत से संबंधित दण्डनीय विविध आवेदन सं0 2558/96।
- मद्रास उच्च-न्यायालय में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित होने वाले मानव अधिकार न्यायालयों के लिए नियम बनाने से संबंधित दण्डनीय पुनरीक्षण याचिका सं0 868/96।
- पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में हरजीत सिंह के गायब होने से संबंधित रिट याचिका (दण्डनीय) सं0 651/92।
- आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय में आंध्रप्रदेश पीपुल्स बार ग्रुप की गतिविधियों से संबंधित रिट याचिका सं0 6829 और 5945/97।
- बम्बई उच्च न्यायालय में भुंबई पुलिस के साथ मुठभेड़ में हुई भौतों से संबंधित रिट याचिका दण्डनीय सं0 1146/97, 1064/97 और 1032/97।

(iv) आर्थिक और सामाजिक अधिकारों – जैसे बाल-मजदूरी (विशेषकर उत्तरप्रदेश में कालीन और काँच उद्योग), बाल-वेश्यावृत्ति (विशेषकर कर्नाटक और दिल्ली) और मातृक रक्ताल्पता के व्यापक और हानिकारक प्रभाव के हनन – के मामलों में व्यावहारिक रूप से अधिक संबद्ध रहने के लिए आयोग को काफी गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता पड़ी और इस प्रकार के मामलों से निपटने के लिए नई-नई प्रशासनिक और प्रबन्धकीय तकनीकें तैयार की गई हैं।

(v) मानव अधिकारों पर सम्मेलन और सेमिनार आयोजित करने अथवा उनमें भाग लेने के लिए देश और विदेशों से मिल रहे अधिकाधिक निमंत्रण आयोग के लिए स्वागतयोग्य हैं, परन्तु यदि इसे अतिरिक्त कार्य माना जाए तो यह आयोग पर एक भार होगा। उदाहरण के तौर पर सितम्बर 1997 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानव अधिकारों की संस्थाओं के एशिया-पैसेफिक फोरम पर दूसरी कार्यशाला का आयोजन और मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय



समिति के अध्यक्ष के रूप में आयोग की विशेष जिम्मेदारियाँ इसमें सम्मिलित हैं।

2.5 आयोग को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इन अतिरिक्त चुनौतियों के बावजूद उसने अपने श्रमसाध्य प्रयासों और बेहतुर प्रबन्ध से अपनी भूमिका को सृदृढ़ बनाया और अपनी नींव मजबूत की। यद्यपि वह और अधिक अच्छी तरह से कार्य कर सकता था यदि उसमें सदस्यों के दो पद रिक्त नहीं होते। फिर भी उसने वर्ष 1996–97 में 16,823 मामलों पर विचार किया जबकि वर्ष 1997–98 में उसने 27,289 मामलों पर विचार किया अर्थात् उसके कार्य में 62 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई।


2.6 कई तरीकों से उत्तम प्रबन्ध और परिणामों को सुनिश्चित किया गया :

(i) आयोग की कार्यप्रणाली को कसने, प्रणालीकृत करने और सुधारने के लिए अध्यक्ष ने रिपोर्टधीन अवधि के दौरान दस प्रक्रिया निर्देश (अनुलग्नक) जारी किए। ये निर्देश निम्न से संबंधित हैं :

- \* आयोग द्वारा उन सभी मामलों की राज्यवार और जिलेवार तिमाही पुनरीक्षा, जिनका उत्तर प्राप्त होने में अधिक विलंब हो चुका है।
- \* आयोग द्वारा प्रशासनिक मामलों पर लिए गए निर्णयों की 'कार्रवाई रिपोर्ट' प्रत्येक तिमाही में एक निर्धारित दिन आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाए।
- \* कार्यक्रमों के संबंध में आयोग द्वारा चालू परियोजनाओं की तिमाही पुनरीक्षा।
- \* आयोग द्वारा निर्देश दिये जाने पर आयोग के महानिदेशक (अन्वेषण) द्वारा तथ्यों को एकत्र करने के लिए अपेक्षित तरीका अपनाने और समय-सीमा के बारे में विस्तृत निर्देश।
- \* आयोग को भेजी गई शिकायतों के आधार पर जारी किए गए नोटिसों के उत्तर सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु उठाये जाने वाले कदमों के बारे में विस्तृत निर्देश।
- \* हिरासतीय मौत, बलात्कार और हिरासतीय हिंसा जैसे मामलों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा मानव अधिकारों के घोर हनन करने से संबद्ध मामलों में आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया।



- \* आयोग अपनी ओर से जो शिकायतों आवश्यक कार्रवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के पास भेजता है उनके संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया।
  - \* कुछ वर्गों की शिकायतों पर प्रारम्भिक अवस्था के साथ-साथ रिपोर्टिंग अवस्था के दौरान “द्रुत कार्रवाई।”
  - \* हिरासतीय मौत के मामलों को निपटाने के लिए अपनाये जाने वाली प्रक्रिया।
  - \* संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उसके निदेशों/सिफारिशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा जो जाने वाली अनुवर्ती कार्रवाई।
- (ii) आयोग ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के प्रयास में प्रतिभाशाली और निष्ठावान विशेष रैपोर्टिंगरों को नियुक्त किया जो उन स्थितियों का अवलोकन करेंगे जिसमें आयोग ने स्वतः कार्रवाई की हो, उसके द्वारा जारी निदेशों और सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे और उस पर उच्चतम न्यायालय द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करेंगे।
- (iii) इसने विभिन्न संबंधित क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों के “कोर ग्रुप” तैयार किये जो इसके द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करने और उनके संचालन में सहायता करेंगे।
- (iv) आयोग ने जब कभी देश के विधि-विशेषज्ञों से परामर्श देने अथवा आयोग की ओर से उपस्थित होने के लिए अनुरोध किया तो उन्होंने तत्काल निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की।
- (v) इसने आवश्यकता पड़ने पर अपने प्रयासों से गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिभावान प्रतिनिधियों से भी सहायता प्राप्त की।
- (vi) मानव अधिकारों में रुचि लेने के लिए इसने नई पीढ़ी को प्रोत्साहित किया और एक “प्रशिक्षण योजना” आरंभ की जिसके प्रथम दल ने आयोग के प्रयासों में उत्साहवर्धक योगदान दिया।
- (vii) इसने शिकायतों और उसको निपटाने की प्रक्रिया का अध्ययन करने हेतु एक प्रख्यात फ्रॉम एंड मैकिन्स एण्ड कम्पनी से अनुरोध किया। उस कम्पनी ने इस कार्य के लिए



निःशुल्क व्यावसायिक सेवा प्रदान की जिसके परिणामस्वरूप व्यवस्था में अत्यन्त उपयोगी परिवर्तन हुए।

(viii) इसने अपने स्टाफ और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जिनमें से अनेकों ने आयोग और उसके सहयोगियों के तत्त्वावधान में देश और विदेश दोनों में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

2.7 इन सभी गतिविधियों की विस्तृत जानकारी रिपोर्ट के अगले भागों में प्रस्तुत की गई है। यहाँ यह कहना पर्याप्त होगा कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोग ने अपने कार्य में पारदर्शी विधि अपनाने और अपने बढ़ते हुए दायित्वों को निभाने की आवश्यकता महसूस की चाहे वे नागरिक और राजनैतिक अधिकार हो अथवा आर्थिक, समाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, आयोग के सभी कार्यों में अविभाज्यता और परस्पर संबद्धता पुनः स्पष्ट हो रही थी।



### 3. नागरिक स्वतंत्रताएँ

#### (क) आतंकवाद और विद्रोहगति क्षेत्रों में मानव अधिकार

3.1.1 आतंकवाद और विद्रोह से प्रभावित क्षेत्रों में मानव अधिकार संरक्षण पर आयोग के विचार सार्वजनिक रिकार्ड का मामला है जिसे उसने अपनी पूर्व रिपोर्टों में व्यापक रूप से उठाया है। चूंकि आतंकवाद का उद्देश्य सभ्य समाज को नष्ट करने और राज्य के दुकड़े करना है, अतः दोनों के लिए यह आवश्यक है कि वे इसका दृढ़ता से मुकाबला करें। इस संबंध में आयोग अपने विचार पुनः दोहराना चाहता है कि देश की पुलिस और सशस्त्र सेना का यह कर्तव्य है कि वे सभ्य समाज के सभी वर्गों की मदद से आतंकवाद के विरुद्ध लड़ें और उस पर विजय प्राप्त करें। परंतु इसके साथ-साथ आयोग का यह भी मत है कि यह कार्य गणराज्य के संविधान, देश के कानून और राज्य द्वारा विधिवत की गई संधि की वचनबद्धताओं का सम्मान करते हुए किया जाना चाहिए।

3.1.2 इस संबंध में आयोग अभी भी यह मानता है कि मानव अधिकारों के हनन के आरोपों से निपटने के लिए पारदर्शिता और उत्तरदायित्व आवश्यक है। इसमें यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आरोप किस पर लगे हैं। अतः आयोग सशस्त्र सेनाओं से संबंधित मामलों में जिनमें व्यक्तिगत शिकायतों के मामले और आयोग द्वारा स्वयं संज्ञान में लिए मामले शामिल हैं, उसके द्वारा की गई सिफारिशों की व्यावहारिक रूप में व्यापक स्वीकृति को देखकर संतुष्ट है।

3.1.3 आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में सेना और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) दोनों ही अपने उन कार्मिकों के बारे में आयोग को विवरण भेजते रहते हैं जो जम्मू एवं कश्मीर और उत्तरी-पूर्वी राज्यों में मानव अधिकार हनन के लिए आरोपित/दण्डित किए गए हैं। सेना ने 1 जनवरी, 1990 से 31 मार्च 1998 तक की अवधि में जम्मू और कश्मीर और उत्तरी-पूर्वी राज्यों में उसके कार्मिकों द्वारा मानव अधिकार हनन के 942 आरोपों की जाँच की है। ऐसे 37 मामलों को सेना के प्राधिकारियों ने जाँच के उपरान्त सही पाया। कार्मिकों को डांट-डपट से लेकर बरखास्तगी तक का दण्ड दिया गया। पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी आयोग को सेना मुख्यालय से जो विवरण प्राप्त हुए उनमें प्रत्येक घटना की तारीख और स्थान, आरोपित का नाम, आरोप, अभियोग का सारांश, जाँच/मुकदमे का परिणाम और दिया गया दण्ड दर्शाए गए हैं। जहाँ तक बीएसएफ का संबंध है, उसके कार्मिकों के विरुद्ध 259 मामले दर्ज हुए थे जिनमें से विभिन्न स्तरों के कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारम्भ की गई, उन्हें कारवास (45 व्यक्ति) बरखास्तगी/अनिवार्य सेवा-निवृत्ति और विभागीय दण्ड (29 व्यक्ति) दिए गए।

3.2 आयोग का विचार है कि जिस प्रकार हिरासतीय भौत अथवा बलात्कार के मामलों में पुलिस



के खिलाफ, बलात्कार के आरोपों के मामलों में पुलिस के खिलाफ आरोपों की जाँच की जाती उसी प्रकार सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों के विरुद्ध भी ऐसे आरोपों की तत्काल और प्रभावी जाँच होनी चाहिए। आयोग ने अपनी पूर्व रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि यदि अर्द्ध-सैनिक बल और सेना की हिरासत में किसी व्यक्ति की मौत हो अथवा बलात्कार की कोई घटना हो तो उसकी रिपोर्ट आयोग को सीधे ही भेजी जाए। फिर भी सरकार द्वारा संसद के समक्ष प्रस्तुत कार्रवाई ज्ञापन सशस्त्र सेनाओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में निर्धारित प्रक्रिया का अनिवार्य रूप से स्मरण करता है। परन्तु इस मामले में आयोग की विशिष्ट सिफारिशों पर विचार नहीं करता। इसे ध्यान में रखते हुए आयोग का विश्वास है कि उसे अपनी सिफारिशों को दोहराने की आवश्यकता है क्योंकि उसका मानना है कि यह सशस्त्र सेनाओं के कार्य संचालन में विश्वसनीयता और पारदर्शिता को बढ़ायेगा और उनके विरुद्ध अनुचित और प्रचारक आरोपों को भी हतोत्साहित करेगा।

3.3 आयोग का यह विचार है कि जब कभी सरकार सुरक्षा बलों को अपनी सहायता के लिए बुलाती है तो उन्हें सिविल प्रशासन के साथ पूर्ण समन्वय स्थापित करके कार्य करना चाहिए। आयोग का यह विचार अपने उस अनुभव पर आधारित है जो उसे जम्मू और कश्मीर तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों के कुछ क्षेत्रों के दौरां के समय प्राप्त हुए हैं। उसका मानना है कि जब सिविल प्राधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियों का कानून के अनुसार पूरा सम्मान दिया जाता है तब मानव अधिकार हनन की घटनाओं की काफी कम सम्भावना रही है, परन्तु घेराबन्दी, तलाशी, गिरफ्तारी पूछ-ताछ और नज़रबन्दी की कार्रवाई करते समय कुछ भी सम्मान नहीं दिया जाता। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि जम्मू और कश्मीर में स्थानीय मजिस्ट्रेट, गाँव के बुर्जगों के साथ-साथ पुलिस अधिकारी भी घेराबंदी और तलाशी की कार्रवाइयों में पहले से अधिक जुड़ते जा रहे हैं और प्रत्येक जिले में उपायुक्त के अधीन एक स्क्रीनिंग-कम-कॉर्डिनेशन कमेटी स्थापित की गई है जो अन्य मामलों के साथ सुरक्षा संबंधी मामलों को भी देखेगी। सूचना है कि इस प्रकार की समितियाँ उत्तरी-पूर्वी राज्यों में भी कार्य कर रहीं हैं। आयोग ने सिफारिश की है कि इस प्रकार की समितियों की कार्रवाइयों का संबंधित राज्य सरकार के द्वारा अधिक प्रचार करना चाहिए जिससे इनकी गतिविधियों के प्रचार-प्रसार से विद्रोह और आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मानव अधिकारों के अनुपालन में लाभप्रद प्रभाव दिखाई पड़े।

3.4 आतंकवाद के परिणामस्वरूप कश्मीर घाटी में विस्थापित निवासियों की दुर्दशा पर आयोग लगातार गंभीरता से ध्यान दे रहा है और उनकी परिस्थितियों के संबंध में उसे राज्य एवं केन्द्र सरकार के साथ लगातार सम्पर्क बनाए रखना आवश्यक है। आयोग का विश्वास है कि केन्द्र और राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने का दृढ़ प्रयास करेगी कि घाटी के निवासी सुरक्षित और सम्मान अपने घरों को लौट जाएं और शीघ्रातिशीघ्र समाज में वे अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को पुनः प्राप्त कर लें।



3.5 चाहे घाटी हो अथवा कोई अन्य क्षेत्र, राष्ट्र को बहुलता और विविधता की अपनी धरोहर को काथम रखने और सुरक्षित रखने के लिए हर सम्भव प्रयास करने की आवश्यकता है। इस संदेश को उच्च स्वर में और स्पष्ट रूप से घोषणा करने और दोहराने की आवश्यकता है कि उसके सम्पूर्ण देश में प्रत्येक नागरिक के अधिकारों को सम्मान मिलना चाहिए चाहे वे किसी धर्म, नस्ल, जाति-लिंग अथवा जन्म स्थान के हों। हमारे देश में “सामूहिक हत्या” और जातीय-भेदभाव जैसी बुराइयों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये बुराइयां भारत के उस लोकाचार के विपरीत हैं जिसके कारण यह सहस्राब्दियों से विविधता में एकता के अपने सुन्दर स्वरूप और उत्कृष्ट बहुरंगी सम्भता की बेजोड़ सांस्कृतिक विरासत के लिए अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं।

3.6 इस वर्ष आयोग को मानव अधिकार और आतंकवाद के दुखःद प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाये सुस्पष्ट रुख का स्वागत करने को अवसर प्राप्त हुआ है। इसका उल्लेख न तो उसके संकल्पों में है और न ही “अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद उन्मूलन के उपाय” पर 1994 की उसकी उद्घोषणा में है, चूंकि आतंकवाद को कभी भी औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता, कम से कम इसे मानव अधिकारों को प्रोत्साहित करने का साधन नहीं माना जा सकता। अतः आयोग को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर दावे के साथ यह कहने में संकोच नहीं है कि मानव अधिकारों की भाषा का आतंकवादियों अथवा उनके समर्थकों को दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए और न ही इन अधिकारों पर चर्चा करने वाले मंच का उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करने देना चाहिए जो मानव अधिकारों के उपयुक्त प्रोत्साहन और संरक्षण के लिए अनुपयुक्त हैं। आयोग ने सिफारिश की है कि आतंकवाद से निपटने से संबद्ध मुद्दों को सभी स्तरों पर स्पष्ट करने के प्रयास जारी रखने चाहिए। इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय विधि सम्मत शासन प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए किये गए उपायों का आयोग स्वागत करता है और इस संबंध में निरंतर उचित कदम उठाते रहने का अनुरोध करता है।

#### (ख) हिंसातीय मौत, बलात्कार और उत्पीड़न

3.7 आयोग की स्थापना के समय से ही उसकी मुख्य प्राथमिकता हिंसा की समस्याओं से निपटना रही है। आयोग यह जानकर प्रसन्न है कि हिंसातीय हिंसा के मामलों को छिपाने की प्रवृत्ति में भारी कमी आई है और यह कमी तबसे ही शुरू है जब 14 दिसम्बर, 1993 को उसने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को ये अनुदेश जारी किए कि वे सभी जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों को यह आदेश दें कि पुलिस हिंसात में हुई मौत अथवा बलात्कार की घटना की सूचना, घटना होने के समय से 24 घंटे के अंदर सीधे ही आयोग को भेज दी जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि इस प्रकार की रिपोर्ट नहीं भेजी गई तो आयोग यह समझेगा कि तथ्यों को दबाने हेतु ऐसा किया गया है। तत्पश्चात् भेजे गए अनुदेशों में यह अनुरोध भी किया गया कि इन रिपोर्टों में न्यायिक हिंसात में हुई मौतों को भी शामिल किया जाए।



3.8 इन अनुदेशों के परिणामस्वरूप आयोग इस प्रकार की घटनाओं की रिपोर्ट देश के सभी भागों से प्राप्त कर रहा है। वर्ष 1996-97 के दौरान पुलिस हिरासत में हुई 188 मौतों और न्यायिक हिरासत में हुई 700 मौतों की घटनाओं की रिपोर्ट आयोग को प्राप्त हुई। वर्ष 1997-98 के दौरान आयोग को प्राप्त आँकड़ों के अनुसार 193 मौतें पुलिस हिरासत में और 819 मौतें न्यायिक हिरासत में हुई। वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान इस प्रकार की हुई राज्यवार मौतों के विवरण सूची अनुबन्ध-II पर दी गई है। इससे यह पता चलेगा कि आयोग को प्राप्त सूचनाओं के अनुसार पुलिस और ज़ेल हिरासत में हुई मौतों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त आयोग को समीक्षाधीन अधिकारी के दौरान हरियाणा में हुए हिरासतीय बलात्कार की सूचना भी प्राप्त हुई।

3.9 आयोग ने देखा कि वर्ष 1997-98 में प्राप्त हिरासतीय मौतों की बढ़ती हुई संख्या को जब पिछले वर्ष की संख्या से तुलना की गई तो पता चला कि वर्ष 1996-97 की तरह उसका उल्लेख नहीं है। उसने आगे यह भी देखा कि पुलिस हिरासत में हुई मौतों की प्राप्त सूचना के अनुसार कई राज्यों में मौतों की संख्या में पहले से कमी आई है। परन्तु बिहार, केरल, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और दिल्ली इसके अपवाद हैं और असम, कर्नाटक और पांडिचेरी से मामूली वृद्धि की सूचना भी प्राप्त हुई है। आयोग का विचार है कि हिरासतीय मौत के संबंध में प्राप्त रिपोर्टों की संख्या में वृद्धि होना उसके बार-बार दिए गए अनुदेशों की अधिक कठोर और उत्तम प्रतिक्रिया का परिणाम है जिसमें कहा गया था कि इस प्रकार की दुःखद घटनाओं की सूचनाओं को दबाया न जाए बल्कि उसकी सूचना तत्काल भेजी जाए और उसकी जाँच करके तत्पश्चात् कार्रवाई भी की जाए। आयोग यह देखने के लिए जिलेवार विश्लेषण करवा रहा है कि क्या वहाँ किसी प्रकार की हिंसा मौजूद है और इस संदर्भ में क्या किसी राज्य अथवा जिले पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

3.10 अनुबन्ध-II के आँकड़े हिरासतीय हिंसा की गंभीर वेदना से निपटने और इन घटनाओं में कमी लाने तथा उनकी रोकथाम करने के राज्य सरकारों द्वारा किये गये प्रयासों को दर्शाता है। यद्यपि आयोग राज्य स्तर पर हिरासतीय मौतों की जाँच रिपोर्ट और उनके द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त कर रहा है फिर भी हिरासतीय मौत के कुछ मामलों में आयोग अपने अन्येषण विभाग को ऐसी मौतों से संबंधित तथ्यों की जाँच करने के निर्देश देना आवश्यक मानता है। इस प्रकार आयोग की प्रत्येक घटना के मामले में तर्कसंगत परिणाम प्राप्त होने तक कार्रवाई करेगा। ऐसे मामलों में कोई छूट नहीं दी जा सकती क्योंकि यह मानव जाति के लिए एक त्रासदी है और देश की कानून व्यवस्था के तन्त्र के लिए शर्मनाक है।

3.11 हिरासतीय हिंसा का उल्लेख करने के मामलों के सन्दर्भ में आयोग अपनी पूर्व रिपोर्टों में की गई कुछ सिफारिशों का सारांश प्रस्तुत करना और उन्हें दोहराना चाहेगा क्योंकि उनका अभी तक कार्यान्वयन नहीं हुआ है।



- \* भारतीय विधि आयोग (आईएलसी) के इस सुझाव पर शीघ्र कार्रवाई करने की आवश्यकता है कि भारतीय साक्षी अधिनियम, 1872 में धारा 114 (ख) को शामिल किए जाए जिसमें यह खण्डनीय परिकल्पना मौजूद है कि पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति को आई चोटों के बारे में यह माना जा सकता है कि ऐसी चोटें पुलिस अधिकारी ने पहुँचाई हैं।
- \* भारतीय विधि आयोग की सिफारिश के आधार पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 में ऐसा संशोधन करने की आवश्यकता है जिससे पुलिस अधिकारी पर मुकदमा चलाने के लिए सरकारी स्वीकृति लेने की उस समय आवश्यकता न पड़े जब किसी हिरासतीय अपराध की जाँच सत्र न्यायाधीश द्वारा की गई हो और उसके विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या मामले की पुष्टि हो चुकी हो।
- \* राष्ट्रीय विधि आयोग के सुझाव के अनुसार हिरासत में हुई प्रत्येक मौत, बलात्कार और गंभीर चोट की घटना की जाँच किसी सत्र-न्यायाधीश द्वारा कराना वैधानिक रूप से अनिवार्य कर देना चाहिए।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कार्रवाई ज्ञापन में बताया गया है कि इन सिफारिशों पर अभी भी विचार किया जा रहा है। हिरासतीय हिंसा की अत्यधिक घटनाओं और इन मामलों को तत्काल प्रस्तुत करने की आवश्यकता को देखते हुए आयोग ने भारतीय विधि आयोग और राष्ट्रीय पुलिस आयोग की उन सिफारिशों पर, जिनकी इस आयोग ने पुष्टि कर दी थी, सरकार से प्राथमिकताओं के आधार पर ध्यान देने का जोरदार आग्रह किया है।

3.12 आयोग ने वर्ष 1996–97 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में जोगिन्द्र सिंह बनाम उत्तरप्रदेश सरकार और अन्य (जे0टी0 1994(3)एस0सी0 423) के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लेख किया था। इसके अतिरिक्त आयोग ने उच्चतम न्यायालय के बाद के एक आदेश में (डी0के0 बासु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार) दिये निर्देशों का विस्तृत रूप में विशेष उल्लेख किया था। यद्यपि उसने पहले मामले में कार्रवाई ज्ञापन का उल्लेख तो किया था पर दूसरे मामले में उच्चतम न्यायालय के अनुदेशों के कार्यान्वयन का कोई उल्लेख नहीं किया। अतः अत्यन्त आवश्यक है कि दूसरे मामले में उच्चतम न्यायालय के अनुदेशों पर केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य संरकारें भी गंभीरता से ध्यान दें और यह केवल इसलिए नहीं कि इसमें यह शर्त शामिल है कि इन अनुदेशों के अनुपालन न करने पर इसे उच्चतम न्यायालय की अवमानना मान कर दण्डित किया जा सकता है।

#### (ग) उत्पीड़न के विरुद्ध समझौते का पालन

3.13 हिरासत में क्रूरता के आरोपों को देखते हुए आयोग ने महसूस किया कि सरकार से यह




सिफारिश करना आवश्यक है कि देश को उत्पीड़न और अन्य क्रूरता, अमानवीय अथवा अपमानजनक व्यवहार अथवा दण्ड के विरुद्ध 1984 के संयुक्त राष्ट्र समझौता का समर्थक बनना चाहिए। पूर्व रिपोर्ट में तत्कालीन अध्यक्ष और तत्कालीन प्रधानमंत्री के मध्य इस विषय पर हुए पत्राचार का हवाला भी दिया गया था।

3.14 आयोग के अध्यक्ष के पत्र के अनुसरण में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 4 अप्रैल, 1997 को उत्पीड़न और अन्य क्रूरता, अमानवीय, अथवा अपमानजनक व्यवहार अथवा दण्ड के विरुद्ध भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र समझौते का पालन करने के संबंध में विचार करने हेतु एक बैठक बुलाई थी।

3.15 प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में अन्य आमंत्रितों के साथ तत्कालीन विदेश मंत्री, गृह मंत्री और विधि मंत्री भी उपस्थित थे। बैठक में महान्यायवादी और विदेश, गृह और विधि एवं न्याय मंत्रालयों के सचिव भी उपस्थित थे।

3.16 आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री एम. एन. वेंकटाचलय्य ने इस बैठक में एक विस्तृत पेपर प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारत को 1984 के समझौते को स्वीकार कर लेना चाहिए और हिरासंत में क्रूरता के विरुद्ध अपनी वचनबद्धता से संबंधित तीनों कारकों से देश और विश्व को अवगत करा देना चाहिए। पहला संविधान, कानून और भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णयों ने पहले से ही आचरण और उत्तरदायित्व के मानक निर्धारित कर दिए हैं जो समझौते का पालन करने के दायित्व से कम नहीं है। दूसरा भारत, नागरिक और राजनैतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा-पत्र, जिसका वह 10 अप्रैल, 1979 को सदस्य बन गया था के अधीन अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य है। इस प्रतिज्ञा-पत्र के अनुच्छेद 7 के अनुसार उत्पीड़न पूर्णतया वर्जित है और इस अनुच्छेद के उपबन्ध अपमानजनक नहीं हैं। तीसरा, उच्चतम न्यायालय ने उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार को न्यायिक रूप से मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दी है और अब राज्य सरकारों और उसकी एजेंसियों को भी इस अधिकार और इसके अनुरूप कर्तव्य और मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देनी चाहिए।

3.17 समझौते को स्वीकार कर लेने पर देश में “बाहरी हस्तक्षेप” की आशंका को समझौते के प्रावधानों के विशेषकर उसके अनुच्छेद 21, 22 और 28, विश्लेषण द्वारा दृढ़तापूर्वक खण्डन किया गया। अध्यक्ष महोदय ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए आगे कहा कि भारतीय संविधान और उसके कानून पहले से ही देश में उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार के अनुरूप कार्य करने की अपेक्षा रखते हैं और उसके बहुवादी स्वरूप के होते हुए भारत में मानव अधिकारों को प्रोत्साहित करने के प्रयास प्रभावशाली हैं। उन्होंने कहा कि “इस महान देश को मानव अधिकारों के बृहत् विषयों पर राष्ट्रीय प्रभुसत्ता की ऊँची दीवार के पीछे छिपने की कोई आवश्यकता नहीं है।”



3.18 आयोग भारत सरकार के दिनांक 26 जून, 1997 के इस निर्णय का अत्यन्त आभारी है कि वह इस समझौते का पालन करेगा।

3.19 विदेश मंत्रालय ने अपने निर्णय की घोषणा करते हुए एक वक्तव्य में कहा कि “उत्पीड़न के विरुद्ध समझौते का पालन करने में भारतीय सभ्यता के महानतम मूल्यों को बनाए रखने में भारत का दृढ़ निश्चय और मानव अधिकारों के प्रोत्साहन तथा संरक्षण के लिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के साथ कार्य करने की नीति भारत की भागीदारी का एक हिस्सा है।” 31 मई, 1997 तक संयुक्त राष्ट्र के 185 सदस्य देशों में से 102 देशों ने इस समझौते का अनुसमर्थन कर दिया है अथवा इसके सदस्य बन गये हैं।

3.20 संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि ने दिनांक 14 अक्टूबर, 1997 को उत्पीड़न के विरुद्ध समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए जिसे आयोग द्वारा प्रारम्भ की गई प्रक्रिया के शुभ निष्पादन के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। अब आयोग समझौते की शीघ्र अभिपुष्टि की प्रतिक्षा में है और इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने की सिफारिश करता है।

#### (घ) पोस्ट-मार्टम जाँच की वीडियो फिल्मिंग और शव-परीक्षण प्रपत्र में संशोधन

3.21 आयोग हिरासतीय मौत के मामलों में प्राप्त पोस्ट-मार्टम रिपोर्टों की असंतोषजनक गुणवत्ता से क्षम्भ है। चूंकि ऐसे मामलों में कोई विश्वसनीय स्वतन्त्र साक्ष्य दुर्लभ होता है, अतः उनकी नियति लगभग पूर्णतया पोस्ट-मार्टम रिपोर्टों में डाक्टरों द्वारा दर्ज की गई टिप्पणियों और उनके मूल्यांकन पर निर्भर करती है। पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट में की गई हेर-फेर से हिरासतीय हिंसा के जिम्मेदार व्यक्तियों को मदद मिलती है। जिसके कारण न्याय का उपहास और मानव अधिकारों का घोर हनन होता है। इस प्रकार की अनैतिक गतिविधियों को रोकने के विचार से आयोग ने राज्य सरकारों से पोस्ट-मार्टम जाँच की वीडियो फिल्म तैयार करके उसका कैस्ट आयोग को भेजने की सिफारिश की थी। अभी तक इक्कीस राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने यह सिफारिश स्वीकार की है, जबकि अन्य चार ने कहा है कि वे मामले की जाँच कर रहे हैं। आयोग ने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के राज्यों और चण्डीगढ़ तथा लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्रों से सिफारिश की है कि वे मानव अधिकारों के संरक्षण के हित में और हिरासतीय हिंसा में क्रूर व्यवहार करने वाले लोगों को दंडित करने हेतु इन सिफारिशों को बिना किसी विलम्ब के स्वीकार कर लें।

3.22 आयोग ने यह भी महसूस किया है कि विभिन्न राज्यों में इस्तेमाल किए जा रहे शव-परीक्षा प्रपत्रों में कुछ कमियाँ हैं उनमें काफी सुधार करने की आवश्यकता है। अतः आयोग ने एक मॉडल



शब्द—परीक्षा प्रपत्र तैयार किया था जो हमारे देश की वर्तमान परिस्थितियों और संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस क्षेत्र में किए कार्यों को भी ध्यान में रखते हुए अधिक सुसंगत और उद्देश्यपूर्ण था। आयोग ने राज्य सरकारों से मॉडल शब्द—परीक्षा प्रपत्र अपनाने की सिफारिश की थी। चौदह राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। आयोग ने निम्नलिखित राज्यों संघ शासित प्रदेशों अर्थात् अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दियू लक्ष्मीप, मणिपुर, मिजोरम, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से नया प्रपत्र और सहवर्ती प्रक्रिया बिना किसी विलम्ब के अपनाने की सिफारिश की है।

3.23 पोस्ट—मार्टम रिपोर्टों की विडियो फिल्मों की संवीक्षा करने पर यह भालूम हुआ की बहुत से मामलों में वीडियो चित्रण प्रक्रिया में पोस्ट—मार्टम जाँच के महत्वपूर्ण पहलुओं का चित्रण ध्यानपूर्वक नहीं किया गया। अतः आयोग का मानना है कि हिरासतीय मौत की रिपोर्टों के अध्ययन हेतु वीडियो फिल्मों को प्रभावकारी साधन बनाने के लिए दिशा—निर्देश जारी करने की आवश्यकता है। तदनुसार आयोग ने एक फॉरेन्सिक विशेषज्ञों का एक पैनल बनाने का निर्णय लिया जो वीडियो चित्रण के लिए एक सामान्य दिशा—निर्देश तैयार करेंगे जिसमें विस्तृत रूप से यह निर्धारित किया जाएगा कि शब्द का चित्रण किस प्रकार (समीपवर्ती, दूरवर्ती चित्रण इत्यादि) किया जाए और पोस्ट—मार्टम जाँच के विशेष पहलुओं का समीपवर्ती (क्लोज अप) शॉट लिया जाए। यह पैनल संवीक्षा रिपोर्ट का एक उपयुक्त प्रपत्र भी तैयार करेगा जिसका प्रयोग वीडियो चित्रण के विश्लेषण में होगा और आयोग के अधिकारी वीडियो फिल्म की जाँच में भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे।

3.24 इसके अतिरिक्त आयोग ने फॉरेन्सिक विज्ञान से संबंधित मामलों पर एक प्रशिक्षण सेमिनार आयोजित करने का भी फैसला किया है। चूंकि आंयोग के अधिकारियों को अधिकतर मानव अधिकार हनन के गम्भीर मामलों जिनमें मृत्यु भी हुई है, की जाँच करनी हाती है अतः यह आवश्यक है कि अधिकारियों को फॉरेन्सिक विज्ञान का अच्छा ज्ञान हो। इस प्रशिक्षण सेमिनार में भीड़िया के कुछ चुने हुए व्यक्तियों और मानव अधिकार हनन के मामलों को निपटा रहे गैर—सरकारी संगठनों को भी भाग लेने के लिए बुलाया जाएगा। यह आशा की जाती है कि इस प्रकार के प्रशिक्षण से प्रशिक्षुओं को फॉरेन्सिक विज्ञान की तकनीकों और तरीकों का उचित ज्ञान प्राप्त हो सकेगा और वे अपने—अपने क्षेत्रों में अपने उत्तरदायित्वों का भलीभाँति निर्वाह कर सकेंगे।

#### (इ) पुलिस हवालातों का निरीक्षण

3.25 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 (ग) में यह प्रावधान है कि आयोग राज्य सरकार को सूचना देकर, राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का जहां व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण हेतु निरुद्ध या दाखिल किए जाते हैं, वहां सवासियों के जीवन



की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए निरीक्षण कर सकता है और उसके बारे में अपनी सिफारिशें कर सकता है।

3.26 पुलिस हवालात में बढ़ती हुई हिंसा की रिपोर्टों से क्षुब्ध आयोग ने निर्णय लिया कि उसके अधिकारी पुलिस हवालातों का अचानक निरीक्षण करेंगे। तदनुसार आयोग के महासचिव ने सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को दिनांक 1 अगस्त, 1997 को अनुबन्ध 1 में लिखे पत्र में उनसे पुलिस प्राधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने के लिए अनुरोध किया जिससे आयोग के अधिकारी पुलिस हवालातों का निरीक्षण कर सकें। छब्बीस राज्यों व संघ शासित प्रदेशों ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया है। आयोग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, नणिपुर और दमन एवं दियू संघ शासित प्रदेशों जिन्हें अभी भी सकारात्मक जवाब देना बाकी है, के साथ बातचीत जारी रखी है। आयोग ने बताया कि उन्होंने यह सिफारिश तत्काल स्वीकार कर ली और पुलिस हवालातों के उचित प्रबन्ध में उपनी रुचि दिखाई। पुलिस हवालातों में उनके दोरों के दौरान किस प्रकार से जाँच करनी है, इस संबंध में अन्वेषण विभाग के अधिकारियों को विस्तृत अनुदेश जारी कर दिये गये हैं। “करना चाहिए” और “नहीं करना चाहिए” की सूची तैयार की गई है और उसे निरीक्षण पर जाने वाले अधिकारियों में परिचालित कर दिया गया है, जिसकी प्रतिलिपि अनुबंध 4 पर देखें।

#### (च) व्यवस्थागत सुधार : पुलिस

3.27 आयोग लगातार पिछले पाँच वर्षों से पुलिस प्रणाली में व्यापक सुधारों की आवश्यकता पर ध्यान दे रहा है। इस बात को मानते हुए कि कानून लागू करने वालों को मानव अधिकार हनन से रोकना चाहिए। आयोग, जब से उसकी स्थापना हुई है तब से पुलिस कार्यप्रणाली के स्वरूप और तरीकों में आवश्यक परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर दे रहा है और इस संबंध में विशिष्ट प्रस्ताव भी तैयार किए हैं। उदाहरण के तौर पर इसने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि पुलिस को सत्ताधारी दल की कठपुतली के प्रतिरूप से स्वयं को हटाना चाहिए और हमारे बहुलवाद जैसे समाज में समाज के सभी तत्वों के साथ पक्षपात रहित निष्ठापूर्वक कार्य करना चाहिए और करते रहना चाहिए। तदनुसार आयोग ने सरकार से द्वितीय पुलिस सुधार आयोग की भी कुछ आवश्यक सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कहा। इस संबंध में आयोग गृह मंत्री का अत्यंत आभारी है जिन्होंने पुलिस आयोग की सिफारिशों और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सलाह से प्रभावित होकर अप्रैल, 1997 में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर मामले को आगे बढ़ाया और साथ ही कहा कि “हम आजकल कुछ मूल सिफारिशों के कार्यान्वयन में भी लगे हुए हैं जो हमारे क्षेत्र में हैं अर्थात् संघ शासित और अन्य केन्द्र शासित क्षेत्र”। परन्तु आयोग यह कहने को बाध्य है कि गृहमंत्री के पत्र पर प्रकटतः कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई है। इस संबंध में न तो राज्य सरकारों ने कोई कार्रवाई की है और न ही संघ शासित प्रदेशों और अन्य केन्द्र शासित क्षेत्रों में सिफारिशों के कार्यान्वयन के



संबंध में कोई कार्रवाई हुई है। अतः आयोग बलपूर्वक आग्रह करता है कि पुलिस आयोग द्वारा बताए गए अपेक्षित सुधारों को संघ शासित क्षेत्रों में लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं और आयोग इसका विस्तार करे। इसके अतिरिक्त आयोग ने अपनी ओर से उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार एवं अन्य के मामले जो विशेषकर राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा की गई कुछ सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित है, में स्वयं को एक पक्ष के रूप में प्रस्तुत किया। आयोग ने विस्तृत शपथ-पत्र में और आगे के आत्मनिवेदनों में पुलिस को अत्यधिक दबावों से दूर रखने की आवश्यकता और पुलिस के प्रशासन और कार्य-प्रणाली में अन्य महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार लाने की आवश्यकता के विचारों को प्रमुखता से दर्शाया है। आयोग के विचारों के विवरण अनुबन्ध 5 पर देखे जा सकते हैं। आयोग अपना गहरा विश्वास दोहराना चाहेगा कि पुलिस की बहुत सी बुराइयों को उसके द्वारा प्रस्तावित मुख्य संरचनात्मक परिवर्तन करके और पुलिस बल के बेहतर प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण के माध्यम से दूर किया जा सकता है। किन्हीं भी मामलों में दोषी अधिकारी को सजा देना कितना भी आवश्यक हो, वर्तमान परिस्थितियों में बिलकुल अपर्याप्त है। अतः आयोग इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा में है क्योंकि वह देश की पुलिस के भविष्य के लिए और मानव अधिकारों के प्रोत्साहन और संरक्षण के लिए जिसका अभी हाल के वर्षों में कानून बनाने वाली भशीनरी ने अक्सर स्वयं ही उल्लंघन किया है, अत्यन्त महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश होगा।

#### (छ) व्यवस्थागत सुधार : कारागार

3.28 आयोग की प्राथमिकता अभी भी हमारे देश में जेलों की वर्तमान स्थिति से निपटने की है। रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान आयोग ने :

- कारागार बिल के प्रारूप को और अधिक शोधित करने और उसका ढांचा तैयार करने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ाया।
- कुप्रवेन्य और हिरासतीय हिंसा की शिकायतों के संदर्भ में अनेक जेलों का निरीक्षण किया।
- बम्बई उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में महाराष्ट्र सरकार से जेल निरीक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रख्यात, निष्ठावान और वचनबद्ध व्यक्तियों के नामों की सिफारिश की।
- जेल प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर जेल हिरासत में हुई मौतों के कारणों का विश्लेषण किया।
- निरुद्धाधीन व्यक्तियों के मानव अधिकारों की बेहतर सुरक्षा की दृष्टि से मार्गदर्शी सिद्धांतों को तैयार किया।



- उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में दिल्ली में रिहाई योग्य विचाराधीन कैदियों के मामलों की प्रारम्भिक कार्रवाई के रूप में समीक्षा की।

#### (ज) कैदियों के स्वास्थ्य की स्थितियों पर अध्ययन

3.29 जेलों में होने वाली निरन्तर मृत्यु की रिपोर्ट से आशांकित होकर आयोग ने प्रत्येक राज्य से विवरण मंगवाने के लिए निर्देश जारी किए। मृत्यु के कारणों का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि जेलों में इस प्रकार की 76 प्रतिशत मौतें क्षयरोग से होती हैं। काफी भारी संख्या में बीमारी के मामलों पर ध्यान दिया गया और निदान किया गया था, परन्तु उस समय तक बीमारी लाइलाज हो चुकी थी। यह स्थिति न केवल हिरासत में कैदियों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के अधिकार को नकारना है बल्कि दूसरी ओर अन्य कैदियों के लिए यह भारी संक्रमण का स्रोत भी है जिन्होंने बिना किसी शक के स्वयं को जोखिम में डाला हुआ है।

3.30 हालांकि कारागार के नियमों के अनुसार जेल में किसी नये व्यक्ति के प्रवेश के समय उसकी चिकित्सा जांच आवश्यक है परन्तु आयोग को यह देखकर काफी निराशा हुई कि बहुत सी जेलों में यह प्रक्रिया केवल एक औपचारिकता मात्र रह गयी है। शायद इसका कारण एक ओर पर्याप्त स्टाफ की कमी है और दूसरी ओर कारागार प्रशासन की अपेक्षित प्रक्रिया के अनुपालन में रुचि की कमी है।

3.31 अतः आयोग का विचार है कि चिकित्सा जांच के लिए एक प्रयत्र तैयार किया जाना आवश्यक है। प्रपत्र इस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए जिससे चिकित्सीय आंकड़े और दस्तावेजों को तैयार करने और रख-रखाव के लिए प्रयोग की जाने वाली आधुनिक तकनीकों का लाभ मिल सके। यह कैदियों की चयापचयी, पौष्टिकता और सामान्य चिकित्सा, विशेषकर संक्रामक रोगों, पर विशेष बल देगा। प्रपत्र में जांच करने वाले चिकित्सा अधिकारी के निदेश भी समिलित होंगे कि किस प्रकार की चिकित्सा और खुराक पर विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रारम्भिक चिकित्सा जांच रिपोर्ट के इस प्रकार के प्रपत्र सही और विस्तृत होने चाहिए जिससे जब कभी किसी की गम्भीर बीमारी का पता चलता है अथवा शक होता है तो यह प्रपत्र अवश्य ही कैदियों की स्वास्थ्य स्थिति का प्रभावकारी और मानवोंचित प्रबन्ध का आधार होगा। जहां कहीं आवश्यक होगा प्रपत्र में पुष्टिकरण जांच के निर्देश भी होंगे। सटीक प्रपत्र तैयार करने के अपने प्रयास में आयोग ने सात विशेषज्ञों की एक समिति से सहायता ली है जिन्होंने अपना प्रारूप आयोग के जमक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर दिया है। इसी बीच आयोग ने सभी राज्य सरकारों से सिफारिश की है कि जो भी हिरासत में है उन सबकी उनकी सहमति से क्षयरोग की जांच की जाए और इस प्रकार की जांचों के आधार पर तत्काल उचित निदानकारी उपाय किए जाएं।



### (ङ) कारागार विधेयक के प्रारूप को तैयार करना

3.32 पहले तैयार रूपरेखा में संशोधन करते हुए आयोग ने भारत सरकार के पूर्व विधि सचिव की सहायता से कारागार विधेयक का प्रारूप तैयार किया। प्रारूप पर उनके विचार जानने के लिए इसे सभी राज्य सरकारों में परिचालित किया गया। उनके उत्तरों पर विचार करने के पश्चात् कारागार विधेयक में पुनः संशोधन किया जा रहा है। आयोग का प्रस्ताव इसे सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत केन्द्रीय कानून बनाने के लिए भेजने का प्रस्ताव है।

### (ज) मानव अधिकारों की दृष्टि से कारागार की स्थिति को सुधारने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का प्रारूप

3.33 आयोग ने मानव अधिकारों के दृष्टिकोण से कारागार की स्थितियों में सुधार लाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों को प्रस्तुत किया जहां प्रारूप विधेयक में कारागार प्रबन्ध की रूपरेखा की परिकल्पना को प्रतिपादित किया गया है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का प्रारूप बनाते समय आयोग ने बहुत से गैर-सरकारी संगठनों, जो कारागारों में व्यावहारिक समस्याओं से निपटते हैं, और उन सभी से सविस्तार परामर्श किया जिन्हें ऐसे मामलों की विशेष जानकारी है। कारागारों की स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार को सुनिश्चित करने के विचार से मार्गदर्शी सिद्धान्तों को सभी जेलों के महानिरीक्षकों के बीच परिचालित किए जा रहे हैं।

### (ट) जेलों का निरीक्षण

3.34 देश की विभिन्न जेलों के कैदियों से मानव अधिकारों के उल्लंघनों की गम्भीर रिपोर्ट प्राप्त होने पर आयोग के अधिकारियों ने आगरा, मुजफ्फरनगर, बस्ती, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, झांसी, इंदौर, बीकानेर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद और जयपुर की जेलों का निरीक्षण किया और उनकी रिपोर्ट संबंधित जेलों के महानिरीक्षकों को भेजी। आयोग का मानना है कि इस प्रकार के निरीक्षणों से न केवल अधिकारियों द्वारा पाई गई समस्याओं को प्रस्तुत करने में सहायता मिली बल्कि जेल कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने में भी सहायता मिली।

### (ठ) विचाराधीन कैदियों की दिहाई के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का कार्यान्वयन

#### (i) तिहाड़ जेल में विचाराधीन कैदियों के मामलों की संवीक्षा

3.35 आयोग देश के विभिन्न जेलों में बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदियों की उपस्थिति से काफी क्षुब्ध है। बहुत से जेल प्राधिकारियों ने आयोग को सूचित किया है कि कॉमन कॉर्ज (लोक पक्ष) बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्देशों का विचाराधीन कैदियों की संख्या को



कम करने पर काफी प्रभाव पड़ेगा यदि इस संबंध में उचित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। अतः आयोग महसूस करता है कि इस मामले को आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है। इन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए और दिल्ली की अपनी स्थिति को देखते हुए उपयुक्त मामलों की सूची तैयार करने के लिए जेल महानिरीक्षक, दिल्ली और सदस्य सचिव, दिल्ली विधि सहायता प्राधिकरण के साथ मिलकर एक अनुष्ठान शुरू किया गया था जिसके जमानत के मामले को शीघ्रता से निपटाया जाए। तदनुसार विधि सहायता वकीलों ने तिहाड़ जेल का निरीक्षण करना शुरू किया और इसके अतिरिक्त दिल्ली विधि सहायता प्राधिकरण ने इन मामलों पर शीघ्र कार्रवाई हेतु लोक अदालतें आयोजित कीं।

#### (ii) महाराष्ट्र के लिए गैर-सरकारी जेल निरीक्षक

3.36 रिट याचिका संख्या 3899/96 (मुक्ताराम सीताराम शिंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य) पर विचार करते समय बम्बई उच्च न्यायालय ने दिनांक 24 नवम्बर, 96 को एक आदेश पारित करते हुए निर्देश दिये कि राज्य के प्रत्येक 33 जेलों में राज्य आयोग के मनोनीत को पदेन अथवा गैर-सरकारी निरीक्षक के रूप में नियुक्त करेगा। इस संबंध में यह स्मरण करने की आवश्यकता है कि जेल के महाराष्ट्र निरीक्षक अधिनियम 1962 के अनुसार राज्य के प्रत्येक जेल में पदेन और गैर-सरकारी निरीक्षकों के एक बोर्ड की आवश्यकता है। न्यायालय ने आयोग से नियमानुसार नियमित निरीक्षण के लिए दण्डात्मक प्रशासन, बाल सुधार कल्याण क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों को नाभित करने का अनुरोध किया है। न्यायालय के आदेशों के प्रत्युत्तर में आयोग ने महाराष्ट्र के प्रत्येक 33 जेलों के लिए व्यक्तियों को नाभित किया जिन्हें राज्य सरकार ने निरीक्षकों के रूप में अधिसूचित किया। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता हेतु निरीक्षकों के लिए जेल प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देने के लिए भार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए जा रहे हैं। यह आशा की जाती है कि आयोग की ओर से कार्य कर रहे ये गैर-सरकारी निरीक्षक राज्य में जेल की स्थितियों की जांच करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे।

#### (iii) सुधारगृहों का निरीक्षण

3.37 आयोग को देश के विभिन्न सुधार गृहों के संवासियों की शोचनीय स्थिति और निरंतर अमानवीय व्यवहार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। वर्तमान स्थिति की स्पष्ट स्थिति जानने के लिए आयोग ने अपने अन्वेषण विभाग के अधिकारियों को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के कुछ सुधार गृहों का निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिए। इन निर्देशों के अनुसरण में आयोग के दलों ने मध्यप्रदेश में उज्जैन, इन्दौर, रायगढ़ और जबलपुर के सुधार गृहों, उत्तर प्रदेश में वाराणसी और विजनौर के सुधार गृहों और दिल्ली के लाजपत नगर स्थित सुधार गृह का निरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो इन गृहों के प्रबन्धन में गंभीर कमियों को दर्शाती है। आयोग ने इन रिपोर्टों पर ध्यान



दिया और सम्बंधित राज्यों के कल्पण विभागों के सचिवों को सामने आई इन कमियों से निपटने और इन गृहों के बेहतर अनुरक्षण और रख-रखाव के लिए निर्देश दिए।

3.38 बाल सुधार गृहों में मौत की घटनाओं और इन गृहों से बराबर बच्चों के भागने की रिपोर्टों पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए आयोग ने इन मामलों पर कल्पण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की और विभिन्न राज्यों के बाल-सुधार गृहों के प्रबन्धन पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। प्राप्त हुई रिपोर्टों और दिल्ली के बाल-सुधार गृह के प्रबन्धन पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् आयोग को विस्तृत जानकारी की आवश्यकता महसूस हुई और तदनुसार सुधार गृहों की कार्य प्रणाली पर गहराई से अध्ययन करने हेतु विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को एक विस्तृत प्रश्नावली भेजी जिससे वहां की स्थिति में सुधार लाने हेतु सिफारिशों की जा सके।

3.39 तदनुसार इन गृहों/संस्थानों की कार्यप्रणाली विषयक जानकारी जुलाई, 1997 तक प्राप्त करने हेतु सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव/प्रशासकों को विभिन्न कानूनों के अधीन स्थापित ब्रोस्टल, संस्थानों, स्वागत केन्द्रों, परिवीक्षा गृह, संरक्षण गृह और हिरासतीय गृहों पर एक प्रश्नावली भेजी गई।

3.40 समीक्षाधीन अवधि के दौरान गोवा, गुजरात, मेघालय, त्रिपुरा और चण्डीगढ़ और पांडिचेरी संघ शासित प्रदेश से जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दमन और दियू और लक्षद्वीप ने बताया है कि उनके यहां इस प्रकार के संस्थान नहीं हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्यों ने आंशिक सूचना भेजी है। आयोग ने शेष संघ शासित प्रदेशों से शीघ्र रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है।

### (3) मानव अधिकार और आपराधिक व्याय प्रशासन

3.41 आयोग ने वर्ष 1996-97 की अपनी रिपोर्ट में देश में आपराधिक न्याय प्रशासन की कमियों पर किये गये विचार-विमर्श का हवाला दिया था। जेलों की जनसंख्या जिनमें मुख्यतः जांचाधीन, दोषसिद्धों की कम संख्या सम्मिलित है और जांच करने में अत्यधिक विलम्ब और मानव अधिकारों के प्रोत्साहन और संरक्षण में इन समस्याओं की जटिलता से चिंतित होकर आयोग ने उस क्षेत्र में संस्थागत परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया जहां देश की कानूनी प्रणाली को अभी सुसंगत और दीर्घकालीन विधिशास्त्रीय व्यवस्था स्थापित करनी है। इन परिवर्तनों में शामिल है :

- पुलिस को अत्यधिक दबावों से अलग रखना।



- अवैतनिक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रणाली को अपनाना।
- प्ली बारगेनिंग प्रणाली को अपनाना।
- आपराधिक क्षति मुआवजा के अनुरूप अपराध के लिए मुआवजा प्रणाली प्रारम्भ करना।
- अपराधों का भारी मात्रा में निरपराधीकरण ताकि इनसे समाधेय अपराध के रूप में निपटा जा सके।
- “पीड़ितों की सहायता एवं सेवा” हेतु गैर-सरकारी संगठनों को बढ़ावा देना और पुलिस प्रणाली के सहयोग से गवाहों की सुरक्षा करना।
- मानव अधिकार व्यवस्था में मजिस्ट्रेटों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना और कार्यान्वित करना।

3.42 इन सिफारिशों की कार्रवाई रिपोर्ट से पता चलता है कि इनमें से अनेकों जो विधि आयोग की 154वीं रिपोर्ट में भी शामिल हैं, पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। आयोग पिछली रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों को दोहरायेगा और उसने आशा व्यक्त की कि वर्तमान रिपोर्ट पर कार्रवाई ज्ञापन, सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई के परिणाम को सकारात्मक रूप में दर्शाएगा। इस मामले में निष्क्रियता और अपराध न्याय प्रणाली के मामले में सुधारों के कार्यान्वयन में और अधिक विलम्ब से स्थिति ऐसी जगह पहुंच सकती है जहां स्थिति नियंत्रण से बाहर और अप्राप्य हो जाएगी।



#### 4. कानूनों की पुनरीक्षा, संधियों तथा मानव अधिकारों से संबंधित अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का कार्यालय

##### (क) सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958

4.1 अपनी पूर्व रिपोर्ट में आयोग ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 विशेषकर इस अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 जिसके लिए उन्होंने चिंता प्रकट की थी के संबंध में नागरिक स्वतंत्रता के अनेकों दलों से प्राप्त प्रतिवेदनों के स्वरूप का खुलासा किया था। इन प्रतिवेदनों में यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियां इनती अधिक व्यापक और आमूल हैं कि इससे इस अधिनियम के अधीन क्षेत्र के नागरिकों के मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता के लिए खतरा है।

4.2 इन प्रतिवेदनों के प्रकाश में आयोग ने अधिनियम के संबंध में उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मामलों पर मुकदमा चलाने का प्रयत्न करने और इस संबंध में उठे विषयों पर आयोग के विचारों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उसकी सहायता करने का निर्णय लिया। आयोग का विचार था कि ऐसा करने से पहले संवैधानिक और कानूनी विषयों पर शामिल मामलों पर जो इनके साथ मूल रूप से संबंधित है के साथ एक स्वतंत्र और स्पष्ट विचार-विमर्श करना उपयोगी होगा और जिस क्षेत्र में यह अधिनियम लागू होता है वहां दोनों सशस्त्र बलों और नागरिकों द्वारा सामना करने वाली व्यावहारिक समस्याओं पर भी विचार-विमर्श उपयोगी होगा। तदनुसार इस प्रकार का एक विचार-विमर्श 13 मई 1997 को हुआ जिसमें सशस्त्र सेना के अति वरिष्ठ अधिकारियों, रक्षा और गृह मंत्रालय के सचिव, विशिष्ट न्यायविद् और अन्य ऐसे उपस्थित थे जो इस विषय पर प्रकाश डाल सके। इसके अतिरिक्त प्रमुख शिक्षाविद् और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

4.3 तत्पश्चात् आयोग के विचार उच्चतम न्यायालय की अनुमति से उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए और इसके साथ स्थिति का जायजा लिया कि अधिनियम में व्यापक शक्तियां हैं और यह कठोर शक्तियां प्रदान करता है जिसका प्रयोग अनाधिकृत अधिकारी अपनी आत्मपरक संतुष्टी के आधार पर कर सकता है।

4.4 उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 27 नवम्बर, 1997 के आदेश में निर्णय दिया था कि अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत किसी भी क्षेत्र को गड़बड़ी वाला क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए (उसके द्वारा अनाधिकृत अधिकारियों और इससे उच्चतरवर्ग के अन्य अधिकारियों को विशेष शक्तियां प्रदान की गईं) और घोषणा के छह माह समाप्त होने से पूर्व आवधिक समीक्षा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने आदेश दिए:



- अधिनियम की धारा 4(क) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय सशस्त्र सेना का अधिकारी निषेधात्मक आदेश का उल्लंघन कर रहे व्यक्ति/व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावकारी कार्रवाई के लिए अपेक्षित न्यूनतम बल का प्रयोग करेगा।
- गिरफ्तार किए और हिरासत में लिये किसी व्यक्ति को न्यूनतम सम्भव विलम्ब के साथ निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सौंप देना चाहिए जिससे उसे इस प्रकार से गिरफ्तार किए जाने के 24 घण्टों के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। इसमें गिरफ्तार किये गये स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा करने में व्यय हुए समय को शामिल नहीं किया जाएगा।
- अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते समय इस प्रकार की कार्रवाइयों के दौरान खोज और गिरफ्तारियों पर लागू दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।
- धारा 4 के उपबन्ध (क) से (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते समय सेना के प्राधिकारियों द्वारा जारी “करें और न करें” की सूची में सम्मिलित निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए जो कि बाध्यकारी हैं और इन निर्देशों की किसी प्रकार से अवहेलना करने पर सेना अधिनियम के अधीन उपयुक्त कार्रवाई करना आवश्यक होगा।

4.5 आयोग ने सिफारिश की है कि संबंधित मंत्रालय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के आधार पर सशस्त्र बल और अर्धसैनिक बलों के सभी संबंधित कार्मिकों के लिए ध्यानपूर्वक तैयार किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करें।

#### (छ) बाल-विवाह अवरोध अधिनियम, 1929

4.6 बाल-विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 के काफी समय से अस्तित्व में आने के बावजूद देश के कुछ भागों से बाल-विवाह की बार-बार रिपोर्ट मिलने के आलोक में आयोग ने संबंधित कानूनों का अध्ययन किया और 1995 में निर्णय लिया कि निम्नलिखित मामलों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है:

- (i) बाल-विवाह अवरोध अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है जिससे उसे दोष संज्ञेय और गैर-जमानती बनाया जा सके।
- (ii) जनता को संवेदनशील बनाने और बाल-विवाह की घटनाओं की रिपोर्ट करने को सुविधाजनक बनाने हेतु कार्यकारी शक्तियों और अन्य जिम्मेदारियों को विकेन्द्रीकरण करने की आवश्यकता है, बाल-विवाह को रोकने के लिए गैर-सरकारी संगठनों और पंचायत



और ग्राम—स्तर पर जिम्मेदार व्यक्तियों को अधिकार देने की आवश्यकता है।

- (iii) स्कूली शिक्षा के लिए प्रोत्साहन और उचित संरचनात्मक सुविधाओं के प्रावधानों के माध्यम से अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, बाल—विवाह प्रथा को कम करने और अंततः समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है।
- (iv) बाल—विवाह विलोपन के बजाय उसे रोकने के लिए अधिक बल देना चाहिए।
- (v) अनिवार्य विवाह पंजीकरण बाल—विवाह के बाधक के रूप में कार्य कर सकता है।

4.7 बाद में आयोग ने इस संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला और बाल विकास विभाग और गैर—सरकारी संगठनों के साथ विचार किया। यह सूचित किए जाने पर कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने विवाह विधेयक का प्रारूप तैयार किया है जिसमें अनिवार्य विवाह पंजीकरण का प्रावधान भी रखा है। आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग और महिला और बाल—विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए विवाह विधेयक के प्रारूप पर शीघ्र कार्रवाई करने की सिफारिश की थी।

4.8 परन्तु केन्द्र सरकार ने आयोग की 1995—96 की वार्षिक रिपोर्ट पर कार्रवाई ज्ञापन में कहा था कि वर्तमान में इस संबंध में और अधिक वैधानिक उपायों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सरकार का विचार है कि समाज के कुछ वर्गों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान से इस प्रथा को समाप्त किया जा सकता है। केन्द्र सरकार ने आगे तर्क दिया कि अनिवार्य विवाह पंजीकरण के लिए किसी प्रकार का कानून लाना अनुचित होगा, क्योंकि यह वैयक्तिक कानून पर अतिक्रमण होगा और वैसे भी बाल—विवाह अवरोध अधिनियम राज्य सरकारों द्वारा अपने प्रशासन तंत्र के माध्यम से लागू किया जाता है।

4.9 यह स्मरणीय है कि आयोग ने अपनी पिछली वार्षिक रिपोर्ट में कहा था कि आयोग को यह मत पूर्ण रूप से स्वीकार्य है कि समाज के उन वर्गों और समुदायों में जहां बाल—विवाह प्रथा काफी समय से प्रचलित है इस प्रथा को समाप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक प्रयास आवश्यक हैं। लेकिन उनका मानना है कि इस अत्यन्त महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक समस्या के बारे में कार्रवाई ज्ञापन में केन्द्र सरकार का रुझान इसे किसी प्रकार से मजबूत करने अथवा परिवर्तन लाने के संबंध में अथवा इसको बेहतर कार्यान्वयन के रूप में देखने का पूर्णतया अनिच्छापूर्ण है। आयोग ने आगे कहा कि वह यह मानने को तैयार नहीं है कि अब इस बारे में केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी समाप्त हो गई है। वर्तमान अधिनियम राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित होने के कारण अथवा इस सम्पूर्ण मामले में वैयक्तिक कानूनों के मामले को जो भी कोई प्रयास हो, को सेकने के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।



4.10 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा तैयार किए गए विवाह विधेयक के प्रारूप के सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई है, अतः आयोग ने बाल-विवाह निरोधक अधिनियम, 1929 में संशोधनों के संबंध में अपने मूल प्रस्ताव को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। आयोग ने न्यायाधीश श्री वी० एस० मड्डिमठ, जो आयोग के एक सदस्य हैं, से प्रस्तावित संशोधनों पर एक नया प्रारूप आयोग के विचारार्थ तैयार करने का अनुरोध किया है। आयोग आने वाले समय में इस मामले को आगे बढ़ाना चाहता है।

#### (ग) संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का कार्यान्वयन

4.11 रिपोर्ट में पीछे आयोग द्वारा की गई पहल का हवाला दिया गया था, जिसमें सरकार को उत्पीड़न के विरुद्ध समझौता का एक पक्ष बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में अपनाई गई 17 अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधियों में भागीदार बन गया है यद्यपि इसके शीघ्र अनुसमर्थन की अभी भी प्रतीक्षा है जिसके लिए अनुरोध किया गया है। इन संधियों के प्रावधानों का अत्यन्त सुव्यवसित ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से आयोग ने यह उचित ज्ञाना कि इनके समुचित कार्यान्वयन के प्रश्न की कुछ विस्तृत रूप से जांच की जाए। तदनुसार, इसने भारतीय विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय विधि स्कूल से सम्पूर्ण मामले पर प्राथमिकता के आधार पर अध्ययन करने के लिए अनुरोध किया है। यह अनुरोध राष्ट्रीय विधि स्कूल के साथ हुए एक समझौते के अधीन किया गया है।

#### (घ) शारणार्थियों की स्थिति के संबंध में संयुक्त राष्ट्र समझौते पर विचार

4.12 2 अक्टूबर, 1997 को आयोग ने शारणार्थियों की स्थिति से संबंधित संयुक्त राष्ट्र समझौता, 1951 और इसी विषय पर प्रोटोकाल, 1967 का भारत को भागीदार बनाने की सम्भावना की पुनः जांच करने हेतु विदेश मंत्रालय के विरिष्ट अधिकारियों के साथ वार्ता प्रारम्भ की।

4.13 आयोग ने विदेश सचिव के प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने बताया कि वे पुनः इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करेंगे और इस विषय पर आयोग को सूचित करेंगे।

4.14 तत्पश्चात् विदेश मंत्रालय ने आयोग को सूचित किया कि मामले पर अन्य मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से पुनः विचार किया जा रहा है। आयोग ने इस प्रगति की सराहना की और विदेश मंत्रालय से सिफारिश की कि इस मामले पर शीघ्रता से कार्रवाई करने हेतु विशेषज्ञों के एक दल का गठन किया जाए।



## 5. बंधुआ मजदूरी उन्मूलन

5.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मनुष्यों का अवैध व्यापार और बेगार निषेध है। बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, में बंधुआ मजदूरी प्रणाली समाप्त करने के साथ-साथ उनके ऋणों को समाप्त करने का प्रयास है। इस अधिनियम के तहत बंधुआ मजदूरों की पहचान और मुक्ति और उनका पुनर्वास सीधे राज्य की जिम्मेदारी है। इस अधिनियम में बंधुआ मजदूरों की पहचान, मुक्ति और पुनर्वास के लिए विभिन्न स्तरों पर संस्थागत तन्त्र का प्रावधान है। देश के बहुत से भागों से संवैधानिक और कानूनी जिम्मेदारियों की ओर अवमानना की रिपोर्टों के आलोक में आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष ने दिनांक 29 अगस्त, 1995 को सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजे और उन्हें उनकी जिम्मेदारियों के संबंध में स्मरण कराया और इस गम्भीर सामाजिक समस्या पर अपेक्षित ध्यान देने के लिए उनसे अनुरोध किया।

5.2 इस संबंध में यह स्मरण कराना अत्यावश्यक है कि भारत का उच्चतम न्यायालय 1982 से बंधुआ मजदूरी के प्रश्न पर अत्यन्त गंभीरता से ध्यान दे रहा है। इनके अतिरिक्त अप्रैल, 1985 में तमिलनाडु और मध्यप्रदेश में कार्यरत बंधुआ मजदूरों पर पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) द्वारा दायर एक रिट याचिका की सुनवाई के दौरान मई 1994 में उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ बंधुआ मजदूरी की व्यापकता, बंधुआ मजदूरों की पहचान और उन्हें पुर्ववास करने के संबंध में जानकारी एकत्र करने हेतु सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए। न्यायालय ने आगे जिला स्तर पर सतर्कता समितियां स्थापित करने और बंधुआ मजदूरों के नियोक्ताओं/एजेन्टों पर मुकदमा चलाने के निर्देश दिए।

5.3 न्यायालय ने 11 नवम्बर, 1997 को एक अनुवर्ती सुनवाई के दौरान यह देखते हुए कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हो चुकी है, एक आदेश जारी करते हुए आयोग से बंधुआ मजदूरी उन्मूलन के लिए कार्यक्रमों के पुनरीक्षण में शामिल होने का अनुरोध किया। साथ ही, ऐसे मामलों के सम्पूर्ण रिकार्ड आयोग को भेजने के निर्देश दिए।

5.4 उच्चतम न्यायालय के आदेश प्राप्त होने पर आयोग ने इस मामले को प्रभावकारी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनानी चाही। इस योजना हेतु आयोग ने उच्चतम न्यायालय के एक वकील से मामले के सम्पूर्ण रिकार्ड की जांच करने और कार्य योजना तैयार करने में सहायता करने का अनुरोध किया। न्यायालय के विभिन्न आदेशों और राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों द्वारा दिए गए सुझावों का सारांश तैयार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त आयोग ने दक्षिणी राज्यों में बंधुआ मजदूरी प्रणाली से संबंधित कार्यों में सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री के पूर्व सचिव और प्रतिबद्ध समाजिक कार्यकर्ता श्री के०आर० वेनुगोपाल आई०ए०एस० (सेवा निवृत) को आयोग का विशेष



रैपोर्टिंग नियुक्ति किया। आयोग के आदेशों के अनुसरण में श्री वेनुगोपाल ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बड़े पैमाने पर दौरे किए और राज्य, जिला उपमंडल और ग्राम स्तर पर सभी संबंधितों से बातचीत की। श्री वेनुगोपाल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट आयोग के विचाराधीन है।

5.5 उत्तर प्रदेश में बंधुआ मजदूरी की समस्या से निपटने के लिए वहां पर कालीन बुनाई क्षेत्र में बाल—मजदूरी समाप्त करने सम्बंधी आयोग के कार्यक्रम को एक बड़े कार्यक्रम में बदलने के लिए व्यापक प्रयास किए गए हैं। राज्य सरकार के साथ व्यापक विचार—विमर्श के उपरान्त आयोग को एक कार्रवाई मैनुअल प्राप्त हुआ, जिसे आयोग के मार्गदर्शन में तत्कालीन श्रम आयुक्त ने तैयार किया है, जिसमें विशेष रूप से कालीन बुनाई क्षेत्र में बंधुआ और बाल—मजदूरी के मामलों को लिया गया है। आयोग ने सेवा निवृत्त पुलिस महानिदेशक श्री घमनलाल, जो मानव अधिकारों के मामलों के प्रति अति वर्थनबद्ध माने जाते हैं, से उत्तर प्रदेश के विशेष रैपोर्टिंग के रूप में कार्य करने का अनुरोध किया है। समीक्षाधीन वर्ष के अंत में कार्रवाई मैनुअल की जांच की जा रही थी।



## 6. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार

6.1 आयोग विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत स्थापित होने वाले संगठनात्मक ढांचे से संतुष्ट नहीं हैं और महसूस करता है कि इसके कार्यान्वयन को प्रभावी ढंग से प्रारम्भ करने की इच्छा भी स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रही है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मामलों से निपटने के लिए केन्द्र स्तर पर विकलांगों के मुख्य कमिश्नर और राज्य स्तर पर विकलांगों के कमिश्नर पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त होने चाहिए। इस क्षेत्र में कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों में असंतोष की भावना व्याप्त है और इनमें से कुछ सरकार के विरुद्ध न्यायालय में जाने का विचार कर रहे हैं। आयोग का आग्रह है कि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारें अधिनियम के पूर्ण एवं उचित कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित स्तर पर ध्यान दें।

6.2 विकलांग व्यक्तियों को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के बारे में जानने के लिए आयोग अपनी ओर से राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करता रहा है। आयोग को राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से ज्ञात होता है कि बहुत से उपायों की योजना बनाई जा रही है अथवा कार्यान्वित किए जा रहे हैं, जैसे नौकरी में आरक्षण, विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण, परिवहन भत्ता, पेट्रोल सब्सिडी, सहायक साधनों की खरीदारी में सहायता, रोजगार के लिए ऋण, सरकारी आवास एवं दुकानों के आवंटन में विशेष आवंटन इत्यादि। परन्तु इस नए अधिनियम के उचित कार्यान्वयन के लिए इस प्रकार के उपायों को लागू करने और उपलब्ध कराने के लिए सुविधाओं और प्रक्रियाओं के मानकीकरण और सरल एवं कारगर बनाने की आवश्यकता है।

6.3 विकलांग व्यक्तियों की सहायता के संबंध में आयोग को लगातार शिकायतों के साथ सुझाव भी प्राप्त हो रहे हैं। वर्ष के दौरान विकलांग कल्याण फेडरेशन, दिल्ली द्वारा विकलांगों के लिए डाक से बोट डालने के अधिकार को मुख्य मुददा उठाया गया था। इस अनुरोध पर कुछ अन्य देशों में प्रचलित प्रथा के संदर्भ में गहराई से विचार करने के पश्चात आयोग ने मामले को चुनाव आयोग के पास भेज दिया।



## 7. मानसिक रोगियों के मानव अधिकार : मानसिक रोग चिकित्सालयों में गुणवत्ता का आश्वासन

7.1 देश के बहुत से मानसिक रोग चिकित्सालयों में स्थिति संतोषजनक नहीं है। ये मानसिक स्वास्थ्य की देख-रेख और कार्य की पुरानी परिकल्पना ही प्रस्तुत करते हैं, विशेषकर चिकित्सीय संस्थाओं के स्थान पर संरक्षण संस्थाओं के रूप में पेश आते हैं। इनमें अधिक भीड़-भाड़ होती है और निराश रिश्तेदार अक्सर इनको 'डम्पिंग ग्राउण्ड' की तरह प्रयोग करते हैं। कुछ में मूल सुविधाओं का भी अभाव होता है और चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति शोचनीय होती है। ये रोगियों की बीमारी के बारे में अथवा चिकित्सा की आवश्यकता अथवा ठीक होने पर उनके पुनर्वास के बारे में रिश्तेदारों में जागरूकता बढ़ाने का कोई विशेष प्रयास नहीं करते हैं।

7.2 अभी हाल के वर्षों में मानसिक रोगियों के मानव अधिकारों के प्रति चिन्ता में काफी वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की प्राथमिकताओं में भी इसे अंतिम प्राथमिकता नहीं माना गया है। मानसिक रोगियों को अस्पताल में भी शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने, व्यक्तिगत जीवन जीने, उचित चिकित्सा पाने, अत्याचार और अनैच्छिक दासता से संरक्षण का अधिकार और ठीक होने पर कैदी जीवन व्यतीत करने की बजाय सामुदायिक और पारिवारिक जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। भारत का संविधान जबकि मानसिक रोगियों को समान स्थान के अधिकार की मान्यता देता है, परन्तु अस्पताल में दाखिल मानसिक रोगियों को इनमें से कई अधिकारों से वंचित रखा जाता है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 में किए गए प्रावधानों और मानसिक रोग अस्पतालों में न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में न्यायालय के आदेशों के बावजूद इन अस्पतालों में जो परिवर्तन किए गए हैं वे संतोषजनक नहीं हैं।

7.3.1 मानव अधिकारों के क्षेत्र में शोध कार्य को बढ़ावा देने के अपने सांविधिक उत्तरदायित्व के आलोक में (अधिनियम की धारा 12 (ज) और देश में मानसिक रोग अस्पतालों की स्थिति सुधारने और मानसिक रोगियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु कार्य-योजना तैयार करने की दृष्टि से आयोग ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साईंसेज (निम्हान्स) बंगलौर को "मानसिक रोग अस्पताल की गुणवत्ता का आश्वासन" नामक एक अनुसंधान परियोजना सौंपी है। 'निम्हान्स' के पूर्व निदेशक डॉ० एस० एम० चन्नाबासवन्ना परियोजना के निदेशक हैं। आयोग का मानना है कि इस अनुसंधान परियोजना का जिसमें पर्याप्त सिफारिशें शामिल होंगी, मानसिक रोग पीड़ितों, जो समाज के अत्यधिक उपेक्षितों में शामिल हैं, के मानव अधिकारों पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा।



### 7.3.2 इस परियोजना के उद्देश्य दोहरे हैं :

- देश के विभिन्न भागों में सरकारी और प्राइवेट मानसिक रोग अस्पतालों में संरचनात्मक सुविधाओं रोगियों की देख-रेख के न्यूनतम स्तर, रोगियों को उपलब्ध सुविधाएं, प्रवेश, विमुक्ति और अपील प्रक्रिया, पुनर्वास सुविधाएं, ग्राहक संतुष्टि, स्टाफ नैतिकता और समस्याओं के संदर्भ में विद्यमान सामान्य स्थिति का मूल्यांकन करना और देख-रेख के स्तर में सुधार के लिए सम्भव उपाय ढूँढ़ना, और
- इन संस्थानों को चलाने के सम्बंध में इन मानसिक रोग अस्पतालों के मुख्य प्रशासकों की संवेदनशीलता बढ़ाना।

7.4 परियोजना तीन चरणों में है : पहला—वर्तमान परिस्थितियों का व्यापक मूल्यांकन, दूसरा—प्रत्येक प्रमुख अस्पतालों के कुछ चुने हुए स्टाफ के लिए कार्यशाला और तीसरा—रिपोर्ट को पूरा करना।

7.5 पहले चरण में समस्या केन्द्रित दृष्टिकोण और गैर-जिज्ञासुक तरीके अपनाकर सूचना एकत्र करने पर बल दिया गया है। इसका परिणाम मानसिक रोग अस्पतालों की दशा में सुधार, ठीक हुए रोगियों के पुनर्वास के लिए सुझाव और मानसिक रोगियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की कार्य-योजना होगी।

7.6 परियोजना का प्रारम्भ भनश्चकित्सा, मनोविज्ञान, मनश्चिकित्सीय समाज—कार्य, मनश्चिकित्सीय नर्सिंग और मानसिक रोग स्वास्थ्य शिक्षा संकाय से लिए गए अन्वेषकों के एक मल्टी डिसिप्लीनरी ग्रुप के गठन से हुआ। तत्पश्चात् एक विस्तृत प्रपत्र तैयार किया गया, उसकी विषय—वस्तु को मान्यता दिलाई गई और उसे विभिन्न मानसिक रोग अस्पतालों, राज्य मानव अधिकार आयोगों, अन्य राष्ट्रीय आयोगों और प्रमुख गैर—सरकारी संगठनों को भेजा गया। इसके बाद अनुसंधान दल ने अस्पतालों के दौरे प्रारम्भ किए और अब आठ सेक्टरों में से उत्तरी भारत में एक सेक्टर का दौरा कार्यक्रम पूरा कर लिया है। वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में दक्षिण के दो अन्य सेक्टरों का दौरा किया जा रहा था। प्रत्यक्ष सूचना प्राप्त करने हेतु इस कार्यक्रम में मानसिक रोगियों के परिवारों और मानसिक रोग सेक्टर में कार्यरत गैर—सरकारी संगठनों हेतु कार्यशालाओं को शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार की दो कार्यशालाओं का आयोजन बंगलौर में किया गया था, जिनमें आयोग का प्रतिनिधित्व इसके एक सदस्य द्वारा किया गया था। इसी प्रकार की कार्यशालाएं देश के अन्य क्षेत्रों में आयोजित की जा रही हैं। अस्पतालों में मानसिक रोगियों की व्यापक देख-भाल के विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से दर्शाने हेतु एक वीडियो फिल्म भी तैयार की गई है। इसमें मानसिक रोग अस्पतालों में सभी स्तरों पर देख-भाल करने वालों की जिम्मेदारियों पर भी जोर दिया गया है। इस समय यह वीडियो वृत्तचित्र हिन्दी और अंग्रेजी में उपलब्ध है।



## 8. उच्चतम न्यायालय ने आगरा संरक्षण गृह और तीन मानसिक रोग अस्पतालों की कार्यप्रणाली के पर्यवेक्षण में आयोग को शामिल किया

8.1 भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 11 नवम्बर, 1997 के आदेश के भाध्यम से आयोग को आगरा संरक्षण गृह के पर्यवेक्षण में यह सुनिश्चित करने के लिए शामिल करने के लिए अनुरोध किया था कि “जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्थापना की गई थी इसमें उसकी प्राप्ति हेतु उसी तरीके से कार्य हो रहा है।”

8.2 रिट याचिका (सीआरएल) सं0 1900/81 (डॉ० उपेन्द्र बख्शी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में अपना आदेश देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि “चूंकि अब मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत वैधानिक शक्तियों के साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का लाभ उपलब्ध है और चूंकि आगरा संरक्षण गृह की कार्यप्रणाली से जुड़ी अधिकतर समस्याएं इस प्रकार की है कि जिन्हें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिक अच्छी तरह से निपटा सकता है, इसलिए हमारा विचार है कि इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को शामिल करने हेतु यह आदेश देना समयोचित है।”

8.3 उसने आगे कहा कि “राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आगरा संरक्षण गृह की वास्तविक कार्यप्रणाली से संबंधित तथ्यों को सुनिश्चित करने हेतु जिला न्यायाधीश की रिपोर्टों पर अथवा जैसा उपयुक्त समझता है, कार्रवाई कर रहा है और इस गृह की उचित कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने हेतु संबंधित प्राधिकरण द्वारा शीघ्र अनुपालन किये जाने के लिए आवश्यक आदेश जारी करेगा। यह अपेक्षा की जाती है कि सभी संबंधित प्राधिकरण राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा दिए गए इस प्रकार के आदेशों का तत्प्रता से पालन करेंगे।”

8.4 दिनांक 11 नवम्बर, 1997 के एक अन्य आदेश में राकेश चन्द्र नारायण बिहार राज्य के मामले में रिट याचिका (सिविल) में उच्चतम न्यायालय ने आयोग से आगरा, ग्वालियर और रांची के मानसिक रोग अस्पतालों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण करने का भी उसी प्रकार से अनुरोध किया जिस प्रकार से आयोग से आगरा संरक्षण गृह का कार्य संभालने का अनुरोध किया था।

8.5 अपने पिछले आदेश का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा था “हमारा विचार है कि आगरा, ग्वालियर और रांची मानसिक रोग अस्पताल से सम्बन्धित मामले में भी इसी प्रकार के आदेशों को देने की आवश्यकता है। तदनुसार हम रा०मा०अ०आ० से उसी प्रकार से कार्य करने का अनुरोध करते हैं।

8.6 आगरा, ग्वालियर और रांची के मानसिक रोग अस्पतालों के प्रबन्धन का मामला इस संबंध में लगातार प्राप्त हो रही रिट याचिकाओं के कारण भारत के उच्चतम न्यायालय की जांच के घेरे



में आया। न्यायालय ने अपने दिनांक 8 सितम्बर, 1994 के आदेश में तत्कालीन केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव द्वारा पूर्ववर्ती निर्णय के अनुसरण में प्रस्तुत रिपोर्ट का उल्लेख किया और इन संस्थानों को स्वायत्तता देने के लिए उपाय करने हेतु आदेश दिए। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने संरचनात्मक सुविधाओं के साथ-साथ व्यावसायिक सेवाओं और उनके दिन-प्रतिदिन के प्रबन्धन में भी सुधार लाने के उपाय करने के भी आदेश दिए।

8.7 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन हेतु आयोग ने महसूस किया कि यह उचित होगा कि इन संस्थानों की वर्तमान वास्तविक स्थितियों, जहां सुधार की आवश्यकता है, के सम्बंध में रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाए।

8.8 इस दृष्टिकोण से और उचित कार्रवाई का सुझाव देने के विचार से आयोग के एक सदस्य ने 16 दिसम्बर, 1997 को आगरा संरक्षण गृह का दौरा किया और आयोग के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की। उनके इस दौरे पर अन्यों के अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य सचिव और केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्यकारी निदेशक और आयोग के वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक भी उनके साथ गए थे।

8.9 इसी प्रकार एक दौरा आयोग के महासचिव ने 19–20 दिसम्बर, 1997 को रांची इंस्टीट्यूट ऑफ नियरो साइकेयट्री एण्ड इलाइड साईंसेज (पूर्व में रांची मानसिक आरोग्यशाला) का किया।

8.10 उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के पश्चात् इन संस्थानों की कार्य-प्रणाली के बहुत से क्षेत्रों में पहले से सुधार आया है। आयोग के सदस्य और महासचिव द्वारा अपने क्रमशः आगरा संरक्षण गृह और रांची मानसिक रोग अस्पताल के दौरे के पश्चात् तैयार की गई रिपोर्टों में उन क्षेत्रों को उजागर किया गया है जहां और सुधार पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

8.11 आयोग का विचार इन संस्थाओं के संबंध में स्थिति के सभी पहलुओं पर, उनकी कार्यप्रणाली में शामिल सभी एजेंसियों के साथ निकट सहयोग और समन्वय के साथ कार्य करते हुए, निकट से और नियमित आधार पर मॉनिटर करना है।



## 9. हाथ से मल-दुलाई प्रथा का उन्मूलन

9.1 यह अत्यन्त गंभीर एवं अमान्य सामाजिक अन्याय का मामला है कि स्वतंत्रता के 50 वर्षों के पश्चात् भी देश शुष्क शौचालयों के निर्माण और हाथ से मल-दुलाई प्रथा की अनुमति देता है। यह महसूस करते हुए कि हाथ से मल-दुलाई प्रथा मानव गरिमा के कितने विरुद्ध है, भारत सरकार ने शुष्क शौचालयों के निर्माण और हाथ से मल-दुलाई पर रोक लगाने की दृष्टि से इस संबंध में दो बार कानून बनाए हैं, और फिर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना की। साथ की सरकार ने उन परिवारों के पुनर्वास के लिए लाभकारी योजनाओं की घोषणा की है जिन्होंने अपने इस पुराने काम को छोड़ दिया है।

9.2 यह नोट करते हुए कि केन्द्र एवं राज्य सरकारें शुष्क शौचालयों के निर्माण संबंधी कानून को कार्यान्वित करने और अर्थपूर्ण पुनर्वास व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में कोई विशेष कार्रवाई नहीं कर रही है और हाथ से मल-दुलाई की अमानवीय और लगातार चल रही निकृष्ट प्रथा से निराश होकर, आयोग के अध्यक्ष ने संबंधित केन्द्रीय मंत्रियों, विशेषकर जिनके पास ठोस निर्माण कार्यक्रम है, और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस विषय में एक पत्र लिखा। अध्यक्ष ने इस बात पर ध्यान दिलाया कि व्यावहारिक रूप से यह कानून विधि-पुस्तक में बन्द पड़ा रहा है और इस महत्वपूर्ण सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक उपाय करने के लिए कहा। इस संबंध में उत्तर प्राप्त हो रहे हैं। अत्यधिक सकारात्मक जवाब केन्द्रीय रक्षा मंत्री से प्राप्त हुआ है, जिन्होंने मई, 1997 में आयोग को उनके मंत्रालय द्वारा हाथ से मल-दुलाई को समाप्त करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों के बारे में बताया।

9.3 साथ ही साथ आयोग और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने मानव मल को हाथ से ढोने की निकृष्ट प्रथा को समाप्त करने के लिए मिलकर प्रयास करने का निर्णय लिया। दोनों आयोगों ने सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ मिलकर बात-चीत करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुष्क शौचालयों के निर्माण पर रोक और शुष्क शौचालयों को स्वप्रवाहन शौचालयों में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में प्रारम्भ किए गए कार्यक्रमों और कल्याण मंत्रालय, जो मल-दुलाई से नुक्त हुए परिवारों के पुनर्वास से सम्बन्धित कार्यक्रम चला रहा है, के बारे में नवीनतम जानकारी मांगी है। आयोग अपने प्रयास आगे बढ़ाने में दृढ़ संकल्प है और उसने केन्द्र और राज्य सरकारों से देश में हाथ से मल-दुलाई प्रथा उन्मूलन को सुनिश्चित करने हेतु पहले से अधिक वचनबद्धता दर्शाने के लिए आहवान किया है।



## 10. मानव अधिकार और एड्स

10.1 इस गम्भीर प्रश्न की ओर, जो जितना जटिल है उतना ही व्यापक है, आन्ध्र प्रदेश के गुन्दूर जिले में एक गैर-सरकारी संगठन से प्राप्त शिकायत के द्वारा आयोग का ध्यान आकर्षित हुआ है। शिकायत में कहा गया है कि मुम्बई के विभिन्न इलाकों से लगभग 500 यौन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पकड़कर बिना उनकी सहमति के और बिना उन्हें कोई सलाह उपलब्ध कराए उनका जबरदस्ती एचआईवी टेस्ट कराया है। गैर-सरकारी संगठन ने इस व्यवहार पर प्रश्नचिह्न लगाया है और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को तत्काल रोकने के लिए कहा है।

10.2 शिकायत पर विचार करते हुए आयोग ने महसूस किया कि इस समस्या को अधिक अच्छी तरह से समझाने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि इस विषय पर इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया जाए। तदनुसार आयोग ने 7 अक्टूबर, 1997 को स्वास्थ्य प्रोन्नति और संचार सलाहकार यूएनडीपी और संचालन प्रबन्धक, एचआईवी पर क्षेत्रीय परियोजना और विकास, यूएनडीपी के साथ विचार-विमर्श किया।

10.3 आयोग ने नोट किया कि संदिग्ध एड्स रोगियों के बलपूर्वक टेस्ट कराने से उठने वाली समस्याओं के विशेष कर दो सेट थे। पहला “व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप” से सम्बन्धित था, जो बलपूर्वक टेस्ट के विरुद्ध प्रथम तर्क था और दूसरा “साधारण जनता के स्वास्थ्य के प्रश्न” से सम्बन्धित था, जो इस प्रकार के बलात् टेस्ट के लिए कारण बताया गया था। टेस्ट के विरुद्ध आपत्ति मुख्यतया इस रोग के साथ जुड़े दाग के कारण और जो एड्स के संदिग्ध अथवा पुष्ट रोगी हैं उनके विरुद्ध परिणामस्वरूप भेदभाव के कारण उठी थी।

10.4 आयोग का अपनी सिफारिशों प्रस्तुत करने की दृष्टि से इन सभी मुददों की अत्यन्त सावधानी के साथ जाँच करने का विचार है।

10.5 इसी बीच आयोग को फरवरी, 1998 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसमें एचआईवी/एड्स के मुददों पर यूएन.एड्स के सहयोग से एक प्रयोगिक परियोजना में आयोग की भागीदारी के लिए अनुरोध किया गया था। इसमें एड्स और मानव अधिकारों पर एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ की भर्ती करने की परिकल्पना की गई है, जो दो वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय संस्था के साथ कार्य करने के लिए उपलब्ध होगा। इस परियोजना के परिणामों को भविष्य में की जाने वाली इस प्रकार की पहल के लिए मानक स्थापित करने में प्रयुक्त करने का प्रस्ताव है।

10.6 यूएन.एड्स की विशेषज्ञता को देखते हुए, जो एड्स महामारी में संयुक्त राष्ट्र की रुचि का



समन्वय करने के लिए स्थापित अन्तर-एजेंसी निकाय है, आयोग ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और इस महत्वपूर्ण प्रायोगिक परियोजना का भागीदार बनने का निर्णय लिया है। इस भागीदारी के विवरण अभी तैयार किए जाने हैं।



## 11. मानव अधिकार साक्षरता और जागरूकता का संवर्धन

11.1 आयोग "समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों संबंधी जानकारी का प्रसार करने और प्रकाशनों, संचार माध्यमों, विचार गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरूकता का संवर्धन करने" के लिए सौंपी गई संवैधानिक जिम्मेदारियों की गम्भीरता से अच्छी तरह अवगत है। इस जिम्मेदारी की व्यापकता को देश की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों की असाधारण जटिलताओं और विकिंगताओं के संदर्भ में देखना चाहिए अभूतपूर्व परिवर्तन के समय अपूर्व अनेकवाद के ढाँचे में कार्य कर रहा दोलानी प्रजातंत्र, लगभग 100 करोड़ नागरिकों का देश, अपने अधिकारों के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता और उनकी प्राप्ति के प्रयत्न, एक ऐसा देश जिसने मुख्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। परन्तु यह तथ्य कि उसके लगभग 360 मिलियन व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं और लगभग 450 मिलियन भारतीय अभी भी अशिक्षित हैं, चुनौतीपूर्ण और अत्यन्त क्षोभकारी है।

(क) मानव अधिकार शिक्षा और अन्य जागरूकता अभियान के लिए संयुक्तराष्ट्र दृष्टक का मनाया जाना।

11.2 आयोग ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार शिक्षा दशक (1995–2004) ननाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य-योजना तैयार करने में उत्तरेक भूमिका निभाई है। आयोग ने केन्द्र सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त द्वारा भारत के राष्ट्रपति को इस सम्बन्ध में सम्बोधित पत्र की ओर आकर्षित कराया और इस दिशा में मार्ग-दर्शन और मॉनीटर करने के लिए सरकार को अपना समर्थन और सलाह देने का प्रस्ताव रखा। वर्ष 1997 के प्रारम्भ में आयोग ने एक बैठक बुलाई, जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, गृह मंत्रालय और अन्य विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे और एक स्पष्ट परिभाषित कार्य-योजना के साथ-साथ मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए तन्त्र की आवश्यकता को रेखांकित किया। उस बैठक के अनुसरण में भारत सरकार ने राष्ट्रीय योजना और उसके कार्यान्वयन को मॉनीटर करने के लिए केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति का गठन किया, जिसमें अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों और विभागों के सचिव सम्मिलित हैं। आयोग ने अपनी ओर से निम्नलिखित विषयों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा :

- (i) 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जाए।
- (ii) स्कूल स्तर पर (एनसीईआरटी और एनसीटीई की सहायता से पहले से ही शुरू की गई शिक्षा) मानव अधिकार शिक्षा सम्मिलित करने के अतिरिक्त स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तर पर मानव अधिकार विषय को सम्मिलित किया जाए।



- (iii) उन शैक्षिक और सरकारी नौकरियों की पहचान की जाए जिनके लिए मानव अधिकारों के विशेष ज्ञान की आवश्यकता है और विभिन्न वर्ग के पदों पर भर्ती के लिए वांछनीय योग्यताएँ निर्धारित की जाएं।
- (iv) पेशेवर समूहों जैसे वकीलों, डाक्टरों, न्यायिक अधिकारों, प्रशासनिक अधिकारियों, मजदूर संघ, के कार्यकर्ताओं, सुरक्षा बलों के सदस्यों (सैनिक, अर्ध-सैनिक और पुलिस सहित) को मानव अधिकार शिक्षा प्रदान की जाए और इस प्रयास में राजनैतिक कार्यकर्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों और धार्मिक संगठनों को भी शामिल किया जाए।
- (v) मानव अधिकारों पर वाद-विवाद और सेमिनार आयोजित किए जाएं।
- (vi) मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा और मानव अधिकार संस्कृति पर शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए व्याख्यानों की व्यवस्था की जाए।
- (vii) मानव अधिकारों पर अल्पावधि सुग्राही और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, विशेषकर पंचायती राज और ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए प्रारम्भ किए जाएं।

11.3 संयुक्तराष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार और आयोग के प्रयासों के अनुसरण में सरकार ने भी 10 दिसम्बर, 1997 से 10 दिसम्बर 1998 तक मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 50वीं जयन्ती का स्मरणोत्सव मनाने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया। आयोग के प्रतिनिधि के अतिरिक्त इस समिति में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रधान, मानव अधिकारों के प्रमुख कार्यकर्ता, विश्वविद्यालयों और संस्थानों, जैसे एनसीईआरटी इत्यादि के प्रतिनिधि शामिल थे। साथ ही मानव अधिकार जागरूकता और मानव अधिकार शिक्षा की प्रोन्नति को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य-योजना तैयार की गई। 10 दिसम्बर, 1997 को मानव अधिकार दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के साथ पूर्व वर्ष का कार्यक्रम शुरू हुआ।

#### (ख) शैक्षणिक व्यवस्था को गतिशील बनाना

11.4 कक्षा आधारित, परिसर उन्मुख और प्राध्यापक संचालित एक व्यापक मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रम तैयार किया गया है और उसे तमिलनाडु का एक गैर-सरकारी संगठन “पीपुल्स वॉच” राज्य के स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित कर रहा है। इस मार्गदर्शी कार्यक्रम का प्रथम चरण चेन्नई (मद्रास) के दस प्राईवेट स्कूलों में प्रारम्भ किया गया था, जो 5 दिसम्बर, 1997 को सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इस अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें



आयोग के अध्यक्ष ने भी भाग लिया था। यह कार्यक्रम दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सीरीज से प्रारम्भ हुआ, पहला मानव अधिकारों की सामान्य स्थिति पर था और दूसरा चुने हुए स्कूलों में दिए गए (पॉड्युल्स) मापदण्डों के माध्यम से मानव अधिकार शिक्षा की पद्धति का कार्यक्रम था। इन स्कूलों में जुलाई से दिसम्बर, 1997 तक प्रत्येक 5 अध्यापकों को कक्षाओं में 60 छाण्टों के पीरियड दिए गए जिनमें वे मानव अधिकार शिक्षा के अतिरिक्त इससे संबंधित अन्य घटनाओं के बारे में बताते थे।

11.5 देश में मानव अधिकारों के प्रति और जागरूकता बढ़ाने की दृष्टि से आयोग ने देश की उच्चतम सिविल सेवा में प्रवेश के लिए सिविल सेवा परीक्षा में सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्र में इस प्रकार के अधिकारों से संबंधित प्रश्नों को सम्मिलित करने की सिफारिश की है। आयोग ने सरकार को बताया है कि इससे मानव अधिकार मुद्रों को अधिक संवेदनशील बनाया जा सकता है और मानव अधिकार संस्कृति को विकसित करने में राष्ट्र के प्रयासों से देश के महत्वाकांक्षी सिविल सेवकों को प्रेरणा मिलेगी।

11.6 विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों में मानव अधिकारों की समझ विकसित करने की दृष्टि से आयोग, जब से इसकी स्थापना हुई तब से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के साथ बातचीत कर रहा है। आयोग के कहने पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) ने एक कार्यदल की स्थापना की है जो उच्च शिक्षा स्तर पर मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रम का निरीक्षण, मॉनीटर और समन्वय करने के साथ-साथ इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संबंधी मामलों पर भी विचार करेगा। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी मानव अधिकारों पर एक स्थायी समिति की स्थापना की है जो विश्वविद्यालयों द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने और विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों इत्यादि द्वारा सेमिनारों/कार्यशालाओं/गोष्ठियों के प्रस्तावों की जांच करेगी। आयोजन के वर्ष के दौरान वि०अ०आ० ने विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न स्तरों पर मानव अधिकारों पर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए प्रस्तुत अनेकों प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है।

11.7 भारतीय विश्वविद्यालय का राष्ट्रीय विधि स्कूल, बंगलौर ने व्यापक बातचीत के पश्चात् आयोग के समक्ष मानव अधिकार शिक्षा, अनुसंधान और प्रलेखन संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। प्रस्तावित संस्थान मानव अधिकार शिक्षा, अनुसंधान और प्रलेखन का सर्वोत्कृष्ट केन्द्र होगा और मानव अधिकार शिक्षा के मानक निर्धारित करेगा। इसके अतिरिक्त वह आयोग को उसकी अनेकों संवैधानिक जिम्मेदारियों को निपटाने में सहायता करेगा, जैसे :

- (i) मानव अधिकारों पर संधीय और अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन और उनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सिफारिशों करना।



- (ii) मानव अधिकार क्षेत्र में शोध कार्य करना और उनका संवर्धन करना।
- (iii) मानव अधिकारों से संबंधित जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनों, संचार माध्यमों, विचार गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरूकता का संवर्धन करना।
- (iv) मानव अधिकार क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहन देना।

उक्त संस्थान की तीन शाखाएं होंगी : नियमित शैक्षणिक और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को चलाने के साथ-साथ पाठ्यक्रमों और सामग्री को विकसित करने हेतु शैक्षणिक शाखा अनुसंधान/प्रकाशन शाखा मानव अधिकारों के मुददों पर चिन्तन टैंक के रूप में कार्य करेगी और प्रलेखन शाखा मानव अधिकार सूचना के लिए नोडल केन्द्र के रूप में कार्य करेगी। आयोग का प्रस्तावित संस्थान में एक पीठ (चेयर) स्थापित करने से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए 30 लाख रुपये की राशि की एक स्थायी निधि स्थापित करने का प्रस्ताव है।

#### (ग) पुलिस कार्मिकों के लिए मानव अधिकार शिक्षा

11.8 समीक्षाधीन वर्ष में आयोग ने पुलिस कर्मियों को मानव अधिकार मुददों के प्रति संवेदनशील बनाने और इन अधिकारों के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ाने में अधिक प्रयास किए हैं। आयोग ने पुलिस बल के सभी रैंक के कार्मिकों के लिए मानव अधिकार प्रशिक्षण हेतु तैयार किए गए पाठ्यक्रम को सभी राज्यों में परिचालित किया है। इसके जवाब में विभिन्न राज्यों के पुलिस प्राधिकारियों ने आयोग को सूचित किया है कि वे क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ कर रहे हैं और अपने अधिकारियों और कार्मिकों को संवेदनशील बनाने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं। पुलिस गतिविधियों में मानव अधिकारों की अनिवार्यता पर बल देने के लिए पुलिस प्राधिकारियों ने राज्य स्तर पर अनेक विशेष कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए हैं।

11.9 आयोग का यह मानना है कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम जब उचित ढंग से बनाए गए हों और संचालित किए गए हों तो पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों पर इसका हितकर प्रभाव होगा और वे तनावपूर्ण और उत्तेजक स्थितियों में अधिक अच्छी तरह स्थिति संभाल सकेंगे।

11.10 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों और महानिदेशक (अन्वेषण) के नेतृत्व में उनके अधिकारियों ने अनेक पुलिस स्टेशनों का दौरा किया और उनके अधिकारियों और



कार्मिकों को सम्बोधित किया। साथ ही उन्होंने उनसे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते समय उनके सामने आने वाली व्यावहारिक समस्याओं पर विचार-विमर्श किया।

#### (घ) अर्ध-सैनिक बलों और सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए मानव अधिकार शिक्षा

11.11 आयोग ने देश के अर्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों से संबंधित कार्यक्रमों पर भी पूरी तरह से ध्यान देना जारी रखा। प्रशिक्षण के प्रभारी महानिरीक्षक रँक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 19 जनवरी, 1998 को हुई बैठक में इन कार्मिकों के प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम का मसौदा तैयार किया गया इस मसौदे को बाद में आयोग ने अर्ध-सैनिक बलों के महानिदेशकों को उनकी टिप्पणी के लिए परिचालित किया। आयोग का शीघ्र ही इन बलों के महानिदेशकों के साथ एक बैठक करने का प्रस्ताव है, ताकि पाठ्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा सके और देश में अर्ध-सैनिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सामान्य तौर पर एकरूपता सुनिश्चित की जा सके।

11.12 वर्ष 1997-98 के दौरान आयोग ने पूर्व वर्षों की तरह मार्च, 1998 में मानव अधिकारों से संबंधित विषय पर अर्ध-सैनिक बलों के लिए एक वाद-विवाद कार्यक्रम का आयोजन किया था। परन्तु यह वाद-विवाद कार्यक्रम 15 अप्रैल, 1998 को सम्पन्न हुआ। इसमें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा (सीआईएसएफ), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), एनएसजी, आरपीएफ और असम राइफल्स के अधिकारियों और जवानों ने पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता में भाग लिया। इसमें वक्ताओं ने हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में अपने विचार प्रस्तुत किए। वाद-विवाद का विषय था “मानव अधिकार की बलिवेदी पर राष्ट्रीय सुरक्षा का बलिदान नहीं किया जा सकता”। वाद-विवाद का स्तर बहुत ऊँचा था। इस वर्ष की चल-ट्राफी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को गई। आयोग के एक सदस्य ने तीन प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों में सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों को सम्बोधित किया। वे संस्थान हैं डिफेंस सर्विसिस स्टाफ कॉलिज, विलिंग्टन, नेशनल डिफेंस कॉलिज नई दिल्ली तथा मिलिट्री इन्टेलिजेंस ट्रेनिंग स्कूल एण्ड डिपो, पुणे। इसके अतिरिक्त उन्होंने इन्डियन इन्स्टीट्यूट फॉर मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली के तत्वावधान में सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आयोजित पाठ्यक्रमों को भी नियमित रूप से सम्बोधित किया।

#### (इ) राजनैतिक दल


11.13 आयोग ने मानव अधिकारों के संरक्षण और प्रगति में राजनैतिक दलों द्वारा अदा की जा सकने वाली भूमिका की ओर बार-बार ध्यान आकर्षित किया है। फरवरी, 1998 में लोकसभा के लिए हुए आम चुनावों के अवसर पर आयोग ने सभी राजनैतिक दलों से अपील की कि वे मानव अधिकारों के प्रति अपनी धर्मनिष्ठता पर दृढ़ रहें। इसके लिए वे ऐसे उम्मीदवारों का चयन करें जिनका ‘मानव अधिकारों के मामले में रिकार्ड बेदाग’ हो। राजनैतिक दलों के नेताओं को लिखे पत्र में आयोग के



अध्यक्ष ने उनसे मानव अधिकारों के प्रति अपनी वचनबद्धता और अपने घोषणा-पत्रों में मानव अधिकारों से सम्बद्ध मामलों का उल्लेख कर अपने निश्चय को प्रकट करने की अपील की। पत्र में यह भी कहा गया कि हमारे जैसे मिश्रित समाज में उसके प्रत्येक वर्ग को मानव अधिकारों की संस्कृति को बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभानी होती है। साथ ही यह भी कहा गया कि राजनैतिक दलों को प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था की सुदृढ़ता सुनिश्चित करने, सभ्य समाज के अस्तित्व को बनाए रखने तथा सुशासन सुनिश्चित करने में विशेष दायित्व निभाना होता है। इस बात का उल्लेख करते हुए कि हाल के वर्षों में अपनी वार्षिक रिपोर्टों के माध्यम से आयोग ने कतिपय महत्वपूर्ण मानव अधिकार सम्बन्धी मामलों में अपनी चिन्ता व्यक्त की है और सार्थक सिफारिशों भी की हैं तथा उच्चतम न्यायालय ने इस सम्बन्ध में कई ऐतिहासिक निर्णय किए हैं। आयोग ने विश्वास व्यक्त किया कि राजनैतिक दल निर्वाचकों के समक्ष रखी जाने वाली नीतियों एवं कार्यक्रमों में इन सबका पर्याप्त समावेश करेंगे और उनको स्पष्ट रूप से व्यक्त करेंगे। आयोग ने कहा कि मानव अधिकारों के मूल्यों के प्रति वचनबद्धता निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, मातृ और बाल-स्वास्थ्य रक्षा जैसे मामलों के प्रति वचनबद्धता की स्थिति से प्रकट होती है, क्योंकि केवल इनके बढ़ने से ही हमारी भावी सन्ताति के लिए उन सुविधाओं का सुनिश्चय हो सकता है जिनसे हमारी पीढ़ी वंचित रही है। अध्यक्ष के पत्र का कई राजनैतिक दलों ने सकारात्मक प्रत्युत्तर दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे अपने कार्यक्रमों और घोषणा-पत्रों में उल्लिखित मानव अधिकारों को शामिल करेंगे।

11.14 यह उल्लेखनीय है कि संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे राजनैतिक दलों के नेतृत्व को सम्बोधित अपने फरवरी, 1994 के पत्र में आयोग ने कहा था कि राजनैतिक दल मानव अधिकारों के प्रति विचार-धाराओं के प्रचार-प्रसार से उदाहरण प्रस्तुत कर उनके प्रति आदरभाव उत्पन्न करने में एक सशक्त बल का काम कर सकता है। इसलिए आयोग ने राजनैतिक दलों से अनुरोध किया कि वे पार्टी संगठन के केन्द्र, राज्य और जिला स्तरों पर मानव अधिकार प्रकोष्ठों (सेलों) की स्थापना करें। वे ऐसा विशेषकर मानव अधिकारों को बढ़ाने और उनका संरक्षण करने तथा अपने सदस्यों के आचार-व्यवहार पर दृष्टि रखने के उद्देश्य से भी करें। बाद में आयोग ने विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं की एक बैठक भी आयोजित की। इस बैठक में आयोग ने बड़े जोर से अपनी चिन्ता और अपने विचार-प्रकट किए। इस पर प्रमुख दलों का सामान्यतया प्रत्युत्तर (विचार) सकारात्मक था। तथापि आयोग का विचार है कि राजनैतिक दल शिक्षा, प्रशिक्षण तथा इसी प्रकार की अन्य समुचित पद्धतियों के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं (काडर) में उन मानव अधिकार-सम्बन्धी सिद्धान्तों के प्रति समुचित समझ उत्पन्न करेंगे जो उनके आचार-व्यवहार को नियंत्रित करेंगे।

11.15 आयोग विशेषतौर पर इस बात पर बल देना चाहेगा कि राजनैतिक दल जब भी ऐसे मामलों से कार्रवाई करें जो संवेदनशील मानव अधिकारों से सम्बद्ध मामले हों, तब उनके द्वारा अधिक संयम



से काम लेने की तथा एक आधुनिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है। साथ ही ऐसे मामलों में सभी वर्गों को चाहिए कि वे जाति, भाषा, धर्म के नाम पर फसाद उकसाने से दृढ़तापूर्वक अलग रहें। इस सम्बन्ध में आयोग अपनी इस सिफारिश को दोहराना चाहेगा कि राजनैतिक दलों को चाहिए कि वे देश में मानव अधिकारों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपने कार्यकर्ताओं (काड़र) के आचरण को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट रूप से अपनी आचरण-संहिता (कोड ऑफ कण्डकट) का पालन करें। आयोग का मानना है कि देश की बड़ी राजनैतिक पार्टियों के उच्चतम स्तरों पर इस मामले पर विचार-विमर्श किये जाने की आवश्यकता है। आयोग इस विषय में उनसे चर्चा करना चाहता है।

#### (च) सेमीनार तथा कार्यशालाएं

11.16 आयोग मानव अधिकारों के प्रति समझ को बढ़ाने और इस हेतु गैर-सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं की गतिविधियों में उनकी सहायता करने की दृष्टि से सेमीनारों और कार्यशालाओं का आयोजन करता रहा है। उदाहरणार्थ, आयोग के एक सदस्य ने जमशेदपुर बिहार में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज द्वारा 20 अप्रैल, 1997 को आयोजित एक सेमीनार में आयोग का प्रतिनिधित्व किया।

11.17 जैसा कि रिपोर्ट में पहले ही उल्लेख किया गया है स्वयं आयोग ने भी 13 मई, 1997 को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम के सम्बन्ध में एक विचार-विमर्श कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें सेना के वरिष्ठ अधिकारियों, रक्षा और गृह मंत्रालयों के सचिवों, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, प्रमुख विधिवेत्ताओं, शिक्षा-शास्त्रियों और आयोग के सदस्यों ने भाग लिया।

11.18 28 जून, 1997 से 1 जुलाई, 1997 तक कलकत्ता में “मानव अधिकार संस्थाओं का प्रबन्धन” विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें एशिया के राष्ट्रमण्डल (कॉमनवैल्थ) देशों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय आयोग और पश्चिम बंगाल मानव अधिकार आयोग के सहयोग से राष्ट्रमण्डल सचिवालय द्वारा किया गया। इस कार्यशाला में मानव अधिकार संस्थाओं की प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवाओं आदि का सभी को लाभ पहुँचाने की दिशा में उनकी भूमिका पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही इस बात पर बल दिया गया कि मानव अधिकारों को समुचित रूप में प्राप्त करने के यही मूल आधार हैं। कार्यशाला में इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया गया था कि जहाँ एक ओर राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के निकट का सहयोग स्थापित किए जाने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर मानव अधिकारों की प्रगति और संरक्षण के लिए न्यायपालिका, विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच भी परस्पर सहयोग की आवश्यकता है।

11.19 आयोग ने 10 से 12 सितम्बर, 1997 के दौरान नई दिल्ली में राष्ट्रीय संस्थाओं के सम्बन्ध में दूसरी एशिया-पैसिफिक रीजनल वर्कशाप (कार्यशाला) का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन भारत के



प्रधानमंत्री ने किया। इस कार्यशाला में एशिया-पैसिफिक फोरम के सदस्यों, अर्थात् आस्ट्रेलिया, भारत, इन्डोनेशिया, न्यूज़ीलैण्ड, फिलीपीन्स एवं श्रीलंका की मानव अधिकार संस्थाओं के सदस्यों तथा संयुक्तराष्ट्र एजेन्सियों तथा कार्यक्रमों और प्रमुख गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा इस क्षेत्र के छौदह सरकारों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। साथ ही इसमें असम, मध्यप्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब तथा तमिलनाडु के राज्य मानव अधिकार आयोगों के अध्यक्ष भी उपस्थित थे।

11.20 कार्यशाला के कुछ प्रमुख निर्णय तथा सिफारिशें निम्न प्रकार हैं :

- (i) कार्यशाला में भाग लेने वालों ने 'प्रमुख अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा' तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में शामिल मानव अधिकारों के सार्वभौमिक, अविभाज्य, अन्तरनिर्भर तथा अन्तरसम्बद्ध स्वरूप के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया।
- (ii) राष्ट्रीय संस्थाओं की प्रभावकारिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की दृष्टि से उनका स्तर और दायित्व संयुक्तराष्ट्र महासभा द्वारा राष्ट्रीय संस्थाओं के सम्बन्ध में अपनाए गए उन सिद्धान्तों के अनुकूल होने चाहिए, जिन्हे आमतौर पर "पेरिस सिद्धान्त" कहा जाता है (संकल्प-48 / 134)।
- (iii) राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना "पेरिस सिद्धान्तों" के अनुकूल की जानी चाहिए, जहाँ कहीं भी अब तक ऐसा न किया गया हो।
- (iv) राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के एशिया-पैसिफिक फोरम को चाहिए कि वह व्यावहारिक तकनीकी सहायता के क्षेत्रीय, बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय कार्यक्रमों में अपनी गतिविधियों में वृद्धि करें।
- (v) कार्यशाला ने मानव अधिकार न्याय व्यवस्था के मिलान, विस्तार और विकास के महत्व पर बल दिया और सचिवालय से अनुरोध किया कि इसके लिए एक तंत्र की स्थापना की जाए तथा आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाए। इसके अतिरिक्त कार्यशाला ने आस्ट्रेलिया के मानव अधिकार और समान अवसर आयोग द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार विधि परामर्शदायी पेनल की स्थापना से सम्बन्धित एक प्रस्ताव को भी नोट किया तथा उसे स्थापित करना सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया। कार्यशाला ने इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक उप-समिति स्थापित करने का भी निर्णय किया, जिसमें भारत और आस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- (vi) कार्यशाला ने बाल घौन शोषण की पद्धति को मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन कहकर



उसकी निन्दा की। उसने इस क्षेत्र की सभी सरकारों से कहा कि वे बाल यौन शोषण को समाप्त करने के लिए प्रभूत उपाय करें, जिसमें बाल यौन शोषण के विरुद्ध कानूनों का प्रवर्तन करना, सामाजिक नीति में परिवर्तन करना, सार्वजनिक शिक्षा के लिए अभियान शुरू करना तथा प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों की सहायता के लिए उपाय करना शामिल हैं।

(vii) कार्यशाला ने राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया पैसिफिक फोरम के सचिवालय से भी अनुरोध किया कि वह तकनीकी सहयोग और सूचना सम्बन्धी गतिविधियों में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को तरजीह दें जिसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के कार्यों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक तंत्र की स्थापना करना भी शामिल है।

11.21 कलकत्ता स्थित एक गैर-सरकारी संगठन एसईवीएसी (सेवक), राष्ट्रीय आयोग तथा पश्चिम बंगाल मानव अधिकार आयोग द्वारा 27 और 28 सितम्बर, 1997 को मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए एक संयुक्त सेमीनार एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया।

11.22 मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा-पत्र (यूडीजीआर) की 50वीं वर्षगांठ मनाने की शुरुआत के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 10 दिसम्बर, 1997 को “मानव अधिकार दिवस” मनाया गया। इस समारोह का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने किया। इस अवसर पर डॉ० शंकर दयाल शर्मा ने उक्त घोषणा-पत्र की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र के एक पोस्टर का भी विमोचन किया।

11.23 आयोग ने इन सेमीनारों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। पुणे विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मानव अधिकारों से संबंधित राष्ट्रीय सेमीनार, राष्ट्रीय अपराध-विज्ञान और न्याय विज्ञान संस्थान, दिल्ली द्वारा “पुलिस कर्मियों की कार्यदशा और मानव अधिकारों के उल्लंघन पर उनका प्रभाव” पर आयोजित सेमीनार, मानव अधिकार संघ, बिहार द्वारा “बिहार में बालश्रम की समस्याएं” पर आयोजित सेमीनार तथा पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित “बाल एवं मानव अधिकार सेमीनार”। देश के विभिन्न भागों में आयोजित अन्य कई सेमीनारों में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने भाग लिया।

#### (छ) प्रकाशन और प्रचार माध्यम (मीडिया)

11.24 आयोग द्वारा अंग्रेजी और हिन्दी में प्रकाशित किया जाने वाला “न्यूज लेटर” नियमित रूप से हर माह निकाला गया। इसमें आयोग के कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं के सन्बन्ध में मूल्यवान सामग्री होती है तथा आयोग को भेजी गई प्रत्येक शिकायत के बारे में आयोग के कानूनी रूचिकर निर्णयों का सारांश भी होता है।



11.25 “न्यूज लेटर” की माँग और उसके प्रकाशन के खर्च में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी के बावजूद आयोग ने पाठकों को इसकी प्रतियाँ निःशुल्क देने की अपनी नीति जारी रखी है। आयोग को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि कई मामलों में गैर-सरकारी संगठनों ने इस “न्यूज लेटर” की छाया प्रतियाँ बनाकर अपने उप-संगठनों को भेजी हैं। विभिन्न राज्यों के पुलिस महानिदेशकों से हुई बातचीत से भी पता चला है कि पुलिसकर्मियों द्वारा भी “न्यूज लेटर” की बड़ी माँग की जाती है। “न्यूज लेटर” प्रचार माध्यम के उन कर्मियों (मीडिया परसोनल) के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है जो मानव अधिकार से सम्बन्धित मामलों और आयोग के कार्यों को “कवर” करते हैं तथा “न्यूज लेटर” के आधार पर बार-बार कहानियाँ छापते हैं और गहन विश्लेषण करते हैं। आयोग को देश-विदेश से शिक्षाविदों, मानव अधिकार संबंधी कार्यकर्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा अन्यों से “न्यूज लेटर” पर लगातार टिप्पणियाँ प्राप्त होती हैं। आयोग पाठकों को “न्यूज लेटर” के सम्बन्ध में उनकी टिप्पणियों और सुझावों के लिए धन्यवाद देता है।

11.26 काफी श्रोताओं तक पहुँचने के लिए आयोग एक तंत्र का सृजन करने में लगा हुआ है। इस कार्य में शास्त्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) आयोग की सहायता कर रहा है। इस तंत्र में अन्य बातों के साथ ये शामिल होंगे—मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में जानकारी, आयोग के मुख्य निर्णय तथा प्रकाशन, जिसमें इसकी वार्षिक तथा अन्य रिपोर्टें भी शामिल हैं।

11.27 आयोग को इस बात पर प्रसन्नता हुई है कि इसकी सिफारिश के अनुसरण में दूरदर्शन मानव अधिकारों के सम्बन्ध में 30 मिनट का कार्यक्रम और राष्ट्रीय नेटवर्क पर मासिक आधार पर कार्यक्रम शुरू करने की सम्भावना पर विचार कर रहा है। आयोग को यह जानकर भी खुशी हुई है कि केन्द्र सरकार 1998 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की 50वीं वर्षगांठ पर मानव अधिकारों के संदेश प्रसारित करने के लिए रेडियो पर नियमित समयावधि निर्धारित करेगी। आयोग ने इन गतिविधियों का स्वागत किया है और आशा करता है कि इन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

11.28 आयोग की “विलपिंग इनफार्मेशन सर्विस” अनुसंधानकर्ताओं, छात्रों तथा अन्य कर्मियों के लिए जानकारी का लाभदायक स्रोत है। राष्ट्रीय प्रेस से मानव अधिकार सम्बन्धी सामग्री की दैनिक विलपिंग को कम्प्यूटर में ले लिया जाता है, जिससे उसको समाचार-पत्रवार, तारीखवार और विषयवार एकत्रित करने में सहायता मिलती है। अब इसकी कवरेज को प्रादेशिक प्रेस तक फैलाने का प्रस्ताव है।

11.29 यहाँ आयोग प्रचार माध्यमों (मीडिया) को उनके मानव अधिकार सम्बन्धी मामलों की बढ़ती हुई कवरेज के लिए धन्यवाद देना चाहता है। 1993 में आयोग की स्थापना के बाद से इस प्रकार की कवरेज में विस्तार से और गहराई से जो बढ़ोत्तरी हुई है वह उल्लेखनीय है। इस सम्बन्ध में आयोग ने हर रोज प्रेस से वार्ता का स्वागत किया है। आयोग का विश्वास है कि मानव अधिकारों की बढ़ोत्तरी



और संरक्षण में और उन सामाजिक प्रवृत्तियों को सुधारने में प्रचार माध्यम (मीडिया) महत्वपूर्ण सहायक है, जो इस देश में एक अर्से तक मानव अधिकारों के हनन के लिए उत्तरदायी रहे हैं, विशेषकर मानव अधिकारों के ऐसे हनन समाज के कमज़ोर वर्गों के सम्बन्ध में होते रहे हैं।

#### (ज) अनुसंधान

11.30 आयोग को मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य शुरू करने और उन्हें बढ़ाने का जो संवैधानिक दायित्व सौंपा गया है (अधिनियम की धारा-12 (जी)), उसके अनुसरण में कई कार्यक्रम और परियोजनाएँ अभिनिर्धारित की गई हैं तथा कार्यान्वित की जा रही हैं। इस समय नीति, अनुसंधान परियोजना और कार्यक्रम प्रभाग के पास ग्यारह प्रमुख मामले हैं, जिनका सम्बन्ध हिरासतीय न्याय, संवैधानिक प्रावधानों के पुनरीक्षण, विधियों, उपकरणों और सन्धियों, आतंकवाद तथा मानव, अधिकार, अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेजों और सन्धियों के पुनरीक्षण, मानव अधिकार साक्षरता तथा शिक्षा, गैर-सरकारी संगठनों से सहयोग, बाल सुधार न्याय, अपंगता और मानव अधिकार, लिंग-न्याय, वातावरण तथा स्वास्थ्य और मानव अधिकार से है।

11.31 आयोग इन कार्यक्रमों से संबंधित मामलों और परियोजनाओं का प्रत्येक शुक्रवार को पुनरीक्षण करता है, जब इसके कार्यक्रम-एजेन्डा पर विचार-विमर्श किया जाता है। साथ ही इन पर पूर्ण आयोग की बैठकों में भी विचार किया जाता है, जिनमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष भी भाग लेते हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान आयोग ने अपना ध्यान विशेष रूप से इन विषयों पर केन्द्रित किया है—बाल सुधार गृहों में विद्यमान स्थिति, न्याय प्रशासन में फॉरेंसिक विज्ञान का प्रवर्तन, बंधुआ मजदूरी और बालश्रम की समाप्ति, लौह अल्पता की विद्यमानता और उसके हानिकारक परिणाम, बाल वेश्यावृत्ति तथा मानसिक अस्पतालों में गुणता का आश्वासन। इनमें से प्रत्येक मामले में आयोग ने सम्बन्धित सरकारी अभिकरणों (एजेन्सियों तथा तत्सम्बद्ध) गैर-सरकारी संगठनों और इन विशेषज्ञों से बातचीत की है जो इन मामलों की जानकारी और योग्यता के लिए प्रसिद्ध हैं।

11.32 आयोग ने 'मानसिक अस्पतालों में गुणता का आश्वासन' पर एक अनुसंधान परियोजना, विशेष रूप से बंगलौर स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (एनआईएमएच.ए.एन.एस) को सौंपी है। इस परियोजना का विस्तृत ब्यौरा इस रिपोर्ट में पहले ही दिया जा चुका है। साथ ही रिपोर्ट में पहले उस प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जा चुका है जिसे बंगलौर स्थिति नेशनल लॉ स्कूल आफ इंडिया यूनिवर्सिटी में मानव अधिकार पर एक 'चेयर' स्थापित करने के लिए अन्तिम रूप दिया जा रहा है।



## 12. गैर-सरकारी संगठन

12.1 गैर-सरकारी संगठनों का प्रमुख कार्य मानव अधिकार के प्रति जानकारी फैलाना और मानव अधिकारों का प्रचार और रक्षा प्रदान करना है। मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के प्रयास में अपेक्षित गतिशीलता सम्भवतः गैर-सरकारी संगठनों और आयोग के मध्य पूरे-पूरे सहयोग के बिना प्राप्त नहीं हो सकती हो। वास्तव में दोनों के प्रयास एक दूसरे के पूरक हैं, यह एक ऐसा संबंध है जो अपने आप में रचनात्मक है और महत्वपूर्ण है।

12.2 तदनुसार आयोग ने गैर-सरकारी संगठनों की एक सूची तैयार कर ली है, जिनके साथ उसके सम्बन्धित हैं और इन गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग को सुदृढ़ करने की दृष्टि से उनके बारे में उपलब्ध आंकड़ों को व्यवस्थित कर लिया है। ये आंकड़े एक प्रश्नावली के आधार पर एकत्रित किए गए थे, जैसे आयोग ने तैयार किया था और आयोग के समाचार-पत्र और वर्ष 1996-97 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में छापा था।

12.3 आंकड़ों में गैर-सरकारी संगठनों के नाम, पता, कार्यकर्ताओं के विवरण और उनके मानव अधिकारों से संबंधित गतिविधियों के विवरण मौजूद हैं। कुल 136 गैर-सरकारी संगठनों ने अपने विवरण पहले ही निर्धारित प्रपत्र में भेज दिए हैं (अनुबंध-6), जबकि अन्य 238 गैर-सरकारी संगठनों को उनके अनुरोध पर प्रपत्र भेजा गया है। परन्तु यहां यह कहना आवश्यक है कि आयोग ने अपने सम्बन्ध लेवल सूची में लिखित गैर-सरकारी संगठनों तक ही सीमित नहीं रखे हैं। वर्तमान में आंकड़े एकत्र करने के कार्यों के माध्यम से आयोग मानव अधिकारों के क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों की उपलब्ध सूचना को एक विश्वसनीय और उपयोगी आधार बनाना चाहता है, जो न केवल उसके लिए उपयोगी होगा अपितु गैर-सरकारी संगठनों के स्वयं के लिए उपयोगी होगा। वास्तव में, आयोग बराबर गैर-सरकारी संगठनों से अनुरोध प्राप्त करता रहा है, जिनमें उसके साथ कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता रहा है। आयोग गैर-सरकारी संगठनों के इस कार्य-तंत्र को बढ़ाना और मजबूत बनाना चाहता है। यह इस रिपोर्ट के माध्यम से ऐसे सभी अन्य गैर-सरकारी संगठनों से अपील करना चाहता है कि जो आयोग के साथ अथवा अन्यों के साथ सहयोग करना चाहते हैं वे अपनी गतिविधियों से संबंधित सूचना आयोग को उसके निर्धारित प्रपत्र पर भर कर भेज दें। आयोग सभी सहयोगी गैर-सरकारी संगठनों के नाम उपयुक्त समय पर उपयुक्त तरीके से प्रकाशित करवाना चाहता है।

12.4 आयोग और गैर-सरकारी संगठनों के मध्य इस समय मानव अधिकारों के हनन से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करने और उन्हें निपटाने तथा सेमीनार और कार्यशाला आयोजित करने के संबंध में स्थापित पूर्ण सहयोग के अतिरिक्त समीक्षाधीन अवधि के दौरान अन्य विशिष्ट क्षेत्रों में भी सहयोग



और अधिक मजबूत हुआ है। उदाहरणों के तौर पर बाल-वेश्यावृत्ति, बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, गर्भवती महिलाओं में लौह की कमी, मानसिक रूप से अपंगों की समस्याएं और जेल सुधार के मामलों को निपटाने में किए गए प्रयास। आयोग ने बारगी बांध के निर्माण से हुए विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए कार्य कर रहे लोगों के साथ भी निकट के सम्पर्क बनाए रखे।

12.5 यहां पर यह कहना प्रासंगिक होगा कि आयोग ने तीन गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को अपने स्टाफ के सदस्यों के साथ कनाडा मानव अधिकार फाउन्डेशन द्वारा जून-जुलाई 1997 के दौरान आयोजित तीन-सप्ताह के अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित किया था। आयोग का मानना है कि यह जरूरी है कि गैर-सरकारी संगठनों के स्टाफ को प्रशिक्षित कर उनकी क्षमता को मजबूत किया जाए।



### 13. राज्य मानव अधिकार आयोग और मानव अधिकार व्यायालय

13.1 आयोग को प्राप्त हो रही शिकायतों में तेजी से वृद्धि और साथ ही उसके भौगोलिक फैलाव के कारण यह जरूरी है कि शिकायतों के तत्काल और सस्ते ढंग से निपटाने के लिए राज्य स्तर और राज्य के निचले स्तरों पर कार्यविधि की व्यवस्था करने पर तेजी से ध्यान दिया जाए।

13.2 मानव अधिकार अधिनियम, 1993 के अनुच्छेद 21 में राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन का प्रावधान है। पिछले वर्ष के अंत तक पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, असम और तमिलनाडु में राज्य आयोग का गठन हो चुका था। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पंजाब और जम्मू तथा कश्मीर में भी राज्य आयोगों का गठन हो गया है। पंजाब में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जुलाई, 1997 और जम्मू और कश्मीर आयोग में अगस्त 1997 में हुई। यद्यपि उत्तरप्रदेश सरकार ने 4 अप्रैल, 1996 को राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की थी परन्तु उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बारे में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना अभी जारी की जानी है। आयोग ने एक बार फिर उन सभी राज्यों से मानव अधिकार आयोग के गठन के लिए कहा है जहाँ अभी तक इसका गठन नहीं हुआ है और ऐसी संस्थाओं की स्थापना के पश्चात् पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया है। आयोग इस मामले को राज्य के साथ आगे बढ़ाना चाहता है, परन्तु यह सिफारिश भी करता है कि केन्द्र सरकार और राजनीतिक दलों के उच्चतम स्तर के नेता इस विषय पर अपना ध्यान दें।

13.3 निस्संदेह, आयोग इस प्रश्न पर विचार करते समय राज्य सरकारों द्वारा सामना कर रहे संचार-तंत्र और वित्तीय मामलों, विशेषकर, छोटे मामले के प्रति जागरूक हैं। सात उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में विभिन्न विकल्पों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात्, आयोग के अध्यक्ष ने उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे और प्रत्येक राज्य में एक अलग मानव अधिकार आयोग के गठन के लिए सुझाव दिया, जहाँ असम मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य एक क्रोड के रूप में होंगे, जो अन्य राज्यों में राज्य आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे और उनके साथ राज्य द्वारा नामित एक मानव अधिकार कार्यकर्ता भी कार्य करेगा। इस प्रकार की व्यवस्था से यथासमय राज्य आयोगों के गठन के संबंध में विधिक संशोधनों की, आवश्यकता होगी, जिससे राज्य, जब कभी निर्णय ले, केवल तीन सदस्यों के आयोग का गठन कर सकता है और अध्यक्ष और सदस्य एक से अधिक आयोगों के सदस्य हो सकते हैं। एक अन्य विकल्प के रूप में आयोग ने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एक सामूहिक आयोग हो सकता है, जिसमें उसके स्थापना खर्चों में प्रत्येक राज्य को अंशदान करना होना, परन्तु इसके लिए भी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में उचित संशोधन करने होंगे।


13.4 जवाब में, मेधालय के मुख्यमंत्री, सभी उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एक सामूहिक आयोग के



गठन के प्रस्ताव पर तैयार हैं। असम और नागालैण्ड के मुख्यमंत्रियों ने बताया कि आयोग द्वारा किए गए सुझावों पर उनकी अपनी—अपनी सरकारें विचार कर रही हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके राज्य में एक भी मामला मानव अधिकार हनन का सामने नहीं आया है। परन्तु उन्होंने यह भी कहा कि जब भी परिस्थितियों की मांग होगी स्थिति की समीक्षा की जा सकती है। आयोग ने सिफारिश की है कि उत्तर-पूर्वी राज्यों की सरकारें आवश्यकतानुसार केन्द्र सरकार से परामर्श कर उस क्षेत्र में राज्य आयोगों के लिए एक पर्याप्त ढांचा अपने साधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए तैयार कर ले।

13.5 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 21(5) में प्रावधान है कि कोई राज्य आयोग मानव अधिकार हनन के केवल उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जिसकी संविधान की सातवीं सारणी की II और III सूची में प्रविष्टियां हैं। परन्तु अधिनियम की धारा 36 (1) के अनुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किसी ऐसे मामले की जांच नहीं कर सकता है जो किसी कानून के अधीन गठित राज्य आयोग अथवा किसी अन्य आयोग के विचाराधीन हो। आयोग का मानना है कि राष्ट्रीय और राज्य आयोग के कार्यात्मक संबंध अधिक स्पष्ट होना दोनों के लिए लाभकारी होगा। परन्तु इसी बीच राष्ट्रीय और राज्य आयोगों के कार्यों में उचित समन्वय सुनिश्चित करने और कार्यों की आदृति को रोकने के लिए राष्ट्रीय और राज्य आयोगों द्वारा स्वयं अपने संज्ञान में लिए गए मामलों के संबंध में माह में दो बार सूचनाओं के आदान-प्रदान की व्यवस्था की गई है।

13.6 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 30 में मानव अधिकार हनन के मामलों को शीघ्रता से निपटाने के उद्देश्य से मानव अधिकार न्यायालय की अधिसूचना पर भी विचार किया गया है। यद्यपि बहुत से राज्यों ने मानव अधिकार न्यायालयों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है, परन्तु अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस प्रकार के न्यायालयों में किस प्रकार के अपराधों की जांच की जाएगी और उनका कार्य संचालन किस प्रकार से होगा। आयोग ने अपनी पूर्व रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि मद्रास उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपराध पुनरीक्षा मामले (सं. 868/96) में तमिलनाडु के सभी जिलों में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित मानव अधिकार न्यायालयों के कार्य-संचालन हेतु नियमों और प्रक्रिया को सूत्रबद्ध करने के लिए विशेष न्यायपीठ का गठन किया था और मद्रास उच्च न्यायालय ने आयोग से मानव अधिकार न्यायालयों के विभिन्न पहलुओं, जैसे उसका कार्यक्षेत्र, प्रभाव, आयाम, शक्तियां, अधिकार-क्षेत्र, कार्यप्रणाली पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया था। न्यायालय के समक्ष अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत करने के अतिरिक्त आयोग ने सुझाव दिया कि उठाए गए मुद्दों ली जटिलताओं को देखते हुए न्यायालय की सहायता के लिए भारत संघ और भारत के महान्यायविद् को भी अधिसूचित किया करे।



13.7 मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 23 जून, 1997 को दिए अपने निर्णय में मानव अधिकार न्यायालय की कार्य-प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उच्च न्यायालय ने कुल 25 प्रश्न/मुद्दे तैयार किए जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के विभिन्न प्रावधानों, मानव अधिकार न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार और मानव अधिकार अपराधों से संबंधित हैं। न्यायालय द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों और रिकार्ड किए गए जांच-परिणाम का सारांश अनुबंध-7 पर है। आवश्यक परामर्श के पश्चात् आयोग का मामले को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है।




## 14. आयोग के समक्ष शिकायतें

### (क) संख्या और स्वरूप

14.1 जैसा कि इस रिपोर्ट में पहले उल्लेख किया गया है, आयोग द्वारा 1 अप्रैल, 1999 की अवधि के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिसमें हिरासत में हुई मौतों के मामले शामिल हैं। इस असाधारण वृद्धि से देश में मानव अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता तथा यह आशा और भरोसा भी परिलक्षित होता है कि आयोग शिकायतों का निवारण करने में तत्परता तथा निष्पक्षता से कार्य करेगा। 1996-97 के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या 20,514 थी जबकि 31 मार्च 1998 के दौरान दर्ज की गयी शिकायतों की संख्या 36,791 थी। इनमें हिरासत में हुई मौतों तथा बलात्कार के संबंध में राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट शामिल है। आयोग के पास 1997-98 में विचार के लिए कुल 40,802 मामले थे जिनमें 4010 वे मामले शामिल थे जो वर्ष के शुरू में आयोग के पास विचारार्थ लंबित थे। 17,638 ताजा मामलों की सबसे बड़ी संख्या के साथ इस बार भी उत्तर प्रदेश प्रधम स्थान पर रहा जबकि 3,127 ऐसे मामलों के साथ बिहार का स्थान दूसरा रहा। इन दोनों राज्यों को मिलाकर 1997-98 के दौरान प्राप्त हुए ताजा मामलों का 55.5 प्रतिशत बनता है।

14.2 शिकायतों की संख्या में इस भारी वृद्धि के बावजूद आयोग ने अपना कार्य पूरी मजबूती के साथ किया। हालांकि इसके दो सदस्य जनकरी 1997 में राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिए गए थे। इस असाधारण स्थिति से निपटने के लिए अध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा सघन प्रयास करने अपेक्षित थे ताकि कार्य को ठीक ढंग से अंजाम दिया जा सके। इसके अलावा, कार्य-विधि को और सख्त सुचारू तथा बेहतर बनाया गया था। यहां तक कि शिकायतों के निपटान संबंधी आयोग की प्रक्रिया को शासित करने वाले नियमों में भी संशोधन किया गया ताकि शिकायतों से निपटने के लिए दो सदस्यों की खण्डपीठ के बजाय एक ही सदस्य को शक्ति प्रदान की जा सके। इस प्रकार समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 27,289 मामलों पर विचार किया गया। इनमें से 12,870 मामलों का निपटान स्वयं किया गया जबकि 5,800 मामलों को निपटाने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों को निर्देश दिए गए। संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टें अथवा आयोग के अन्वेषण प्रभाग द्वारा जांच पड़ताल के बाद प्रस्तुत रिपोर्टें पर विचार करने के पश्चात् एक सौ इकतीस मामलों को निपटा दिया गया। संक्षेप में, 1996-97 के दौरान कुल 18,801 मामले निपटाए गये जबकि 1995-96 के दौरान 10,848 मामले निपटाए गए थे, अतः इस वर्ष मामलों का निपटान पिछले वर्ष की तुलना में 56 प्रतिशत अधिक रहा। आयोग का मानना है कि मामलों का निपटान और अधिक बेहतर हो सकता था यदि राज्य सरकार के प्राधिकारी आयोग द्वारा भेजे गये नोटिसों का तत्परता से तथा पूरी तरह से प्रत्युत्तर देते। कुछ राज्यों द्वारा नोटिसों का प्रत्युत्तर देने में विलंब करने की प्रवृत्ति से आयोग को गहरी विंता है और



यह राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों दोनों के स्तरों पर तथा अपने मुख्यालय में भी अतिरिक्त तंत्र स्थापित करने पर विचार कर रहा है ताकि इसके नोटिसों तथा सिफारिशों पर तेजी से ध्यान दिया जा सके।

14.3 दर्ज किए गए मामलों की संख्या, उन मामलों की संख्या जिन पर आयोग ने विचार किया तथा विचार करने के लिए लंबित मामलों की राज्यवार सूची अनुबंध-8 पर है। प्रत्यक्ष रूप से निपटाए गए मामलों, विभिन्न एजेंसियों की जांच और रिपोर्ट पर विचार करने के बाद निपटाए गए मामलों और निर्देश देकर निपटाए गए मामलों की राज्यवार सूची अनुबंध-9 पर है। उन मामलों, जिनमें आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने और जांच कराने की मांग की थी, का विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण, जिनमें वे मामले भी शमिल हैं जिन्हें ऐसी रिपोर्ट और जांच के आधार पर निपटाया गया था, अनुबंध-10 पर है। आयोग के स्थाई अनुदेशों के अनुसार राज्यों तथा संघ-शासित प्रदेशों ने 1996-97 के दौरान हिरासत में हुई मौतों के कुल 1,012 मामलों की जानकारी दी थी जिनमें से 819 मौतें जेल हिरासत में हुई थीं। जेल हिरासत में हुई मौतों की बड़ी संख्या ने एक बार फिर कैदियों के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल करने के प्रबंध सहित जेल सुधार की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है। यह मामला आयोग के लिए चिंता का विषय रहा है जिस पर आयोग द्वारा पहले ही कई विशिष्ट सिफारिशों की जा चुकी हैं।

14.4 आयोग को प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या में बढ़ोत्तरी को देखते हुए इनके निपटान के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में आमूल परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। एक सदस्यीय खंडपीठ का गठन करने का अल्लेख रिपोर्ट में पहले ही किया गया है जिसके परिणामस्वरूप आयोग द्वारा पहले से कहीं अधिक बड़ी संख्या में मामलों पर ध्यान दिया जा रहा है। जाहिर है महत्वपूर्ण मामलों पर समूचे आयोग द्वारा विचार किया जाना जारी रहेगा। अध्यक्ष के प्रक्रिया निदेशों (देखें पैरा 2.6) से मामलों तथा कार्यक्रम से संबंधित मुद्दों से निपटने में व्यापक सतर्कता तथा व्यावहारिकता आई है। एक ज्ञात प्रक्रिया होने के कारण आयोग के बढ़ते कार्यभार से प्रभावी रूप से निपटने के लिए संगठन, विधियों और जनशक्ति पर अपेक्षित ध्यान दिया जाएगा। मामलों की कुछ कोटियों को आयोग के सदस्यों से निचले स्तर पर हस्तांतरित करने की जरूरत है ताकि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के खण्ड 12 के अंतर्गत आयोग को सौंपे गए कार्यों की संपूर्णता और विविधता को पूरी तरह समालने के लिए सदस्यों की क्षमता को मुक्त किया जा सके। इसे कैसे अच्छे ढंग से किया जा सकता है, उन उपायों की जांच की जा रही है।

#### (ख) मामलों का अन्वेषण

14.5 वर्ष 1997-98 के दौरान आयोग ने अपने अन्वेषण ग्रभाग को 1,755 शिकायतों की जांच करने



के निर्देश दिए थे, जिनमें से 1,503 मामले तथ्यों का पता लगाने तथा उनकी निगरानी करने से संबंधित थे और 252 मामले फील्ड-जॉच से संबंधित थे। इन शिकायतों में से 1,097 मामलों को कार्रवाई करने के बाद बन्द कर दिया गया, जब कभी आवश्यक और वांछनीय होता है अन्वेषण प्रभाग के अधिकारी जांच के कार्य में गैर-सरकारी संगठनों और याचिका कर्ताओं से सहयोग लेते हैं। कई मामलों में गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराते हैं तथा अन्वेषण प्रभाग के अधिकारियों की पीड़ितों की जांच करने, में सहायता करते हैं, विशेषकर महिला पीड़ितों के मामलों में जिसके कारण गलतियों और प्रायः जनसेवकों द्वारा अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन में बरती गयी गंभीर अनियमितताओं से संबंधित तथ्य सामने आ जाते हैं।

14.6 कर्मचारियों की कमी तथा कार्यभार के लगभग 70 प्रतिशत बढ़ने के बावजूद आयोग के जॉच अधिकारी, आयोग के निर्देशों के अंतर्गत उन्हें सौंपी गयी जांच को समय पर पूरा करते हैं। अन्वेषण प्रभाग के अधिकारियों द्वारा स्पष्ट रूप से दी गई रिपोर्टों के आधार पर 1997-98 के दौरान 43 व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मामले शुरू किये गए थे। 60 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई थी और 51 अधिकारियों को निलंबित किया गया था। 20 मामलों में 50,000 से 1,00,000 रुपये तक की मुआवजा राशि भी प्रदान की गई है।

14.7 आगे, चूंकि, आयोग राज्य सरकार की एंजेंसियों द्वारा 23 मामलों के संबंध में उसे भेजी गयी प्रारंभिक रिपोर्टों से संतुष्ट नहीं था इसलिए उसने राज्य के खुफिया विभाग अथवा केन्द्रीय जॉच ब्यूरो से इन मामलों की जांच पड़ताल करने के लिए कहा। साथ ही साथ उसने अपने अन्वेषण प्रभाग को भी मामलों में हुई प्रगति पर निगरानी रखने को कहा।

#### (ग) दृष्टांत मामले

14.8 नीचे दिए गए दृष्टांत मामले जो आयोग के समक्ष लाए गए थे, मानव अधिकारों के हनन की सीमा को परिलक्षित करते हैं। इनमें हिरासत में हुई मौतें, गैर कानूनी रूप से बन्दी बनाकर रखने, लोगों को झूठे मामलों में फँसाने, पुलिस हिरासत में अमानवीय यातना देने, मानव अधिकारों के हनन को रोकने के लिए कार्रवाई करने में लापरवाही बरतने, जेल की दुष्कर परिस्थितियों तथा आतंक और उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में बेगुनाह लोगों को जान से मारने के मामले शामिल हैं। इस रिपोर्ट में मामलों की सूची में कुछ विशिष्ट मामले और जोड़े गए हैं क्योंकि ये आयोग से संबंधित मुद्दों का विस्तार करते हैं। ये उन दो मामलों से संबंधित हैं जो भारत के उच्चतम न्यायालय ने आयोग को भेजे थे। पहला पंजाब में सामूहिक रूप से अंतिम संस्कार करने तथा दूसरा उड़ीसा में भुखमरी से हुई मौतों से संबंधित है। तीसरा मामला एसोसिएशन बनाने के अधिकार से संबंधित है जबकि इस खण्ड में चौथा केस उस तरीके को बताता है जिसके द्वारा आयोग ने न्यायपालिका को सक्रिय करके अपनी



सिफारिशों को लागू करवाया।

### (i) श्री असित कुमार चतुर्वेदी की हिरासतीय मौत : उत्तर प्रदेश

यह मामला आयोग द्वारा, श्री असित कुमार चतुर्वेदी की शिकायत पर लिया गया था जिसने आरोप लगाया था कि उसका भाई असित कुमार चतुर्वेदी जो आगरा जिला की जेल में विचाराधीन कैदी था जेल हिरासत में पहुंचाई गई चोटों के कारण मर गया। इस घटना के बारे में आगरा रेंज के महानिरीक्षक (जेल) से आयोग को प्राप्त हुई रिपोर्ट में बताया गया था कि श्री असित कुमार चतुर्वेदी की मृत्यु सिर और शरीर में आई चोटों के कारण हुई जो तेज बुखार आने के कारण आई थीं और उसके बाद वह “कोमा” में चला गया था। आयोग ने महसूस किया कि रिपोर्ट इस बात की द्वौतक थी कि सुवेधा के लिए किस हद तक परिकल्पना की जा सकती है। रिपोर्ट में बताया गया था कि तेज बुखार आ जाने के कारण श्री असित कुमार चतुर्वेदी को आगरा के एस०एन० मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया था। वहाँ उसके परिवार के सदस्य उसकी देखभाल करने के लिए आए और उसके जमानत पर रिहा होने के दो दिन के भीतर ही उसकी मृत्यु हो गई। आयोग ने यह नोट किया कि रिपोर्ट इस बारे में मौन थी कि अस्पताल भेजे जाने से पूर्व जब श्री चतुर्वेदी हिरासत में थे तो उनके साथ क्या किया गया था।

रिपोर्ट को असंतोषजनक और अपर्याप्त पाए जाने पर आयोग ने अपने अन्वेषण विभाग को इस मामले की छानबीन करने का कहा। आयोग की जाँच में प्रथम दृष्टि में पाया गया कि कैदी को जेल कर्मचारियों ने बहुत बुरी तरह पीटा था। इस बात के सबूत थे कि कैदी के रूप में उस व्यक्ति को उत्पीड़ित किया गया और उसे शारीरिक रूप से अमानवीय यातनाएँ दी गई थीं। अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट ने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचनामा और अन्य रिकार्डों के आधार पर अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला था कि श्री चतुर्वेदी की मृत्यु सिर और शरीर पर आई चोटों के कारण हुई जो उसे आगरा की सेन्ट्रल जेल में दी गई थीं।

उपरोक्त को देखते हुए आयोग ने महसूस किया कि इस मामले में हिरासत के दौरान उत्पीड़ित किए जाने की पूरी सम्भावना थी, जिसके कारण विचाराधीन कैदी की मृत्यु हो गई, और जेल के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते थे।

आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोग को सूचित किया है कि उसने मृतक के आश्रित के लिए 1,00,000 रुपये की राशि मुआवजे के रूप में स्वीकृत की है।

आयोग ने यह भी सिफारिश की कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले की पूरी जाँच राज्य



के खुफिया विभाग से कराई जाए और उन सभी के विरुद्ध मुकदमे चलाये जाएं जो इस दर्दनाक मौत के जिम्मेदार हैं तथा जिन्होंने बाद में तथ्यों को छुपाने का प्रयास किया था।

आयोग ने अपनी कार्रवाई में उल्लेख किया कि जेल प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की नैतिक, कानूनी तथा संवैधानिक बाध्यता होनी चाहिए कि जेल में कैदियों को प्रताड़ित न किया जाए और उनके साथ हिंसक व्यवहार भी न किया जाए। इस बात का भी उल्लेख था कि सजायापता कैदियों को उनके मूल अधिकारों से वंचित न किया जाए तथा उनके लिए की गई कोई भी कटौती उन्हें मिली सजा के अनुसार ही होनी चाहिए। आयोग को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वरिष्ठ जेल अधिकारी तो जाँच के कार्य को निष्पक्षता, ईमानदारी तथा ऐसे ढंग से करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होते हैं जिससे सच्चाई को बढ़ावा मिले, परन्तु इन अधिकारियों की कार्रवाई से ऐसा लगा कि तथ्यों को छुपाने में उनकी मिली-भगत थी।

#### (ii) पंजाब पुलिस द्वारा बिना पहचान के शर्वों का सामूहिक दाह-संस्कार : उच्चतम न्यायालय द्वारा संदर्भित मामला

वर्ष 1996-97 के लिए आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में इस मामले का हवाला दिया गया था। आयोग के दिनांक 28 जनवरी, 1997 के आदेश में निर्धारित किए गए और भेजे गए प्रारंभिक प्रश्नों और प्रतिवादियों द्वारा दायर की गई आपत्तियों के संबंध में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात् आयोग ने पंजाब में 12 मई, 1997 को लावारिस लाशों के बड़े पैमाने पर कथित सामूहिक दाह-संस्कार के मामले में अंतरिम आदेश जारी किए।

जिन मुद्दों पर आयोग ने विचार किया उनमें यह प्रश्न अनिवार्य रूप से आया कि क्या उच्चतम न्यायालय से मिली छूट के अनुसार आयोग को एक मात्र निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए या उसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के उपबंधों के प्राचलों के भीतर ही कार्य करना चाहिए जो कथित अधिनियम की धारा 36(2) के अन्तर्गत निर्धारित आयोग के अधिकार क्षेत्र की सीमाओं का खुलासा करता है। प्रारंभिक सुनवाई के दौरान विचार किए गए अन्य मुद्दे निम्नलिखित थे :

- क्या छूट के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश जारी करने से पहले रिट याचिका में उठाये गए अन्य मुद्दों का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, यदि हाँ, तो वे अन्य मुद्दे क्या हैं और उनकी सीमा क्या होगी,
- क्या आयोग विभिन्न मामलों को तेजी से निपटाने के लिए स्वयं ही न्याय-तंत्र स्थापित कर सकता है।
- सुधार की दृष्टि से पीड़ित व्यक्तियों या उनके आश्रितों के लिए उपलब्ध मुआवजे की संकल्पना और विषय-वस्तु।



आयोग ने कुछ प्रतिवादियों द्वारा उठाई गई इस आपत्ति पर भी विचार किया कि उच्चतम न्यायालय के बै आदेश जो दावों के संबंध में न्याय करने के लिए आयोग को प्राधिकृत करते हैं, अपने आप में उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोग को अपनी न्यायिक शक्तियों का हस्तांतरण करना ही है, जो संवैधानिक प्रावधनों के अन्तर्गत अनुमत नहीं है। आयोग महसूस करता है कि इन आपत्तियों का निराकरण प्रारंभिक स्तर पर अवश्य हो जाना चाहिए।

मामले पर विस्तृत विचार करने के बाद खासकर विधायी प्रावधानों और तथ्यों तथा परिस्थितियों के संबंध में आयोग ने प्रारंभिक मुद्दों का निपटान करते हुए 4 अगस्त, 1997 को आदेश जारी किया।

आयोग के अधिकार क्षेत्र की समय-सीमा के संबंध में उठाई गई आपत्ति के बारे में आयोग ने यह दृष्टिकोण अपनाया की उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश के द्वारा आयोग को एकमात्र निकाय के रूप में पदनामित किया है जो उच्चतम न्यायालय द्वारा उसे सौंपे गये कार्यों को अंजाम देने तथा मुद्दों को निपटाने के लिए है।

“अधिनियम के बंधन और सीमाएं इस निकाय से नहीं जुड़ी हैं क्योंकि यह अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कार्य नहीं करता, बल्कि उच्चतम न्यायालय से मिली छूट के अन्तर्गत कार्य करता है।” तर्कसंगत रूप से, इस आदेश को जारी करने में आयोग की शक्तियों को अधिनियम की धारा 36(2) से या इस पर सीमा लगाने वाले किसी अन्य उपबंध, यदि कोई हो, से सीमित नहीं किया जा सकता।

उच्चतम न्यायालय द्वारा शक्तियों के हस्तांतरण की वैधानिकता के आरोपों के संबंध में आयोग ने यह कहकर नकारात्मक उत्तर दिया कि न्यायालय द्वारा जारी आदेशों में यह स्पष्ट है कि “वह आयोग में किसी विशिष्ट अंतिम न्यायपालिका की स्थापना नहीं कर रहा है” अपितु इसमें कहा गया है कि आयोग अपना कार्य-निष्पादन एक सहायक तथा न्यायालय की एजेंसी के रूप में करेगा।

आयोग ने आगे यह उल्लेख किया कि इसे अपने संभार तंत्र में व्यापक बढ़ोत्तरी करने की जरूरत है। इसे, साक्षों को रिकार्ड करने तथा उस पर कार्रवाई करने और आयोग के निर्देशों के अन्तर्गत जांच-पड़ताल करने तथा आयोग की अंतिम स्वीकृति के बाद उपयुक्त मुआवजे की सिफारिश करने जैसे कार्यों के लिए न्यायिक अनुभव वाले अधिकारी शामिल करने होंगे।

आयोग ने निर्देश दिए कि चूँकि बड़ी संख्या में अंतिम संस्कार किए गए थे, इसलिए सार्वजनिक सूचना देकर उपयुक्त प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए जिसमें उपयुक्त प्रोफार्मा में उन लोगों से दावे दायर करवाए जाने चाहिए जिन्हें पीड़ा हुई और ऐसे मामलों की यह पता लगाने के लिए जांच की जानी चाहिए कि उसकी मृत्यु और बाद में अंतिम संस्कार या दोनों उन कारनामों का



परिणाम तो नहीं है जिनसे मानव अधिकारों का हनन होता हो या राज्य सरकार और उसकी एजेंसियों की लापरवाही के कारण मानव अधिकारों के हनन को रोका न गया हो। यदि इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर सकारात्मक था तो मुआवजे की राशि का निर्धारण करने के लिए निर्णय लिया जाना था।

आयोग का उपर्युक्त आदेश मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने एक याचिका दायर की जिसमें आयोग के आदेश के आलोक में भारत सरकार की आपत्तियों के निराकरण और इस मामले की जाँच करने की सूरत में अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों को निर्धारित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12 दिसम्बर, 1996 के आदेश पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार यह मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है।

### (iii) पुलिस के तथाकथित उत्पीड़न से उस्मान अंसारी की मृत्यु : महाराष्ट्र

आयोग को 7 अक्टूबर, 1995 को नागपुर में रहने वाली श्रीमती हमीदा बेगम से शिकायत प्राप्त हुई जिसने अपने पति उस्मान अंसारी के कत्ल का आरोप लगाया था। उसने कहा कि उसके पति को चार पुलिस कांस्टेबल जबरदस्ती किसी पार्टी में खाना पकवाने के लिए उसके घर से ले गये थे। वह पार्टी किसी हैड कांस्टेबल की सब-इंस्पेक्टर के रूप में पदोन्नति होने की खुशी में आयोजित की थी। अगली सुबह, उसके पति की लाश उस स्थान के पास सड़क पर पड़ी मिली जहां पार्टी की गई थी।

आयोग द्वारा पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र को भेजे नोटिस के जवाब में पुणे के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य खुफिया विभाग ने आयोग को सूचित किया कि राज्य के खुफिया विभाग (अपराध) द्वारा इस मामले की छानबीन बन्द कर दी गई क्योंकि “कोई भी व्यक्ति ऐसे सुराग नहीं दे पाया जिससे अपराधियों का पता लग सके। राज्य, खुफिया विभाग की जाँच भी यह साबित नहीं कर सकी कि मृतक तथा पार्टी में भाग लेने वालों के बीच कोई झगड़ा हुआ था क्योंकि इस बिन्दु पर कोई भी साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं है। तथापि, अपराध की घटना वाले स्थान की विस्तृत तलाशी ली गई थी जहां कोई हथियार नहीं पाया गया।

आयोग ने राज्य खुफिया विभाग की रिपोर्ट को असंतोषजनक पाया और 30 सितम्बर, 1996 को अपने अन्वेषण विभाग को मामले की जाँच करने के निर्देश दिए। आयोग के अन्वेषण विभाग ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि राज्य खुफिया विभाग द्वारा दी गयी रिपोर्ट निष्पक्ष और वास्तविक नहीं थी और तथ्यों को छुपाने का प्रयास किया गया था। पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर ने उल्लेख किया कि उसके सिर में फ्रैक्चर था जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई थी। यह चोट किसी सख्त और तेज वस्तु द्वारा की गई थी जो छड़ी या सरिया हो सकती है। यह विश्वास करना कठिन है कि यह मौत सड़क दुर्घटना में हुई। आयोग की जाँच से आगे पता चला की मृतक तथा पार्टी में आये कुछ पुलिसकर्मियों के बीच हाथापाई हुई थी।



आयोग ने महसूस किया कि यह एक गंभीर मामला था जो पुलिस-तंत्र की कर्तव्यनिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। आयोग ने यह महसूस किया कि इसकी स्वतंत्र जांच कराने के लिए सभी कारण मौजूद हैं। इसलिए आयोग ने महाराष्ट्र सरकार से इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कराने तथा मृतक के आश्रित को मुआवजे के रूप में 2,00,000 रुपये का भुगतान करने को कहा। आयोग ने निर्देश दिए कि भुगतान की गयी इस राशि को बाद में उन पुलिस कर्मचारियों से वसूला जाए जिनको स्वतंत्र जांच में अपराधी पाया जाए।

#### (iv) उड़ीसा में भुखमरी से होने वाली मौतों को रोकने के उपाय

उच्चतम न्यायालय के दिनांक 26 जुलाई, 1997 के आदेशों के अनुसरण में इंडियन काउंसिल फॉर लीगल ऐड एण्ड एडवाइस ने आयोग के समक्ष एक याचिका दायर की जिसमें उड़ीसा के “केबीके जिले” के रूप में जाने वाले जिलों जिनमें वास्तव में अब कालाहाँडी, चुआपाडा, बोलनगीर, सोनपुर, कोरापुट, मालनगीरी, नवरंगपुर तथा रायगाडा आठ जिले शामिल हैं, में भुखमरी के कारण होने वाली मौतों को रोकने के बारे में अंतरिम उपाय करने को कहा गया था। इससे पहले आयोग को तत्कालीन केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री चतुरानन मिश्र से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें भुखमरी से हुई कथित मौतों की जाँच करने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद आयोग ने अधिकारियों का एक दल प्रभावित स्थानों वा दौरा करने और उसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भेजा। इस दल में आयोग के महासचिव तथा महानिदेशक (जांच) शामिल थे। आयोग को उड़ीसा विधान सभा के 7 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक संयुक्त ज्ञापन भी प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने उन 14 मामलों की सूची भेजी थी जिनमें कथित रूप से भुखमरी के कारण मौतें हुई थीं।

भुखमरी के कारण होने वाली मौतों के आरोप और “केबीके” जिलों में इस त्रासदी की बार-बार पुनरावृत्ति से जो प्रश्न उठते हैं और जिनके निहितार्थ गंभीर तथा सारांश विवादास्पद हैं, अपने स्वयं के जांच दल की रिपोर्ट तथा राज्य सरकार के प्रत्युत्तर की जांच के बाद तथा इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल ऐड एण्ड एडवाइस और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर गैर करने के बाद आयोग ने इस समूचे मामले की गहराई से सुनवाई करना तथा सभी संबंधित पक्षों के पूरे सहयोग और सम्मिलन से इस पर गैर-विरोधात्मक ढंग से कार्रवाई करना महत्वपूर्ण समझा।

इस मामले के सभी पहलुओं की जाँच करते हुए आयोग ने 3 सितम्बर, 1997 से 29 जनवरी, 1998 के बीच की गयी अपनी 11 सुनवाइयों के बाद एक व्यापक जाँच करने की सिफारिश की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भुखमरी और अकाल ने संबंधित आर्थिक सिद्धांत, उड़ीसा का आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय इतिहास विशेषकर-केबीके जिलों के पिछले दशकों के संदर्भ में, केबीके जिलों जैसी परिस्थियां उत्पन्न होने पर राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के आचरण और प्रतिक्रिया



को शासित करने वाले नियम और मानदंड, सबसे अधिक गंभीर रूप से किए जा सकने वाले व्यावहारिक उपाय जिन्हें संबंधित जिलों में कुपोषण तथा बार-बार की भुखमरी को समाप्त करने के लिए दीर्घकालीन योजनाओं में बदला जा सके, आदि की जाँच करना शामिल है।

यथोचित विचार करने के बाद आयोग इस नीति पर भी पहुँचा कि दो वर्ष की अवधि के लिए अंतिरिम उपाय किए जाने चाहिए और इसके साथ यह भी कहा कि जब कभी उपयुक्त और आवश्यक समझा जाए इनकी समय समय पर समीक्षा की जा सकती है। ये अंतिरिम उपाय निम्नलिखित होने चाहिए :

#### (क) निगरानी व्यवस्था

- \* राज्य स्तर पर समग्र प्रयासों को निर्देशित करने तथा इनका पर्यवेक्षण करने के लिए मुख्य सचिव के अधीन एक निगरानी समिति की स्थापना की जाए।
- \* इसके अलावा, कमांड तथा नियंत्रण की सामान्य सीमाओं का उल्लंघन किए बिना आयोग के बीचे जिलों के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की नियुक्ति करने का इरादा रखता है ताकि इन जिलों में होने वाली घटनाओं के संबंध में आयोग को पूरी जानकारी रहे और यह प्रतिनिधि आयोग की ओर से उपयुक्त तथा आवश्यक समझे जाने पर राज्य, जिला या अन्य स्तर के सभी संबंधित प्राधिकरियों से परस्पर बातचीत कर सके। इस विशेष प्रतिनिधि, जिनके संबंध में सभी पक्षों से परमर्श लिया जा रहा है, के नाम की घोषणा शीघ्र ही कर दी जाएगी।

#### (ख) कार्यक्रमों की विशिष्टता

- \* आयोग ने सभी संबंधित पक्षों से गहन विचार-विमर्श के बाद, राज्य सरकार से ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा, मृदा संरक्षण तथा प्राथिमक स्वास्थ्य सेवा के संबंध में के बीचे गुप से संबंधित 8 जिलों के बारे में 1 सितम्बर, 1997 से 31 अप्रैल, 1998 की अवधि के लिए जिलावार व कार्यक्रमवार विशेष प्रतिबद्धताओं की सूचना माँगी है। इन कार्यक्रमों के बारे में राज्य सरकार आयोग को सूचना देगी।

#### (ग) आकस्मिक भोजन कार्यक्रम

इस कार्यक्रम से संबंधित सुझावों और विचारों की समीक्षा करने के बाद आयोग की राय थी कि :

- \* जैसा कि उपाय किया गया है आकस्मिक भोजन कार्यक्रम “दिन में एक बार” के आधार पर होना चाहिए तथापि यह कार्यक्रम महीने के प्रत्येक दिन चलना चाहिए।



- \* यदि कोई जरूरतमंद व्यक्ति भूल से इस कार्यक्रम में शामिल करने से रह जाता है तो उसे संबंधित ग्राम सभा/ग्राम पंचायत, राज्य के सक्षम प्राधिकारियों या आयोग के विशेष प्रतिनिधि की सलाह पर उन व्यक्तियों में शामिल किया जाए जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ चुके हैं।

(घ) वृद्धावस्था पेंशन, अपंगता पेंशन तथा सामाजिक सुरक्षा संबंधी अन्य उपाय

- \* आयोग की राय थी कि वे व्यक्ति जो वृद्धावस्था पेंशन, अपंगता पेंशन तथा सामाजिक सुरक्षा संबंधी अन्य उपायों को शासित करने वाले मौजूदा मानदंडों के अन्तर्गत आने के पात्र हो चुके हैं उन्हें भी इन योजनाओं के लाभ-भोगियों में शामिल किया जाए।
- \* राज्य सरकार द्वारा निगरानी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए जो सुनिश्चित करेगी कि पेंशन तथा ऐसे ही लाभों के वितरण में कोई विलम्ब न हो और विलम्ब रोकने के लिए सरकार द्वारा लाभ-भोगियों को पहचान पत्र जारी हों।

(ङ) कृषि, पारिस्थितिक सुरक्षा, मृदा संदर्भण, सिंचाई तथा अन्य योजनाओं में रोजगार के अवसर पैदा करना

- \* आयोग ने रोजगार के अवसर पैदा करने वाली गतिविधियों से संबंधित उपक्रमों की संख्या नोट की जिनके बारे में आयोग ने निगरानी प्रणाली को कड़ा करने पर जोर दिया।

(च) जनस्वास्थ्य

- \* आयोग ने युवा महिलाओं तथा माताओं पर कुपोषण के हानिकारक और विध्वंसक प्रभाओं पर गौर किया, जिसके कारण नवजात शिशुओं के वजन में कमी की अप्रिय घटनाओं में वृद्धि होने के अलावा उनके संपूर्ण विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। आयोग ने सिफारिश की कि निगरानी समिति को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम उपाय करने चाहिए कि केबीके जिलों में युवा महिलाओं के लिए अपेक्षित आयरन तथा आयोडीन के प्रतिपूरक और विटामिन “ए” उपलब्ध करने के उपाय किए जाएं जो ऐसी अनावश्यक हानियों को रोकने के लिए आवश्यक थे।
- \* आयोग ने आगे यह भी कहा कि इन जिलों में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सर्वेक्षण किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराया जाए।



#### (iv) भूमि सुधार

- \* सुनवाई के दौरान आयोग के समक्ष यह भी उल्लेख किया गया था कि इन जिलों के सुखद भविष्य के लिए भूमि सुधार के जटिल मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिए। आयोग को इस सुझाव में दम नजर आया और उसने राज्य सरकार पर एक ऐसी समिति गठित करने के लिए जोर डाला जो इन जिलों में भूमि सुधार की कमी से उत्पन्न हुई मौजूदा परिस्थितियों को सुधारने, भूमि के हस्तांतरण, उत्प्रवास तथा ऐसी ही अन्य बुराइयों को दूर करने के उपाय सुझाए। आयोग ने इस समिति से तीन महीने की अवधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।
- \* आयोग का विचार है कि केवीके जिलों के संबंध में उठाए गए दीर्घकालीन मुद्दों को अभी स्थगित रखें तथा इन पर बाद में अलग से विचार किया जाए।

#### (v) लक्ष्मण सोमनाथ वर्मा की हिंदासतीय मौत : महाराष्ट्र

- \* कल्याण की जिला जेल के अधीक्षक ने आयोग को एक बत्तीस वर्षीय विचाराधीन कैदी लक्ष्मण सोम नाथ वर्मा की मृत्यु की रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया गया था कि श्री वर्मा को 30 नवम्बर, 1996 को जेल अस्पताल में आंतरिक रोगी के रूप में भर्ती कराया गया था और वह वहाँ 5 दिसम्बर, 1996 तक रहा बाद में उसे उल्हासनगर के सेन्ट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ 7 दिसम्बर, 1996 को उसकी मृत्यु हो गई।

आयोग ने नोट किया कि उस समय जिला जेल की दशा आशा के अनुरूप नहीं थी। जेल की प्राधिकृत क्षमता 540 कैदियों के लिए थी जबकि इसके दुगुने से भी ज्यादा कैदी वहाँ रखे गए थे। बताया गया है कि जेल में 10 बिस्तर वाला एक अस्पताल है। आयोग ने नोट किया कि जेल अस्पताल का चिकित्सा अधिकारी 2 दिसम्बर, 1996 से छुट्टी पर चला गया था जिसके परिणामस्वरूप जेल के 1300 कैदियों के लिए कई दिनों तक कोई डाक्टर उपलब्ध नहीं था। जब जेल का डाक्टर छुट्टी पर था तो कैदी को उल्हासनगर के सेन्ट्रल अस्पताल भेजा गया। वहाँ फेफड़ों की तपेदिक (टी.बी.) के कारण श्वास रुकने के परिणामस्वरूप 7 दिसम्बर, 1997 को उसकी मृत्यु हो गई।

आयोग के अन्वेषण दल द्वारा की गई जाँच से यह पता चला कि समय पर डाक्टरी उपचार करने में असावधानी करने के फलस्वरूप विचाराधीन बन्दी का स्वाथ्य गिरता गया और उसकी शीघ्र मौत हो गयी क्योंकि वह क्षयरोग से पीड़ित था।

आयोग ने कल्याण जिला कारागार के पदाधिकारियों द्वारा बरती गयी असावधानी और अपने



कर्तव्य को पूरा न करने को गम्भीरता से लेते हुए महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह विचाराधीन बंदी, लक्षण सोमनाथ वर्मा के निकट संबंधी को 25,000 रुपये का अंतरिम मुआवजा दे क्योंकि उसकी मृत्यु समुचित, तुरत और पर्याप्त डाक्टरी सुविधा प्रदान करने में असावधानी बरतने के कारण हुई थी।

(vi) काशगार में एक व्यक्ति की श्रम के कारण हुई मृत्यु के लिए मुआवजा : उत्तर प्रदेश

नियमानुसार विचाराधीन कैदी से कठोर श्रम नहीं कराया जा सकता, अतः आयोग ने उत्तरप्रदेश सरकार से मृतक श्री अशोक कुमार के अभिभावकों को 1 लाख रुपये अंतरिम हर्जाने के रूप में अदा करने के लिए कहा। अशोक कुमार, उपजेल प्राधिकारी, रुड़की के आदेश पर बोझा ले जा रहा था तभी चोट लगने के पश्चात् उसकी मौत हो गई।

अपने आदेश में आयोग ने कहा कि पीड़ित यद्यपि एक विचाराधीन कैदी था, उससे गेहूं की एक भारी बोरी जेल परिसर में स्थित आटा चक्की तक ले जाने के लिए कहा गया। बोझा ले जाते समय उसका पैर फिसल गया तथा गेहूं की बोरी ने उसकी कमर को बुरी तरह कुचल दिया। तथा उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि यह तथ्य इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है कि अशोक कुमार, जो कि एक विचाराधीन कैदी था और जिसे कठोर श्रम के कार्य पर नहीं लगाया जा सकता था, की मृत्यु का दायित्व और जवाबदेही राज्य सरकार पर है। डाक्टरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न करा पाने के लिए आयोग ने राज्य सरकार की आलोचना की और कहा कि प्रत्येक कैदी के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। उसकी हालत गंभीर होने के बावजूद भी उसे मेडिकल कालेज से छुट्टी दे दी गई और उसे वापस सार्वजनिक अस्पताल, रुड़की भेजा गया, जहाँ गंभीर केसों के उपचार की कोई सुविधा नहीं थी।

आयोग द्वारा नोटिस जारी होने पर प्राधिकारियों ने अपनी कार्रवाई को यह कहते हुए उचित ठहराने का प्रयास किया कि विचाराधीन कैदियों की सहमति से उन्हें कठोर श्रम पर लगाया जा सकता है। परन्तु अपने आदेश में आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं था कि अशोक कुमार से कभी कोई सहमति माँगी गयी जिसमें उसने स्वेच्छा से कठोर श्रम करने के लिए कहा हो। आयोग ने राज्य सरकार को मामले की जाँच कराने का आदेश दिया जिसके आधार पर जिम्मेदारी निर्धारित करके मुआवजे की राशि उन लोगों से वसूल कि जाए जो अशोक कुमार की मृत्यु के लिए उत्तरदायी हैं।

(vii) बालू कालू शैल्के की हिंदासतीय मौत : महाराष्ट्र

श्री बी० के० शेल्के, आयु 35 वर्ष को बम्बई निरोधक अधिनियम की धारा 66(सी) के अंतर्भृत अपराध संख्या 42/96 के संबंध में 28 जुलाई, 1996 को गिरफ्तार किया था और फिर 29 जुलाई,



1996 को उसे येरवंदा केन्द्रीय जेल पुणे में भेज दिया गया था। जेल में उसकी हालत गंभीर हो गई और 31 जुलाई, 1996 को उसे इलाज के लिए सासून जनरल अस्पताल भेजा गया था। 2 अगस्त, 1996 को अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु सिर में लगी चोटों के कारण हुई।

जब आयोग ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर विशेषज्ञ सम्मति प्राप्त करने के लिए उसे कॉरेन्सिक मेडिसिन विभाग, नई दिल्ली भेजा तब उन्होंने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं :

- (क) 3 अगस्त, 1996 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी चोटों की प्रकृति एन्टिमार्टम है और वे किसी बेडौल वस्तु को मारने से लगी हैं।
- (ख) चिकित्सा रिपोर्ट में दिन, समय और जांच निष्कर्ष के विवरण में काट-पीट और उपरिलेखन किया गया है।

पंचनामा रिपोर्ट भी अस्पष्ट थी क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण सूचना नहीं थी। फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और रिपोर्ट पर विशेषज्ञ की राय, दोनों ही ने यह संदेह और मजबूत कर दिया कि इस मामले में मृत्यु स्वाभाविक नहीं है। अतः आयोग इस तर्कसंगत निष्कर्ष पर पहुंचा कि बालू कालू शेल्के की मौत एन्टिमार्टम चोटों के कारण हुई है जो किसी भारी बेडौल हथियार के मारने से लगी हैं क्योंकि ये चोटें हिरासत के दौरान लगी थीं अतः वे जेल के स्टॉफ द्वारा ही मारी गई थीं।

उपर्युक्त परिस्थितियों में आयोग को यह स्वीकार करना कठिन था कि उसकी मौत आघात के कारण हुई और इसके बाद उसके सिर पर चोटें लगीं। अतः आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं :

- (i) महाराष्ट्र सरकार कानून सम्मत अन्य उपचारों पर ध्यान दिए बिना बालू कालू शेल्के के निकटतम। संबंधी को तत्काल अंतरिम राहत के रूप में 50,000 रुपये का भुगतान करे।
- (ii) जिस पुलिस के अधिकार क्षेत्र में यह मामला आता है वह इसे पंजीकृत करे और बाद में इस मामले को जांच पड़ताल के लिए राज्य की सी.आई.डी. को सौंप दे ताकि चोटें पहुंचाने वाले व्यक्तियों की पहचान की जा सके जिसके कारण शेल्के की मृत्यु हुई और जिन लोगों ने उसे मारा ओर मारने में सहायता की, उन सभी लोगों के खिलाफ आपराधिक कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। संपूर्ण जांच-पड़ताल का कार्य आठ सप्ताह के अंदर ही पूरा होना चाहिए।

महाराष्ट्र सरकार ने 50,000 रुपये के भुगतान की संस्वीकृति जारी कर दी है। भाग (2) में उल्लिखित निर्देश के अनुपालन की प्रतीक्षा है।



#### (viii) अटल बिहारी मिश्र की हिंदासतीय मौत : उत्तर प्रदेश

इस मामले का विवरण आयोग की वर्ष 1996–97 की वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। रिपोर्ट में लिखा था कि आयोग के हस्तक्षेप करने पर उक्त मामले में कई पुलिस कर्मियों को आरोपपत्रित किया गया।

इसके पश्चात् मृतक के बड़े भाई, श्री उमेश चन्द्र मिश्र ने एक अतिरिक्त आवेदन में यह प्रार्थना की कि चूँकि यह तथ्य प्रमाणित हो चुका है कि अटल बिहारी मिश्र पुलिस द्वारा मारे गए थे, अतः आयोग मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपये देने का निर्देश दे। साथ ही, उसने अपने परिवार को संरक्षण देने तथा परिवार के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का भी अनुरोध किया।

चूँकि प्रथम दृष्ट्या यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सामग्री थी कि अटल बिहारी मिश्र की मृत्यु पुलिस हिंसा के कारण हुई, अतः आयोग ने मुख्य सचिव उत्तरप्रदेश सरकार को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया कि मृतक के परिवार के सदस्यों को तर्कसंगत अंतरिम मुआवजा क्यों न दिया जाए। चूँकि राज्य सरकार ने स्वयं 'कारण बताओ नोटिस' के स्पष्टीकरण का अवसर नहीं मांगा है, अतः आयोग ने यह मान लिया है कि मृतक के परिवार के सदस्यों द्वारा अंतरिम मुआवजे का दावा करने के खिलाफ राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, इस संबंध में आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं:

- (i) उत्तरप्रदेश राज्य मृतक के पिता श्री सुरेश मिश्रा, निवासी गाँव प्रेम राजा, पुलिस थाना भीमपुरा, जिला बलिया को 5,00,000 रुपये की राशि अंतरिम मुआवजे के रूप में इस आदेश की तिथि से एक भाह के अंदर अदा करे परन्तु आश्रितों के व्यक्तिगत कानूनी अधिकारों के आधार पर नुकसान के लिए की गई कानूनी कार्रवाई से प्राप्त हर्जाने में अंतरिम मुआवजे की राशि का समायोजन होगा।
- (ii) श्री सुरेश मिश्रा के परिवार को उचित संरक्षण प्रदान किया जाए क्योंकि जिन पुलिस अधिकारियों और दूसरे लोगों के खिलाफ आरोप है वे प्रतिक्रिया स्वरूप हमला कर सकते हैं अथवा धमकियां दे सकते हैं।
- (iii) उत्तर प्रदेश सरकार को परिवार के इस अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए कि वह परिवार के किसी एक सदस्य को उसकी पात्रता और शैक्षिक योग्यता को देखते हुए अनुकंपा के आधार पर उपयुक्त पद पर नियुक्त करे।



आयोग की सिफारिशों उत्तर प्रदेश राज्य के पास भेज दी गई थी और 5 दिसम्बर, 1997 तक उनका अनुपालन करने के लिए कहा गया था। राज्य सरकार ने अपने पत्र दिनांक 28 दिसम्बर, 1997 के माध्यम से यह कहा था कि 21 पुलिसकर्मियों के खिलाफ श्री अटल बिहारी मिश्रा के कत्ल का मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलिया की अदालत में विचाराधीन है इसलिए आयोग की सिफारिशों/निर्देशों का अनुपालन केवल तभी संभव है जब दोषी पुलिस कर्मियों का अपराध सिद्ध हो जाए।

आयोग ने राज्य सरकार द्वारा अपनाए रुख पर विचार किया। इसके औचित्य के बारे में आयोग ने स्वयं यह जानना चाहा कि क्या मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 की उप धारा(3) में उल्लिखित 'तत्काल अंतरिम राहत' प्रदान करना आपराधिक कार्रवाई में सरकारी कर्मचारी का दोष सिद्ध होने पर निर्भर करता है अथवा यह उपचार ऐसी औपचारिकताओं से मुक्त है। चूंकि इस मामले के दूरगामी प्रभाव हैं, अतः दिनांक 23 फरवरी, 1996 को हुई आयोग की बैठक की कार्रवाई यथावत नीचे प्रस्तुत है:

"यह तथ्य सुस्थापित है कि दीवानी और फौजदारी (आपराधिक) मुकदमों के प्रमाण एक जैसे नहीं होते हैं। यह बात भी सही है कि दीवानी के मामलों में तथ्य को ही प्रमाणित मान लिया जाता है, परन्तु आपराधिक मामलों में प्रमाण को मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त नहीं समझा जाता। प्राधिकारियों का कथन है कि दीवानी और फौजदारी मुकदमों की कार्रवाई में प्रमाण के प्रभाव और महत्व में यह एक विशेष अंतर है। दीवानी मुकदमों में केवल प्रबल संभावना को ही प्रमाण का आधार मानकर उसका निर्णय किया जा सकता है, परन्तु आपराधिक मुकदमों में प्रमाण का अधिक विश्वसनीय होना आवश्यक है। फौजदारी मुकदमों में अभियोजन पक्ष को आरोप निस्संदेह सिद्ध करना पड़ता है। मुकदमे का समर्थन नहीं किया जा सकता, भले ही अभियोजन पक्ष की कहानी सही प्रतीत होती हो जब तक कि वह सही सिद्ध न हो जाए। सही हो सकती है और सही है के बीच निश्चय ही काफी दूरी है जिसे वैध, विश्वसनीय और अनारोप्य प्रमाणों द्वारा तय किया जाता है। इसलिए जब कोई अभियुक्त आपराधिक मामले में न्यायालय से आरोप मुक्त हो जाता है तब दीवानी न्यायालय द्वारा हजाने की मंजूरी में कोई रुकावट नहीं है, भले ही अपराध अनुचित है और केवल प्रबल संभावना के आधार पर उसे गलत सिद्ध करने के लिए प्रमाण मौजूद हैं।"

"उपर्युक्त के अलावा यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा मानव अधिकारों का हनन करने से पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके परिवार के सदस्यों को पहुंची छोट/हानि के लिए अधिनियम की धारा 18(3) में उल्लिखित तत्काल अंतरिम सहायता दी जायगी। तत्काल अंतरिम राहत देने के संबंध में यह तर्क किसी हालत में मान्य नहीं है कि यह राहत न्यायालय की कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद मिले अंतिम निर्णय में आरोप के सिद्ध होने पर निर्भर करती है। यदि इस दृष्टिकोण



को स्वीकार कर लिया जाए तब दी गई राहत न तो “तात्कालिक” होगी और न अंतरिम। इस उपबंध की अर्थपूर्ण और सुसंगत रचना में इस बात पर कोई संदेह नहीं होगा कि प्रथम दृष्ट्या मामला सही मालूम होने पर आयोग को उदार दृष्टिकोण अपनाने का अधिकार है, भले ही संबंधित मामले में दीवानी या फौजदारी का मुकदमा चल रहा हो।

‘वर्तमान मुकदमे में इस तथ्य की जानकारी मिली है कि राज्य की सीआईडी द्वारा किए गए अन्वेषण के फलस्वरूप लगभग 21 पुलिस अधिकारियों को कई गंभीर अपराधों के लिए आरोपणत्रित किया गया है और न्यायालय में उनके विरुद्ध मुकदमे चल रहे हैं। अधिनियम की धारा 18(3) के प्रावधनों का प्रयोग करने हेतु यह पर्याप्त संख्या है। उत्पीड़न शास्त्र, पीड़ित सहायता और संरक्षण मानवता के वर्तमान मूल्य हैं, जो आपराधिक न्याय के प्रशासन में फैले हुए हैं। विश्व के सभी सभ्य देशों में अपराध के शिकार व्यक्तियों को “आपराधिक क्षतिपूर्ति” के लिए किसी न किसी रूप में योजनाएं मौजूद हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18(3) में यह दर्शनशास्त्र कम से कम आंशिक मात्रा में अवश्य समाहित है और इसमें सरकारी कर्मियों द्वारा किए गए मानव अधिकार हनन के शिकार को रेखांकित किया गया है। कानून की भाषा में “सहायता” शब्द से यह आमास होता है कि संकट की स्थितियां पहले ही मौजूद हैं, इसे उदार हस्तक्षेप के रूप में तर्कसंगत ठहराया जा सकता है। ‘सहायता किसी भी रूप में हो सकती है जैसे कि वित्तीय सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुकंपा के आधार पर रोजगार आदि।’

“यह दोहराना आवश्यक है कि जब मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 बना तब संसद को यह जानकारी थी और हमेशा रही है कि देश में दीवानी और फौजदारी के कानून हैं। अधिनियम की प्रस्तावना में इस बात का उल्लेख है कि संसद मानव अधिकारों के उत्तम संरक्षण के लिए एक अतिरिक्त मंच प्रदान करने हेतु विंतित रही है। इसलिए इस बात पर बहस करना बेकार है कि दीवानी या फौजदारी न्यायालयों में चल रही कोई भी कार्रवाई लंबित अथवा अपेक्षित, विपदा के मामलों में ‘तत्काल अंतरिम राहत’ की सिफारिश करने के आयोग के अधिकार-क्षेत्र को प्रभावित या सीमित कर सकती है।”

“इसलिए ‘तत्काल अंतरिम राहत’ का विधार न्यायालय में अपराधी के आपराधिक दायित्व को पहले ही प्रमाणित मान लेना स्वीकार नहीं करता है। सहायता देने के लिए ऐसी कोई पूर्व शर्त नहीं है और न यह इस बात पर निर्भर करती है कि दीवानी मुकदमा न्यायालय में लंबित है अथवा भविष्य में शीघ्र चलाया जाने वाला है। यह नियम एक कल्याणकारी राज्य द्वारा बनाया गया है जो विपदा के समय अपने नागरिकों को राहत देना अपना दायित्व समझता है, विशेषकर उन लोगों को जो सरकारी कर्मियों द्वारा मानव अधिकार हनन के शिकार हुए हैं। किसी ज्ञात मामले में राज्य सरकारें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से उचित ‘तत्काल अंतरिम राहत’ देने के बारे में उसकी राय मांगती है और इस



सिफारिश के आधार पर राज्य कार्यवाई कर सकता है। आयोग की सिफारिशें निस्संदेह न्यायिक आदेश नहीं हैं, परन्तु उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती और उन्हें विपरीत और कानून के विरुद्ध भी नहीं ठहराया जा सकता। यह संवैधानिक राहत केवल उस मामले में सीमित हो जाती है जिसमें न्यायलय ने दोषी सरकारी कर्मी के आपराधिक दायित्व को निर्धारित कर दिया है। आयोग इस तथ्य की और संकेत करना चहता है कि इस मामले में सरकार द्वारा प्रस्तुत औचित्य का आधार प्रस्तुत औचित्य का आधार पूर्णत असंगत है।"

"यदि किसी राज्य को कल्याणकारी राज्य का दर्जा प्राप्त करना है तब धारा 18(3) में विधि के दर्शन का विकास करने और इसके लाभप्रद व परोपकारी उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए उदार दृष्टिकोण सुनिश्चित करना होगा। यदि ऐसी तत्काल अंतरिम राहत केवल तब दी जाए जब दोषी सरकारी कर्मी का अपराध न्यायालयी कार्रवाई के दौरान आपराधिक प्रमाणों के मानकों के आधार पर सिद्ध हो जाए। ऐसा दृष्टिकोण अपनाने से राहत का मानवीय पक्ष नष्ट हो जाता है। आयोग केवल यह विश्वास कर सकता है कि उत्तरप्रदेश सरकार चूंकि उन मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है, अतः वह कानून के संदेश और दर्शन के अनुसार कार्य करेगी और कल्याणकारी राज्य के दायित्व को पूरा करेगी।"

"आयोग के महासचिव उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखेंगे जिसके साथ इन कार्य-विवरणों की एक प्रति संलग्न की जाएगी। इस पत्र के माध्यम से उन्हें यह सूचित किया जाएगा कि इस मामले में सरकार आयोग की सिफारिशें इस आधार पर लागू करने से बच नहीं सकती कि धारा 18(3) के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी का दोष प्रमाणित हो जाना, इसकी एक पूर्व शर्त है। राज्य सरकार से यह आग्रह भी किया जाएगा कि इस प्रकार का अमान्य दृष्टिकोण न अपनाये ताकि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की स्थिति पैदा न हो।"

तदनुसार, इस मामले पर राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श हुआ है और उसकी अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ix) संघ बनाने का अधिकार : विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य संकाय सदस्यों को आंध्र प्रदेश नागरिक स्वतंत्रता समिति (एपीडीएलसी) से संबद्ध होने से शोकने के लिए राज्य सरकार के आदेश : आंध्र प्रदेश

आयोग को भारत और विदेश के गैर-सरकारी संगठनों और शैक्षिक संस्थानों से कई ऐसी शिकायतें मिली हैं जिनमें लिखा था कि आंध्र प्रदेश सरकार ने एक परिपत्र के माध्यम से प्राध्यापकों और अन्य संकाय सदस्यों को आंध्र प्रदेश नागरिक मुक्ति समिति से संबद्ध होने की मनाही का आदेश दिया है। आरोप था कि यह आदेश संस्था और राजनैतिक अधिकारों की स्वतंत्रता का उल्लंघन है।



प्रत्यक्ष रूप से उस नियम पर आधारित था जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर राजनैतिक कार्यों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। गैर-सरकारी संगठनों का कथन था कि मानव अधिकार संगठन की सदस्यता को राजनैतिक कार्य नहीं माना जा सकता।

आयोग ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दिये। आयोग से भेजे गये नोटिस के जवाब में सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार ने आयोग को सूचित किया कि सरकार पूरे मामले की समीक्षा करके यह निर्णय लिया है कि शिक्षा-विभाग, आंध्र प्रदेश द्वारा जारी परिपत्र के अनुसरण में आगे कारबाई न की जाए।

(x) हवालातों के उपलब्ध न होने पर गिरफ्तार व्यक्तियों के साथ अमानवीय व्यवहार : बिहार

यह शिकायत प्राप्त होने पर कि बिहार में पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार किया, आयोग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पटना के पास गौरिचक पुलिस स्टेशन का निरीक्षण किया। वहाँ पता चला कि सशस्त्र संघर्ष के जुर्म में गिरफ्तार श्री राजदेव सिंह, उम्र 65 वर्ष, को खम्भे के साथ रस्सी से बांधा गया था। पुलिस चौकी शहर से पंद्रह किलोमीटर दूर सिंचाई विभाग की एक टूटी-फूटी इमारत में स्थित थी और वहाँ हवालात की कोई सुविधा नहीं थी। आयोग को यह भी पता चला कि बिहार की उन पुलिस चौकियों में जहाँ उपयुक्त हवालातें नहीं हैं, अभियुक्त को प्रायः हथकड़ी डालकर रस्सी की सहायता से किसी खम्भे, पेड़ या खिड़की की दहलीज के साथ बांध दिया जाता है।

आयोग ने पहले भी राज्य में हवालातों की स्थिति के बारे में रिपोर्ट भेजने के लिए नोटिस जारी किए थे। तब बिहार सरकार ने सूचित किया था कि 263 पुलिस थानों में हवालातें नहीं हैं। ये पुलिस थाने गोदामों और अस्थायी निर्माणों में स्थित हैं। सरकार ने यह भी कहा कि इन पुलिस थानों द्वारा गिरफ्तार किए लोगों को निटवर्टी पुलिस थानों की हवालातों में रखा जाता है।

बिहार सरकार ने आयोग को यह सूचना दी है कि हवालात की सुविधा वाले नये पुलिस थानों के निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपयों की राशि का प्रावधान किया गया है और उनके निर्माण का कार्य बिहार पुलिस हाउसिंग बोर्ड को सौंपा गया है। आयोग इस मामले में हुई प्रगति पर नजर रखना चाहता है।

(xi) गैर-कानूनी गिरफ्तारी के पीड़ित को मुआवजा : पंजाब

श्री कुलदीप सिंह, निवासी गोल्डन पार्क दिल्ली ने आयोग से यह शिकायत की कि पंजाब पुलिस ने उसे 9 नवंबर, 1993 से 2 दिसम्बर, 1993 तक गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखा। शिकायत में कहा गया था कि उसे झूठे मामले में फँसाया गया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और



उसकी पिटाई की। आयोग ने इस मामले में पुलिस आयुक्त दिल्ली और मुख्य सचिव (गृह) पंजाब को नोटिस जारी किए। उनसे रिपोर्ट प्राप्त होने पर आयोग ने अपने आदेश दिनांक 2 जनवरी, 1996 द्वारा रिपोर्टों की प्रतियां शिकायतकर्ता के पास उसके उत्तर हेतु भिजवा दीं। शिकायतकर्ता के उत्तर में यह संकेत मिला कि वह रिपोर्टों से संतुष्ट नहीं है। अतः आयोग ने आगे कार्रवाई करने के लिए दिनांक 23 मई, 1996 को एक आदेश पारित किया जिसमें आयोग के अन्वेषण प्रभाग को मामले की जाँच करने, विवाद के वास्तविक कारणों का पता लगाने अथवा तंग करने के आरोप की सत्यता या असत्यता मालूम करने का निर्देश दिया। अन्वेषण प्रभाग की रिपोर्ट में यह स्पष्ट कर दिया कि 9 नवम्बर, 1993 से 2 दिसम्बर, 1993 तक गैरकानूनी हिरासत में रखने का शिकायतकर्ता का आरोप सही था। इसके परिणामस्वरूप पुलिसअधीक्षक, जग्रांव ने दोषी पुलिसकर्मियों, एक सहायक उप निरीक्षक और दो कांस्टेबलों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी। चूंकि गैर कानूनी हिरासत के लिए जिम्मेदार पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू हो चुकी थी, अतः आयोग ने इस बात पर बल दिया कि इसे शीध निपटाया जाए और संबंधित कार्रवाई रिपोर्ट को आयोग के पास भेज दिया जाए। इस तथ्य के संबंध में कि शिकायतकर्ता लगभग तीन सप्ताहों तक गैर कानूनी हिरासत से पीड़ित रहा, आयोग ने पंजाब राज्य सरकार से शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 10,000 रुपये की राशि देने की सिफारिश की। सरकार यदि चाहे तो इस राशि को गैर-कानूनी हिरासत के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों से वसूल कर सकती है। अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

#### (xii) पुलिस पदाधिकारी द्वारा उत्पीड़न : दिल्ली

आयोग ने 'राष्ट्रीय सहारा' में 18 दिसम्बर, 1996 को छपी इस खबर को स्वतः संज्ञान में ले लिया कि एक नाबलिग लड़के, सचिन, निवासी सागरपुर, दिल्ली को डाबरी पुलिस थाने के हैड कांस्टेबल ने बेरहमी से पीटा और उसे गंभीर अवस्था में राममनोहर अस्तपताल में दाखिल कराया गया। उसका जुर्म केवल इतना था कि वह 'गिल्ली डंडा' खेल रहा था और खेल के दौरान गिल्ली पुलिस सहायता बूथ के पास जा गिरी जहां पर हैड कांस्टेबल ने अपनी कुर्सी लगा रखी थी और वह उस पर बैठकर धूप सेंक रहा था। आयोग के निर्देशन पर इस मामले की जांच आयोग के अन्वेषण प्रभाग द्वारा की गयी, जिसने निम्न प्रकार सूचना दी:

'सचिन अपने दोस्तों के साथ अपने मामा के मकान के सामने की गली में गिल्ली डंडा खेल रहा था। खेल के दौरान अनजाने में गिल्ली हैड कांस्टेबल की कुर्सी के नीचे चली गयी। हैड कांस्टेबल उसी गली में स्थित पुलिस सहायता बूथ के बाहर धूप में बैठा था।'

लड़का हैड कांस्टेबल के पास गया और उससे गिल्ली लौटाने के लिए बार-बार अनुरोध किया। इस पर हैड कांस्टेबल ने नाराज होकर सबसे पहले लड़के को एक चांटा मारा और फिर



लड़का हैड कांस्टेबल के पास गया और उससे गिल्ली लौटाने के लिए बार-बार अनुरोध किया। इस पर हैड कांस्टेबल ने नाराज होकर सबसे पहले लड़के को एक चांटा मारा और फिर उसकी गर्दन पकड़ कर जमीन पर गिरा दिया। इसके फलस्वरूप उसका सिर जमीन तथा पुलिस सहायता केन्द्र की पटिया से जा टकराया। बाद में, लड़का बेहोश हो गया और इस बीच कई लोग, जिनमें लड़के के परिवार वाले भी शामिल थे, वहाँ इकट्ठे हो गये और उन्होंने स्थानीय पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। कुछ देर बाद उस क्षेत्र के एसएचओ (पुलिस निरीक्षक) और एसीपी (सहायक पुलिस आयुक्त) भी वहाँ पहुंच गये। इसके पश्चात लड़के के रिश्तेदारों ने उसको राममनोहर लोहिया अस्पताल में दाखिल कराया और अगले दिन उसकी छुट्टी कर दी गई।

आयोग का मानना था कि यह मामला एक अत्यंत गैर-जिम्मेदार पुलिस अधिकारी से संबंधित है जिसने अकारण एक खेल रहे लड़के की पिटाई की है। अतः लड़के के सिर पर लगी गंभीर चोट को देखते हुए आयोग ने हैड कांस्टेबल के विरुद्ध उपयुक्त आरोप लगाकर इस मामले को न्यायालय में कार्रवाई हेतु पेश करने की सिफारिश की है।

इसके अतिरिक्त आयोग ने यह भी देखा कि पीड़ित को इस मामले में कोई हर्जना नहीं दिया गया। अतः उसने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को सचिन के लिए अंतरिम मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये के भुगतान हेतु कारण—बताओ नोटिस जारी किया। मुआवजे की यह राशि उसके पिता के पास सावधि जमा के रूप में रहेगी क्योंकि वही उसके स्वाभाविक संरक्षक हैं। यह राशि उनके पास तब तक रहेगी जब तक कि वह बालिग नहीं हो जाता। परन्तु उस पर मिलने वाला ब्याज पिता को लड़के की शिक्षा और अन्य कल्याणकारी कार्यों पर खर्च करने के लिए दिया जाएगा।

आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि लड़के का इलाज राज्य सरकार के खर्च पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कराया जाए और सभी प्रकार की आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सीय सहायता भी दिल्ली सरकार उसे उपलब्ध कराए। अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

#### (xliii) गैर-कानूनी गिरफ्तारी : दिल्ली

दिनांक 23 जून, 1995 को दिल्ली उच्च न्यायालय के एडवोकेट श्री आई० आर० सिंह से आयोग को एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप था कि तीन व्यक्ति श्री धनराज, श्री अमर सिंह और श्री रैसुददीन, निवासी डीडीए फ्लैट्स, माता सुंदरी रोड, नई दिल्ली दिनांक 22 जून, 1995 को प्रातः 8 बजे पुलिस थाना प्रीत विहार, शाहदरा की पुलिस द्वारा उस समय गिरफ्तार किए गए जब वे सड़क पर टहल रहे थे। परन्तु गिरफ्तार करने के बाद उन्हें 24 घंटों के अंदर न्यायालय में पेश नहीं किया गया, जिसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में प्रावधान है।



गिरफ्तार किया था, परन्तु उनकी गिरफ्तारी रिकार्ड में 24 जून 1995 को दिखाई गयी थी और उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने 25 जून, 1995 को पेश किया दर्शाया गया था।

इस मामले पर दिल्ली के पुलिस आयोग से पत्र व्यवहार किया गया जवाब में पुलिस उपायुक्त (सतर्कता) ने सूचित किया कि उक्त अभियुक्त दिनांक 24 जून, 1995 को गिरफ्तार किए गए थे। अन्वेषण प्रभाग ने मामले की आगे पूछताछ करने के लिए संबंधित सहायक उपनिरीक्षक, पुलिस थाना प्रीत विहार और उपर्युक्त नामित व्यक्तियों को जो गिरफ्तार हुए थे, सम्मन भेजे और उन सभी के बयान दर्ज किए। जाँच-पड़ताल करने पर यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि इस मामले में पुलिस ने दिनांक 22 जून, 1995 की शाम को गिरफ्तारियां कीं परन्तु अपने रिकार्ड में उन्हें 24 जून, 1995 को गिरफ्तार दिखाया था। यह निष्कर्ष भी इस तथ्य पर आधारित था कि आयोग को शिकायत दिनांक 23 जून, 1995 को प्राप्त हुई थी और वास्तव में उसी तारीख को प्रेषित भी की गई थी। यदि गिरफ्तारी दिनांक 24 जून, 1995 को हुई होती तो श्री आई. आर. सिंह शिकायत लेकर 23 जून, 1995 को आयोग के पास नहीं पहुंच सकते थे। यह कहना ज्यादा ही होगा कि श्री सिंह अपनी संभावित गिरफ्तारी रोकना चाहता था।

आयोग ने पाया कि इन तीनों व्यक्तियों की दो से अधिक दिनों तक की गैर कानूनी हिरासत सूक्ष्मतापूर्वक जांच करने योग्य है। आयोग ने जब पुलिस आयुक्त से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी तब भी पुलिस उपायुक्त (सतर्कता) ने कोई सार्थक जांच नहीं कराई थी और गिरफ्तारी के बारे में पुलिस का बचाव करने के दृष्टिकोण से एक असत्य रिपोर्ट दी थी।

आयोग ने सिफारिश की कि इन व्यक्तियों की गैर-कानूनी हिरासत से संबंधित कर्मियों के विरुद्ध भी, जिन्होंने वास्तविक गिरफ्तारी के दो दिन बाद की गिरफ्तारी दर्शाने के लिए पुलिस रिकार्ड में फेर बदल की है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। पुलिस आयुक्त से यह अनुरोध भी किया गया कि आरोपी कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने से पूर्व उन्हें इस संबंध में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने और अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत करने का एक अवसर दिया जाए। चूंकि यह मामला गलत ढंग से हिरासत में रखने का था जिससे इन तीनों व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों की संभावना की प्रबलता के आधार पर हनन सिद्ध हुआ, अतः आयोग ने दिल्ली सरकार से प्रत्येक व्यक्ति को 5,000 हजार रुपये की राशि अंतरिम मुआवजे के रूप में भुगतान करने की सिफारिश की, बशर्ते कि उनके निजी कानूनी अधिकार भी प्रभावित न हों। यदि भुगतान की अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं होती तब इस मामले में मुआवजे का भुगतान करने के संबंध में की गई सिफारिश अंतिम होगी।

दिल्ली सरकार ने आयोग से अनुरोध किया है कि उसे इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का एक अवसर दिया जाए, जिसको आयोग ने मान लिया है।



#### (xiv) भारतीय जेलों में बंद विदेशी नागरिकों की रिहाई

श्री सजवार खां और घार अन्य व्यक्तियों से, जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, आयोग को एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उन्हें राजस्थान सरकार ने धारा 100 आ०दंड०सं० के अंतर्गत अवैध और असंवैधानिक रूप से राजस्थान की विभिन्न जेलों में कैद कर रखा है। आयोग ने इस मामले को संज्ञान में लिया और राजस्थान सरकार तथा केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किए।

विदेश मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 24 दिसम्बर, 1997 के माध्यम से सूचित किया कि सरकार ने श्री सजवार खां को उसकी वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुए उसके देश भेज देने का निर्णय लिया है।

#### (xv) पेरिन उपमंडल में 29 बस यात्रियों की हत्या : नागालैंड

असम राज्य मानव अधिकार आयोग से मिली सूचना के आधार पर इस मामले में कार्रवाई शुरू की गई। यह घटना उस समय हुई जब दीनापुर जा रही यात्री बस को उग्रवादियों ने धेर लिया और यात्रियों पर अंधारुद्ध गोलियां बरसाईं। इस घटना में 29 यात्री मारे गए। नोटिस जारी होने पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में इस बात पर कोई विवाद नहीं था कि ये मौतें उग्रवादियों की हिंसक कार्रवाइयों के कारण हुई हैं। रिपोर्ट की जांच करने पर आयोग ने यह निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत समझा कि राज्य सरकार निर्दोष नागरिकों के जीवन की सुरक्षा करने में विफल रही है। उसे यह भी मालूम हुआ कि राज्य सरकार ने स्वयं मृतकों के आश्रितों को 10,000 रुपये, गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 5,000 रुपये और मामूली रूप से घायल व्यक्तियों को 2,500 रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए मंजूरी दे दी है।

आयोग ने महसूस किया कि प्रत्येक मृतक के परिवार को सहायता के रूप में 10,000 रुपये का स्वीकृत भुगतान पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसने राज्य सरकार की इस सहायता राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर देने की सिफारिश की और इस घटना में मारे गये सभी 29 व्यक्तियों के परिवारों को इसी सिफारिश के अनुसार भुगतान किया जाए।

नागालैंड की राज्य सरकार ने सूचित किया कि 1.4.1998 तक 28 मृतकों के प्रत्येक निकटतम संबंधी को 50,000 रुपये की सहायता राशि का भुगतान किया जा चुका है।

#### (xvi) पुलिस ने कार्रवाई नहीं की : जम्मू और कश्मीर

श्री बलराजपुरी से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया था कि सुरक्षा बल के एक



#### (xvi) पुलिस ने कार्रवाई नहीं की : जम्मू और कश्मीर

श्री बलराजपुरी से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया था कि सुरक्षा बल के एक कर्मी ने उसके नाबालिग पुत्र के साथ बिना बात अथवा बिना किसी औचित्य के दुर्व्यवहार किया और हाथापाई की और बाद में संबंधित पुलिस थाने के एस०एच०ओ (पुलिस निरीक्षक) ने घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया।

सीमा सुरक्षा बल के कर्मी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के लिए सी०सु०बल के प्राधिकारियों ने संबंधित कर्मी के खिलाफ उचित कार्रवाई की और इस घटना के लिए श्री पुरी से अपना खेद व्यक्त किया।

शिकायत के दूसरे पक्ष पर, जिसमें पुलिस निरीक्षक ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया था, जम्मू और कश्मीर सरकार से रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया। चूँकि सरकार ने नोटिस जारी करने और बाद में कई स्मरण पत्र भेजने के बावजूद कोई उत्तर नहीं दिया, अतः आयोग ने वहां के मुख्य सचिव को सम्मन जारी करने का निर्णय लिया। इसके उत्तर में जम्मू और कश्मीर सरकार की ओर से वहां के अतिरिक्त मुख्य सचिव पेश हुए और श्री पुरी की उपस्थिति में उन्होंने खेद व्यक्त किया कि श्री पुरी के पुत्र की शिकायत दर्ज न करना पुलिस की एक गलती थी। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन के प्रमुख को सलाह दी गई है कि वे इस कमी को ठीक करें और गलतियों को सुधारने के लिए उचित कार्रवाई करें।

#### (xvii) पुलिस द्वारा गैर-कानूनी गिरफ्तारी/उत्पीड़न—श्री बाबा खान की शिकायत : राजस्थान

कोटा निवासी श्री बाबा खां से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें पुलिस द्वारा की गई गैर-कानूनी हिरासत और उत्पीड़न का आरोप था। शिकायत में लिखा था कि पुलिस उसे और उसके दो सालों को जबरदस्ती पकड़कर ले गई, उन्हें गैरकानूनी ढंग से हिरासत में रखा और उनका उत्पीड़न किया। आयोग ने शिकायत को संज्ञान में लिया और मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक, राजस्थान से इस संबंध में एक रिपोर्ट देने को कहा। राज्य पुलिस द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया कि आरोप मिथ्या और आधारहीन हैं। इससे संतुष्ट न होने पर आयोग ने इस मामले की जाँच अपने अन्वेषण प्रभाग द्वारा कराने के निर्देश दिये। अन्वेषण प्रभाग के निष्कर्षों से यह बात स्पष्ट हो गई कि गैर कानूनी हिरासत और उत्पीड़न के आरोप प्रथम दृष्ट्या सही हैं। तदनुसार आयोग ने तीनों पीड़ितों के लिए मुआवजे की राशि का भुगतान इस प्रकार करने की सिफारिश की : (1) श्री बाबा खां को 15,000 रुपये (2) श्री मिर्जा खां को 30,000 रुपये और (3) श्री युसुफ इरानी को 5,000 रुपये। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि राज्य सरकार को दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अन्वेषण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को ध्यान में रखा जाए। अब राजस्थान



सरकार ने आयोग की सिफारिशों का अनुपालन कर दिया है और पीड़ितों को मुआवजे की राशि का भुगतान कर देने के बारे में सूचना भेज दी है।

(xviii) गैर-कानूनी गिरफ्तारी के लिए मुआवजा—श्री रणवीर यादव की शिकायत : उत्तर प्रदेश

आयोग को तार द्वारा रणवीर यादव से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप था कि पुलिस उसके भाई रामबीर यादव को लाल कुआं, गाजियाबाद स्थित उनकी दूध की डेयरी से दिनांक 23 अप्रैल, 1996 को जबरदस्ती पकड़ कर ले गई और राजपाल नाम के किसी व्यक्ति के कत्तल के संबंध में पूछताछ करने के लिए गैरकानूनी ढंग से 27 अप्रैल, 1996 तक हिरासत में रखा। आयोग ने इस शिकायत को अपने संज्ञान में लिया।

आयोग के निदेशों के अनुसरण में, अन्वेषण प्रभाग ने इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद से रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट में यह कहा गया कि श्री रामबीर यादव को दिनांक 27 अप्रैल, 1996 को इस संबंध में पुलिस थाने में बुलाया था और फिर उसी दिन उसे वापस भेज दिया था। जब पुलिस के जवाब को शिकायतकर्ता के पास भेजा गया तो उसने इसका खंडन किया और अपने आरोप को पुनः दोहराते हुए कहा कि पुलिस उसके भाई को 23 अप्रैल को पकड़ कर ले गई थी और खाली कागज पर उसके हस्ताक्षर करा लेने के बाद उसे 27 अप्रैल, 1996 को छोड़ दिया था। इन परिस्थितियों में आयोग ने अपने अन्वेषण प्रभाग को मौके पर जाकर जांच करने का निर्देश दिया। अपने अन्वेषण प्रभाग की रिपोर्ट के आधार पर आयोग इस तथ्य से संतुष्ट था कि यह एक गैर कानूनी हिरासत का मामला है, जिसमें मुआवजा दिया जाना चाहिए। अतः आयोग ने पीड़ित को 10,000 रुपये मुआवजा के रूप में भुगतान करने की सिफारिश की और पुलिस महानिरीक्षक भेरठ को निर्देश दिया कि इस मामले की जांच कराई जाए और गैर-कानूनी हिरासत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। पुलिस महानिरीक्षक, भेरठ ने मामले की जांच की और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की और मुआवजे की राशि दोषी पुलिस कर्मियों से वसूल करने की अनुमति आयोग से मांगी।

(xix) असी घाट, वाराणसी में लैनात पीएसी कार्मिकों की मनमानी के पीड़ितों को मुआवजा : उत्तर प्रदेश

आयोग ने “पायनिअर समाचार पत्र” में दिनांक 5 अगस्त, 1997 को छपी इस खबर को स्वतः संज्ञान में ले लिया जिसका शीर्षक था : “पीएसी जवानों का विद्यार्थियों पर आक्रोश”। आयोग ने वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी करने के लिए कहा और अपने अन्वेषण प्रभाग को घटनास्थल पर जाकर जांच करने का निर्देश दिया। अन्वेषण प्रभाग की रिपोर्ट की पुष्टि राज्य की सी.आई.डी. द्वारा की गई निष्पक्ष जाँच से हुई जिसमें अत्यधिक ज्यादती के बारे में लिखा था कि पी.ए.



सी. जवानों ने उन लोगों के एक समूह को गलत ढंग से धेर कर उनके साथ मार-पीट की जो वहाँ अपने एक मित्र की शैक्षिक उपलब्धि पर बधाई देने के लिए जमा हुए थे। वास्तव में राज्य की सी.आई.डी. ने अपनी जाँच पूरी करने के बाद पी.ए.सी के 28 जवानों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता के अधीन विभिन्न अपराधों के लिए आरोप पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी के न्यायालय में पेश किया।

हमले की अनुत्तेजक प्रकृति और गलत धेराव, पीड़ितों के शरीर पर लगीं चोटों की गंभीरता, प्रकृति, सीमा और डॉक्टरी इलाज का अनुमानित खर्च, शारीरिक विकलांगता की संभावना, इंद्रियों की शक्ति का ह्रास और वास्तव में तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सत्यनिष्ठा का हनन, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 की उप धारा (3) में किए गए प्रावधान के अनुसार पीड़ितों को “तत्काल अंतरिम राहत” देने की सिफारिश की और प्रत्येक पीड़ित को 10 हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक की राशि मुआवजे के रूप में भुगतान करने की सिफारिश की। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब यह पुष्टि कर दी है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने पीड़ितों को आयोग के निर्देशानुसार अंतरिम राहत का भुगतान करने हेतु संस्थीकृति का अनुमोदन कर दिया है।

#### (xx) बिक्रम लामा की हिरासतीय मौत : अरुणाचल प्रदेश

आयोग के 1993 के इन स्थाई निर्देशों के अनुसरण में कि हिरासतीय मौत के हर मामले की सूचना आयोग को 24 घण्टों के भीतर दी जाए, उप-पुलिस महानिरीक्षक, अरुणाचल प्रदेश ने बिक्रम लामा की हिरासतीय मौत की सूचना आयोग को दिनांक 18 जून, 1996 को दी थी। आयोग के नोटिस जारी करने पर इस मामले से संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा की गयी जाँच रिपोर्ट, इन्क्वेस्ट रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतियाँ प्राप्त हुई थीं। रिकार्डों की जाँच करने पर यह मालूम हुआ कि बिक्रम लामा को दिनांक 18 जून, 1996 को चोरी करने के संदेह में पुलिस थाने लाया गया था। बाद में सफाई की ड्यूटी पर तैनात कॉन्सटेबल ने यह सूचना दी कि बिक्रम लामा चमड़े की बैल्ट से टायलेट में लटका हुआ है और बैल्ट दरवाजे के हैंडल से जुड़ी है। वह मृत पाया गया।

इन्क्वेस्ट (पंचनामा) के समय उसका शरीर पूरी तरह विघटित अवस्था में मिला था। शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लेख था कि लटक कर आत्महत्या करने से मौत हुई। संभव है बिक्रम लामा ने अपनी बैल्ट से स्वयं को बांधकर दरवाजे के हैंडल से जोड़ लिया हो। परन्तु दरवाजे का हैंडल फर्श से केवल एक मीटर से कुछ अधिक (3 फुट 6 इंच) की ऊंचाई पर था, अतः आयोग को यह विश्वास करना कठिन हो गया कि मृतक स्वयं लटक गया होगा। आयोग को यह भी पता चला कि शव के विघटन के कारण, पंचनामा में हुए विलंब के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया था।



राज्य सरकार की जांच रिपोर्ट में कहा गया था कि थाने में पुलिसकर्मियों ने लापरवाही बरती और मृतक को बेल्ट सहित सेल (कक्ष) में ही पड़ा रहने दिया। इसमें यह भी लिखा था कि पुलिस अधिकारियों के आचरण के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करके नियमानुसार दंडित किया जाएगा। जांच अधिकारी का निष्कर्ष था कि भौत पुलिस के उत्पीड़न के कारण नहीं हुई और यह आत्महत्या का मामला है। आत्महत्या संबंधित पुलिसकर्मियों की लापरवाही के कारण हुई।

यद्यपि जांच अधिकारी ने इसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आत्महत्या का मामला बताया। परन्तु आयोग को उस रिपोर्ट पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उसने इस तथ्य पर अधिक ध्यान दिया कि मृतक दरवाजे के उस हैण्डल से स्वयं को कैसे लटका सकता है जो फर्श से केवल एक मीटर से थोड़ी अधिक ऊंचाई पर स्थित था। आयोग का मानना था कि यह मामला हिरासतीय भौत का है जिसके लिए संबंधित पुलिसकर्मी जिम्मेदार हैं। तदनुसार, आयोग ने मृतक के आश्रितों को अंतरिम राहत के रूप में 50,000 रुपये की राशि का 6 सप्ताह के अंदर भुगतान करने की सिफारिश की और राज्य सरकार को यह छूट भी दी कि यह राशि संबंधित पुलिस कर्मियों से वसूल की जा सकती है।

#### (xxi) पुलिस उत्पीड़न और एक आपराधिक मामले में झूठे तौर पर फंसाया जाना : हटियाणा

शिकायतकर्ता श्री शेर मोहम्मद खाँ का आरोप था कि दिनांक 8 मार्च, 1996 को एसएचओ पुलिस थाना सदर, गुडगांव तथा 4-5 पुलिस कॉन्स्टेबल और कुछ अन्य लोगों के साथ जबरदस्ती उसके घर में धुस गए और उसे लाठियों द्वारा बेरहमी से पीटा जिसके कारण उसके हाथ और पीठ पर ढोंगे लगीं। इसके बाद उसे सदर के पुलिस थाने में ले गए जहां पर उसे फिर कम्बल लपेट कर पीटा गया जिससे उसकी टाँग टूट गई। शेर मोहम्मद खाँ ने स्वयं सरकारी अस्पताल, गुडगांव में अपनी डाक्टरी जाँच कराई। उसका यह भी आरोप था कि उसे झूठे ही एक आपराधिक मामले में धारा 448/506 भा.दं.सं. के अधीन फंसाया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार एसएचओ की यह गैर-कानूनी कार्रवाई उस पर यह दबाव डालने के लिए गई कि वह “ग्रुप हाउसिंग सोसायटी” के कुछ सदस्यों के खिलाफ अपनी शिकायत वापस ले और अपने विरोधी के पक्ष में जमीन के प्लाट का विवाद सुलझा ले। शिकायतकर्ता का यह भी आरोप था कि इस मामले में पुलिस अधीक्षक, गुडगांव भी शामिल हैं।

नोटिस जारी होने पर पुलिस महानिदेशक गुडगांव ने एक रिपोर्ट प्रेषित की जिसमें शिकायतकर्ता की एसएचओ द्वारा की गई पिटाई की पुष्टि तो की थी, परन्तु उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी क्योंकि शिकायतकर्ता ने पुलिस निरीक्षक के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर कर दी है।



आयोग ने उस रिपोर्ट पर विचार किया और उसका मानना था कि एसएचओ और दोषी पाए गए अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाने अथवा विभागीय कार्रवाई शुरू करने पर कोई कानूनी रोक नहीं हैं। वास्तव में पुलिस प्राधिकारियों ने यह बात स्वयं मालूम की थी कि उसकी कार्रवाइयां गैर-कानूनी थीं और उसने अपने अधिकार का दुरुपयोग एक सिविल केस में शिकायतकर्ता पर दबाव डालने के लिए किया ताकि वह अपने विरोधी की शर्तों पर विवाद का निपटारा कर सके। आयोग का मत था कि जब पुलिस को यह मालूम है कि एसएचओ तथा अन्य लोगों का आचरण गैर-कानूनी था, जो गंभीर दुराचरण की श्रेणी में आता है, जिसके लिए कानूनन दण्ड दिया जा सकता है, तब शिकायतकर्ता द्वारा एसएचओ तथा अन्य के खिलाफ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करना पुलिस प्राधिकारियों के लिए कोई बंधन नहीं है और इस मामले में कार्रवाई न करने के लिए उन्हें विवश नहीं किया जा सकता। उसने इस बात पर जोर दिया कि जब पुलिस के कार्रवाई करने पर कोई न्यायिक रोक नहीं है तब दुराचरण संबंधी ऐसी कार्रवाइयों पर ध्यान न देना और उपयुक्त जाँच-पड़ताल न करना, अपनी ड्यूटी न निभाना ही माना जाएगा।

तदनुसार, आयोग ने सिफारिश की कि एसएचओ पुलिस थाना सदर, गुडगांव तत्कालीन पुलिस अधीक्षक और अन्य लोगों के खिलाफ, जो इस मामले में शामिल हैं, अपराध दर्ज किया जाए और फिर राज्य की सीआईडी से उसकी जांच कराई जाए। आयोग ने आगे यह सिफारिश की कि पुलिस उस न्यायालय को यह सूचित करे कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है जिसने निजी शिकायत के मामले को धारा 210 अ.दं. संहिता के अधीन स्वीकार किया है पुलिस महानिदेशक, गुडगांव को यह निर्देश भी दिया कि संबंधित पुलिस अधिकारियों का निलंबन आवश्यक, वांछनीय और परामर्शपूर्ण है ताकि अभियुक्त जाँच-पड़ताल में कोई फेर-बदल न करा सकें और शिकायतकर्ता तथा गवाहों को परेशान न करना भी सुनिश्चित करें। आयोग ने सिफारिश की कि तत्काल अंतरिम राहत के रूप में हरियाणा सरकार शिकायतकर्ता को 25,000 रुपये की राशि का भुगतान करे।

सारांश में, हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से अनुपालन रिपोर्ट भी माँगी गई।

#### (xxii) अवयवकर्त्तों के जाय बलात्कार और उनकी मृत्यु : राजस्थान

“साक्षी” नामक दिल्ली के एक गैर-सरकारी संगठन ने आयोग को सूचित किया कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय जिला वित्तीडगढ़, राजस्थान के एक अध्यापक ने स्कूल की बालिकाओं के साथ बलात्कार किया। आरोप था कि अध्यापक ने 14 से 16 वर्ष तक की 9 स्कूली लड़कियों के साथ बलात्कार किया है। अभियुक्त ने यह अपराध गुप्त ढंग से किया और किसी भी लड़की ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई। तीन लड़कियाँ गर्भवती हो गईं और दो ने गर्भपात कराया। तीसरी लड़की ने अपने गर्भ को छिपाने की कोशिश की परन्तु जब उसके माँ-बाप को यह बात पता चला



तो उस लड़की के पिता ने पुलिस थाने जाकर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। जब अभियुक्त को रिपोर्ट दर्ज कराने की बात पता लगी तो वह भाग गया। “साक्षी” ने आयोग से इसकी विस्तृत जाँच-पड़ताल कराने का इस उद्देश्य से अनुरोध किया ताकि अभियुक्त की गिरफतारी हो और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। गैर-सरकारी संगठन ने आयोग की जाँच में अपना सहयोग देने की भी पेशकश की।

आयोग ने इस मामले को संज्ञान में लेकर मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, राजस्थान को नोटिस जारी किए। इसके अतिरिक्त उसने अपने अन्वेषण प्रभाग को तथ्य एकत्रित करने के लिए निर्देश भी दिया।

राजस्थान सरकार की ओर से एक रिपोर्ट सौंपी गई जिसमें स्पष्ट किया गया था कि अभियुक्त के खिलाफ बलात्कार का मामला 376 भा.द. संहिता के अधीन दर्ज किया है और दिनांक 22 मई, 1997 को उसे गिरफतार कर लिया गया है। आयोग की अन्वेषण टीम ने मामले की व्यापक जाँच की और इसकी रिपोर्ट आयोग को सौंपी।

सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने सिफारिश की कि अभियुक्त के मुकदमे का सतर्कतापूर्वक शीघ्र निपटारा किया जाए और पुलिस में शिकायत करने वाले को एक लाख रुपए का हजारिना दिया जाए। आयोग ने गैर-सरकारी संगठनों साक्षी, प्रयास और कर्णिनगर विकास समिति होम के पदाधिकारियों द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा का रिकार्ड में उल्लेख किया। साथ ही, आयोग ने कलेक्टर, श्री संजय मल्होत्रा और पुलिस अधीक्षक श्री निवास राव जंग द्वारा पीड़ित की सहायता हेतु समयबद्ध और प्रभावकारी हस्तक्षेप करने और दोषी को गिरफतार करने के कार्य की भी प्रशंसा की।

#### (xxiii) पुलिस उत्पीड़न और मृत्यु : राजस्थान

आयोग ने अखबार में छपी इस खबर को संज्ञान में लिया जिसमें हुसैन तेली की मौत के बारे में यह लिखा था कि प्रहलाद यादव के कत्ल के बारे में उसे पूछताछ के लिए पुलिस थाना बोन्ली, राजस्थान में ले गए थे और आरोप था कि पुलिस उत्पीड़न के कारण उसकी मौत हो गई।

आयोग ने अपने अन्वेषण प्रभाग को मामले की जाँच करने का निर्देश दिया। तदनुसार, मामले की जाँच की गई और उसकी रिपोर्ट आयोग को सौंप दी, जिसमें लिखा था कि पुलिस की पूछताछ में उत्पीड़न के कारण उसकी मौत हुई और पुलिस ने अपने कुकूत्यों को छिपाने के लिए हुसैन तेली के शव को असामान्य परिस्थितियों में दफना दिया।

आयोग को इस सूचना की जाँच करने पर मालूम किया कि हुसैन तेली को पूछताछ के लिए



पुलिस थाने बुलाया था और वहा उसे गैर-कानूनी ढंग से हिरासत में रखा। चूँकि हुसैन तेली पुलिस हिरासत से छूटते ही दूसरे दिन मर गया और यह देखा गया कि तब उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। इसलिए उसकी मौत और पूछताछ के दौरान पुलिस के आचरण के बीच एक संबंध था। यद्यपि, इन्क्वेस्ट रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी बाहरी चोट के बारे में नहीं लिखा था, परन्तु परिस्थितियां यह संकेत कर रही थीं कि उसे गैर-कानूनी ढंग से हिरासत में रखा और पुलिस की पूछताछ के दौरान उसे उत्पीड़ित किया गया।

आयोग ने यह देखा कि यद्यपि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कदम उठाए गए हैं और केस भी दर्ज कराया गया है, परन्तु उसका मत था कि आश्रितों को मुआवजा दिलाने का यह एक उचित मामला है। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने मृतक हुसैन तेली के आश्रितों के लिए 50,000 रुपये की अंतरिम राहत का भुगतान करने की सिफारिश की। राज्य सरकार ने अब आयोग की सिफारिशों का अनुपालन कर दिया है।

(xxiv) कुइडालौर बार एसोसिएशन के लद्दाख श्री ए. राम सिंह के उत्पीड़न के मामले में आयोग की सिफारिशों का अनुपालन : तमिलनाडु

इस मामले का विस्तृत व्यौरा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट (1996–97) में दिया गया था उसमें लिखा था कि आयोग ने मद्रास उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि राज्य सरकार को उचित निर्देश दिए जाएं क्योंकि वह उत्पीड़न के पीड़ित को मुआवजे का भुगतान करने के संबंध में आयोग की सिफारिश का अनुपालन करने में विफल रही है। आयोग ने यह भी सूचित किया था कि उक्त मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

उच्च न्यायालय ने दिनांक 19 फरवरी, 1998 के अपने निर्णय में सरकार को आदेश दिया कि वह आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार श्री रामसिंह के लिए मुआवजे की राशि का भुगतान करे और आयोग की सिफारिश की तिथि से भुगतान की तिथि तक उक्त राशि पर 18 प्रतिशत का ब्याज भी दे। न्यायालय ने अपने आदेश में इस मामले में अपनाए गए राज्य सरकार के रुख की निन्दा की और आयोग को मुकदमे की लागत का भुगतान करने का आदेश दिया। साथ ही, यह निर्देश भी दिया कि राज्य सरकार को इन राशियों की वसूली इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों से करने का अधिकार है।

न्यायालय के इन आदेशों का मीडिया ने काफी प्रचार-प्रसार किया। आयोग ने भी उच्च न्यायालय के इन आदेशों की ओर अन्य राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया ताकि उन्हें यह मालूम पड़ जाए कि आयोग की सिफारिशों पर अमल करना ही एकमात्र विकल्प है।



## 15. बाहरी दलों और संगठनों से पारस्परिक बातचीत

15.1 आयोग ने न केवल दिल्ली रिथ्ट राजनीयिक संगठनों के सदस्यों के साथ व्यापक संवाद जारी रखे बल्कि विदेशों से आने वाले शिष्टमंडलों से भी विचार-विमर्श किया। आयोग का मत है कि इस प्रकार के संवादों से देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों से जुड़े मामलों को भलीभांति समझने में सहायता मिलती है। आयोग ने अपने मुख्यालय में जर्मन सांसदों के एक शिष्टमंडल, डेनिश विदेश मंत्रालय के एक शिष्टमंडल, दिल्ली रिथ्ट यू-ट्रोइका (आयरलैण्ड, नीदरलैण्ड, यूके) मिशन के प्रमुख, दक्षिण अफ्रीकी मानव अधिकार आयोग के दो सदस्यीय शिष्टमंडल जिसमें वहाँ के उपाध्यक्ष और प्रशासनिक सचिव थे, कैनेडा मानव अधिकार आयोग के मुख्य-आयुक्त, पाकिस्तान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, यूनेस्को के महानिदेशक, यूएनडीपी के सहायक प्रशासक, यूनिसेफ के प्रशासनिक निदेशक, इंग्लैण्ड के कई विजिटिंग प्रोफेसरों और मानव अधिकारों से जुड़े अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों का स्वागत लिया।

15.2 भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकार प्रोन्नति और संरक्षण के संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति की अध्यक्षता समिति के सदस्यों के सर्वसम्मत अनुरोध पर की। आयोग के सदस्य, श्री वीरेन्द्र दयाल और महासचिव ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार के 53वें अधिवेशन में और 30 मार्च, 1997 से 5 अप्रैल, 1997 तक जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की समन्वय समिति की बैठक में आयोग का प्रतिनिधित्व किया। आयोग के सदस्य श्री वीरेन्द्र दयाल और न्यायमूर्ति श्री वी.एस. मड्डिमठ ने नवम्बर, 1997 में मैकिस्को के मेरिडा नगर में आयोजित राष्ट्रीय संस्थानों की चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया। आयोग के महासचिव ने लंदन में “कॉमनवैल्थ राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान : उत्तम प्रक्रिया संवर्धन” विषय पर आयोजित एक सेमिनार में प्रतिनिधित्व किया। महासचिव ने बालश्रम पर एक पत्र प्रस्तुत किया जिसमें देश में इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए आयोग द्वारा उठाये गए कदमों का विशेष उल्लेख था।

15.3 ढाका में रॉयल डेनिश एम्बेसी द्वारा आयोजित मल्टी-सेक्टोरल एप्रोच टू वाएलेंस अगेंस्ट वूमन विषय पर हुई बैठक में महानिदेशक (अन्वेषण) ने भाग लिया। उन्होंने नीदरलैण्ड के विदेश मंत्रालय के मानव अधिकार, अच्छा शासन और प्रजातन्त्रीकरण विभाग के निमंत्रण पर नीदरलैण्ड का दौरा किया, कॉमनवैल्थ सेक्रेटेरिएट लंदन द्वारा आयोजित सुगम न्याय के प्रारूप कार्यक्रम पर हुई कार्यशाला में भी भाग लिया। इसके अतिरिक्त, महानिदेशक (अन्वेषण) ने वेरा इंस्टीट्यूट ऑफ जरिस्टिस, न्यूयार्क द्वारा आयोजित फोर्डफाउंडेशन स्टाफ के साथ एक बैठक में भाग लिया।

15.4 आयोग के रजिस्ट्रार ने प्राइवेसी कमीशन, न्यूजीलैण्ड द्वारा ऑकलैण्ड ऑफ प्राइवेसी फोरम में आयोजित एक बैठक में भाग लिया।



- 15.5 आयोग की संयुक्त सचिव ने एशिया-पैसेफिक मानव अधिकार सूचना केन्द्र हयूराट्स ओसाका, द्वारा बैंगकॉक, थाइलैण्ड में आयोजित मानव अधिकार शिक्षा की क्षेत्रीय बैठक में भाग लिया।
- 15.6 आयोग के अन्वेषण विभाग के पुलिस अधीक्षक श्री अशोक चक्रवर्ती ने रीजनल बयूरों फॉर यूरोप और सीआईएस (आरबीइसी) यूएस.ए. द्वारा रीगा, लातविया में आयोजित ऑमबड़समेन और राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण संस्थानों पर तीसरी अंतर्राष्ट्रीय यूएन.डी.पी. कार्यशाला में भाग लिया।
- 15.7 आयोग के अन्वेषण विभाग के पुलिस अधीक्षक श्री शिवाजी सिंह ने ब्रिटिश हाई कमीशन, नई दिल्ली द्वारा कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित बहु-क्षेत्रीय बाल संरक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया।
- 15.8 श्री वाई.एस.आर.मूर्ति जो अध्यक्ष के व्यक्तिगत कार्यालय के प्रधान हैं और जिन्होंने मीडिया संबंधों का अतिरिक्त भार संभाला हुआ है, ने इंडोनेशिया में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया-पैसेफिक फोरम द्वारा आयोजित "मीडिया और जनकार्य शिक्षा तथा प्रोन्नति-सिद्धान्त और व्यवहार" विषयक कार्यशाला में भाग लिया। अध्यक्ष के विशेष सहायक श्री एस.के. मदान ने कॉपनहेगन, डेनमार्क के डेनिश मानव अधिकार केन्द्र में मानव अधिकारों के एक पाठ्यक्रम में भाग लिया।



## 16. प्रशासन और लॉजिस्टिक सपोर्ट

### (i) कार्यपद्धति में परिवर्तन

16.1 आयोग को प्राप्त हो रही शिकायतों की अत्यधिक वृद्धि के दबाव और शिकायतों को शीघ्रता से और प्रभावकारी ढंग से निपटाने की बढ़ती अपेक्षाओं ने आयोग की कार्य-पद्धति और प्रशासनिक ढाँचे में व्यापक और नवीन प्रक्रियात्मक परिवर्तन आवश्यक कर दिए थे। आयोग को स्थिति का विश्लेषण करने में सहायता पहुंचाने की दृष्टि से एक प्रख्यात प्रबन्ध परामर्श फर्म की सेवाएं प्राप्त की गई जिसने स्थिति का गहराई से अध्ययन किया, विशेषकर शिकायतों को निपटाने की पद्धति का। इस सम्बन्ध में अनेकों सिफारिशों की गई, जिसमें आयोग के स्टाफ और कार्यालय ढाँचे का पुनर्गठन, शिकायतों को निपटाने की पद्धति में परिवर्तन के साथ-साथ आयोग की कम्प्यूटर-प्रणाली का स्तर बढ़ाने सम्बन्धी सिफारिशों शामिल थी। कम्पनी ने उन संकटपूर्ण क्षेत्रों की भी पहचान की जहाँ अतिरिक्त कुशल स्टाफ की आवश्यकता थी। आयोग के प्रयासों से इन सिफारिशों में काफी सहायता मिली। इनके आधार पर आयोग के कार्यभार को अधिक अच्छी तरह से व्यवस्थित करने के लिए अनेकों उपाय किए गए।

16.2 आयोग ने 1 अप्रैल, 1997 से प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों का एक नया सेट लागू किया। इसमें शिकायतों के विश्लेषण और प्रलेखन और उन शिकायतों पर नजर रखने के उद्देश्य से शिकायतों का और व्यापक वर्गीकरण किए जाने की परिकल्पना की गई थी जिन पर तुरन्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है।

### (ii) स्टाफ

16.3 31 मार्च, 1998 को कुल स्वीकृत 282 पदों में से 223 पद भरे हुए थे।

16.4 वर्ष 1997-98 के दौरान आयोग में विभिन्न ग्रेडों में 158 पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित किया गया। आयोग के समूह "क" "ख" "ग" और "घ" पदों के भर्ती नियमों की अधिसूचना जारी करने के पश्चात् स्टाफ के स्थायी आमेलन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। चूँकि आयोग को अभी अपना कैडर बनाने और विकसित करने में अभी और समय लगेगा अतः फिलहाल आयोग का अपने कार्मिकों का चयन प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियुक्ति के माध्यम से करने का प्रस्ताव हैं आयोग का अपने भर्ती नियमों में इस प्रकार से संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे मानव अधिकारों से संबंधित विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्तियों की सेवाओं का तत्काल उपयोग किया जा सके।

16.5 आयोग का यह मानना है कि उसके कार्य के व्यापक विस्तार के कारण अब उसके लिए



अपने स्टाफ का पुनर्गठन करना आवश्यक हो गया है। अतएव आयोग को अक्सर मोटे वर्गीकरण यानी ‘परामर्शदाता’ के नाम से अधिकांश व्यक्तियों की सेवाएं लेनी पड़ती हैं। उसे इस प्रकार के और परामर्शदाताओं को नियुक्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि वह अभी अपने कार्य को निपटाने के लिए अपने नियमित स्टाफ में और वृद्धि करने पर विचार नहीं कर सकता।

#### (iii) विशेष ऐपोर्टिंग

16.6 अपनी सिफारिशों और निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने की अत्यन्त आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और सरकारी एवं गैर-सरकारी प्राधिकारियों एवं अन्यों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करने की दृष्टि से आयोग ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एक विशेष ऐपोर्टिंग प्रणाली गठित की है, जो उसके अधिक अपेक्षित और संवेदनशील उत्तरदायित्वों के निर्वाह में सहायक होगी। ये विशेष ऐपोर्टिंग, जिनका चयन अति विशिष्ट, निर्दोष, सत्यनिष्ठ और मानव अधिकारों के प्रति उद्घोषित वचनबद्ध व्यक्तियों में से किया गया है, आयोग के लिए अत्यन्त सहायक सिद्ध हुए हैं। ये आयोग के औपचारिक प्रशासनिक ढांचे से अलग एक ग्रुप के रूप में हैं जो आयोग के अंख और कान की तरह कार्य करते हैं और आयोग के प्रयासों का भी पूर्ण अधिकार के साथ अनुवर्तन करते हैं और समय-समय पर सौंपे गये ऐसे विशेष अन्य कार्य बनाने करते हैं।

#### (iv) स्टाफ प्रशिक्षण

16.7 आयोग अपने कार्मियों की तरह प्रशिक्षण देने और संवेदनशील बनाने को काफी महत्व देता है। इसने शिकायतों को निपटाने वाले विधि-विभाग के कार्मिकों हेतु एक सप्ताह का अभिमुखीकरण पाठ्यक्रम आयोजित किया था। जैसाकि पहले बताया गया है कि आयोग और कैनाडियन मानव अधिकार आयोग के मध्य हुई पारस्परिक बातचीत के अनुसरण में जून-जुलाई, 1997 में कैनाडियन मानव अधिकार फाउंडेशन द्वारा आयोजित तीन-सप्ताह के प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम में आयोग के दो अधिकारियों और तीन गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के पश्चात् आयोग के अधिकारियों ने कैनाडियन मानव अधिकार आयोग, ऑन्टेरियो मानव अधिकार आयोग और कैनाडियन मानव अधिकार फाउंडेशन के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का एक प्रारूप तैयार किया है।

16.8 इस पाठ्यक्रम पर आधारित यह प्रशिक्षण कार्यक्रम एक अनोखा सूत्रपात है, जिसे विशेष तौर पर भारत के राष्ट्रीय और राज्य मानव अधिकार संस्थानों के वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारियों का ज्ञान और निपुणता बढ़ाने में प्रयुक्त किया जा सकता है। पाठ्यक्रम के प्रारूप पर एक बैठक में विचार-विमर्श किया गया, जिसमें इन आयोगों के अधिकारी, दिल्ली के कुछ महत्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधान उपस्थित थे। विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् कार्यक्रम को अंतिम रूप देने हेतु राष्ट्रीय



महिला आयोग, पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, भारतीय आपराधिक और न्यायिक विज्ञान के साथ-साथ शिक्षा संरस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों का एक कोर ग्रुप बनाया गया है कोर ग्रुप अन्य यथोचित क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों के आलोक में पाठ्यक्रम में उत्तम सामंजस्य स्थापित करेगा, सबल व्यक्तियों की पहचान करेगा, प्रशिक्षण मैनुअल तैयार करेगा, प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन हेतु एक उचित संस्थान सुनिश्चित करेगा और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी तैयार करेगा। कार्यक्रमों को बैठक के भागीदारों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अंतिम रूप दिया जा रहा है और तत्पश्चात पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार एक प्रशिक्षण कार्यक्रम उचित समय पर आयोजित किया जाएगा।

16.9 आयोग अपने एक प्रशिक्षण एकक की स्थापना भी करना चाहता है और इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

#### (v) शाजभाषा का प्रयोग

16.10 आयोग अपने स्थापना से ही हिंदी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में शिकायतें और रिपोर्ट प्राप्त कर रहा है। वर्ष 1997-98 के दौरान आयोग के हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में लगभग 20,000 शिकायतें प्राप्त हुईं। आयोग का हिंदी अनुभाग हिंदी में प्राप्त लंबी रिपोर्ट और क्षेत्रीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में प्राप्त शिकायतें के अनुवाद के लिए जिम्मेदार हैं। यह अनुभाग मासिक समाचार पत्र और वार्षिक रिपोर्ट का भी हिंदी में अनुवाद लेता है मानव अधिकारों से संबंधित साहित्य के विकास में राष्ट्रभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोग ने हिंदी में मौलिक लेखन और भास्तीय भाषाओं की मानक पुस्तकों के हिंदी अनुवाद के लिए लेखकों और अनुवादकों को पुरस्कृत करने के लिए 'मानव अधिकारों पर हिंदी में सृजनात्मक लेखन पुरस्कार योजना' को स्वीकृति प्रदान की है।

#### (vi) पुस्तकालय


16.11 आयोग अपने पुस्तकालय में नए प्रकाशनों को शामिल कर उसके आकार को बढ़ा रहा है। वर्ष 1997-98 के दौरान मानव अधिकारों से संबंधित विषय पर 364 नई पुस्तकें खरीदी गईं। 31 मार्च 1997 के पुस्तकालय में कुल 3058 पुस्तकें थीं। आयोग अपने कार्य से संबंधित 19 पत्रिकाएँ मंगवाता है, जिसमें मानव अधिकारों से संबंधित कुछ प्रमुख विधिक प्रकाशन भी शामिल हैं। आयोग विदेशों तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से भी पुस्तकें प्राप्त कर रहा है।

#### (vii) निविद्यां

16.12 वर्ष 1997-98 के दौरान आयोग को भारत सरकार से 4.50 करोड़ रुपये की अनुदान-सहायता



प्राप्त हुई। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 34 के अनुसार वर्ष 1994-95 और 1995-96 के वार्षिक लेखा विवरण को भारत के नियंत्रक और महालेखाकार ने प्रमाणित कर दिया है। इस लेखा विवरण को संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।



## 17. सारांश

17.1 हमारे जैसे देश में, जो स्वयं तेज गति और कभी-कभी अस्थिर परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा है, मानव अधिकार आयोग को सोच-विचार और प्रयास के अनेकों स्तरों पर कार्य करना चाहिए।

17.2 लोगों अथवा समूहों द्वारा प्रतिदिन भेजे जाने वाले प्रतिवेदनों जिनमें अक्सर लापरवाह स्वेच्छाचारी अथवा क्रूर व्यवहार के परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों द्वारा मानव अधिकारों के अत्यधिक हनन की शिकायतें की जाती हैं, को अत्यंत ध्यानपूर्वक सुव्यवस्थित और तत्परता से तत्काल निपटाने का प्रयास किया जाना चाहिए। एक अन्य स्तर है जहाँ पर आयोग को सकारात्मक रूप से सक्रिय हो जाना चाहिए। जो घटनाएँ अंतःकरण को क्षुब्ध करें और जो प्रथम दृष्ट्या अथवा पक्के तौर पर देश की जनता की गरिमा और महत्ता पर आक्रमण करती हों और हमारे कानून और संधि-अनुबंध पर आक्रमण करती हों और कभी-कभी जाति, भाषा मानवजाति अथवा धर्म के नाम पर भड़कने वाली हिंसा फैलाती हों उन्हें आयोग को स्वयं अपने संज्ञान में ले लेना चाहिए। तीसरे स्तर पर आयोग को उन कारकों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जो भारत के लोगों के अधिकारों को उचित सम्मान देने के विरुद्ध हैं, और ऐसे कारणों को राष्ट्र के विचारण हेतु उजागर किया जाना चाहिए। ये कारण प्राचीन और अति गहरे हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे देश के दलितों, अनुसूचित जातियों और अन्य पीड़ित वर्गों के विरुद्ध की गई ऐतिहासिक मूलें। ये प्रशासनिक और ढांचागत भी हो सकते हैं जैसे कि हमारी आपराधिक न्यायप्रणाली की कमियां जिनका सुधार काफी समय से रुका पड़ा है, ये कारक आतंकवादी और हिंसक गतिविधियों के परिणामस्वरूप भी हो सकते हैं। इनका संबंध आर्थिक और सामाजिक नीतियों से भी हो सकता है जिन्हें स्वतंत्रता के पचास वर्ष बाद तक लागू किया गया अथवा जिनका पालन करने में हम असफल रहे। उदाहरण के लिए आज हमारे देश में अशिक्षितों की संख्या स्वतंत्रतापूर्व देश की आबादी की तुलना में अधिक है, देश के अनगिनत बच्चे संविधान में प्रदत्त निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार पाने के स्थान पर जोखिम भरे उद्यमों में कार्य करके अपनी किशोरावस्था अथवा जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। आयोग उनके इस अधिकार को दिलाने के लिए लगातार जोर दे रहा है।

17.3 इन प्रत्येक मामलों में आयोग ने उन्हें, जिन्होंने अधिकारों का हनन किया है उनसे स्पष्टीकरण मांगने अथवा परिवर्तन और सुधार लाने के प्रयास में अपना नैतिक भार डालने जिसे वह देश के कल्याण और अपने लोगों के अधिकारों की पूर्ति हेतु विचार करना आवश्यक समझता है, के लिए अपने प्रयास जो आवश्यक है, करने का प्रयत्न किया है। इस परिप्रेक्ष्य में रिपोर्ट के पिछले भागों में आयोग के इन प्रयासों का उल्लेख किया गया है जो उसने अपने बहुआयामी दायित्व में निर्वाह किए हैं सुलभ संदर्भ के लिए रिपोर्ट का सारांश और इसकी मुख्य सिफारिशें अनुबंध-12 में देखी जा सकती हैं।



17.4 कुछ सीमा तक आयोग के लिए कारण यह है कि अपनी स्थापना के पांच वर्षों के पश्चात उसने राष्ट्र के जीवन में अपना एक महत्व का स्थान ग्रहण कर लिया है, आयोग को अच्छी तरह से स्मरण है कि इसकी स्थापना के समय देश में बहुत कम संख्या में लोग यह जानते थे कि मानव अधिकार आयोग क्या कर सकता है अथवा क्या करना चाहिए। उनमें से भी जो आयोग के अधिनियम से परिचित थे, उन्हें पूरा संदेह था कि क्या वह ऐसा पर्याप्त विश्वस्त आधार उपलब्ध करा सकता है जिस पर एक प्रभावकारी राष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया जा सकेगा।

17.5 परन्तु इससे आयोग रुका नहीं उसने यह विचार तत्काल व्यक्त किए कि अनुभव के आधार पर अधिनियम में पाई गई कमजोरियों और अस्पष्टताओं का शीघ्र उपचार करने की आवश्यकता है। अतः आयोग निकट भविष्य में अपने अधिनियम की व्यापकता को परिवर्तित करना चाहता है।

17.6 शासन संस्थाओं को अपना स्थाई मूल्य बनाए रखने के लिए प्रत्येक दिन अपनी योग्यता सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। अनेक छोटी-छोटी सफलताओं की तुलना में केवल एक बड़ी असफलता अधिक अनर्थकारी हो सकती है। यदि कोई संस्था सुस्वस्थता, कुशलता और सत्यनिष्ठा के अपेक्षित स्तर बनाए रखने में असमर्थ रहती है तो जितनी शीघ्रता से अपना विश्वास बनाया है उतनी ही शीघ्रता से अपना विश्वास खो भी सकती है। अतएव शासन संस्थाओं का रख-रखाव और उनको बनाए रखना, विशेषकर उनका जो स्वयं में सुधारात्मक प्रकृति के हैं, अत्यंत आवश्यक हो जाती हैं। इस प्रकार की संस्थाओं की केवल स्थापना ही प्रर्याप्त नहीं है अपितु उनका रख-रखाव और उन्हें बनाए रखने का उत्तरदायित्व निभाना अधिक महत्व की बात है।

17.7 इसलिए आयोग ने अधिनियम द्वारा सौंपे गए विभिन्न उत्तरदायित्वों को पूरा करते हुए ऐसी पद्धतियों और व्यवहारों को स्थापित रखने का प्रयत्न किया जो उसके प्रयासों को सुव्यवस्थित, सामंजस्यपूर्ण और सुदृढ़ आधार युक्त बनाएंगे तथा उसके कार्यों में उसकी उत्तरदायिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे। परन्तु आयोग के प्रयासों, जो मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण में राष्ट्र के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है, को केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों के उच्चतम सोपानों पर लगातार और असंदिग्ध समर्थन मिलता रहना चाहिए। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है ताकि अधिकारों के संवर्धन और संविधान में दी गई गारन्टी को पूरा किया जा सके तथा 1993 के मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सम्मिलित सम्भावनाओं एवं विकल्पों को प्राप्त किया जा सके।

17.8 इन टिप्पणियों में व्यावहारिक निष्कर्ष निकले हैं। पहले, हमारे जैसे देश में जो जितना व्यापक है उतना ही अनेक-वादी और विविध हैं, संविधान की संघीय प्रकृति के कारण जहाँ तक मानव अधिकारों का संबंध है शीघ्र ही राज्य स्तर पर आयोग की स्थापना की आवश्यकता है, विशेषकर जहाँ अभी तक उनका गठन नहीं हुआ है और जहाँ हो चुका वहाँ पर दृढ़ समर्थन की आवश्यकता है। केन्द्र



और राज्य सरकारों के लिए यह उचित नहीं है कि देश में मानव अधिकारों के प्रोत्साहन और संरक्षण को पूर्णतया राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और इस समय विद्यमान सात राज्य आयोगों पर छोड़ दिया जाएं अवश्य ही यह एक विडंबना है— यद्यपि दुःखद है, विरोधाभास नहीं है— कि जिन राज्यों से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सबसे अधिक संख्या में शिकायतें प्राप्त कर रहा है वहीं पर राज्य स्तर पर आयोगों की स्थापना करने की योजना नहीं बनाई गई हैं यह एक ऐसा विषय है जिस पर केन्द्र और राज्य दोनों में सरकार के उच्चतम स्तरों पर देश की राजनैतिक पार्टियों के स्तर पर ध्यान दिया जाना चाहिए, यह संसद और सीमाओं, दोनों में विचार-विमर्श का भी विषय है। आयोग ऐसे विचार-विमर्श की सिफारिश करता है, क्योंकि मानव अधिकार संबंधी मामलों पर विचार-विमर्श न होना समान्यतः उसके प्रति उदासीनता दर्शाता है अथवा उससे भी बुरा, अर्थात् उसके प्रति डर दर्शाता है।

17.9 दूसरा, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में परिकल्पित की गई संभावना, जिसके द्वारा राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से प्रत्येक जिले के लिए मानव अधिकार न्यायालय के रूप में एक सेशन कोर्ट अधिसूचित कर सकती है, का भी अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। विभिन्न राज्यों द्वारा इस प्रकार की अधिसूचनाएँ जारी करने के बाद भी अभी यह अस्पष्ट है कि उनमें कौन से अपराधों की जांच होगी और क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, फलतः उक्त धारणा व्यावहारिक रूप में विफल रही है। इसका भी शीघ्र उपचार करने की आवश्यकता है। आयोग इस संबंध में अपना पूर्व दृष्टिकोण दोहराना चाहेगा। कि इस मामले में शीघ्रता से स्पष्टता लाई जानी चाहिए। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो उचित वैधानिक अथवा न्यायिक कार्रवाई की जानी चाहिए। आयोग ने यह मामला मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष आने पर अपनी ओर से पहले ही इस विषय पर अपने विस्तृत विचार प्रस्तुत कर दिए हैं। आयोग इस मामले को लगातार अपने ध्यान में रखे हुए है।

17.10 तीसरा, यहां तक इसके अपने कार्यों का संबंध है आयोग कह सकता है कि उसके निश्चय के अनुकूल उसकी स्थापना के पांच वर्ष पश्चात उसकी स्वतंत्रता और सत्यनिष्ठा को सम्मान मिला है। परंतु यहां यह कहा जा सकता है कि इस स्वतंत्रता को पूरी तरह से उतनी स्पष्टता अथवा तेजी से कार्यरूप नहीं दिया जाता है जितना कि उन मामलों में होना चाहिए जो साधारणतया प्रशासनिक प्रकृति के होते हैं। यह प्रक्रिया अत्यंत थकान और समय गंवाने वाली हो सकती है, विशेषकर उन मामलों में जिनके लिए बजट प्रावधान पहले से ही विद्यमान हैं। यह 'पेरिस सिद्धांत' राष्ट्रीय संस्थानों के स्तर से संबंधित सिद्धांतों का भी उल्लंघन है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार संकल्प संख्या 48/134 और तत्पश्चात महासभा और संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग दोनों के संकल्प के अनुबद्ध है। भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकारों के संवर्धन



और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति में एक पीठ (चेयर) के रूप में पिछले तीन वर्षों से कार्य कर रहा है। इसका व्यवहार और सरकार के साथ संबंध को एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि किस प्रकार से पेरिस सिद्धांतों को परिपुष्ट किया जाए, और व्यवहारिक रूप में कार्यान्वित किया जाए। हमारे देश को इस प्रकार के मामलों में अग्रणी हो जाना चाहिए और इसकी जटिलताएं समझने में अशक्ता नहीं दर्शानी चाहिए। वास्तव में अपनी परंपराओं और आकांक्षाओं के प्रति सच्चा साबित होने के लिए भारत, मानव अधिकारों के विश्वव्यापी आंदोलन का अग्रणी होना चाहिए। भारत के पास इस विषय में विश्वव्यापी विचार-विमर्श हेतु संकल्पना और व्यवहार, दोनों ही के क्षेत्रों में देने के लिए बहुत कुछ है। इसे अपने समक्ष आने वाली समस्याओं से खुले तौर पर, निर्भीकता और सत्यनिष्ठा से निपटना चाहिए, क्योंकि जब मानव अधिकारों से संबंधित मामलों पर बात होती है तब कोई भी देश दोष रहित नहीं होता है। इसलिए यदि वे मानव अधिकारों के हित में अपनी आकांक्षा के अनुसार ईमानदारी से कार्य करना चाहते हों तो सभी देशों को चाहिए कि वे इसके लिए निर्भीकता व सत्यनिष्ठा से कार्य करें।

17.11 इस रिपोर्ट को समाप्त करने से पहले आयोग का मानना है कि महात्मा गाँधी के इस विचार को स्मरण करना अत्यंत उपयोगी होगा, 'मनुष्य की आवाज़ वहाँ कभी नहीं पहुंच पाती है जहाँ आत्मा की निःशब्द आवाज़ पहुंचती है'। इस समय हमारे देश के राजनैतिक और सामाजिक मंच पर और वास्तव में पूरे विश्व में अधिकतर जो कर्णकटुता और असहनशीलता देखने को मिलती है, उसमें आज आत्मा की आवाज़ ही मानव अधिकारों की आवाज़ है। यह आवाज़ कोलाहल में भी सुनाई देगी। इसमें उन सभी की तात्त्विक शक्ति निहित रहती है जो उन सभी की मानव अधिकारों के लिए कार्य करते हैं जिनमें आयोग जैसी संस्थाएं भी शामिल हैं।

नई दिल्ली  
19 फरवरी, 1999

(न्यायमूर्ति श्री एम. एन. वेंकटाचलय्य)  
अध्यक्ष

(श्री वीरेन्द्र दयाल)  
सदस्य

(न्यायाधीश श्री वी. एस. मड्डिमठ)  
सदस्य



## अनुबन्ध



अनुबंध-I

## राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

### प्रक्रिया निर्देश संख्या-1

18 मार्च, 1997

यह देखा गया है कि पीड़ित व्यक्तियों से प्राप्त अधिसंख्य शिकायतें निर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर उनसे संबंधित रिपोर्ट मंगवाने के लिए राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के प्राधिकारियों के पास, मामले के संबंध को ध्यान में रखते हुए भेजी गई थीं, परन्तु उन्होंने निर्देश का अनुपालन नहीं किया है। इस संबंध में उनसे समय-सीमा बढ़ाने का भी अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है और सबसे खराब बात यह है कि उन्होंने शिकायतों की पावती भी नहीं भेजी है।

अतः सरकारों के उच्च प्रशासनिक स्तरों पर कार्रवाई न करने के मामलों के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करना आवश्यक हो गया है। इस कार्य के लिए विधि प्रभाग सरकारवार और जहाँ पर संभव हो, जिलावार भी ऐसे मामलों की एक समेकित सूची तैयार करेगा, जिनके जवाब आने में काफी विलंब हो चुका है। तदनुसार, विधि प्रभाग प्रत्येक वर्ष की प्रत्येक तिमाही अर्थात् क्रमशः 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को लंबित ऐसे मामलों की समेकित सूचियां तैयार करेगा।

उक्त मामलों का विवरण तालिका के रूप में होगा, जैसा कि प्रक्रिया निर्देश में दिया गया है। इसमें शिकायतकर्ता का नाम, शिकायत, शिकायत की तिथि, आयोग द्वारा रिपोर्ट मांगने के आदेश की तिथि, आदेश को प्रेषित करने की तिथि, रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि और मामलेवार किलंब की अवधि का उल्लेख किया जाएगा। यह विवरण संबंधित तिमाही के बाद द्वितीय शुक्रवार को आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

आयोग इस संबंध में क्रमबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक उचित प्रक्रिया विकसित करेगा।

हस्ताक्षर/-

(न्यायमूर्ति श्री एम. एन. वेंकटाचलय्य)

अध्यक्ष



## विलंबित रिपोर्टें वाले मामलों का विवरण

( तिमाही के अंत में, दिनांक..... को स्थिति )

राज्य का नाम—

क्र.सं.	क्रेस सं.	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत की तिथि	रिपोर्ट मांगने के आयोग के प्रारम्भिक आदेश की तिथि	रामारामायोग द्वारा आदेश भेजने की तिथि	रिपोर्ट-प्राप्ति की अद्यतन तिथि	दिनांक तक विलंब की अवधि

- \* यदि कोई समय-विस्तार किया गया है, तो वह इसमें शामिल है।



राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग  
प्रक्रिया निर्देश संख्या-2


1 अप्रैल, 1997

प्रशासनिक एजेंडा पर चर्चा करने के लिए आयोजित आयोग की बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों की कार्रवाई रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही के आगामी माह के द्वितीय शुक्रवार को आयोग के सम्मुख प्रस्तुत की जाए।

हस्ताक्षर / —

(न्यायमूर्ति श्री एम. एन. वेंकटाचलय)

अध्यक्ष



राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

प्रक्रिया निर्देश संख्या-3

1 अप्रैल, 1997

प्रत्येक तिमाही के आगामी माह के द्वितीय बुधवार के प्रशासनिक एजेन्टे में “चालू परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा” को एक मद के रूप में शामिल किया जाए। इनमें से प्रत्येक परियोजना पर लिखे टिप्पण को भी आयोग के सामने रखा जाए, ताकि बैठक में उस पर चर्चा करने और उसकी समीक्षा करने में सहायता मिल सके।

हस्ताक्षर/-

(न्यायमूर्ति श्री एम. एन. वेंकटाचलय्य)  
अध्यक्ष



## राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

### प्रक्रिया निर्देश संख्या-4

15 जुलाई, 1997

केसों की प्रारंभिक सुनवाई में जब कभी महानिदेशक (अन्वेषण) के लिए तथ्यों को एकत्रित करने या नोटिस जारी करने के आदेश हों तब इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या शिकायत में अन्वेषण विंग की प्रारंभिक पूछताछ के दौरान प्रथम दृष्ट्या कोई ठोस आधार दिखाई देता है और क्या कोई ज्यादती अथवा अपराध हुआ है जिसे सुधारने की तुरंत आवश्यकता है।

इसलिए जब कभी ऐसे आदेश दिए जाएं तब अन्वेषण विंग को तत्परतापूर्वक पूछताछ करने, तथ्यों को एकत्रित करने, शिकायत की सत्यता और शिकायतकर्ता की पहचान करने के बारे में अपने विचार देने और तत्काल कार्रवाई करने की ज़रूरत, यदि कोई है, के लिए सक्रिय हो जाना चाहिए। पूछताछ, जहां तक संभव हो, टेलीफोन, फैक्स आदि के जरिए और 10 दिनों के अंदर करना वांछनीय होगा। इसके बाद केस फाइल तुरंत प्रारंभिक सुनवाई के लिए पुनः सूचीबद्ध की जानी चाहिए। यह देखा गया है कि ऐसे मामलों की केस फाइलें अनिश्चित काल तक सूचीबद्ध नहीं की जाती हैं। इसे रोका जाना चाहिए और संयुक्त पंजीयक (विधि) द्वारा इस प्रकार के मामलों की एक अलग सूची तैयार की जानी चाहिए ताकि वे उन केसों को सूक्ष्मतापूर्क मॉनिटर कर सकें। अन्वेषण विंग को स्वयं नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिवाय कुछ विशेष मामलों में, जहां महानिदेशक (अ0) बैंच से अभीष्ट आदेश प्राप्त करने के पश्चात् ऐसा करना आवश्यक मानते हैं।

जहाँ तथ्यों को एकत्रित करने के आदेश होने के साथ-साथ नोटिस भेजने के आदेश दिए गए हों, वहां विधि प्रभाग नोटिस जारी करेगा और अन्वेषण विंग साथ-साथ तथ्यों को एकत्रित करने के लिए समरूप समय-सीमा के अंतर्गत वांछनीय पूछताछ करेगा तथा पार्ट फाइल पर अपने विचारों का उल्लेख करेगा।

उपर्युक्त प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

हस्ताक्षर / —

(न्यायमूर्ति श्री एम. एन. वेंकटाचलय्य)

अध्यक्ष



## राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

### प्रक्रिया निर्देश संख्या-5

12 अगस्त, 1997

आयोग ने उन अनुवर्ती मामलों में आवश्यक प्रशासनिक कदम उठाने पर चर्चा की जिनमें शिकायत पर आयोग द्वारा जारी नोटिसों के जवाब सरकारों तथा उनकी एजेंसियों से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

विचाराधीन वर्तमान प्रस्ताव यह है कि विधि प्रभाग के प्रमुख को उन प्राधिकारियों के लिए स्मरण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया जाना चाहिए जिनके जवाब समय-सीमा के अंदर प्राप्त नहीं हुए हैं और उनके लिए जवाब भेजने की तिथि भी निर्धारित की जाए जो पूर्वनिर्धारित समय-अवधि की तिथि से चार सप्ताह से अधिक हों। इसका अर्थ यह होगा कि विधि प्रभाग के प्रमुख स्वयं ही प्रारम्भ में निर्धारित समय-सीमा को बढ़ा सकेंगे।

आयोग पंजीयक (विधि प्रभाग) को ऐसे स्मरण-पत्र जारी करने और अपने विवेक से जवाब भेजने की समय-सीमा को बढ़ाने के लिए प्राधिकृत करता है, परन्तु समय-अवधि मूलतः निर्धारित जवाब भेजने की तिथि से चार-सप्ताह से अधिक न हो।

हस्ताक्षर /—

(न्यायमूर्ति श्री एम. एन. वेंकटाचलय्य)  
अध्यक्ष



## राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

### प्रक्रिया निर्देश संख्या-6

आयोग ने सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए मानव अधिकारों के जघन्य हनन के कई मामलों जैसे हिरासतीय मौत, गंभीर हिरासतीय हिंसा, बलात्कार, आदि में अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने/प्रशासनिक कार्रवाई करने और पीड़ितों अथवा उनके परिवार के सदस्यों के लिए, जैसा भी मामला हो, तुरन्त अंतरिम राहत के रूप में अंतरिम मुआवजा देने की भी सिफारिश की है।

परन्तु फिर भी रजिस्ट्री में इस सिफारिशों के अनुसरण के लिए ऐसी कोई भी व्यवस्थागत अथवा क्रमबद्ध प्रक्रिया नहीं है जिससे यह मालूम हो कि संबंधित सरकारों ने उन्हें स्वीकार कर लिया है, उन पर कार्रवाई की है और उनका अनुपालन किया है, और यदि नहीं तो आयोग को इस संबंध में आगे क्या कार्रवाई करने पर विचार करना चाहिए।

अतः आयोग इस संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया निर्देश जारी करता है :

(क) ऐसे सभी मामलों में जो नीचे दिये संवर्ग ‘‘ख’’ के अंतर्गत आने वाले मामलों से पृथक है, रजिस्ट्री ऐसे सभी मामलों की एक समेकित सूची तथा उन पर की जाने वाली अनुवर्ती कार्रवाई के टिप्पणी की एक तालिका तैयार करके प्रत्येक तिमाही में विधि प्रभाग के पंजीयक के समक्ष उनकी समीक्षा के लिए प्रस्तुत करेगी। समीक्षा करने के बाद पंजीयक, विधि प्रभाग, स्वयं अभीष्ट अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे अथवा यदि उचित समझे तो वे ऐसे किसी विशेष मामले को आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संवर्ग के ऐसे सभी मामले जिनके बारे में 31 दिसम्बर, 1997 तक सिफारिशों की जा चुकी हैं, उन्हें तालिका— बद्ध करके फरवरी, 1998 के अंतिम सप्ताह से पहले पंजीयक के पास भेजा जाएगा। इसके बाद प्रत्येक तिमाही में अर्थात् 1 जनवरी, 1998 तक की गई सिफारिशों पंजीयक के समक्ष मई, 1998 के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत की जाएंगी और तदुपरांत उत्तरोत्तर तिमाही के लिए संबद्ध तिमाही समाप्त होने के 6 सप्ताह के अंदर। उदाहरण के लिए 1.4.98 से 30.6.98 के मध्य की गई सिफारिशों पंजीयक के समक्ष अगस्त, 1998 के दूसरे सप्ताह से पहले प्रस्तुत की जाएंगी।

(ख) उन सभी मामलों में जहां सरकारी कर्मचारी मानव अधिकार हनन के गंभीर मामलों जैसे हिरासतीय मौत/गंभीर हिरासतीय हिंसा/हिरासतीय बलात्कार तथा बलात्कार और स्त्री की बेइज्जती करने में शामिल है और जहां आयोग ने मुकदमा चलाने/अथवा 25,000



रूपये से अधिक मुआवजा देने की सिफारिश की है, ऐसे मामलों को अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा के लिए सीधे ही आयोग के समक्ष आवर्ती रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

ऐसे सभी मामले जिनके बारे में 31 दिसम्बर 1997 तक सिफारिशों की जा चुकी हैं, उन्हें तालिकाबद्ध करके फरवरी, 1998 के अंतिम सप्ताह में आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और प्रत्येक तिमाही में अर्थात् 1 जनवरी, 1998 से 31 मार्च, 1998 तक की गई सिफारिशों मई, 1998 के प्रथम सप्ताह में। इसके बाद प्रत्येक उत्तरोत्तर तिमाही की सूची संबद्ध तिमाही समाप्त होने के 6 सप्ताह के अंदर आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी (उदाहरण के लिए 1.4.98 से 30.6.98 के मध्य की गई सिफारिशों अगस्त, 1998 के दूसरे सप्ताह से पहले आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और इसी प्रकार)।

हस्ताक्षर/-

(न्यायमूर्ति श्री एम. एन. वेंकटाचलय्य)  
अध्यक्ष



## राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

### प्रक्रिया निर्देश संख्या-7

24 फरवरी, 1998


आयोग सरकार और विभिन्न अन्य प्राधिकारियों को एक निश्चित समय-सीमा के अंदर उनकी रिपोर्ट मंगवाने के लिए नोटिस जारी करता है। कुछ अन्य मामलों में आयोग शिकायतों पर कार्रवाई करने अथवा निपटाने के लिए शिकायतों को संबंधित प्राधिकारी के पास भेज देता है और उनसे कार्रवाई रिपोर्ट मांग कर या कभी कभी बिना कार्रवाई रिपोर्ट के ही शिकायतों का समाधान कर देता है। यह देखा गया है कि अधिकतर मामलों में रिपोर्ट/जवाब/कार्रवाई रिपोर्ट आयोग में निर्धारित समय-सीमा के अंदर अथवा उसके काफी समय बाद भी प्राप्त नहीं होतीं, यद्यपि आयोग इस संबंध में उचित स्तर पर स्मरण-पत्र भेजता रहता है। ऐसी स्थिति में आयोग के पास कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रहता, सिवाय इसके कि वह संबंधित प्राधिकारी/अधिकारी को, जो जवाब/रिपोर्ट/कार्रवाई रिपोर्ट न भेजने के लिए जिम्मेदार हैं, सम्मन भेजकर आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दे।

अतः आयोग ऐसे सभी मामलों में, जहां स्मरण-पत्र भेजने के बावजूद भी संबंधित प्राधिकारी/अधिकारी से जवाब/रिपोर्ट/कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो रही हैं, विधि प्रभाग के प्रमुख अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से दोषी प्राधिकारी/अधिकारी को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी कर सकते हैं। परन्तु फिर भी सम्मनों में यह प्रावधान होगा कि यदि बुलाया गया प्राधिकारी/अधिकारी अपनी संपूर्ण रिपोर्ट/जवाब निर्धारित समय-सीमा के अंदर भेज देता है तब आयोग के समक्ष उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति रद्द मानी जाएगी।

अन्य मामलों में जहां शिकायतें केवल उचित कार्रवाई करने के लिए प्रेषित की गई हैं और कार्रवाई रिपोर्ट नहीं मांगी, विधि प्रभाग प्रत्येक तिमाही में ऐसे मामलों का चयन करके एक सूची तैयार करेगा और उनमें से नमूने के तौर पर 2 प्रतिशत ममलों को आयोग के आदेशों के विवरण सहित अन्वेषण प्रभाग के पास भेजेगा। इन मामलों की प्राप्ति होने पर महानिदेशक (अन्वेषण) यह जानने के लिए मामलों की जांच-पड़ताल करेंगे कि जिन प्राधिकारियों के पास याचिकाएं प्रेषित की गईं, उन्होंने वास्तव में कोई कार्रवाई की है अथवा नहीं। परिणामों को मॉनिटर करने की रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही में आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

हस्ताक्षर/-

(न्यायमूर्ति श्री एम. एन. वेंकटाचलय्)  
अध्यक्ष



## भारतीय मानव अधिकार आयोग (विधि प्रभाग)

केस सं. ....

सरदार पटेल भवन  
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

शिकायतकर्ता का नाम

.....  
.....  
.....

सेवा में

(उस व्यक्ति का नाम, पद और पता, जिसे सम्मन भेजा गया है)

.....  
.....  
.....

जहां पूर्व उल्लिखित विषय के संदर्भ में आयोग ने आपको अपनी रिपोर्ट/जवाब.....तक भेजने के लिए दिनांक.....को नोटिस जारी किया था।

और जहां स्मरण—पत्र दिनांक.....भेजने के बावजूद आपसे रिपोर्ट/जवाब निर्धारित समय—सीमा के अंदर अथवा इसके काफी समय बाद भी प्राप्त भी नहीं हुए हैं।

अब इसलिए आपको दिन....., और दिनांक..... को 10.30 बजे अथवा संबंधित विषय.....पर आगे विचार करने के लिए आयोग की सुविधानुसार आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए आपके पास सम्मन भेजे जा रहे हैं।

यदि आप बिना किसी वैध कारण के इस आदेश का पालन करने में असफल हो जाते हैं तब आपको इस अनुपस्थिति के परिणाम, जिनका प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 16 के नियम 10 और नियम 12 में हैं, भुगतने होंगे।




मेरे हस्ताक्षर और आयोग की मुहर के अधीन इसे दिन.....दिनांक.....को  
जारी किया गया है।

(आदेश से)

मुहर

(हस्ताक्षर)  
पंजीयक

- टिप्पण : आयोग के समक्ष आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति निरस्त हो जाएगी, यदि आयोग में आपकी पूरी रिपोर्ट/जवाब..... तक या इससे पहले प्राप्त हो जाती है।



## साष्टीय मानव अधिकार आयोग

### प्रक्रिया निर्देश संख्या-४

23 फरवरी, 1998

पिछले काफी समय से आयोग को मिलने वाली शिकायतों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अतः यह आवश्यक है कि उनके निराकरण के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं। ऐसा विशेषकर उन शिकायतों के मामले में करना जरूरी है, जो अत्यावश्यक स्वरूप की होती हैं और जिनमें मानव अधिकारों का गम्भीर उल्लंघन हुआ हो तथा प्राप्त होने वाली शिकायतों की अत्यधिक संख्या होने के कारण लम्बित पड़ी रहती हैं। आयोग को चाहिए कि वह गम्भीर किस्म की शिकायतों पर समय पर कार्रवाई न किए जाने की स्थिति को बदलने का प्रयास करे तथा महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक मामलों पर कालक्रम के अनुसार यथा समय, अर्थात् शिकायतें जिस क्रम से मिलीं, उसी क्रम से उन पर विचार किए जाने की प्रक्रिया से बचा जाए। इस सम्बंध में अनुभव यह बताता है कि पहले प्राप्त कई शिकायतें पहले कार्रवाई के कदापि योग्य नहीं थीं। इस जोखिम से बचने और अत्यावश्यक शिकायतों को अभिनिर्धारित करने की दृष्टि से यह जरूरी है कि इसके लिए एक प्रक्रिया तय की जाए।

इस समय कतिपय शिकायतों को नियमित तौर पर अत्यावश्यक मामलों की सूची में शामिल करके 'एक सदस्यी बैंचों' के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन अनुभव से ज्ञात हुआ है कि इस प्रकार प्रस्तुत की जाने वाली बहुत सी शिकायतें इस श्रेणी में शामिल किए जाने लायक नहीं होती हैं। दूसरी ओर यह भी देखा गया है कि कुछ अत्यावश्यक शिकायतें सामान्य तौर पर प्रस्तुत की जाती रही हैं। इन दोनों त्रुटियों को दूर किया जाना है। इस सम्बंध में एक सम्भव हल यह प्रतित होता है कि "अत्यावश्यक" शिकायतों के अभिनिर्धारण के लिए कसौटी तैयार की जाए।

#### (1) प्राथमिक स्तर :

प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित किस्म की शिकायतों को "अत्यावश्यक" समझा जाए।

- (1) ऐसे मामलों में जहां निवेदक के निकट सम्बंधियों, जैसे—पुत्र, पति, पिता आदि, को पुलिस ले गई हो और निवेदक उनके जीवन की सुरक्षा के सम्बंध में गम्भीर आशंका व्यक्त करते हों तथा उनको हिरासत में हिसा एवं उत्पीड़न पहुंचाने के बारे में गम्भीर आरोप लगाए गए हों।
- (2) बंधुआ बालश्रम/बाल व्यापार/बाल वैश्यावृत्ति सम्बन्धी शिकायतें।




- (3) ऐसे मामले जिनमें तत्काल हस्तक्षेप करने से किसी की जान बचती हों, आदि।
- (4) जहाँ शिकायतकर्ताओं की संख्या इतनी अधिक हो कि उस मामले में तुरन्त कार्रवाई करना उचित ठहरता हो। जैसे किसी गाँव में काफी पुरुष एवं महिलाएं पुलिस द्वारा की गई भारपीट के बारे में शिकायत करते हों (उदाहरणार्थ कनार्टक में मन्नीकेरी गाँव का मामला)।
- (5) जहाँ निवेदनकर्ता समाज के कमज़ोर वर्गों, जैसे—बच्चों, महिलाओं, अपाहिजों, अनुसूचित जातियों/जनजातियों, विस्थापितों, अल्पसंख्यकों आदि से सम्बंधित हों।
- (टिप्पणी:- कोई शिकायत तार/फैक्स द्वारा भेजी जाने से इस बात के लिए न्यायोचित नहीं ठहरती है कि उसे जरूरी तौर पर अत्यावश्यक समझा जाए। दूसरी और कोई निवेदन यदि साधारण डाक द्वारा भेजा गया है तो वह अति गम्भीर अपराध का मामला भी हो सकता है। साथ ही 'एमनास्टी इंटरनेशनल' तथा इस प्रकार के अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा भेजी गई सभी शिकायतें भी स्वतः अत्यावश्यक शिकायतें मानी जाएं ऐसा भी नहीं हो सकता। देखा गया है कि इस प्रकार की कुछ शिकायतें तो पुरानी शिकायतें थीं।)

#### (II) रिपोर्ट के मामले (रिपोर्ट केसेज) :

ऐसे मामलों में जिनमें आयोग ने नोटिस जारी किए हों और जहाँ मानवाधिकारों के गम्भीर उल्लंघन दर्शाने वाली रिपोर्ट प्राप्त हुई हों यह जरूरी हो जाता है कि उन पर गहन दृष्टि रखी जाए। इस समय ऐसी शिकायतों के मामले में गहन दृष्टि रखने की कोई पद्धति नहीं है। राज्य सरकारें कई बार जाँच के उपरान्त स्वयं इस बात को स्वीकार करती हैं कि मानवाधिकारों का गम्भीर उल्लंघन हुआ है। आयोग के अपने जाँच दलों द्वारा घटना स्थल पर जाँच करने पर भी मानव अधिकारों के गम्भीर उल्लंघन की बात साबित हो सकती है।

इनके अतिरिक्त, गहन दृष्टि रखने के लिए निम्नलिखित किस्म के मामलों को भी लिया जा सकता है :

- (i) ऐसे मामले जिनका प्रचार माध्यमों (मीडिया) में पर्याप्त कवरेज हुआ है और जिनके हल जानने के लिए आम जनता एवं अन्य सम्बंधित आतुर हों।
- (ii) ऐसे मामले जिनमें प्रभावित व्यक्तियों की संख्या काफी अधिक हो, जैसे—विस्थापित, किसी विशेष जाति, जनजाति, समुदाय के सदस्य आदि जो उस विवाद, में शामिल हों।
- (iii) ऐसे मामले जिन्हें प्राथमिक स्तर पर ही अत्यावश्यक समझा गया हो।



यह पंजीयक (विधि) तथा महानिदेशक (अ०) की जिम्मेदारी होगी कि वे ऐसे मामलों की पहचान करें और उन्हें सम्बंधित की जानकारी में लाएं। इन मामलों को अन्यों से अलग दर्शाने के लिए इनके लिए विशेष रंग के (लाल रंग के) कवरों/फोल्डरों का प्रयोग करना उचित रहेगा।

इन निर्देशों को तुरन्त लागू किया जाए।

हस्ताक्षर/-

(न्यायमूर्ति श्री एम. एन. वेंकटाचलय्य)  
अध्यक्ष



## राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग


### प्रक्रिया निर्देश संख्या-8 का अनुपूरक

2 जुलाई, 1998

#### अत्यावश्यक मामलों के संचलन पर गहन दृष्टि

प्रक्रिया निर्देश संख्या-8 द्वारा आयोग ने कुछ विशेष किस्म की शिकायतों को प्राथमिक चरण और बाद के चरणों में अत्यावश्यक शिकायतें समझने के लिए एक विस्तृत कसौटी तय की है। ऐसे मामलों को प्राथमिकता देने और आयोग में सभी सम्बन्धितों का उनकी तरफ तुरन्त ध्यान दिलाने की दृष्टि से निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाएगी।

- (i) सेंट्रल रिसीप्ट काउन्टर मानव अधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित सभी तारों, फैक्स संदेशों, वायरलैस संदेशों को उनकी प्राप्ति के तुरन्त बाद विधि प्रभाग के सम्बन्धित अनुभाग को भेजेगा।
- (ii) तार, फैक्स सन्देश, वायरलैस संदेश तथा अन्य शिकायतें/याचिकाएं प्राप्त होने पर सम्बन्धित सहायक रजिस्ट्रार उन्हें देखेगा और प्रक्रिया निर्देश संख्या 8 में निर्धारित मार्ग निर्देशों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय करेगा कि क्या अमुक मामले को अत्यावश्यक माना जाए। जिन शिकायतों की अत्यावश्यक शिकायतों के रूप में पहचान की जाएगी उनकी सम्बन्धित संवीक्षा फार्म (स्कूटिनी फार्म) में संवीक्षा की जाएगी और इस हेतु निर्धारित लाल रंग के फाइल कवर में रखकर उन्हें अत्यावश्यक मामलों की 'कॉजलिस्ट' के साथ आयोग के सम्बन्धित सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अत्यावश्यक मामले रजिस्ट्रार के सामान्य अथवा विशेष आदेश के तहत नियत सदस्य को प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त उन सभी शिकायतों की भी संवीक्षा की जाएगी, जिन्हें अत्यावश्यक माने जाने के लिए अथवा जिनके सम्बन्ध में तुरन्त कार्रवाई किए जाने के लिए अध्यक्ष या सदस्यों द्वारा निर्देश दिए गए हों। साथ ही इन मामलों को प्रोसेस करके तुरन्त इन निर्देशों के अनुसार आयोग के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा।
- (iii) अध्यक्ष अथवा सम्बन्धित सदस्य का निजी सचिव 'कॉजलिस्ट' के साथ अत्यावश्यक मामलों की फाइलों के प्राप्त होते ही उन्हें विचार के लिए तथा यथावश्यक आदेश/निर्देश के लिए अध्यक्ष अथवा सम्बन्धित सदस्य को प्रस्तुत करेगा और यथा सम्भव उसी दिन फाइल/फाइलों को सम्बन्धित अनुभाग को वापस करेगा। परन्तु किसी मामले में यदि



रजिस्ट्रार अथवा आयोग के किसी अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता हो, जिसके लिए अध्यक्ष/ सम्बंधित सदस्य ने विशेष निर्देश दिए हों तो उस फाइल को निदेशानुसार तत्काल कदम उठाने/अनुबर्ती कार्रवाई करने के लिए रजिस्ट्रार या सम्बन्धित अधिकारी को भेजा जाएगा। ऐसे में ‘कॉर्जलिस्ट’ में सम्बंधित मामले के आगे यह टिप्पणी अंकित की जाएगी कि फाइल आवश्यक कार्रवाई के लिए रजिस्ट्रार अथवा अमुक अधिकारी को भेजी गई हैं।

- (iv) अध्यक्ष अथवा सम्बंधित सदस्य के कार्यालय से अत्यावश्यक मामलों की फाइलों के आयोग के निर्देशों के साथ वापस प्राप्त होने पर सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी अपने अनुभागों में रखे गए अत्यावश्यक मामलों के रजिस्टर में सम्बंधित सभी मामलों की प्रवर्चित करेगा अथवा उनकी प्रविचित्यां करवायेगा और उसी दिन आयोग के निदेशानुसार अनुबर्ती कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित करेगा। ऐसी कार्रवाई किसी भी स्थिति में अगले दिन तक अवश्य पूरी कर ली जाएगी। जब तक कि आयोग ने कोई तारीख निश्चित न कर दी हो, सहायक रजिस्ट्रार/अनुभाग अधिकारी सम्बन्धित मामलों को पुनः अध्यक्ष/सम्बन्धित सदस्य के समुख प्रस्तुत करने के लिए कोई तिथि नियत कर देगा जो साधारणतया सम्बंधित प्राधिकरण से रिपोर्ट/प्रत्युत्तर मंगाने के लिए निर्धारित तारीख से तीन दिन के बाद की तारीख नहीं होगी।
- (v) अत्यावश्यक किसी के सभी मामलों में, जहां सुविधा उपलब्ध हो, सम्बन्धित प्राधिकरण को नोटिस/पत्र फैक्स अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा या दिल्ली स्थित प्राधिकरणों से सम्बन्धित मामलों में विशेष संदेश वाहकों के द्वारा भेजे जाएंगे। परन्तु यदि सम्बन्धित प्राधिकरण ऐसे स्थान पर स्थित है जहाँ पर संचार के उक्त साधन उपलब्ध नहीं हैं, तो पत्र रजिस्ट्रार के सामान्य अथवा विशेष आदेशानुसार भेजे जाएंगे। अतिमहत्वपूर्ण मामलों में रजिस्ट्रार विशेष संदेशवाहक (स्पेशल मैसेन्जर) द्वारा नोटिस/पत्र भेजने के निर्देश दे सकता है। परन्तु यदि शिकायत को केवल भेजने का निर्देश दिया गया हो, चाहे उसके सम्बन्ध में कार्रवाई रिपोर्ट मंगाई जाए अथवा नहीं मंगाई जाए, तो इससे सम्बन्धित पत्र जब तक कि अन्यथा निर्देश न दिया गया हो, अण्डर पोस्टिंग सर्टीफिकेट के तहत साधारण डाक से भेजा जाएगा। इस स्तर से ऐसे मामलों को अत्यावश्यक नहीं समझा जाएगा। इस प्रकार के मामलों के फाइल कवरों पर एक नीला-क्रास लगा दिया जाएगा।
- (vi) निर्धारित तिथि तक चाहे सम्बन्धित प्राधिकरण से प्रत्युत्तर प्राप्त हो या न हो, अत्यावश्यक मामलों को अगले आदेशों के लिए अध्यक्ष/शुरू में मामले पर विचार करने वाले और ग्राम्यक आदेश देने वाले सदस्य के समक्ष नियत तिथि को प्रस्तुत किया ही



जाएगा। यदि नियत दिन सम्बन्धित सदस्य न हो तो रजिस्ट्रार के सामान्य अथवा विशेष आदेशानुसार मामले को किसी दूसरे सदस्य के समुख प्रस्तुत किया जाए। अध्यक्ष/सम्बन्धित सदस्य का निजी सचिव सुनिश्चित करेगा कि मामले पर सम्बन्धित सदस्य विचार करें और आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश दें तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि आवश्यक निर्देशों के साथ वह फाइल सम्बन्धित अनुभाग में वापस पहुंच जाए। इसके लिए यह देखेगा कि फाइल, जहाँ तक सम्भव हो सके उसी दिन वापस चली जाए, जिस दिन आयोग ने अगली कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हों या उसके दूसरे दिन तक वापस हो जाए।

- (vii) और निर्देशों के साथ फाइल मिलने पर अनुभाग अधिकारी अगली कार्रवाई करेगा। यदि सम्बन्धित प्राधिकारी के प्रत्युत्तर को देखने पर आयोग उसका सारांश तैयार करने का निर्देश देता है तो यह सारांश तुरन्त तैयार किया जाएगा, लेकिन उस पर निर्देश दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह से अधिक समय नहीं लगाया जाएगा। सारांश तैयार किए जाने के बाद मामला अविलम्ब सम्बन्धित सदस्य के समुख पुनः प्रस्तुत किया जाएगा।
- (viii) कतिपय निश्चित निर्देशों के साथ मामले को अन्तिम तौर से निपटा दिए जाने के बाद उस पर अब प्रक्रिया निर्देश संख्या-10 के अनुसार एक अनुपालन मामले के रूप में कार्रवाई की जाएगी।

उक्त कार्य-पद्धति के लिए माननीय अयक्ष ने अपनी सहमति दे दी है।

हस्ताक्षर

(आर. सी. जैन)  
रजिस्ट्रार



## हिंदू राज्य मानव अधिकार आयोग

### प्रक्रिया निर्देश संख्या-9

18 मार्च, 1998

#### हिंदूसतीय मौतों से सम्बन्धित मामलों में कार्रवाई

यह देखा गया है कि हिंदूसतीय मौतों से सम्बन्धित कई मामलों पर कार्रवाई विभिन्न चरणों पर अटकी पड़ी है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि इन मामलों में न केवल तेजी से कार्रवाई की जाए अपितु यह अधिक नियमित रूप से भी की जाए। तबनुसार आयोग यह निर्देश देता है कि केवल हिंदूसतीय मौतों से सम्बन्धित मामलों से डील करने और उनमें आगे कार्रवाई के लिए एक 'सेल' की स्थापना की जाए। इसके लिए अभिलेख अनुभाग और बोर्ड ब्रांच के अधिकारी इनकी फाइलों को अलग से रखेंगे, ताकि विशेष सेल के कार्य में सुविधा हो सके। इस विशेष सेल के कार्य अन्य आवश्यक और तात्कालिक कार्यों के अलावा, सामान्यतया निम्न प्रकार होंगे :

- पुलिस तथा कारावासों सहित विभिन्न राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों और हिंदूसतीय मौतों को मॉनीटर करना, एक कम्प्यूटर प्रपत्र (फार्मेट) में उनके विवरण अंकित (रजिस्टर) करना, पूरी रिपोर्ट मंगाने के लिए उसी दिन समुचित प्रपत्र में सम्बन्धित सरकार/अभिकरण को नोटिस भेजना।
- राज्य आयोगों (जहां भी उनकी स्थापना की गई हो) से पता करना कि क्या सम्बन्धित मामला राज्य आयोगों के संज्ञान में आया है और क्या उसके द्वारा उसकी जांच की जा रही है। यदि राज्य आयोगों द्वारा उस पर विचार किया जा रहा है तो उस मामले में हिंदूसतीय मौत की रिपोर्ट अंकित की जाए।

(टिप्पणी-1 परन्तु राज्य आयोगों द्वारा रजिस्टर किए गए मामलों के आंकड़े समय-समय पर उनसे एकत्रित किए जाएं, ताकि आयोग द्वारा वार्षिक तौर पर तैयार किये जाने वाले हिंदूसतीय मौतों के देशव्यापी विस्तृत सांख्यिकीय डाटाबेस में वे सभी मामले भी शामिल हों जिन पर राज्य आयोगों द्वारा कार्रवाई की गई हो।)

(टिप्पणी-2 इस प्रकार के सांख्यिकीय संकलन को तैयार करने की दृष्टि से राज्य आयोगों से अनुरोध किया जाए कि वे हिंदूसतीय मौतों के स्किर्ड और प्रबोधन के लिए इसी प्रकार के समान सॉफ्टवेयर/फार्मेट तैयार करें, इस बारे में मामला प्रशासनिक स्तर पर राज्य आयोगों के साथ उठाया जाए।)



3. विशेष सेल सम्बन्धित राज्य सरकार/प्राधिकरणों से तत्काल इन्क्वेस्ट रिपोर्ट तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट (आयोग द्वारा यथा निर्धारित आटाप्सी फार्म में) डाक्टरी चिकित्सा के रिकार्ड, यदि जेल में रहते समय बन्दी की किसी प्रकार की चिकित्सा की गई हो, वीडियो फिल्मिंग, यदि पोस्टमार्टम परीक्षण की वीडियों टेप तैयार की गई हो सहित एक विस्तृत रिपोर्ट मंगाएगा।
4. इन सभी अभिलेखों की जांच करने के बाद यदि पोस्टमार्टम, रिपोर्ट की प्रमाणिकता, विश्वसनीयता अथवा ग्राह्यता के लिए प्रति-पृच्छा (क्रास वैकिंग) की आवश्यकता हो अथवा उसके लिए औचित्य ठहरता हो, तो सेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तत्सम्बन्धी अन्य चिकित्सीय रिपोर्टों को पास-पास रखकर वीडियो फिल्म संवीक्षा करने के लिए आयोग द्वारा रखी गई न्यायिक विशेषज्ञों की सूची में से किसी एक विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त करेगा, ताकि इस बारे में उत्पन्न कोई भी शक अथवा संदेह को समाप्त किया जा सके कि मौत किसी हिरासतीय मार-पीट, डाक्टरी उपचार समय पर उपलब्ध कराने में लापरवाही आदि का परिणाम थी। यदि न्यायिक विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार मौत का कारण किसी मार-पीट अथवा डाक्टरी उपचार में लापरवाही बरतना दर्शाती है तो विशेष सेल सम्बन्धित सरकार /प्राधिकरण को भेजने के लिए एक समुचित कारण बताओ (शो-कॉज) नोटिस तैयार करेगा, जिसमें उनसे कहा जाएगा कि वे बताएं कि आयोग इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन/विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए समुचित सिफारिश क्यों न करे। साथ ही आयोग, इसके अतिरिक्त, पीड़ित (विकिटम) के आश्रितों को तत्काल यथोचित अन्तरिम सहायता दिए जाने के लिए क्यों न सिफारिश करे।
5. रिपोर्ट मंगाने के लिए तुरन्त कार्रवाई करे, रिपोर्ट तुरन्त उपलब्ध कराने के लिए सम्बन्धित सरकार/प्राधिकरण को स्मरण-पत्र भेजे।
6. कारण बताओ (शो-कॉज) नोटिस प्रत्युत्तर प्राप्त हो जाने पर सम्बन्धित सरकार/प्राधिकरणों द्वारा बताए गए आधारों अथवा कारणों का विश्लेषण करना अथवा निर्धारित समयावधि के अन्दर कोई प्रत्युत्तर न आए तो यह मानकर आगे कार्रवाई करना कि सम्बन्धित सरकार/प्राधिकरणों को कोई कारण नहीं बताने हैं और आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए समुचित सिफारिश का मसौदा तैयार करना।
7. विशेष सेल इस बात को सुनिश्चित करेगा कि रिपोर्ट के प्राप्त होने की तारीख से अन्तिम सिफारिश किए जाने तक का समय सामान्यतया चार माह से अधिक न हो।



श्री के. एल. गांधी, सहायक रजिस्ट्रार (विधि) इस सेल के प्रभारी (इन्चार्ज) होंगे और वे मामलों को आगे चलाएंगे।

8. आयोग में, हिरासतीय मौत के मामलों की प्रगति की मानीटरिंग के लिए विशेष सेल एक समुचित कम्प्यूटर-सॉफ्टवेयर तैयार करेगा, ताकि इन मामलों में कार्रवाई के समुचित चरणों पर तुरन्त समय-समय पर ध्यान आकर्षित कराया जा सके। इस प्रकार के साफ्टवेयर में अन्य विवरणों के साथ-साथ ये विवरण भी होने चाहिए-घटना का स्थान (जेल, जुड़ीशियल लॉक-अप आदि) तथा उसकी स्थिति (राज्य जिला, तहसील थाना आदि) कैदी के जेल में प्रवेश की तारीख, कैद की या कारावास की तारीख (तथा पुलिस हिरासत में मौत के मामलों में क्या बासु के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार डाक्टरी जाँच की गई थी), कारागार के मामले में क्या प्रवेश के समय कोई आरभिक डाक्टरी जाँच की गई थी, प्रवेश अथवा कैद के समय आयु, आश्रितों के विवरण तथा पता, प्राधिकारियों द्वारा बताए अनुसार मौत का कारण, क्या पोस्ट-मार्टम और इन्क्वेस्ट जाँच की गई है और यदि हाँ, तो क्या आयोग में उनकी प्रतियां प्राप्त हुई, क्या पोस्ट-मार्टम की वीडियो-फिल्मिंग की गई और क्या आयोग में वीडियो टेप और अन्य संगत विवरण भी प्राप्त हो गए हैं।
9. हिरासतीय मौत के मामलों में कम्प्यूटर में रिकार्ड की गई और फाइलों में अंकित की गई सामग्री के विश्लेषणों के आधार पर विशेष सेल यहाँ संलग्न नमूनों के अनुसार चार्ट तैयार करेगा।
10. हिरासतीय मौत के मामलों का वर्षवार व्यौरा दर्शाते हुए तिमाही विवरण तैयार करना (पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामलों और कारावास की हिरासतीय मौत के मामलों को अलग-अलग दर्शाते हुए) साथ ही यह दर्शाते हुए कि वे आयोग में किन-किन चरणों में लम्बित हैं। क्या वे ऐसे चरण पर लम्बित हैं जहाँ से अभी पूरी रिपोर्ट आनी बाकी है, क्या पूरी रिपोर्ट भिलने के बाद से अगले चरण पर लम्बित हैं, क्या वे ऐसे चरण पर लम्बित हैं जहाँ पर से कारण बताओ (शो-कॉर्ज) नोटिस जारी किए गए हैं, परन्तु उनके प्रत्युत्तर नहीं मिले हैं; क्या वे कारण बताओ (शो-कॉर्ज); नोटिस के प्रत्युत्तर प्राप्त होने के बाद अन्तिम सिफारिशों किए जाने से पूर्व के चरण पर लम्बित हैं। यहाँ अन्तिम किस्म के मामलों को अन्तिम रूप से निपटाए जाने वाले मामलों के रूप में दर्शाया जाएगा।

हस्ताक्षर/-

(न्यायमूर्ति श्री एम. एन. वेंकटाचलय्य)

अध्यक्ष



## दाष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

### प्रक्रिया निर्देश संख्या-10

जब आयोग द्वारा सम्बन्धित प्राधिकरण को निर्देश देते हुए/को सिफारिशों करते हुए किसी मामले को अन्तिम रूप से निपटा दिया जाए और जिनमें प्राधिकरणों से कतिपय कार्रवाई की अपेक्षा की गई हो और उसके बारे में अनुपालन की जानकारी चाही गई हो, तो ऐसे मामलों पर अनुपालन के मामलों के रूप में कार्रवाई की जाएगी। रजिस्ट्रार द्वारा इन मामलों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से सम्बन्धित प्राधिकरण के साथ डील किया जाएगा। वे मामलें जिनमें सम्बन्धित प्राधिकरणों ने पूर्ण अनुपालन की जानकारी दे दी हो, सूचना और अगले निर्देशों, यदि हों, के लिए आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

ऐसे में जहाँ सम्बन्धित प्राधिकरण/प्राधिकरणों के साथ मामलों को उठाये जाने पर भी अनुपालन की जानकारी नहीं प्राप्त हो रही हो अथवा जहाँ अनुपालन में अनावश्यक विलम्ब हो रहा हो या सम्बन्धित प्राधिकरण आयोग के आदेशों/निर्देशों का अनुपालन करने में अपनी मंशा/अशक्तता व्यक्त कर दी हो, उन्हें अगले निर्देशों के लिए आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आयोग के मूल निर्देशों/सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से रजिस्ट्रार किसी भी मामले को अगले जरूरी निर्देशों के लिए आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा।

बोर्ड-ब्रांच अनुपालन के सभी मामलों के लिए एक रजिस्टर रखेगा। जब तक अनुपालन पूरा नहीं हो जाता तब तक सप्ताहिक आधार पर निर्देश प्राप्त करने के लिए इन मामलों को समय-समय पर रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा। रजिस्ट्रार समुचित मामलों में आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारी को सशर्त सम्मन भेज सकेगा, जिसमें यह उल्लेख किया जाएगा कि यदि एक निर्धारित तिथि तक आयोग को अनुपालन की सूचना दे दी जाती है तो प्राधिकारी को वैयक्तिक उपस्थिति से छूट होगी। यह निर्धारित तिथि आयोग के समक्ष प्राधिकारी के उपस्थित होने की तारीख से साधारणतया 10 दिन पूर्व की होगी।

हस्ताक्षर/-

(न्यायमूर्ति श्री एम. एन. वेंकटाचलय्‌)  
अध्यक्ष



अनुबंध-II

**राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित की गई हिरासतीय मौतों का व्यौदा दर्शाने वाला विवरण**

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	पुलिस हिं0 1.4.96 से 31.3.97			पुलिस हिं0 1.4.97 से 31.3.98		
		न्या	कुल	न्या	कुल		
1.	आंध्रप्रदेश	27	70	97	21	52	73
2.	अरुणाचलप्रदेश	02	—	02	02	02	04
3.	অসম	13	12	25	14	20	34
4.	बिहार	14	79	93	09	110	119
5.	गोवा	02	—	02	—	03	03
6.	गुजरात	18	32	50	09	28	37
7.	हरियाणा	02	07	09	03	08	11
8.	हिमाचल प्रदेश	01	—	01	—	—	—
9.	जम्मू एवं कश्मीर	04	—	04	02	—	02
10.	कर्नाटक	08	28	36	06	35	41
11.	केरल	06	09	15	06	29	35
12.	मध्य प्रदेश	08	07	15	18	43	61
13.	महाराष्ट्र	21	180	201	19	115	134
14.	मणिपुर	01	—	01	01	—	01
15.	मेघालय	—	10	10	02	—	02
16.	मिजोरम	—	—	—	—	01	01
17.	नागालैण्ड	02	01	03	01	—	01
18.	उड़ीसा	03	10	13	04	19	23
19.	पंजाब	05	12	17	11	26	37
20.	राजस्थान	05	25	30	12	32	44
21.	सिकिम	—	—	—	—	—	—
22.	तनिलनाडु	03	18	21	11	55	66
23.	त्रिपुरा	—	—	—	03	—	03
24.	उत्तर प्रदेश	32	139	171	16	169	185
25.	पश्चिम बंगाल	06	42	48	10	43	53
26.	अण्डमान एवं निकोबार	—	—	—	—	—	—
27.	चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—
28.	दादर एवं नगर हवेली	—	—	—	—	—	—
29.	दम्न व दीयू	—	—	—	—	—	—
30.	दिल्ली	05	19	24	12	29	41
31.	लक्ष्मीप	—	—	—	—	—	—
32.	पांडिचेरी	—	—	—	01	—	01
कुल		188	700	888	193	819	1012

पी0सी0—पुलिस हिरासत,

जे0सी0—न्यायिक हिरासत



अनुबंध-III

**राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग  
सदराद पटेल भवन, संसद मार्ग**

**लाई दिल्ली-110 001**

आर०वी० पिल्लै.

महासचिव

फोन ०११-३३४६२४५

अ०स० पत्र सं०-१५(१३) / ९७-समन्वय

तारीख १ अगस्त, १९९७

प्रिय श्री.....

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिकारी आयोग के कानूनी दायित्वों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कार्यों के सम्बंध में आयोग द्वारा जारी किए गये निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न राज्यों का दौरा करते हैं।

2. विभिन्न राज्यों में पुलिस हवालातों (पुलिस लॉक-अप) की स्थिति के सम्बन्ध में आयोग को मिली रिपोर्टों के सन्दर्भ में आयोग ने निर्णय किया है कि राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाए कि वे अपने राज्यों के दौरे के समय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिकारियों को अपने पुलिस हवालातों को देखने की अनुमति दें।
3. तदनुसार आपसे मेरा अनुरोध है कि आपके राज्य में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिकारियों के दौरे के समय अपने पुलिस हवालातों को देखने जाने की सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।
4. इस सम्बन्ध में जारी किए गए निर्देशों की पुष्टि में यदि मुझे पत्र द्वारा जानकारी भिजवा देंगे तो यह सराहनीय होगा।

शुभकामनाओं सहित

आपका  
हस्ताक्षर /-

(आर० वी० पिल्लै)

सेवा में

समस्त मुख्य सचिव/राज्य  
संघ राज्य क्षेत्र प्रशासक



## थानों में हवालात (लॉक-अप) की स्थिति देखने जाने वाले राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिकारियों के लिए जांच सूची

1. पुलिस हवालात के आकस्मिक दौरे के समय वहां पर बन्द किए गए व्यक्तियों के नाम नोट कर लिए जाने चाहिए। साथ ही उनके पते और अन्य विवरण, जैसे उनकी गिरफ्तारी का समय, तारीख स्थान तथा कारणों को भी नोट कर लिया जाए।
2. यह देखा जाए कि क्या थाने की स्टेशन डायरी में सम्बन्धित व्यक्ति की गिरफ्तारी तथा उसके मित्र या सम्बन्धी, जिसे उसकी गिरफ्तारी की जानकारी दी गई है, के नाम तथा उन पुलिस अधिकारियों का ब्यौरा अंकित किया गया है जिनकी हिरासत में कैदी को रखा गया है।
3. इस बात का पता लगाया जाए कि क्या गिरफ्तार व्यक्ति की किसी चिकित्सक से जांच कराई गई है। यदि कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में है तो उसकी प्रत्येक 48 घण्टे के बाद किसी प्रशिक्षित डाक्टर से जांच कराई जानी चाहिए।
4. गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का एक 'मेमो' जारी किया जाना चाहिए, जिस पर एक गवाह के हस्ताक्षर तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिए।
5. दौरे पर आने वाला अधिकारी हवालात की स्थिति की जांच करेगा और यह देखेगा कि क्या समुचित स्तर के कम्बल और गदे दिए गए हैं और क्या वे साफ और स्वच्छ हैं और शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
6. यह देखा जाना है कि क्या डी.के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मुकदमे में उच्चतम न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी अथवा कैद के सभी मामलों सम्बन्धी अपेक्षाओं के बारे में जो निर्देश दिए गए हैं उनको थाने में किसी खुली जगह पर साफ तौर से अंकित किया गया है।
7. दौरे पर जाने वाले अधिकारी निम्नलिखित की भी जांच करेंगे :
  - (क) यह पता करेंगे कि क्या थाने में निरुद्ध किए गए व्यक्तियों को कैदी के रूप में नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि कई थानों में यह एक आम प्रक्रिया बन चुकी है। यदि पुलिस की कोई शिकायत हो तो उसे भी नोट किया जाए।
  - (ख) दौरे के समय थाने में उपस्थित पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों की शारीरिक और मानसिक स्थिति को भी नोट करेंगे।



पुलिस हवालात (लॉक-अप) का निरीक्षण करने वाले राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिकारियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए के बारे में निर्देश।

1. पुलिस हवालात का दौरा पूर्व सूचना दिए बिना किया जाना चाहिए। ऐसे दौरे आकस्मिक होने चाहिए।
2. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिकारी दौरे के लिए तथा आकस्मिक जांच के लिए अपने साथ आयोग के आदेश ले जाएंगे, जिनमें इसके लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया हो।
3. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिकारियों को चाहिए कि वे थानों में उपस्थित और अपनी डयूटी कर रहे पुलिस अधिकारियों के साथ शिष्टाचार और शालीनता का व्यवहार करें। वे कोई दबाव नहीं डालें और न ही अपनी शान जताएं।
4. पुलिस थाने की डायरी में या किसी अन्य रिकार्ड में कुछ न लिखें। यदि कोई गम्भीर कमी दिखाई दे, जिसकी ओर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का ध्यान दिलाना जरूरी हो तो तभी वे पुलिस अधीक्षक को या पुलिस उपाधीक्षक को टेलीफोन कर उसके ध्यान में अपने द्वारा देखी गई कमी को लाए। किसी भी परिस्थिति में उनके द्वारा थाने में अपने दौरे के बारे में प्रेस को या इलेक्ट्रानिक मीडिया को कोई बयान नहीं दिया जाएगा।
5. अपने दौरे के बाद वे महानिदेशक (अन्वेषण) को एक टिप्पणी (नोट) प्रस्तुत करेंगे, फिर महानिदेशक (अ0) द्वारा उस टिप्पणी को आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा।



## अनुबंध-V

### भारत के उच्चतम न्यायालय में दिट याचिका संख्या-310/1996

निम्नलिखित के मामले में :

प्रकाश सिंह तथा अन्य वादी

बनाम

भारत संघ तथा अन्य प्रतिवादी

उपचायात्मक उपायों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का निवेदन

1. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने देश में पुलिस-व्यवस्था के गुणात्मक सुधार के लिए अपने प्रति-हलफनामे में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए अनुरोध किया। आयोग का विचार है कि :

- (i) पुलिस जाँच कार्य में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की दृष्टि से पुलिस विंग को बाह्य राजनैतिक दबाओं से दूर रखना आवश्यक है।
- (ii) राज्यों में पुलिस प्रमुखों के बार-बार स्थानांतरण के खतरों को दूर किया जाए। उनका उचित तौर पर और सावधानीपूर्वक चयन करने के बाद उनकी पद स्थापना कानूनी तौर पर सुनिश्चित की जाए।
- (iii) राज्य सुरक्षा और पुलिस सत्यनिष्ठा आयोग (स्टेट सिक्युरिटी एण्ड पुलिस इन्टेरिटी कमीशन) का गठन किया जाए, ताकि राज्य सरकार कानून के दायरे में अधीक्षण के अपने दायित्व को प्रभावी रूप से निभा सके।

2. आयोग महसूस करता है कि आज देश अपराध के राजनीतीकरण और राजनीति के अपराधीकरण के दृश्य का अवलोकन कर रहा है। वोहरा समिति की रिपोर्ट (जिसे आयोग ने अपने प्रति-हलफनामे के साथ संलग्न किया है) में भी अपराधियों राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों की मिलीभगत की अनिष्टकारी प्रवृत्ति होने की बात कही है, जो अत्यधिक बढ़ चुकी है, जिसके साथ पुलिस का राजनीतीकरण भी शामिल हो गया है। इससे प्रजातांत्रिक समाज के अस्तित्व को ही खतरा हो गया है।

3. आयोग ने अपने प्रति-हलफनामे में इंग्लैण्ड में पुलिस स्वतंत्रता के सिद्धांत का भी उल्लेख



किया है तथा पुलिस के उत्तरदायित्व और वह भी केवल कानून के प्रति जवाबदेही के सम्बन्ध में, रॉयल कमीशन ॲफ पुलिस 1962 तथा लार्ड डेनिंग के विचारों का अनुसमर्थन किया है। आयोग इस सम्बन्ध में कुछ अन्य देशों में विद्यमान परिपाटी की ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहेगा।

4. कनाडा की पुलिस फोर्स प्रचालन की दृष्टि से सभी स्तरों पर स्वतंत्र होती है और फोर्स के दायरे में केवल प्रचालनात्मक निर्देशों (आपरेशनल डायरेक्टर) का पालन करती है। रायल कनाड़ियन माउन्टेड पुलिस (आर.सी.एम.पी.) संघीय पुलिस कार्यकरण के मामले में संघीय महाअधिवक्ता (फेडरल सालीसीटर जनरल), जो भारत के केन्द्रीय गृहमंत्री के समकक्ष है) को रिपोर्ट करती है। प्रांत के स्तर पर पुलिस फोर्स प्रान्तीय महाअधिवक्ता अथवा समकक्ष को, जो भारतीय राज्यों के गृहमंत्रियों के बराबर होते हैं, को रिपोर्ट करती है। लेकिन फिर भी पुलिस के प्रचालनात्मक (आपरेशनल) कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता। साथ ही वहां पर पुलिस की जवाबदेही लागू करने के लिए भी व्यवस्था है। आर.सी.एम.पी. के मामले में वहां पर "आर.सी.एम.पी. पब्लिक कम्पलेन्ट्स कमीशन" भी है।

5. न्यूजीलैंड में पुलिस अधिनियम, 1988 में यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की गई है कि पुलिस को यहां तक कि कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी प्रभारी मंत्री के निर्देशानुसार काम न करना पड़े। वहां पर पुलिस कमिशनर और पुलिस मंत्री के संवैधानिक सम्बन्ध अन्य सभी सरकारी अभिकरणों के मुख्य कार्यकारियों और उनके मंत्रियों के सम्बन्धों में अन्तर है। जहाँ पुलिस कमिशनर पुलिस के सामान्य प्रशासन के मामलों में पुलिस मंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है, वहाँ वह विशेष मामलों में कानून लागू करने में मंत्री के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होता। कमिशनर कानून लागू करने वाले अभिकरणों को निर्देश देने में अपनी ड्यूटी निभाने में सरकार के नियंत्रण से मुक्त रहता है। उपर्युक्त प्रचालनात्मक स्वतंत्रता के रहते हुए भी पुलिस पदाधिकारी सरकार के अंग होते हैं और सरकार की नीतियों का पालन करते हैं।

6. आयोग का यह दृढ़मत है कि पुलिस स्वायत्तता संतुलित हो और पुलिस अपनी जवाबदेही निभाए। इसलिए पुलिस स्वतंत्रता के सिद्धान्त, जिसका ग्रेट ब्रिटेन (इंग्लैण्ड) में पालन किया जाता है, का अनुसमर्थन करते हुए आयोग ने इस सम्बन्ध में लण्डन मेट्रोपोलिटन पुलिस के सुविख्यात पूर्व आयुक्त सर राबर्ट मार्क के कथन का उल्लेख किया है कि 'ग्रेट ब्रिटेन में पुलिस कानून के प्रति जवाबदेह है, जिसके कारण वह कम शक्ति सम्पन्न उत्तरदायी है और विश्व में सबसे अधिक मान्य पुलिस है।' किसी भी लोकतंत्रात्मक समाज में पुलिस को अल्प प्राधिकार वाला और उच्च दायित्व वाला होना चाहिए।

7. आयोग का विचार है कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा जिस राज्य सुरक्षा आयोग की सिफारिश की गई है उसका गठन यद्यपि भिन्न तरीके से किया जाएगा, तथापि यह पुलिस की राजनैतिक



तटस्थिता और पेशेवर सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने में काफी सहायक सिद्ध होगा। फिर भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग महसूस करता है कि राज्य सुरक्षा आयोग का गठन इस प्रकार करना होगा जिससे कि जनता इसे राजनैतिक दृष्टि से संतुलित और न्यायोन्मुख संस्था के रूप में देखे। इस प्रकार की संस्था के सांविधिक नियंत्रण में काम करने से पुलिस को तत्काल जनता का विश्वास प्राप्त होगा और उसकी छवि सुधरेगी, जो इस समय बहुत बिगड़ी हुई है।

8. आयोग, मानव अधिकारों के उल्लंघन के सम्बन्ध में पुलिस के विरुद्ध मिलने वाली शिकायतों में निराशात्मक वृद्धि से बहुत खिन्न है और महसूस करता है कि पुलिस को नियंत्रित करने का मामला अत्यावश्यक है और उस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। पुलिस को कानून के प्रति जवाबदेह होना चाहिए और उसे कानून के चार आधारों के अन्तर्गत रहते हुए कार्य करना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस स्वायत्तता कहीं निरंकुशता में न बदल जाए, यह जरूरी है कि उस पर आवश्यक प्रतिबन्ध लगाए जाएं और उसे नियंत्रण में रखा जाए। इस सम्बन्ध में आयोग में प्रेसिडेन्ट्स कमीशन आफें लॉ एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की रिपोर्ट में से उद्धरण प्रस्तुत किए हैं। भारतीय स्थितियों एवं प्रत्यक्ष वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग महसूस करता है कि अपराध अन्वेषण के लिए विशेष व्यवस्था किए जाने और उपर्युक्त पुलिस आयोग की अन्य सिफारिशों के अतिरिक्त पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा इसे नागरिकों के अधिकारों के प्रति और उन्मुख बनाने के लिए निम्नलिखित अन्य उपाय भी जरूरी हैं :

#### (I) हिरासतीय मौतों की न्यायिक जांच अनिवार्य

आयोग हिरासतीय मौतों की घटनाओं के बढ़ने से बहुत ही चिन्तित है और किशोरी सिंह बनाम राजस्थान राज्य (ए.आई.आर., 1982, एस.सी.625) के मामले में उच्चतम न्यायालय के कथनों का सर्वथन करता है कि “इस बात से अधिक कायरता एवं घोर अनैतिकता और कुछ नहीं है कि किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में पीटा जाए। साथ ही हमारी संवैधानिक संस्कृति पर इससे बढ़कर आघात और किसी बात से नहीं पहुंचता है कि राज्य का कोई पदाधिकारी मानव अधिकारों की परवाह न करते हुए उन्मत्त हो जाए”。 आयोग की चिन्ता इस बात की जानकारी से और बढ़ गई है कि हिरासतीय मौतों और क्रूरता को शिकार गरीब तबके के और सुविधाहीन लोग बनते हैं। आयोग इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की इस सिफारिश से सहमत है कि हिरासतीय मौतों और बलात्कारों के मामलों में न्यायिक जांच अनिवार्य कर दी जाए। जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जिला जांच प्राधिकरण की स्थापना किए जाने के सम्बन्ध में पुलिस आयोग के प्रस्ताव का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा अनुमोदन किया गया है। इस सिफारिश को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की सहमति से तत्काल कार्यान्वयित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सम्बवः उच्चतम न्यायालय समुचित निर्देश जारी कर सकता है।



## (II) गिरफ्तार करने के लिए मार्ग निर्देश

गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को इस समय जो अधिकार प्राप्त है अधिकतर उसका प्रयोग विभिन्न स्थितियों में दुर्भावनापूर्ण विचार से लोगों को परेशान और अपमानित करने के लिए किया जाता है। कुछ दुर्भावनापूर्ण गिरफ्तारियों का पर्दाफाश तब होता है जब उसके सम्बन्ध में उच्च न्यायालयों में बन्दी प्रत्यक्षीकरण की याचिकाएं दायर की जाती हैं। लेकिन हर समय जो इतनी सारी औचित्य विहीन गिरफ्तारियां हो रही हैं उनकी तुलना में इस प्रकार के पर्दाफाश अपने आप में बहुत कम हैं। राष्ट्रीय पुलिस आयोग (एन.पी.सी.) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सामान्यतया 60 प्रतिशत गिरफ्तारियां अनावश्यक होती हैं अथवा उनका कोई औचित्य नहीं होता है। ऐसी औचित्य विहीन पुलिस कार्रवाई का खर्च जेलों के कुल खर्च का 43.2 प्रतिशत बैठता है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने इस सम्बन्ध में कुछ मार्ग निर्देश (गाइड लाइन्स) निर्धारित किए हैं, जिनका उच्चतम न्यायालय ने भी अनुसमर्थन किया है। इस सम्बन्ध में बिलकुल स्पष्ट विभागीय अनुदेश होने चाहिए कि पुलिस अधिकारी किसी भी गिरफ्तारी के मामले में उसके कारणों को दर्शाते हुए उसकी प्रविष्टि केस डायरी में करे, ताकि निर्धारित मार्ग निर्देश के अनुरूप आवश्यक स्पष्टीकरण उपलब्ध हो। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के लिए उच्चतम न्यायालय ने जोगिन्द्र कुमार बनाम उत्तरप्रदेश राज्य जे.टी. 1943 (3) एम.सी. 423 के मुकदमें में विशिष्ट मार्ग निर्देश निर्धारित किए हैं, जिनको सभी पुलिस मैनुअलों एवं विनियमों में शामिल किया जाना चाहिए।

9. प्रजातांत्रिक समाज में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है तथा समाज, जैसा कि लॉर्ड डैनिंग ने कहा है, 'पुलिस के बिना कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए पुलिस को अधिक दक्ष, जवाबदेह और मानवीय बनाने के लिए आवश्यक उपाय करना बहुत जरूरी है।' भारत में पुलिस कई कारणों से, जिनमें कुछ ऐतिहासिक हैं और कुछ राजनैतिक है, राजनीतिज्ञों की डोरी से बंधी रही है। देश में पुलिस में कोई व्यवस्थित परिवर्तन नहीं हुआ है। अभी तक पुलिस अधिनियम, 1861 ही लागू है। अमेरिकन लेखक प्रो.डेविट बेले ने (भारत में पुलिस और राजनीतिक विकास में) स्पष्ट शब्दों में कहा है।

'आधुनिक भारत में कानून का शासन, जिस पर न्याय-व्यवस्था टिकी होती है, राजनैतिक व्यवस्था के कारण अनिश्चित बना हुआ है। प्रजातंत्र के नाम पर पर्यवेक्षण द्वारा इसका आधार कमज़ोर हुआ है, जब कि दण्ड न्याय-व्यवस्था की निष्पक्षता इसी पर निर्भर होती है।'

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है—'सम्पूर्ण भारत में इतने बड़े स्तर पर उत्तीर्ण जारी रहने का मुख्य कारण यह है कि यहाँ पर पुलिस अपने को निरापद समझती है। पुलिस भली भाँति जानती है कि यदि वह पीड़ित (व्यक्ति) को मार भी देगी और यहाँ तक कि यदि सच्चाई प्रकट भी हो



जाएगी, तो भी उसे इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। उत्पीड़न जारी रहने के संस्थागत पहलुओं में ये शामिल हैं—पुलिस के प्रति जनता की नकारात्मक धारणा तथा पुलिस कार्यकरण की खराब दशाएँ, पुलिस को मिलने वाला अपर्याप्त प्रशिक्षण और अपर्याप्त सुविधाएँ, उसके कार्य निष्पादन के निर्देशन में अत्यधिक राजनैतिक लिप्तता तथा सरकार द्वारा यह जिम्मेवारी उठाने में निष्फलता कि पुलिस अपना कार्य निश्चित तौर पर कानून के दायरे में करे।

पुलिस में सुधार के लिए की गई सिफारिशों, जैसे—राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा 1979 से की गई सिफारिशों की उत्तरोत्तर बनी केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा लगातार उपेक्षा की गई। पुलिस को बहुत कम वेतन जाता है, जबकि वह कठिन दशाओं में काम करती है, पुलिस वालों के लिए आवास की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। साथ ही उन्हें पद की सुरक्षा भी प्राप्त नहीं है।

10. सभी परिस्थितियों तथा पुलिस व्यवस्था में प्रभावी नियंत्रण के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता पर विचार करने पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सुधारात्मक उपायों के लिए निम्नलिखित सिफारिशें करता है :

(I) **पुलिस के अन्वेषण विंग को कार्यकारी अपराध गुप्तचरी कार्यों से अलग करना**

पुलिस के अन्वेषण विंग को बाहरी खींचतान और दबावों से प्रभावी रूप से अलग करने के लिए उसको विशिष्ट रूप दिया जाए। इस हेतु उस पर कानून और व्यवस्था तथा इसी प्रकार के दूसरे विविध कामों का भार न डाला जाए।

(II) **पुलिस सुषुप्ति और सत्यनिष्ठा आयोग का गठन**

आयोग का स्वरूप: फिलहाल यह एक गैर-सांविधिक परामर्शदायी तथा सिफारिशें करने वाली संस्था के तौर पर रहेगा। इसका अपना अलग से कोई सचिवालय नहीं होगा और यह एक सिफारिश करने वाले और परामर्श देने वाले अभिकरण के रूप में कार्य करेगा (इसके कार्यकरण के अनुभव के आधार पर ही आयोग को सांविधिक स्तर प्रदान किया जाएगा)।

राज्य का पुलिस महानिदेशक इसका पदेन सचिव एवं संयोजक होगा और आयोग को समय—समय पर उसकी आवश्यकता के अनुसार अपने यहां से सचिवालयी सहायता प्रदान करेगा।

**गठन :**

1. आयोग में पांच सदस्य होंगे:-

राज्य का मुख्यमंत्री अथवा गृह मंत्री

अध्यक्ष



- |    |  |       |
|----|--|-------|
| 2. | राज्य का लोकायुक्त, यदि हो, उसके न होने पर उच्च न्यायालय का एक सेवा निवृत्त न्यायाधीश, जिसे सम्बन्धित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाएगा, अथवा राज्य मानव अधिकार आयोग का एक सदस्य जो राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा नामित किया जाएगा | सदस्य |
| 3. | राज्य उच्च न्यायालय का एक कार्यरत अथवा सेवा निवृत्त न्यायाधीश, जिसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाएगा।  | सदस्य |
| 4. | सम्बन्धित राज्य सरकार का मुख्य सचिव  | सदस्य |
| 5. | राज्य विधानमण्डल के निचले सदन में विपक्ष का नेता   | सदस्य |

उक्त पदों के लिए कोई वेतन अथवा पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा।

गैर-सरकारी सदस्यों को बैठकों में आने के लिए केवल फीस दी जाएगी।

कार्य :

- पुलिस के निरोधक और सेवापरक कार्यों के निष्पादन के लिए व्यापक नीतिपरक मार्ग—निर्देशनों और निर्देशों का अभिनिर्धारण करना।
  - विधानमण्डल को अपने कार्यों से सम्बन्धित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
  - अपने कर्तव्य निष्पादन के लिए प्राप्त अवैधानिक अथवा अनियमित आदेशों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक और इससे ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी के अभ्यावेदन के निपटान के लिए एक मंच (फोरम) के रूप में काम करना।
  - पुलिस अधीक्षक और इससे ऊपर के रैंक में पदोन्नति के सम्बन्ध में पुलिस अधिकारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों के निपटान के लिए अपेक्षित सिफारिश करने वाले मंच (फोरम) के रूप में काम करना।
  - यह सुनिश्चित करना कि पुलिस अधीक्षक तथा इससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों का आयोग से मंजूरी लिए बिना समय पूर्व स्थानांतरण नहीं किया जाए तथा



6. यह सुनिश्चित करना कि पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश नियमानुसार केवल उसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्समय लागू किए जाएं जो ऐसे आदेश करने अथवा उन्हें लागू करने के लिए सक्षम हैं।

### (III) जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण :

#### स्वरूप :

यह भी एक गैर-सांविधिक संस्था के रूप में काम करेगा, जो पुलिस ज्यादतियों, मनमानी गिरफ्तारियों और बन्दीकरण, आपराधिक मामलों में फंसाने, हिरासतीय मार-पीट आदि के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त शिकायतों की जांच करेगा तथा सरकार को और राज्य या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को यथोचित सिफारिशें करेगा।

#### गठन :

- |    |  |         |
|----|--|---------|
| 1. | सम्बन्धित जिले का मुख्य डिस्ट्रिक्ट जज | अध्यक्ष |
| 2. | जिला कलक्टर                            | सदस्य   |
| 3. | जिले का प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक   | सदस्य   |

#### कार्य :

जनता के प्रति अभद्र और असम्भ बरताव, अधिकारों के दुरुपयोग, शक्ति के गलत प्रयोग, गलत गिरफ्तारियों और बन्दीकरण और हिरासतीय मार-पीट के मामलों में जनता की शिकायतों की जांच करना और सरकार अथवा राज्य या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को यथोचित सिफारिशें करना।

### (IV) जेलों तथा पुलिस हवालातों के लिए 'ले विज़ीटर संस्था'

उच्चतम न्यायालय ने शीला बार्स बनार्स महाराष्ट्र राज्य के मुकदमें में जेल में आगन्तुकों के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं। इनके लिए स्केरमन रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर 1980 के दशक के प्रारम्भ में इंग्लैण्ड में शुरू की गई स्कीम के समान "ले विजिटिंग स्कीम" शुरू करने पर विचार किया जाए। सरकार प्रत्येक जिले में पुलिस थानों के समूह के लिए राज्य मानव अधिकार आयोग अथवा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जैसा भी मामला हो, से सलाह करते हुए अवैतनिक आधार पर स्वतंत्र और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नामित करे (इनमें न्यायिक और प्रशासनिक सेवा के सेवारत अथवा



सेवानिवृत वरिष्ठ सदस्य हो सकते हैं) जो पुलिस थानों व हवालातों का दौरा करेंगे और वहां पर उनकी अवस्था (स्थिति) की जांच करेंगे और इस सम्बन्ध में जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण (अथवा राज्य मानव अधिकार आयोग) को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। लेकिन इन 'ले विजीटर' को राज्य जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण अथवा राज्य मानव अधिकार आयोग को अपने दौरों के निष्कर्षों की रिपोर्ट देने के अलावा किसी भी रूप में पुलिस के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा।

#### (V) अभियोजना-कार्यक्रमों की नियुक्ति के तसीके में सुधार

दण्ड न्याय-व्यवस्था में एक अहम भूमिका सरकारी और अन्य अभियोजकों द्वारा निभाई जाती है। सरकारी अभियोजक की नियुक्ति काफी समय से न्याय पालिका की सिफारिश पर की जा रही थी। इस पद्धति में अब परिवर्तन कर दिया गया है। लेकिन यह परिवर्तन बुरा हुआ है।

आयोग का मत है कि राज्य प्राधिकारियों द्वारा सरकारी अभियोजकों के चयन के मामले में राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य-न्यायाधीश द्वारा नामित व्यक्ति चयन समिति में पर्यवेक्षक का काम करेगा।

11. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, निश्चय ही, इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उच्च न्यायालयों को जो भी सहायता चाहिए होगी, उन्हें प्रदान करेगा, बशर्ते इसके लिए उसे न्यायालय की अनुमति मिल जाए।

अधिवक्ता  
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (मध्यस्थ)

नई दिल्ली  
तारीख



## भारत के उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका संख्या 310/1996

निम्नलिखित मामले में

प्रकाश सिंह एवं अन्य वादी

बनाम

भारत संघ एवं अन्य प्रतिवादी

### उपचायात्मक उपायों के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा और निवेदन

1. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपना हलफनामा दाखिल किया है। आयोग ने इस मामले के कुछ पहलुओं पर अपने विचार भी लिखित रूप में माननीय न्यायालय को पेश किए हैं। आयोग का एक सुझाव यह है कि प्रत्येक जिले में 'जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण' के नाम से एक व्यवस्था कायम को जाए। इस 'जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण' के गठन, स्वरूप और कार्यों का उल्लेख आयोग के पहले प्राप्त निवेदन के पैरा-2 (II) में किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में आयोग यह बात रिकार्ड में लाना चाहता है और उसे संगत भानता है कि केरल राज्य में, यद्यपि अलग नाम से, एक ऐसी ही व्यवस्था की गई है। वहां पर 'जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति' नाम से बनी इस संस्था के मुख्य रूप से वही लक्षण हैं जिनका स्वरूप व कार्यों के सन्दर्भ में आयोग के सुझाव दिया है।

3. कार्य पालिका आदेश जी.ओ.एम. संख्या-136/94 गृह, तारीख 11/8/94 की प्रस्तावना में कहा गया है :

'मानव अधिकारों के मामलों में देश और विदेश में उत्तरोत्तर चिन्ता बढ़ रही है। कुछ निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों द्वारा भी अपने हित में मानव अधिकारों सम्बन्धी प्रचार का उपयोग किया जा रहा है। सरलार यह जरूरी समझती है कि कानून लागू करने वाले अभिकरणों द्वारा मानव अधिकारों के हनन सम्बन्धी प्रत्येक आरोप, विशेषकर हिरासतीय अपराधों की पारदर्शिता के साथ तत्परता से जांच की जानी चाहिए और जिस किसी भी मामले में किसी पदाधिकारी को दोषी पाया जाए तो उसके लिए कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिए।'

4. प्राधिकरण के स्वरूप के सम्बन्ध में कुछ मतभेद भी सामने आए हैं। उदाहरणार्थ, जहां आयोग ने एक ऐसा 'जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण' स्थापित करने की सिफारिश की है जिसमें अध्यक्ष



के रूप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रखा जाए और कलेक्टर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सदस्य बनाया जाए, वहाँ केरल में इस व्यवस्था के अन्तर्गत एक चार सदस्यीय 'पुनरीक्षण समिति' बनाए जाने की परिकल्पना की गई है, जिसमें जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अध्यक्ष तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं प्रभागीय राजस्व अधिकारी को सदस्य बनाया जाए।

आयोग अपने लिखित आवेदनों में प्राधिकरण के स्वरूप के सम्बन्ध में दिए गए सुझावों की पुनः पैरवी करता है, क्योंकि इससे इसके गठन का उद्देश्य पूरा होगा तथा विभागीय राजस्व अधिकारी के स्थान पर या उसके अतिरिक्त यदि जिला कलेक्टर को उसमें शामिल किया जाता है तो इसके प्राधिकार और दक्षता में इजाफा होगा।

5. जहाँ तक कार्यों का सम्बन्ध है 'जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण' अपने कार्यक्षेत्र के अधीन आने वाले मामलों से डील करने के अलावा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा-14 (1) में निर्धारित अर्थ राज्य सरकार का प्राधिकरण (अथारिटी) अथवा अभिकरण (एजेन्सी) भी समझा जा सकेगा।

धारा-14(1) में व्यवस्था है :

'आयोग किसी जांच के सम्बन्ध में अन्वेषण करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, की सहमति से उसके/उनके किसी भी अधिकारी अथवा अन्वेषण अभिकरण (एजेन्सी) की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।'

यह निवेदन किया जाता है कि जब भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग या राज्य मानव अधिकार आयोग प्रस्तावित 'जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण' की सेवाओं का उपयोग करना चाहेगा तो वह कथित अधिनियम की धारा-14 (1) के अधीन ऐसा कर सकेगा।



अनुबंध—VI

केवल कार्यालय के प्रयोगार्थ

कोड —————

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सूची में  
शामिल होने के लिए फार्म

आग 'क'

1. गैर-सरकारी संगठन का नाम :

पता :

जिला :

राज्य :

पिनकोड संख्या :

2. क्या पंजीकृत है अथवा नहीं— हाँ/नहीं

यदि हाँ, संख्या एवं तारीख, कहाँ पंजीकृत है कानून जिसके अधीन पंजीकृत है।

3. पदाधिकारियों के नाम एवं पते\*\*

अध्यक्ष/संरक्षक	सचिव/संयुक्त सचिव	कोषाध्यक्ष
फोन (कार्यालय) (आवास)	फोन (कार्यालय) (आवास)	फोन (कार्यालय) (आवास)



4. प्रतिनिधित्व/पत्राचार के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और पता  
नाम :  
पदनाम:  
पता :  
फोन (का10)  
(आ10)
5. गैर-सरकारी संगठन का उद्देश्य/वर्तमान में कार्यरत क्षेत्र/कार्यकलाप
6. वार्षिक आय और व्यय
- | आय | रुपये | व्यय | रुपये |
|----|-------|------|-------|
|----|-------|------|-------|

### आग 'ख'

#### **मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यकलापों का व्यौरा :**

7. मानव अधिकारों के हित में लिप्त गैर-सरकारी संगठन के विशिष्ट कार्यकलाप अथवा प्रस्तावित कार्यकलाप
8. मानव अधिकारों के क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठन ने यदि कोई उत्तम कार्य किया है तो संक्षेप में उसका व्यौरा
9. क्या गैर-सरकारी संगठन ने निम्नलिखित कार्य किए हैं :
- (क) मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में अन्वेषण? यदि हाँ, तो व्यौरा दें।
- (ख) मानव अधिकारों से सम्बन्धित किसी भी क्षेत्र में अनुसंधान? यदि किया है तो व्यौरा दें।
- (ग) मानव अधिकारों से सम्बन्धित कोई अन्य कार्य? यदि किया है तो व्यौरा दें।
10. कृपया संक्षेप में बताएं कि गैर-सरकारी संगठन की विशेष रूप से किस क्षेत्र में रुचि है तथा मानव अधिकारों को बढ़ाने में वह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से किन-किन क्षेत्रों में सहयोग करना चाहता है।

### टिप्पणी

- \* संविधान/मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन/उप-नियमों की प्रतियां लगाई जाएं।
- \*\* जब भी पदाधिकारियों अथवा ऊपर दी गई जानकारी में परिवर्तन हो, तो परिवर्तन के दो सप्ताह के अन्दर उसकी जानकारी विस्तार से दी जाए।



## अनुबंध-VII

**मानव अधिकार न्यायालयों के गठन के सम्बन्ध में मद्रासा उच्च न्यायालय द्वारा उगाये गए प्रश्नों और टिकार्ड किए गए निष्कर्षों का सारांश**

क्र०सं०	प्रश्न	न्यायालय के निष्कर्ष
1.	<p>क्या मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीएचआरए) की धारा 2(1)(घ), जिसमें 'मानव अधिकारों की परिभाषा' की गई है और धारा-30 जो मानव अधिकारों के उल्लंघनों के परिणामस्वरूप होने वाले अपराधों की सुनवाई के लिए मानव अधिकार न्यायालयों के गठन के सम्बन्ध में है और जो सांविधिक प्रावधान हैं, के होते हुए यह कहा जा सकता है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में मानव अधिकारों के उल्लंघनों के परिणाम स्वरूप होने वाले अपराधों के अभिनिर्धारण के लिए कोई स्पष्ट मार्गनिर्देश नहीं हैं?</p>	<p>मानव अधिकारों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप अपराध करार देने के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में स्पष्ट मार्गनिर्देश हैं।</p>
2.	<p>व्या मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में कोई संशोधन करने की आवश्यकता है अथवा ऐसा करना अपेक्षित है और क्या मानव अधिकारों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप होने वाले 'अपराधों का अभिनिर्धारण' किया जाए, जिसकी मानव अधिकार न्यायालयों में सुनवाई की जा सके?</p>	<p>मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने और मानव अधिकारों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप होने वाले अपराधों का अभिनिर्धारण करने की आवश्यकता नहीं है अथवा ऐसा करना अपेक्षित नहीं है।</p>
3.	<p>(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों (कन्वेंशन) अथवा संविधान में शामिल मानव अधिकारों को अप्रवर्तन अथवा उनके उल्लंघनों के सभी मामलों पर न्यायालय विचार कर सकता है तथा उन अधिकारों को लागू कर सकते हैं? तथा</p>	<p>मानव अधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित केवल ऐसे मामले जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों (कन्वेंशन) संधियों, आदि में शामिल किया गया है, वाहे उन्हें संविधान में वादयोग्य अधिकार के रूप में शामिल किया गया हो या राज्य के कहने पर म्यूनिसिपल कानून में शामिल किया गया हो या ऐसे कानून के</p>



रूप में बदल दिया गया हो और जो संविधान के अनुच्छेद 225 के अधीन उच्च न्यायालय के अथवा अनुच्छेद-32 के अधीन उच्चतम न्यायालय के कार्यक्षेत्र में आते हैं। यदि ऐसे अधिकारों को किसी गैर-सरकारी व्यक्तियों के कहने पर उल्लंघन किया गया हो, तो प्रभावित व्यक्ति के लिए सिवाय इसके और कोई चारा नहीं है कि वह देश के साधारण कानून के तहत राहत पाने का यत्न करे।

(ख) इस प्रकार के सभी उल्लंघन अथवा अप्रवर्तन जो मानव अधिकार न्यायालय के समक्ष अभियोजन की कार्रवाई शुरू किए जाने के लिए कारण बनते हैं, क्या वे अपराध हैं?

4. क्या मानव अधिकारों का उल्लंघन, जिसे ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय संधि, समझौता या करार में मानव अधिकार के उल्लंघन के रूप में स्वीकार किया गया हो, जिसमें संसद द्वारा बनाए गए कानून के न होने पर भी भारत भागीदार है, अनुच्छेद 51(सी) के साथ पठित अनुच्छेद 253, तथा संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची संख्या-1 की प्रविष्टि संख्या 12 से 14 तथा 95 और सूची संख्या-2 की प्रविष्टि संख्या- 65 की सांविधिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत मानव अधिकार न्यायालयों या उच्च क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों, अर्थात् उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय, जो कि संविधान के अभिरक्षक हैं, के द्वारा मान्यता नहीं दी जा सकती है और प्रभावी भी नहीं किया जा सकता है। परन्तु भारत

संहिता (कोड) की धारा -2(एन) में 'अपराध' की निर्धारित परिभाषा के अनुसार मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा-2 (1) (डी) में मानव अधिकार परिभाषा के सन्दर्भ में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की सम्बंधित धारा में यथा उल्लिखित मानव अधिकारों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप होने वाले अपराध का अर्थ है ऐसा कोई कार्य अथवा राज्य, अर्थात् सरकारी कर्मचारी की ओर से ऐसी भूल जो कानून अथवा तत्समय लागू कानून के अन्तर्गत दण्डनीय है और जिसका सम्बन्ध व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता समानता और प्रतिष्ठा से हो और किसी से नहीं।

अन्तर्राष्ट्रीय संधि, समझौता अथवा करार, जिसमें भारतीय संसद द्वारा कानून नहीं बनाए जाने पर भी, एक भागीदार है, अनुच्छेद 51(सी) के साथ पठित अनुच्छेद 253, तथा संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची संख्या-1 की प्रविष्टि सं 12 से 14 तथा 95 और सूची संख्या-II की प्रविष्टि संख्या-65 की सांविधिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत मानव अधिकार न्यायालयों, अर्थात् उच्च क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों, अर्थात् उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय, जो कि संविधान के अभिरक्षक हैं, के द्वारा मान्यता नहीं दी जा सकती है और प्रभावी भी नहीं किया जा सकता है। परन्तु भारत



जो कि संविधान के अभिरक्षक हैं, के द्वारा मान्यता दी जाए और प्रभावी किया जाए?

5. क्या मानव अधिकार न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद-323 'ए' अथवा 323-'बी' के अधीन स्थापित न्यायालय या न्यायाधिकरण हैं?

6. क्या प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालय के रूप में ऐसे मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना करना और उसको सत्र-न्यायालय का दर्जा देना कानूनन स्वीकार्य है, जिसको मानव अधिकारों के उल्लंघन के फलस्वरूप होने वाले सभी अपराधों की जांच के लिए न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार की शक्तियां प्राप्त हों और जिसके लिए इस बात पर ध्यान देने की भी जरूरत न हो कि उन अपराधों पर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी अथवा केवल सत्र न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा?


7. क्या केवल ऐसे मामलों को छोड़कर जिनके सम्बन्ध में संहिता (कोड) की धारा 4-5 तथा 26 के रूप में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में विशेष प्रावधान किए गए हों, मानव अधिकारों के उल्लंघन के अन्य सभी अपराधों

के न्यायालयों के लिए यह निषेध नहीं है कि वे व्याख्या करते समय इस प्रकार के समझौतों, संधियों आदि में निहित सिद्धान्तों को लागू कर सकें, बशर्ते वे म्यूनिसिपल कानून के विरुद्ध न हों अथवा संविधान के अध्याय-III में शामिल मौलिक अधिकारों के विरुद्ध न हों।

मानव अधिकार न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 323 'ए' अथवा 323 'बी' के अधीन स्थापित न्यायालय अथवा किसी न्यायालय के अन्तर्गत न्यायाधिकरण नहीं है। परन्तु यह मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा-30 के अधीन स्थापित न्यायालय है। यह सत्र न्यायालय के काउर में एक विशेष न्यायालय है, जिसको मौलिक क्षेत्राधिकार के साथ शक्तियां भी प्राप्त हैं।

प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालय के रूप में एक ऐसे मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना करना और उसे सत्र न्यायालय का दर्जा देना कानूनन स्वीकार्य है, जिसे मानव अधिकारों के उल्लंघन के फलस्वरूप होने वाले, सभी अपराधों की जांच करने के लिए मौलिक अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हों और जिसके लिए इस बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि उन अपराधों पर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी अथवा केवल सत्र न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा।

केवल ऐसे मामलों को छोड़कर, जिनके लिए संहिता (कोड की धारा 4-5 तथा 26 के रूप में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में विशेष प्रावधान किए गए हैं, मानव अधिकारों के उल्लंघन के अन्य सभी अपराधों की जांच के लिए संहिता के सम्बन्धित



की जांच के लिए संहिता के सम्बन्धित उपबन्धों को कानूनी तौर पर लागू करने की अनुमति होगी?

8. क्या मानव अधिकार न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील/पुनरीक्षण की मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में स्पष्ट व्यवस्था करना अपेक्षित है?

9. क्या संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन मानव अधिकार न्यायालय की प्रक्रिया और कार्यवाही को नियमित करने के लिए सामान्य नियम बनाना और फार्म आदि निर्धारित करना इस न्यायालय के लिए जरूरी है?

10. क्या संहिता (कोड) के अनुसार मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में अग्रिम जमानती की व्यवस्था नहीं करने के लिए एक विशेष उपबंध शामिल करना अपेक्षित है।

11. क्या मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले मामलों की जांच और निपटान के लिए समय—सीमा निर्धारित करने के लिए कोई नियम निर्भित करना अपेक्षित है?

12. क्या यह कहना असत्य नहीं है कि मानव अधिकार न्यायालय दण्ड न्यायालय (क्रिमिनल कोर्ट) होने की वजह से उसे केवल संहिता (कोड) की धारा-357 को छोड़कर मुआवजा मंजूर करने का अधिकार नहीं है?

उपबन्धों को कानूनी तौर पर लागू करने की अनुमति है।

मानव अधिकार न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील/ पुनरीक्षण के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में स्पष्ट व्यवस्था करने की बिलकुल जरूरत नहीं है।

इस न्यायालय के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह संविधान के अनुच्छेद-227 के अन्तर्गत मानव अधिकार न्यायालय की प्रक्रिया और कार्यवाही को नियमित करने के लिए सामान्य नियम बनाए तथा फार्म आदि निर्धारित करें।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में संहिता के अनुसार अग्रिम जमानत की व्यवस्था नहीं किए जाने के लिए एक विशेष उपबंध शामिल करना अपेक्षित नहीं है।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले मामलों की जांच और निपटान के लिए कोई एक समय निर्धारित करने के लिए कोई नियम बनाना वांछनीय नहीं है, परन्तु इस बात पर जोर देना जरूरी है कि ऐसे मामलों की यथाशीघ्र जांच और उनके निपटाने के लिए हार्दिक प्रयत्न किया जाना चाहिए।

यह कहना सही है कि मानव अधिकार न्यायालय दण्ड न्यायालय होने के कारण उसे केवल संहिता (कोड) की धारा 357 को छोड़कर मुआवजा मंजूर करने का अधिकार नहीं है।



13. क्या यह वांछनीय अथवा जरूरी है कि मानव अधिकार न्यायालयों को इस शर्त के साथ पीड़ित (व्यक्ति) के लिए मुआवजा मंजूर करने की शक्ति प्रदान की जाए कि उसकी एक सीमा तय की जाए और उसे सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार से अलग रखा जाए और ऐसे न्यायालयों के लिए स्वविवेक की ऐसी छूट हो कि वे केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो को इस बात की अनुमति दे कि वह इस ब्रकार मंजूर किया गया पूरा मुआवजा या उसको आंशिक रूप से उन अधिकारियों से वसूल करे जो दोषी पाये जाएं तथा ऐसे पीड़ितों को अन्तरिम मुआवजा दे सके जो ऐसी सहायता के योग्य हों?

यह वांछनीय और जरूरी भी है कि अपेक्षित संशोधन करके मानव अधिकार न्यायालय को मानव अधिकारों के उल्लंघन के अपराधों के कारण पीड़ितों के लिए मुआवजा मंजूर करने के मामलों में विशिष्ट क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाए, जिसके लिए किसी प्रकार की सीमा निर्धारित नहीं की जाए। इसके लिए सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार को हटा दिया जाए और केवल नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजा मंजूर करने के अधिकार, जो रिट कोर्ट, अर्थात् उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधिकार हैं, के सार्वजनिक कानून संबंधी शक्ति भी प्रदान की जाए। इसमें इन न्यायालयों के पास केवल यह शक्ति रहे कि वे केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों को मंजूर किया गया मुआवजा स्वविवेक पर पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से दोषी अधिकारियों से वसूल कर सके और पीड़ित व्यक्तियों को उतना अन्तरिम मुआवजा मंजूर कर सके जो उचित हो। जब तक इस तरीके से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन न कर दिया जाए तब तक मानव अधिकारों के उल्लंघन सम्बन्धी अपराधों के पीड़ितों को मुआवजा देने के मामलों में विभिन्न अदालतों (फोरम) के वर्तमान क्षेत्राधिकार बने रहेंगे।

14. क्या यह कहना असत्य नहीं है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग तथा मानव अधिकार न्यायालय गठित करने सम्बन्धी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की योजना स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित करती है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग सीआईए के अन्तर्गत गठित जांच आयोगों के समान हैं जिन्हें

यह कहना सही है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की योजना के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग तथा मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना से स्पष्ट रूप से यही विदित होता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग सीआईए के अन्तर्गत गठित जांच आयोगों के समान हैं, जिन्हें मानव अधिकारों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप



मानव अधिकारों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप होने वाले अपराधों के सम्बन्ध में निश्चित निर्णय देने की शक्ति प्राप्त नहीं है। इनका गठन सरकारी स्तर पर और अन्ततः जनता में मानव अधिकारों के बारे में केवल जागृति पैदा करने के लिए किया जाता है। इसमें केवल यह है कि ये आयोग स्थायी स्वरूप के होते हैं। इसके एकदम विपरीत यह कि इनमें केवल एक ही संस्था, अर्थात् मानव अधिकार न्यायालय, ही ऐसी है, जो मानव अधिकारों के उल्लंघन सम्बन्धी मामलों की जांच कर सकती है, उनके लिए अपना निर्णय दे सकती है तथा दण्ड भी दे सकती है। यही एक संस्था है जो दुनिया में अपने किसी की एक है।


15. क्या मानव अधिकार आयोग, अर्थात् राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग को जांच पूरी कर लिए जाने तक अन्तरिम आदेश पारित करने की शक्ति प्राप्त है?

16. क्या यह सही है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम इस सिद्धान्त को मान्यता देता है कि अपनी शिकायतों के निराकरण के लिए मानव अधिकार न्यायालय के पास जाने के लिए व्यक्ति पक्ष के उसकी ओर से किसी को भी जाने की आज्ञा अथवा अनुमति दिए जाने के लिए अधिकारिता के क्षेत्र को बढ़ाया जाना चाहिए?

होने वाले अपराधों के सम्बन्ध में निश्चित निर्णय देने की शक्ति प्राप्त नहीं है। इनका गठन सरकारी स्तर पर और अन्ततः जनता में मानव अधिकारों के बारे में केवल जागृति पैदा करने के लिए किया जाता है। इसमें केवल यह है कि ये आयोग स्थायी किसी के होते हैं। इसके एक दम विपरीत यह है कि इनमें केवल एक ही संस्था, अर्थात् मानव अधिकार न्यायालय, ऐसी है, जो मानव अधिकारों के उल्लंघन सम्बन्धी मामलों की जांच कर सकती है उनमें अपना निर्णय दे सकती है तथा दण्ड भी दे सकती है। यह संस्था दुनिया में अपने किसी की एक है।

मानव अधिकार आयोग, अर्थात् राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोग को मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में पीड़ितों को अन्तरिम राहत दिए जाने के लिए केवल सम्बंधित सरकार से सिफारिश करने की शक्ति प्राप्त है। उन्हें जांच पूरी होने तक अन्तरिम अथवा अन्तिम आदेश पारित करने की शक्ति निश्चित तौर पर प्राप्त नहीं है।

जैसा कि पहले भी कहा गया है कि यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा-12 के उप-खण्ड (ए) के अनुसार यह अधिनियम मानव अधिकार आयोग के समक्ष शिकायत ले जाने के मामले में अधिकारिता सम्बन्धी नियम में एक सीमा एक छूट देता है। परन्तु व्यक्ति पक्षों को अपनी शिकायतों के निराकरण के लिए मानव अधिकार न्यायालयों के पास मामला ले जाने के बारे में कथित अधिकारिता का सिद्धांत अक्षुण रखा गया है।



17. क्या यह सही है कि आई. ई. ए. की सख्ती मानव अधिकार न्यायालय को नियंत्रित नहीं करती, क्योंकि मानव न्याय के रास्ते में सर जेम्स पिटट स्टीफन का प्राचीन सिद्धान्त कोई बाधा उपस्थित नहीं करता है?

संहिता (कोड) की धारा-2(1), जिसमें 'अदालती कार्रवाई' की परिभाषा की गई है, के होते हुए यह कदमपि नहीं कहा जा सकता है कि मानव अधिकार न्यायालय में चल रही कार्रवाई अदालती (न्यायिक) कार्रवाई नहीं हैं। एक बार इस निष्कर्ष पर पहुंच जाने पर कि मानव अधिकार न्यायालय में चल रही कार्रवाई अदालती (न्यायिक) कार्रवाई है, तो फिर यह कहने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है कि मानव अधिकार न्यायालय में चल रही कार्रवाई पर आई. ई. ए. लागू नहीं होता। इस प्रकार की कार्रवाइयों पर आई.ई.ए. के लागू होते ही उसमें सन्निहित नियम भी उन प्रश्नों का विनिश्चय करने में पूर्णतः लागू होंगे जो ऐसी कार्रवाइयों के विचारार्थ पैदा होते हैं। इस समय साक्ष्य का जो नियम विद्यमान है वह स्थिति से निबटने के लिए अपेक्षाकृत अपर्याप्त है, इसलिए पुलिस हिरासत और जेलों में राजतंत्र के हाथों होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए आई.ई.ए. में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। विधि आयोग द्वारा अपनी 113वीं रिपोर्ट में सुझाया गया संशोधन जब तक कर नहीं दिया जाता, तब तक मानव अधिकार सम्बंधी अपराधों के भुक्तभोगियों को मानव अधिकार न्यायालयों के समक्ष इस प्रकार के अपराधों को प्रमाणित करने में आने वाली बाधाओं को भोगते रहना पड़ेगा।

18. क्या मानव अधिकार न्यायालयों को अपने दृष्टिकोण में, विशेषकर हिरासतीय अपराधों के मामलों में, परिवर्तन करने तथा और अधिक संवेदनशीलता दिखाने व अपेक्षाकृत यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है?

इस राज्य में हिरासतीय मौतों जैसे बड़े अपराधों वाला ऐसा कोई भी मामला मानव अधिकार न्यायालयों द्वारा नहीं निपटाया गया, जिसकी ओर इस न्यायालय का ध्यान आकृष्ट हुआ हो। ऐसी स्थिति में न्यायालयों का दृष्टिकोण संकीर्ण व तकनीकी होने से इस प्रकार के मामलों को निपटाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस सम्बन्ध में दृष्टिकोण बदलने



19. क्या मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा-31 में व्यवहरित 'एक सरकारी अभियोक्ता विनिर्दिष्ट किया जाए' शब्दों का अर्थ संहिता (कोड) की धारा-24 के अन्तर्गत नियुक्त 'सरकारी अभियोक्ता' माना जा सकता है?
20. क्या मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा-31 के अन्तर्गत की गई उत्तम व्यवस्था के अनुसार एक समय-सीमा के अन्तर्गत एक विशेष अभियोक्ता नियुक्त करने के लिए सरकार को कोई निर्देश जारी किया जा सकता है, यदि अभी तक ऐसा प्रयास नहीं किया गया हो?
21. क्या इस एकमात्र महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में पीड़ित व्यक्तियों को संहिता (कोड) के तत्संगत उपबन्धों के प्रवर्तन में संज्ञेय अपराध के बारे में शिकायत अथवा सूचना

के लिए कोई मार्गनिर्देश जारी करने का प्रश्न भी नहीं उठ सकेगा। राज्य में मानव अधिकार न्यायालयों का और अधिक संवेदशीलता प्रदर्शित करनी पड़ेगी तथा आगे भविष्य में ऐसे मामलों के निपटान में संकीर्ण एवं तकनीकी दृष्टिकोण अपनाने के बजाए यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना होगा।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा-32 में परिकल्पित विशेष सरकारी अभियोक्ता के बिना मानव अधिकार न्यायालय काम कर ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति में यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह मानव अधिकार मामलों की कार्रवाई के लिए विशेष सरकारी अभियोक्ता नियुक्त करने के लिए तत्काल कदम उठाए।

न्यायालय एक समयावधि के अन्तर्गत मानव अधिकार न्यायालयों में मामलों की कार्रवाई पूरी करने के लिए एक विशेष सरकारी अभियोक्ता नियुक्त करने के लिए निश्चित रूप से निर्देश जारी कर सकता है। परन्तु न्यायालय इस आशा और विश्वास के साथ ऐसा निर्देश जारी नहीं कर रहा है कि राज्य सरकार इस बारे में ऐसा निर्देश जारी न किए जाने पर भी राज्य में सभी मानव अधिकार न्यायालयों में कानून के अनुसार इस आदेश की प्रति प्राप्त होने से दो महीने के भीतर विशेष सरकारी अभियोक्ता नियुक्त करने में तत्परता दिखाएगी और अपेक्षित कार्रवाई पूरी करेगी।

इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए न्यायालय ने कहा है कि सभी सम्बन्धितों के हित में यह ठीक रहेगा कि सरकार इतने विशेष अन्वेषण दलों की स्थापना करे जितनों की स्थिति के अनुसार जरूरत है। न्यायालय को विश्वास और आशा है कि सरकार



के सिलसिले में जांच के लिए उसी एजेन्सी के पास जाना पड़ता है। प्रथमतः जो मानव अधिकारों के हनन में उसी मामले में शामिल थे और जिनके विरुद्ध यह शिकायत की गई है? क्या यह प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता की भावना के विरुद्ध नहीं है? क्या मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा-37 को सोदृश्य और सार्थक व्याख्या करते हुए, ताकि इस दिशा में अपेक्षित प्रगति हो और उद्देश्य की पूर्ति में सहायता मिल सके, संज्ञेय स्वरूप के मानव अधिकार सम्बन्धी अपराधों की जांच करने के लिए वर्तमान स्थिति में विशेष अन्वेषण दल की स्थापना करना अनुज्ञेय होगा?

22. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम को मुख्यतया बनाया ही इसलिए गया है कि मानव अधिकारों के हनन को कम किया जा सके और मानव अधिकार उल्लंघन के अपराध कर्मियों को दण्डित किया जा सके, जो कोई दूसरे नहीं सरकारी मुलाजिम ही होते हैं, तो क्या यह कहना सही है कि संहिता (कोड) की धारा-197 के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है, जिसका तात्पर्य यह होगा कि इन व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया है?

23. क्या यह जरूरी है कि मानव अधिकारों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप हुए अपराधों की शिकायतों पर यह लेबल लगा देना जरूरी नहीं है कि ये मानव अधिकार न्यायालयों में अभियोजन के लिए सही (फिट) मामले हैं, ताकि बाद में न्यायिक विधि (क्रिमिनल लॉ) में पूर्व दृष्टान्त के रूप में काम करें।

विशेष अन्वेषण दलों के गठन के लिए शीघ्र जरूरी कदम उठाएगी। इस प्रकार इस प्रश्न का यथावश्यक उत्तर दिया जाता है।

यह कहना सही नहीं है कि संहिता (कोड) की धारा-197 को लागू नहीं किया जा सकता है, जिससे कि मानव अधिकारों सम्बन्धी अपराधों के मामलों में अभियोजन के लिए उसे समाप्त हुआ समझा जाए।

मानव अधिकारों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप होने वाले अपराधों की शिकायतों पर यह लेबल लगा देना जरूरी नहीं है कि ये मानव अधिकार न्यायालयों में अभियोजन के लिए सही (फिट) मामले हैं, ताकि बाद में न्यायिक विधि (क्रिमिनल लॉ) में पूर्व दृष्टान्त के रूप में काम करें।



24. यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम इसलिए पर्याप्त रूप में दोषपूर्ण है कि उसके प्रावधानों को इसकी उद्देश्य प्राप्ति के लिए यथास्थिति कार्यान्वित करना संभव नहीं है, जिसके लिए उसे बनाया गया है, तो क्या इस न्यायालय के लिए यह कानून अनुज्ञेय है कि वह संघ सरकार को यह परमादेश (मेनडेटरी आदेश) जारी करे कि वह देश के उन नागरिकों की सहायता और राहत के लिए पर्याप्त सांविधिक उपबन्ध करने के लिए कदम उठाये जिनके अधिकारों पर दिन प्रतिदिन कुठाराघात होता है?

न्यायालय को विदित हुआ कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में तीन या कुछ और कमियाँ हैं तथा यदि उसमें आईपीसी के अन्तर्गत व्यक्ति की गरिमा को प्रभावित करने वाले 'उत्पीड़न' के नए अपराध शामिल करते हुए संशोधन करके तथा धारा-114 'बी' के रूप में आई.ई.ए. में एक नया उपबन्ध शामिल करके इन कमियों को दूर कर दिया जाए तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का कार्यान्वयन सरल हो जाएगा। साथ ही इसके लिए मानव अधिकारों सम्बन्धी अपराधों, जैसा कि विधि आयोग की 113वीं रिपोर्ट में दर्शाया गया है, को साबित करने के दायित्व में परिवर्तन किया जाए। इसके लिए अतिरिक्त मानव अधिकार न्यायालयों को मानव अधिकारों सम्बन्धी अपराधों के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए विशेष शक्ति प्रदान की जाए, जिसमें मुआवजे की कोई सीमा न रखी जाए और इसके लिए सिविल न्यायालय की शक्ति समाप्त कर दी जाए। साथ ही उनको पब्लिक लॉ का क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया जाए। परन्तु ऐसे में 'रिट-कोर्ट', अर्थात् उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की यह शक्ति बनी रहेगी कि वे केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को इस बात की अनुमति दे सकेंगे कि वे दोषी अधिकारियों से मुआवजे की पूरी राशि या आंशिक राशि वसूल कर सके तथा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में यथोचित संशोधन करके सहायता के अनुरूप अन्तरिम मुआवजा मंजूर कर सके। न्यायालय को विश्वास और आशा है कि संघ सरकार आई.पी.सी., आई.ई.ए. और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में शीघ्र ही यथावश्यक संशोधन करेगी, ताकि इस देश में दिन-प्रतिदिन मानव अधिकारों के शिकार नागरिकों को ठीक तरीके से आवश्यक सहायता व



तथा

25. द्व्या ईरोड में पेरियार जिले के सीजेएम का न्यायालय, जो मानव अधिकार न्यायालय के रूप में मनोनीत न्यायालय है, को तमिलनाडु पंजागुड़ी मकाल संगम, जिसका प्रतिनिधित्व श्री वी. पी. गुणशेखरन, बी.ई., जनरल सेक्रेट्री द्वारा किया जा रहा है, की याचिका पर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत विचार करने के लिए जरूरी और अपेक्षित शक्ति प्राप्त है?

राहत मिल सके, जैसा कि न्यायालय द्वारा कहा गया है। हाँ, इस सम्बन्ध में न्यायालय यह कहा करता है कि संशोधन करने के लिए संघ सरकार को परमादेश जारी करने की न्यायालय को कानूनी अनुमति प्राप्त नहीं है।

ईरोड में सीजेएम का न्यायालय, जो मानव अधिकार न्यायालय के रूप में एक क्रिमिनल कोर्ट है और जिसे संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत 'रिट' क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, अपने समक्ष तमिलनाडु पंजागुड़ी मकाल संगम, जिसका प्रतिनिधित्व श्री गुणशेखरन, जनरल सेक्रेट्री द्वारा किया जा रहा है, द्वारा प्रस्तुत याचिका (पेटीशन) पर 'रिट' क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत दिए जाने वाली राहत के लिए विचार नहीं किया जा सकता।



### अनुबंध-VIII

वर्ष 1997-98 अवधि 1.4.97 से 31.3.98 के दौरान पंजीकृत मामलों व आयोग द्वारा विचारे गए मामलों की संख्या तथा उन मामलों की संख्या दृष्टिं वाला विवरण जिन पर कार्रवाई की गई परन्तु उन पर आयोग द्वारा विचार करना चाही है

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1.4.97 को विचारार्थ लंबित मामले	पंजीकृत मामलों की संख्या		कुल (3+4+5)	विचार किए गए मामलों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिन पर कार्रवाई की गई परन्तु वे विचारार्थ लंबित हैं
			शिकायतें	हिरासतीय मौत/बलात्कार			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	73	738	73	884	684	200
2.	अरुणाचल प्रदेश	03	25	04	32	21	11
3.	असम	13	164	34	211	130	81
4.	बिहार	441	3008	119	3568	2317	1251
5.	गोवा	06	38	03	47	37	10
6.	गुजरात	14	385	37	436	323	113
7.	हरियाणा	131	1070	11	1212	769	443
8.	हिमाचल प्रदेश	14	166	.	180	139	41
9.	जम्मू व कश्मीर	91	398	02	491	228	263
10.	कर्नाटक	41	357	41	439	291	148
11.	केरल	89	455	35	579	367	212
12.	मध्यप्रदेश	139	2494	61	2694	2066	628
13.	महाराष्ट्र	155	1596	134	1885	1208	677
14.	मणिपुर	23	47	01	71	35	36
15.	मेघालय	01	12	02	15	12	01
16.	मिजोरम	03	17	01	21	14	07
17.	नागालैण्ड	03	26	01	30	17	13
18.	उड़ीसा	207	702	23	932	592	340
19.	पंजाब	57	555	37	649	422	227
20.	राजस्थान	283	1854	44	2181	1302	879
21.	सिक्किम	03	05	.	08	04	04
22.	तमिलनाडु	359	1245	66	1670	909	761
23.	त्रिपुरा	06	30	03	39	26	13
24.	उत्तर प्रदेश	1421	17453	185	19059	13197	5862
25.	पश्चिम बंगाल	107	679	53	839	592	247
26.	केन्द्र शासित प्रदेश	327	2260	42	2629	1587	1047
	कुल	4010	35779	1012	40801	27289	13512



### अनुबंध-IX

वर्ष 1997-98 के दौरान आयोग द्वारा निपटाये गए/ निपटान के लिए लिखित मामलों की राज्यवाद संख्या दर्शाने वाली सूची

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आरम्भ में ही रद्द मामले	निर्देशों के साथ निपटाए गए मामले	मामले जिनको संज्ञान में लिया गया		कुल
				निर्णीत	लिखित	
1.	आंध्र प्रदेश	483	64	03	134	684
2.	अरुणाचल प्रदेश	08	03	.	10	21
3.	असम	62	12	10	46	130
4.	बिहार	1423	482	03	409	2317
5.	गोवा	14	08	01	14	37
6.	गुजरात	199	53	03	68	323
7.	हरियाणा	406	172	15	176	769
8.	हिमाचल प्रदेश	93	30	.	16	139
9.	जम्मू व कश्मीर	99	23	.	106	228
10.	कर्नाटक	155	57	.	79	291
11.	केरल	204	90	01	72	367
12.	मध्यप्रदेश	1357	439	06	264	2066
13.	महाराष्ट्र	720	142	12	334	1208
14.	मणिपुर	09	05	01	20	35
15.	मेघालय	07	.	.	05	12
16.	मिजोरम	02	01	.	11	14
17.	नागालैण्ड	03	02	.	12	17
18.	उड़ीसा	380	119	03	90	592
19.	पंजाब	196	90	03	133	422
20.	राजस्थान	813	280	08	201	1302
21.	सिक्किम	01	.	.	03	04
22.	तमिलनाडु	510	184	.	215	909
23.	त्रिपुरा	16	03	.	07	26
24.	उत्तरप्रदेश	4448	3114	33	5602	13197
25.	पश्चिम बंगाल	438	81	20	53	592
26.	केन्द्र शासित प्रदेश	824	346	09	408	1587
	कुल	12870	5800	131	8488	27289

## 1.4.97 से 31.3.98 तक निपटान के लिए स्वीकृत मामलों का राज्यवार वर्गीकरण दर्शाने वाला विवरण



क्र. सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	हिरासतीय मौत पुलिस न्यायिक		हिरास बलात्कार	विलुप्ति गायब होने के मामले	गैर-कानूनी बंदीकरण/गिरफ्तार	झूठे तौर पर कान्साने के मामले	पुलिस द्वारा अन्य ज्यादतियां	कार्रा करने में असफलता	महिलाओं की मानहानि	आतंकवादियों नक्सलवादियों द्वारा हिंसा	जेलों की स्थिति	अनुप जाति/जनजाति पर ज्यादतियां	अन्य	कुल
		हिं0 (पीसी)	हिं0 (जेसी)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	ओश प्रदेश	21	52	.	.	05	03	19	05	01	.	01	.	30	137
2.	अरुणाचल प्रदेश	02	02	.	.	01	.	01	.	.	.	.	.	04	10
3.	असम	14	29	.	.	05	01	12	.	.	.	.	.	04	56
4.	बिहार	08	110	.	01	08	12	97	35	02	.	41	02	95	412
5.	गोवा	.	03	.	.	.	.	02	01	.	.	02	.	07	15
6.	गुजरात	09	28	.	.	.	.	16	01	.	.	02	.	15	71
7.	हरियाणा	03	08	01	01	12	18	44	14	01	.	10	05	74	191
8.	हिमाचल प्रदेश	.	.	.	.	.	.	02	04	.	.	.	.	10	16
9.	जम्मू व कश्मीर	02	.	.	.	05	01	29	03	.	.	.	.	66	106
10.	कर्नाटक	06	35	.	.	01	01	20	01	.	.	05	.	10	79
11.	केरल	06	29	.	.	02	01	23	04	.	.	08	.	.	73
12.	मध्यप्रदेश	18	43	.	.	03	13	85	15	.	.	11	03	79	270
13.	महाराष्ट्र	19	115	.	.	05	05	40	01	.	.	90	01	70	346
14.	मणिपुर	01	.	.	.	01	.	04	.	.	.	.	.	15	21
15.	मेघालय	02	.	.	.	.	.	02	.	.	.	.	01	.	05
16.	मिजोरम	.	01	.	.	.	.	.	.	.	.	.	01	09	11
17.	नागालैण्ड	01	.	.	.	.	.	03	01	.	.	.	.	07	12
18.	उडीसा	04	19	.	.	01	.	23	01	.	.	.	.	07	12
19.	पंजाब	11	26	.	.	03	04	43	12	01	.	05	.	31	136
20.	राजस्थान	12	32	.	.	08	13	74	28	01	.	11	03	27	209
21.	सिक्किम	.	.	.	.	.	.	03	.	.	.	.	.	.	03
22.	तमिलनाडु	11	55	.	01	13	10	44	04	.	.	06	04	67	215
23.	त्रिपुरा	03	.	.	.	.	.	04	.	.	.	.	.	.	07
24.	उत्तरप्रदेश	16	169	.	08	244	137	705	314	06	.	61	10	3965	5635
25.	पश्चिम बंगाल	10	43	.	.	.	01	16	01	.	.	01	01	.	73
26.	केन्द्रशासित प्र.	13	29	.	01	13	17	102	32	02	.	41	05	162	417
	कुल	193	819	01	12	330	237	1413	478	17	.	295	36	4788	8619



## अनुबंध-XI

### वर्ष, 1997-98 के दौरान अन्वेषण प्रभाग द्वारा किए गए अन्वेषणों के निष्कर्षों का व्यौदा

निलम्बित पुलिस कार्मिकों की संख्या	उन कार्मिकों की संख्या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई	उन कार्मिकों की संख्या जिन पर मुकदमे चले	निम्नलिखित को सौंपे गए मामलों की संख्या सीआईडी/सीवीआई	मुआवजा दिया गया	निम्नलिखित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई
51	60	43	20	03	5000 रुपये से 47 लेकर एक लाख रुपये तक (धीस मामलों में)

### वर्ष 1997-98 के दौरान अन्वेषण प्रभाग द्वारा जिन मामलों पर कार्रवाई की गई उनका व्यौदा

तथ्य एकत्रित करना/मामलों की मॉनीटरिंग करना	मामलों का अन्वेषण	आयोग के विधि प्रभाग (लॉडिविजन) को भेजे गए मामले
1503	252-	1097



## रिपोर्ट तथा मुख्य सिफारिशों का सारांश

1. आयोग की वार्षिक रिपोर्टों को प्रस्तुत करने में विलम्ब होना एक खेदजनक बात है, क्योंकि देश में मानव अधिकारों की स्थिति और इस दिशा में आयोग द्वारा किए जा रहे प्रयोगों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आयोग की रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण स्रोत होती है। इस रिपोर्ट को देश और विदेश में अधिक से अधिक संख्या में लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं। इसलिए आयोग यह सिफारिश करता है कि इसकी वार्षिक रिपोर्टों को अपेक्षित कार्रवाई सम्बन्धी ज्ञापनों के साथ तत्परता से संसद में प्रस्तुत करने के तुरन्त बाद आने वाले संसद-सत्र के बाद प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए (पैरा 1.4)।

2. भारत की अथाह जनता या यों कहें कि पूरे देश की योग्यता और महत्व में तब तक भारी कमी होती रहेगी जब तक यहाँ पर ऐसी स्थिति बनी रहने दी जाएगी जिसमें प्रति वर्ष अशिक्षितों की संख्या बढ़ती जाए जो अब बढ़कर इतनी हो गई है कि वह देश में स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय जिनती थी उससे कही अधिक हो चुकी हैं, अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि 6–14 वर्ष की आयु-वर्ग के 60 मिलियन बच्चे स्कूल जाते ही नहीं हैं, इनमें से बहुत से बच्चे बालश्रम के कारण अपना यौवन ही प्राप्त नहीं कर पाते हैं और अक्सर मौत के मुँह में चले जाते हैं। ऐसी स्थिति देश के लिए श्रेयकर नहीं हैं, क्योंकि हमारी जनता में प्रतिभा और क्षमता की कमी नहीं है। आज हमारी जनसंख्या दुनिया की एक तिहाई जनसंख्या के बराबर है। आयोग के विचार से देश में ऐसी स्थिति का बना रहना सरकार की असफलता ही कही जाएगी। इसमें शीघ्र सुधार करने की आवश्यकता है। इसीलिए, आयोग ने हर अवसर पर इस बात की आवश्यकता पर बल दिया है कि हमारे देश में शासन से सम्बन्धित संस्थानों को ठीक करके रखा जाए तथा आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में ऐसी नीतियां अपनाने पर जोर दिया है, जो हमारे समाज के अति कमजोर वर्ग के लोगों के अधिकारों के प्रति वास्तविक तौर पर सजग हों। इस सम्बन्ध में आयोग इस बात का हार्दिक स्वागत करता है कि देश में हाल ही में नोबल पुरस्कार विजेता अमर्त्यसेन की उनके काम के लिए प्रशंसा हुई। उन्होंने देश के सामने उभरे मुददों पर अक्सर चर्चा की है। आयोग को विश्वास है कि इससे देश में अधिकारों के उचित संरक्षण की दृष्टि से यहाँ पर सोच बढ़ेगी, उचित नीतियां अपनाई जाएंगी और व्यावहारिक उपाय किए जाएंगे (पैरा 2.2, 2.3)।

3. जहाँ तक हिरासतीय मौत और बलात्कार के आरोपों सम्बन्धी मामलों का सम्बन्ध है, जिनमें पुलिस भी शामिल है, आयोग पूरी तरह से यह मानता है कि सशस्त्र बलों के लोगों के विरुद्ध इस प्रकार के आरोपों की तत्परता और गम्भीरता से जांच होनी चाहिए। आयोग ने अपनी पिछली रिपोर्ट में



इसके अलावा एक सिफारिश यह भी की थी कि अर्धसैनिक बलों और सेना को भी चाहिए कि वह किसी व्यक्ति की हिरासत के दौरान मौत अथवा बलात्कार की सूचना सीधे आयोग को दें। इस बारे में की गई कार्रवाई सम्बन्धी ज्ञापन, जिसे सरकार ने संसद के समक्ष प्रस्तुत किया, में सशस्त्र बलों के विरुद्ध की जाने वाली शिकायतों के सम्बन्ध ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में निर्धारित प्रक्रिया की ओर अनिवार्यतः ध्यान आकर्षित किया गया है। परन्तु इसमें इस बारे में आयोग द्वारा की गई विशिष्ट सिफारिश का उल्लेख नहीं किया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए, आयोग सोचता है कि उसके लिए यह जरूरी है कि वह अपनी सिफारिश को पुनः दुहराए। आयोग महसूस करता है कि ऐसा करने से सशस्त्र बलों की उनके कार्यचालन में विश्वसनीयता बढ़ेगी और उसमें पारदर्शिता आएगी। साथ ही इससे उनके विरुद्ध अनावश्यक आरोपों और तत्सम्बन्धी प्रचार में कभी आएगी (पैरा 3.2)।

4. यह संतोषजनक बात है कि जम्मू और कश्मीर में घेराबन्दी और खोज कार्य में स्थानीय न्यायाधीशों, गांवों के सयाने लोगों और पुलिस अधिकारियों को अधिकाधिक संख्या में शामिल किया जा रहा है तथा प्रत्येक जिले में उपायुक्त (डिप्टी कमिश्नर) की अध्यक्षता में एक जांच एवं समन्वय समिति (स्क्रीनिंग-कम-कॉर्डिनेशन कमेटी) बनाई गई है, जो अन्य बातों के साथ सुरक्षा कार्यों को भी देखेगी। इसी प्रकार की समितियों के उत्तरपूर्वी राज्यों में भी कार्यरत होने की जानकारी मिली है। आयोग सिफारिश करता है कि सम्बंधित राज्य सरकारें इन समितियों की कार्रवाइयों का विस्तृत प्रचार करें, क्योंकि इस प्रकार की गतिविधियों की बड़े स्तर पर जानकारी दिए जाने से उन क्षेत्रों में मानव अधिकारों की सुरक्षा पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है, जो विद्रोह और आतंकवाद से प्रभावित हैं।

5. आयोग का विश्वास है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों में दृढ़ रहेंगे कि घाटी (कश्मीर) के निवासी सुरक्षा और प्रतिष्ठा के साथ अपने धरों को लौटें तथा शीघ्रताशीघ्र अपने समाज में अपना सामाजिक और आर्थिक स्तर पुनः प्राप्त करें (पैरा 3.4)।

6. वर्ष के दौरान आयोग को संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा 'मानव अधिकार तथा आतंकवाद' के विवादास्पद प्रश्न के सम्बन्ध में अखिल्यार की जा रही उत्तरोत्तर स्पष्ट नीति का स्वागत करने का अवसर भी मिला। संयुक्त राष्ट्र संघ इसके लिए केवल संकल्प ही पारित नहीं करता रहा है, अपितु उसने 'अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समाप्ति' के बारे में 1994 में एक घोषणा भी जारी की है। आतंकवाद को कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए आयोग ने मानव अधिकारों की प्रगति की दृष्टि से राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी भी इस बात पर जोर देने में हिचक नहीं की कि मानव अधिकारों के बारे में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को आतंकवादी अथवा उनके समर्थक चालाकी से अपने पक्ष में न प्रभावित करें और न इन अधिकारों के सम्बन्ध में चर्चा के मंचों (फोरम) का उपयोग उन प्रयोजनों के लिए किया जाए, जो इन अधिकारों की समुचित प्रगति और संरक्षण के अनुकूल न हों। आयोग



सिफारिश करता है कि आतंकवाद से निपटने की दृष्टि से उससे संबद्ध पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए सभी स्तरों पर प्रयास जारी रखें जाएं। आयोग इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था को पक्का करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का स्वागत करता है और निवेदन करता है कि इस दिशा में समुचित उपाय किए जाते रहें।

7. हिरासतीय उत्पीड़न के विषय में आयोग अपनी पहली रिपोर्ट में की गई उन सिफारिशों को संक्षेप में पुनः दोहराना चाहता है जिनको अभी कार्यान्वित करना बाकी है—

- भारतीय विधि आयोग (आईएलसी) के इस सुझाव पर शीघ्र कार्रवाई करने की आवश्यकता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में एक धारा-114 (बी) शामिल की जाए, ताकि इस धारणा को कि पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति को आई चोटें पुलिस अधिकारियों द्वारा ही पहुँचाई जाती है, हटाया जा सके।
- भारतीय विधि आयोग (आईएलसी) की सिफारिश के आधार पर अपराध प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा-197 में संशोधन करने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे पुलिस अधिकारी पर अभियोग चलाने के लिए सरकार की मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता न हो जिसके बारे में किसी सत्र न्यायाधीश द्वारा हिरासतीय अपराध की जांच करने पर प्रथम दृष्टया मामला बनता हो।
- राष्ट्रीय पुलिस आयोग के सुझाव के अनुसार हिरासतीय मौत, बलात्कार अथवा गम्भीर चोट के प्रत्येक मामले की किसी सत्र न्यायाधीश द्वारा अनिवार्य रूप से जांच की जाए।

केन्द्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के सम्बन्ध में प्रस्तुत ज्ञापन दर्शाता है कि इन सिफारिशों की अभी जांच की जा रही है। हिरासतीय अपराधों की बड़ी संख्या और उन पर विचार करने की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए आयोग जोरदार तरीके से निवेदन करना चाहेगा कि भारतीय विधि आयोग और राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशें, जिनका आयोग ने अनुसमर्थन किया है, पर सरकार द्वारा प्राथमिक तौर पर ध्यान दिया जाए (पैरा 3.11)।

8. आयोग ने वर्ष 1996-97 की वार्षिक रिपोर्ट में उच्चतम न्यायालय के उन निर्देशों का उल्लेख किया था जो उसने जोगिन्द्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश तथा अन्य (जेटी 1994(3) एस.सी.423) के मुकदमे में दिए थे। इसके अतिरिक्त, आयोग ने उच्चतम न्यायालय द्वारा बाद के एक आदेश (डी.के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य) में दिए गए व्यापक निर्देशों की ओर भी ध्यान दिलाया था जबकि की गई कार्रवाई सम्बन्धी ज्ञापन में प्रथम मामले का उल्लेख किया गया है, लेकिन दूसरे मामले (मुकदमे) में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के कार्यान्वयन का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए



यह अति महत्वपूर्ण है कि केन्द्र और राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा दूसरे भागों (भुकदमे) में दिए गए निर्देशों को गंभीरता से लें। ऐसा केवल इसलिए नहीं किया जाए कि इस सम्बन्ध में यह विनिर्धारित किया गया है कि इन निर्देशों को कार्यान्वित न किए जाने पर कोर्ट के आदेशों को न मानने के लिए दण्ड दिया जाएगा (पैरा 3.12)।

9. संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने 14 अक्टूबर, 1997 को उत्तीर्णन के सम्बन्ध में एक समझौते (कन्वेंशन) पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे आयोग इस दिशा में शुरू में की गई एक प्रशंसनीय प्रक्रिया मानता है। आयोग को अब इस समझौते के अनुसमर्थन की प्रतीक्षा है। आयोग इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्रवाई किए जाने की सिफारिश करता है (पैरा 3.20)।

10. आयोग हिरासतीय मौतों के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली पोस्ट-मार्टम रिपोर्टों की घटिया किसी से व्यथित है। ऐसे मामलों में कोई विश्वसनीय स्वतंत्र साक्ष्य बहुत कम मिल पाते हैं, इसलिए ये मामले लगभग पूर्ण रूप से पोस्ट-मार्टम रिपोर्टों में डाक्टरों के कथनों और अभिव्यक्त मत पर निर्भर होते हैं। बनावटी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हिरासतीय दुर्व्यवहार के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है। साथ ही इससे न्याय का उपहास होता है तथा मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन भी होता है। इस प्रकार के अनैतिक कार्यों को रोकने की दृष्टि से आयोग ने राज्य सरकारों से सिफारिश की थी कि पोस्ट-मार्टम जांचों की वीडियो-फिल्में तैयार की जाएं और उनके कैसेट आयोग को भेजे जाएं। अभी तक इक्कीस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस सिफारिश को स्वीकार किया है और चार अन्यों ने कहा है कि वे इसकी जांच कर रहे हैं। आयोग अन्धप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ एवं लक्षद्वीप से सिफारिश करता है कि वे मानव अधिकारों के संरक्षण और हिरासतीय दुर्व्यवहार की क्रूर प्रक्रिया में लिप्त व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए इस सिफारिश को स्वीकार करें (पैरा 3.21)।

11. आयोग को यह भी महसूस हुआ है कि विभिन्न राज्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द परीक्षा (अटाप्सी) के फार्म में कुछ कमियाँ हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। इसलिए आयोग ने एक मॉडल अटाप्सी फार्म तैयार किया जो हमारे देश की विद्यमान परिस्थितियों और इस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किए गए काम को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। यह फार्म अधिक विशिष्ट और उपयोगी है। अतः आयोग राज्य सरकारों से सिफारिश करता है कि वे इस मॉडल अटाप्सी फार्म को अपनाएं। चौदह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आयोग की सिफारिश को मान लिया है। आयोग अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह अरुणाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, मणिपुर, मिजोरम, उत्तराप्रदेश तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सिफारिश करता है कि वे नए फार्म एवं तत्सम्बन्धी प्रक्रिया को अविलम्ब अपना लें (पैरा 3.22)।



12. पुलिस हिरासत में दुर्व्यवहार की बढ़ती हुई रिपोर्टें से व्यक्ति हो आयोग ने निर्णय किया कि उसके अधिकारी बिना जानकारी दिए पुलिस हवालातों का एकाएक निरीक्षण करने जाएंगे। तदनुसार आयोग के महासचिव ने 1 अगस्त 1997 को राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वे आयोग के अधिकारियों को पुलिस हवालातों के निरीक्षण में सुविधा पहुँचाने के लिए अपने पुलिस प्राधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें। छब्बीस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है। अब आयोग अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर तथा संघ राज्य क्षेत्र दमन एवं दीव से यह मामला उठा रहा है, क्योंकि इन्होंने अभी तक इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। आयोग सिफारिश करता है कि वे इस सिफारिश को शीघ्र मान लें और पुलिस हवालातों के समुचित प्रबन्धन में अपनी रुचि का इजहार करें (पैरा 3.26)।

13. आयोग पिछले पांच वर्षों से पुलिस में नियमित सुधार पर बल देता रहा है। आयोग को इस बात से बहुत प्रसन्नता है कि अप्रैल, 1997 में तत्कालीन गृहमंत्री ने पुलिस आयोग की सिफारिशों और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सलाह पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इस मामले पर सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने अन्य बातों के साथ यह भी कहा कि 'हम भी इस समय अपने अधिकार क्षेत्र की जगहों, जैसे संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्र शासित अन्य क्षेत्रों में कुछ मूल सिफारिशों का कार्यान्वयन करने में व्यस्त हैं। लेकिन आयोग यह कहने के लिए विवश है कि गृहमंत्री के इस पत्र पर अनुवर्ती कार्रवाई करने में स्पष्ट कमी रही है। ऐसा राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई और संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य केन्द्र शासित क्षेत्रों में सिफारिशों के कार्यान्वयन, दोनों ही के मामलें में हुआ है। इसलिए आयोग का हार्दिक निवेदन है कि पुलिस आयोग द्वारा अभिनिर्धारित और इस आयोग द्वारा स्पष्ट किए गए जरूरी सुधार लागू करने के लिए संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी कदम उठाये जाएं (पैरा 3.27)।

14. जेलों में बार-बार होने वाली मौतों की सूचना से चिंतित होकर आयोग ने प्रत्येक राज्य को निर्देश जारी किए कि वह इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दे। जेलों में मौत के कारणों का विश्लेषण करने से पता चला कि 76% मौतें जेलों में क्षय रोग से हुई हैं। काफी मामलों में इस बीमारी का पता तब चला अथवा निदान तब किया गया जब यह बीमारी उस स्थिति में पहुंच गई जहां इसका ठीक होना असम्भव था। यह स्थिति केवल यही नहीं दर्शाती है कि जेलवासियों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित रखा जाता है, बल्कि अन्य जेलवासियों को भी अनजाने में इस बीमारी का शिकार बनना पड़ता है। इसलिए आयोग ने यह जरूरी समझा अपेक्षित चिकित्सा (डॉक्टरी) परीक्षा के लिए एक प्रपत्र (फार्मेट) तैयार किया जाए। इस बीच आयोग सभी राज्य सरकारों से सिफारिश करता है कि जेल हिरासत में जितने भी व्यक्ति हैं उन सबकी जानकारी में तथा उनकी सहमति से उनकी क्षय-रोग का पता लगाने के लिए जांच की जाए तथा इन जांचों के आधार पर तत्परता से समुचित सुधारात्मक कदम उठाए जाएं (पैरा 3.29, 3.31)।



15. बाल सुधार गृहों में मौत की घटनाओं से तथा उनमें से बार-बार बच्चों के भाग जाने की सूचना से गहन चिंतित होकर आयोग ने इस मामले को कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उठाया और विभिन्न राज्यों में बाल सुधार गृहों के प्रशासन के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी मंगाई। इस तरह मंगाई गई रिपोर्टों तथा दिल्ली में बाल सुधार गृहों के प्रबन्धन के सम्बन्ध में एक उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट पर विचार करने पर आयोग ने महसूस किया कि अभी इस सम्बन्ध में और जानकारी मंगाने की जरूरत है। तदनुसार विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत स्थापित बोर्स्टाल संस्थाओं, स्वागत केन्द्रों, परिवीक्षा गृहों, संरक्षण गृहों एवं हिरासतीय गृहों के सम्बन्ध में प्रश्नावलियों का एक सेट इन संस्थाओं के कार्य चालन के बारे में जुलाई 1997 तक अपेक्षित जानकारी भेजने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा गया। आलोच्य अवधि के दौरान अपेक्षित जानकारी गोवा, गुजरात, मेघालय, त्रिपुरा तथा संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ और पांडिचेरी से प्राप्त हुई संघ राज्य क्षेत्र दादर तथा नगर हवेली, दमन तथा दीव और लक्ष्मीप ने बताया कि वहां इस प्रकार की संस्थाएं नहीं हैं। आन्ध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, परिचम बंगाल राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने केवल आंशिक जानकारी दी है। अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आयोग का अनुरोध है कि वे भी अपनी रिपोर्ट शीघ्र भेजें (पैरा 3.38, 3.39, 3.40)।

16. वर्ष 1996–97 की वार्षिक रिपोर्ट में आयोग ने देश में दण्ड न्याय प्रशासन की कमियों पर अपने द्वारा विचार किए जाने का उल्लेख किया था। जेलों में बंदियों की संख्या, जिनमें अण्डर ट्रायलों की संख्या काफी अधिक है, दोषसिद्धि की कम दर तथा जांच में तथाकथित विलम्ब के सन्दर्भ में एवं मानव अधिकारों की प्रगति और संरक्षण में इन समस्याओं के प्रभाव से चिंतित होकर आयोग ने इस आवश्यकता पर बल दिया कि ऐसे क्षेत्रों में संस्थागत परिवर्तन लाए जाएं, जिनमें सुसंगत विधि प्रक्रिया और समुचित न्यायंत्र सीमित करना अपेक्षित है। इन सिफारिशों पर की गई कार्रवाई सम्बन्धी ज्ञापन यह दर्शाता है कि इनमें से अनेक पर सरकार द्वारा कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यही सिफारिशों विधि आयोग की 154 वीं रिपोर्ट में भी शामिल की गई है। आयोग अपनी पूर्व रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों को यहां फिर से दुहराना चाहेगा। आयोग को आशा है कि वर्तमान रिपोर्ट के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई के ज्ञापन में सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई का स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया जाएगा (पैरा 3.41, 3.42)।

17. अपनी पहली रिपोर्ट में आयोग ने आर्मड फोर्सेस (स्पेशल पावर्स) एक्ट, 1958 के सम्बन्ध में कई नागरिक स्वतंत्रता सम्बन्धी दलों से मिले कई अभ्यावेदनों का जिक्र किया था, जिनमें विशेषकर अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के बारे में चिन्ता व्यक्त की गई थी। इन अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने उच्चतम न्यायालय में इस अधिनियम से सम्बन्धित लंबित पड़े मुकदमों में भाग



लेने का निर्णय लिया, ताकि वह इस विषय में अपने (आयोग के) विचार रखकर न्यायालय की सहायता कर सके। तदनुसार उच्चतम न्यायालय के समक्ष आयोग के विचार रखे गए। तदन्तर उच्चतम न्यायालय के आदेश घोषित हुए। आयोग सिफारिश करता है कि सम्बन्धित मंत्रालय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आधार पर सशस्त्र बलों और अर्ध-सैनिक बलों के सभी सम्बन्धित कार्मिकों को सुविचारित दिशा निर्देश जारी करें (पैरा 4.1, 4.2, 4.3, 4.5)।

18. यह उल्लेखनीय है कि आयोग ने अपनी पिछली रिपोर्ट में कहा था कि समाज के ऐसे वर्गों एवं समुदायों में जहां बाल-विवाह की पद्धति पहले से विद्यमान है, उनमें इस पद्धति को समाप्त करने के लिए आयोग जहां बड़े आर्थिक और सामाजिक प्रयास करने की आवश्यकता को पूर्णतः स्वीकार करता है। वहां इसका विचार है कि की गई कार्रवाई सम्बन्धी ज्ञापन से केन्द्र सरकार ने तत्सम्बन्धी कानून को मजबूत करने अथवा बदलने में अपनी पूर्ण अरुचि दर्शाई है, अथवा उसने इस अतिमहत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक समस्या के समाधान के लिए कानून के समुचित कार्यान्वयन में रुचि नहीं ली है। आयोग ने आगे कहा कि वह इस विचार से भी सहमत नहीं है कि वर्तमान अधिनियम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है, इसलिए इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है अथवा इस मामले में किसी प्रकार का प्रयास करने में वैयक्तिक कानून आड़े आ सकते हैं। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा तैयार किए गए विवाह-विधेयक के मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है, इसलिए आयोग ने बाल-विवाह प्रतिबन्ध अधिनियम, 1929 में संशोधनों सम्बन्धी अपने मूल प्रस्ताव को पुनः शुरू करने का निर्णय किया है। आयोग ने प्रस्तावित संशोधनों का नया मसौदा तैयार करने के लिए अपने सदस्य न्यायाधीश श्री वी. एस. मड्डिमठ से अनुरोध किया है, ताकि उस पर आयोग विचार कर सकें। आयोग भविष्य में इस मामले को आगे बढ़ाना चाहता है (पैरा 4.9, 4.10)।

19. 2, अक्टूबर, 97 को आयोग ने विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से इस सम्बन्ध में बातचीत शुरू की। आयोग ने उनसे अनुरोध किया कि वे शरणार्थियों के स्तर के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ के 1951 के समझौते (कन्वेंशन) और 1967 के तत्सम्बन्धी प्रोटोकॉल में भारत की भागीदारी की सम्भावना के बारे में नए सिरे से जांच करें। आयोग इस सम्बन्ध में विदेश सचिव की प्रतिक्रिया की प्रशंसा करता है। उन्होंने कहा कि वे इसके हर पहलू की फिर से जांच करवाएंगे तथा इस विषय में वापस आयोग को बताएंगे। बाद में विदेश मंत्रालय ने आयोग को बताया कि वह इस मामले की अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों से सलाह कर पुनः जांच कर रहा है। आयोग को इस प्रगति पर प्रसंन्नता हुई है। उसने सिफारिश की है कि विदेश मंत्रालय इस मामले पर शीघ्रता से विचार करने के लिए विशेषज्ञों के एक छोटे दल का गठन करे (पैरा 4.3, 4.13, 4.14)।

20. देश के कई भागों में बन्धुआ श्रम को समाप्त करने के सम्बन्ध में संवैधानिक और कानूनी,




दोनों ही दायित्वों के प्रति निरी अवहेलना की रिपोर्टों को देखते हुए आयोग के अध्यक्ष ने 29 अगस्त, 1995 को सभी मुख्य मंत्रियों को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने इन दायित्वों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया और आग्रह किया कि वे इस गम्भीर सामाजिक समस्या को यथोचित महत्व दें। तमिलनाडु तथा मध्यप्रदेश में बन्धुआ श्रमिकों को काम पर लगाए जाने के विषय में अप्रैल, 1985 में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी.यू.सी.एल) द्वारा दायर रिट याचिका की सुनवाई करते समय उच्चतम न्यायालय ने मई, 1994 में, अन्य बातों के साथ, बन्धुआ श्रम के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित करने, बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाने और उनके पुनर्वास के लिए सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया। न्यायालय ने उन्हें जिला स्तरीय सतर्कता समितियां स्थापित करने तथा बंधुआ मजदूरों के दौरान न्यायालय ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना को ध्यान में रखते हुए एक आदेश पास किया, जिसमें आयोग से अनुरोध किया गया कि वह बन्धुआ मजदूरी समाप्त करने सम्बन्धी कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण से अपने आपको सम्बद्ध करे। साथ ही उससे सम्बन्धित मामले में पूर्ण रिकार्ड आयोग को भेजने का भी निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय के आदेश मिलने पर आयोग ने चाहा कि इस मामले को प्रभावी रूप से आगे चलाने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाई जाए। इस हेतु आयोग ने श्री के. आर. वेणुगोपाल को अपना विशेष सम्पर्ककर्ता (स्पेशल ऐपोर्टिंगर) नियुक्त किया, जो आयोग की दक्षिणी राज्यों में बन्धुआ श्रमिक प्रणाली से सम्बन्धित कार्यों में सहायता करेंगे। श्री वेणुगोपाल द्वारा इस सम्बन्ध में तैयार की गई रिपोर्ट आयोग के विचाराधीन है। उत्तरप्रदेश में बन्धुआ मजदूरी की समस्या से निबटने के लिए कार्पेट बेल्ट में बालश्रम को समाप्त करने हेतु आयोग के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े प्रयास की भी शुरूआत हो चुकी है। आयोग को इस सम्बन्ध में एक एक्शन मैन्युअल भी मिला है, जिसे इसके (आयोग के) मार्ग दर्शन में तत्कालीन श्रम आयुक्त ने तैयार किया है। इसमें कार्पेट बुनाई बेल्ट में बन्धुआ और बालश्रमिकों से सम्बन्धित पहलुओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई है। समीक्षाधीन वर्ष की समाप्ति पर इस मैन्युअल पर भी विचार किया जा रहा था (पैरा 5.1 से 5.5)।

21. आयोग को यह जानकर असंतोष हुआ है कि अशक्तता (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्णसहभागिता) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों के अधीन जिस संस्थागत संरचना की स्थापना की जानी है उसकी संरचना नहीं की गई है और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इच्छाशक्ति भी नहीं दिखाई गई है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर काम करने के लिए केन्द्र स्तर पर एक मुख्य अशक्तता आयुक्त और राज्य स्तर पर अशक्तता आयुक्तों की नियुक्ति की जानी है। इस क्षेत्र में कार्यरत कार्यकर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों में भी इस सम्बन्ध में असंतोष व्याप्त है। इनमें से कुछ तो सरकार के विरुद्ध न्यायालय में जाने की सोच रहे हैं। अतः आयोग का निवेदन है कि इस सम्बन्ध में केन्द्र और राज्य सरकारें पूरा ध्यान दें तथा अधिनियम का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करें (पैरा 6.1)।



22. मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य बढ़ाने सम्बन्धी अपने कानूनी दायित्व (अधिनियम की धारा 12 (जी) को ध्यान में रखते हुए तथा देश में मानसिक अस्पतालों की स्थिति में सुधार और मानसिक अशक्तता वाले लोगों के अधिकारों के प्रति जानकारी बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने की दृष्टि से आयोग ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर को 'मानसिक अस्पतालों के गुणवत्ता—आश्वासन' के बारे में एक अनुसंधान परियोजना सौंपी है। इस परियोजना का श्रीगणेश अन्वेषकों के एक बहु—पक्षीय दल की स्थापना से हुआ है, जिसमें मनोविकृति—विज्ञान, मनोविकृति—विज्ञान सम्बन्धी सामाजिक कार्य, मनोविकृति—नर्सिंग तथा मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा की शाखाओं में कार्यरत अन्वेषकों को शामिल किया गया है। बाद में इस सम्बन्ध में एक विस्तृत प्रपत्र (प्रोफार्मा) तैयार किया गया, जिसे विभिन्न अस्पतालों, राज्य मानव अधिकार आयोगों, अन्य राष्ट्रीय आयोगों तथा प्रमुख गैर—सरकारी संगठनों को भेजा गया। तत्पश्चात अनुसंधान दल (टीम) ने अस्पतालों का दौरा शुरू किया। दल ने उत्तर भारत में इस निमित्त कुल आठ सेक्टरों में से एक सेक्टर को कवर कर लिया है। अब दक्षिण में आलोच्य अवधि के आखिर तक दो और क्षेत्रों का दौरा पूरा कर लेने का कार्यक्रम है। प्रत्यक्ष तौर पर जानकारी हासिल करने की दृष्टि से कार्य योजना में मानसिक रोगियों के परिवारों और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत गैर—सरकारी संगठनों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने का कार्यक्रम भी शामिल किया गया है। बंगलौर में इस प्रकार की दो कार्यशालाएं आयोजित की गई, जिनमें आयोग का प्रतिनिधित्व एक सदस्य द्वारा किया गया। देश के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की कार्यशालाएं आयोजित करने का प्रयास हो रहा है। एक ऐसी वीडियो वृत्तचित्र तैयार किया गया जिसमें अस्पतालों में मानसिक रोगियों की देख—रेख से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं को उजागर किया गया है (पैरा 7.3.1, 7.6)।

23. रिट—याचिका (न्यायिक) संख्या 1900/81 (डाक्टर उपेन्द्र बक्शी बनाम उत्तर प्रदेश तथा अन्य) में आदेश पारित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा 'अब मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अन्तर्गत सांविधिक शक्तियों से सम्पन्न राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का लाभ उपलब्ध है तथा अब आगरा संरक्षण गृह के कार्यकरण से संबद्ध अधिकांश समस्याओं पर इस राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा अच्छी प्रकार विचार किया जा सकता है। इसलिए हम इसे उचित समझते हैं कि इस काम में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को शामिल करने के लिए हम यह आदेश करें।' 11 नवम्बर, 1997 के आदेश में उच्चतम न्यायालय ने आयोग से अनुरोध किया कि वह आगरा, ग्वालियर और रांची के मानसिक अस्पतालों के कार्यकरण के पर्यवेक्षण के काम में भी अपने आपको शामिल करे। यह वैसा ही अनुरोध था जैसा कि न्यायालय ने आगरा संरक्षण गृह के काम के सम्बन्ध में आयोग से करने को कहा था। आयोग इन संस्थाओं के कार्यचालन में शामिल सभी एजेन्सियों के साथ पूरा सहयोग करते हुए इन संस्थाओं सम्बन्धी सभी पहलुओं का नजदीकी से और नियमित रूप से प्रबोधन करने की सोच रहा है।



24. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय तथा कल्याण मंत्रालय से उनके द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों के बारें में विस्तार से व्यौरा प्रस्तुत करने को कहा है। शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय शुष्क शौचालयों के निर्माण का निषेध करने और इन शौचालयों को पोर-फ्लश किस्म के शौचालयों में बदलने से सम्बंधित है और कल्याण मंत्रालय उन व्यक्तियों के पुनर्वास से सम्बंधित है, जिन्हें सफाई के काम से मुक्त किया गया है। आयोग अपने प्रयासों से दृढ़ प्रतिज्ञा है। उसने केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों से कहा है कि वे देश में हाथ से सफाई करने के काम को पक्के तौर पर समाप्त करने में पहले से अधिक वचनबद्धता प्रकट करें (पैरा 9.3)।

25. आयोग “एड्स” के सन्दिग्ध रोगियों की बलात जाँच के मामलों की समीक्षा करना चाहता है, ताकि वह इस सम्बन्ध में आवश्यक सिफारिशें तय कर सके। इस बीच आयोग को फरवरी, 1998 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्च आयुक्त के कार्यालय से एक प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है जिसमें उससे अनुरोध किया गया है कि वह यू.एन.एड्स से सहयोग करते हुए एच.आई.वी./एड्स सम्बन्धी मार्गदर्शी परियोजना (पायलट प्रोजेक्ट) में भाग ले। यू.एन.एड्स की विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों को ‘एड्स पेन्डेमिक’ से सहयोजित करने के लिए स्थापित किया गया है, आयोग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और निर्णय किया है कि वह इस महत्वपूर्ण परियोजना में भागीदार बनेगा। इसके लिए अपेक्षित सहयोग का व्यौरा तैयार किया जाएगा (पैरा 10.4, 10.5-6)।

26. देश में मानव अधिकारों के प्रति जानकारी बढ़ाने की दृष्टि से आयोग ने सिफारिश की है कि देश में उच्चतम नागरिक सेवाओं में प्रवेश के लिए सिविल सर्विस की परीक्षा के सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में इन अधिकारों से सम्बन्धित प्रश्नों को शामिल किया जाए। आयोग ने सरकार को बताया है कि ऐसा करने से मानव अधिकारों के मामलों को अधिक सुग्राही बनाया जा सकेगा और देश की सिविल सेवाओं में शामिल होने की आकांक्षा रखने वालों में मानव अधिकारों का संस्कार पैदा करने के प्रयास में तीव्रता आएगी (पैरा 11.5)।

27. विचारों के व्यापक आदान-प्रदान के बाद नेशलन लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलौर ने एक मानव अधिकार शिक्षा, अनुसंधान और डॉकुमेन्टेशन संस्थान की स्थापना के लिए प्रस्ताव आयोग को प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित संस्थान मानव अधिकार-शिक्षा, अनुसंधान और डॉकुमेन्टेशन के क्षेत्र में एक परंपरागत केन्द्र का काम करेगा और मानव अधिकार-शिक्षा के लिए प्रतिमान स्थापित करेगा। साथ ही यह आयोग को उसके कानूनी दायित्वों को पूरा करने में सहायता भी पहुंचाएगा। इस संस्थान की तीन शाखाएं होंगी— (1) शैणिक शाखा, जो नियमित शैक्षणिक और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाएगी और पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सामग्री भी तैयार करेगी (2) अनुसंधान और प्रकाशन शाखा, जो मानव अधिकार सम्बन्धी मामलों में चिन्तन केन्द्र का काम करेगी तथा (3) डॉकुमेन्टेशन शाखा, जो मानव अधिकार सम्बन्धी जानकारी के लिए एक ‘नोडल सेन्टर’ के रूप में काम करेगी।

— २७ एवं अब इनकारात्र विप्रवर्गीय लोगों विप्रवर्गीय

**የኢትዮ ቅዱስ የጥቅምት ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ**

(2) လျှော့ကျင်မြတ်စွာ ပိုမိုတော်သွေး ပိုမိုတော်သွေး ပိုမိုတော်သွေး

48 / 134

תְּמִימָנָה תְּמִימָנָה תְּמִימָנָה תְּמִימָנָה תְּמִימָנָה תְּמִימָנָה

የኢትዮ (መተዳደሪያ የተለያዩ) በንግድ ንብረት ማስቀመጥ ተችሱ ተችሱ

• 10 128 15 1120 1236 124 128 16 1120 1120

ପାଦ ପାହିଲୁ ମାନ୍ଦି ଏକି ଥି ପାହାରୁଥିଲୁ ପାତି । ପାହି ପାହାରୁଥିଲୁ ଥି ପାହାରୁଥିଲୁ ପାତି ଏବୁଲୁ-ଏବୁଲୁ

30. 31/01/1997 10-12 THURSDAY, 1997 the 1st February 1997 Wednesday the 1st February

Digitized by qut 11.15)

॥੧੦੮॥ (ਤਾਤ ਪ੍ਰਿਵ ਕੁਝ ਕੁਝ ਕੁਝ) ਤਾਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿਵ ਕੁਝ ਕੁਝ ਕੁਝ ਕੁਝ ਕੁਝ ਕੁਝ ਕੁਝ

תְּהִלָּה תְּהִלָּה תְּהִלָּה תְּהִלָּה תְּהִלָּה תְּהִלָּה תְּהִלָּה תְּהִלָּה

**የኢትዮጵያ የወጪ ተስፋ አገልግሎት ተስፋ ተስፋ ተስፋ**

የኢትዮጵያ የፌዴራል ማስተዳደር አገልግሎት ተችል

የኢትዮጵያ ቤትና የዕለታዊ ሪፖርት

১০৮ সালের প্রতিষ্ঠান এবং কার্যক্রম অনুসৰি আজ এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের প্রথম প্রকৃতি পরিবহন প্রতিষ্ঠান।

1 (111-12b)

፭፻፲፭ ቀበ ማስታወሻ የዚከቻውን ቁጥርና እና ገዢያዊነት መጠናወገኑን ልማትን የሚያጠና ይገልጻል

የኢትዮጵያ የወጪ ተስፋዎች አንቀጽ 15

አዲስ አበባ ተወካይ የትምህርያዊ ቅድመ ተናግሩ ይችላል፤ ይህንን የተዘረዘሩ የትምህርያዊ ቅድመ

Digitized by srujanika@gmail.com

၁၃၂၁ ၁၃၂၂ ၁၃၂၃ ၁၃၂၄ ၁၃၂၅ ၁၃၂၆ ၁၃၂၇ ၁၃၂၈ ၁၃၂၉ ၁၃၂၁၀

28. [View Details](#)

13 182 500 86 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

20. 2016 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国环境保护税法》和《中华人民共和国水土保持法》。





(3) एक अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार विधि—परामर्शदायी पैनल के माध्यम से मानव अधिकार सम्बन्धी न्याय का प्रचार और विकास करना। कार्यशाला ने एक उप—समिति गठित करने का निर्णय किया, जिसमें भारत और आस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे और जो कार्यशाला के सभी संगठन पहलुओं पर विचार करेगी। साथ ही इसने बाल यौन शोषण की प्रथा की निन्दा की और उसे मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन कहा है। इसने उस क्षेत्र की सभी सरकारों का आह्वान किया कि वे बाल यौन शोषण को रोकने के लिए हर प्रकार के उपाय करें—जैसे, विधि प्रवर्तन, अर्थात् कानून लागू करना, सामाजिक नीति में परिवर्तन करना, जनजागृति का अभियान शुरू करना तथा प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों को सहायता पहुँचाने के लिए अपेक्षित उपाय करना (पैरा 11.19, 11.20)।

31. काफी लोगों तक अपनी पहुँच के लिए आयोग स्वयं अपने कार्यकलापों का जाल बिछाना चाहता है। इस काम में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एल.आई.सी.) उसकी सहायता कर रहा है। आयोग की इस व्यवस्था में अन्य बातों के साथ ये शामिल होंगे—मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की व्यवस्थाओं सम्बन्धी जानकारी, आयोग के मुख्य निर्णय तथा प्रकाशन, जिनमें इसकी वार्षिक रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट भी शामिल होगी (पैरा 11.26)।

32. आयोग को यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि उसकी सिफारिश के अनुसार दूरदर्शन मानव अधिकार पर 30 मिनट का एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने की सम्भावना पर विचार कर रहा है, जिसे राष्ट्रीय नेटवर्क पर मासिक आधार पर चलाया जाएगा (पैरा 11.27)।

33. अपेक्षित आंकड़े एकत्रित करने सम्बन्धी वर्तमान प्रक्रिया के माध्यम से आयोग मानव अधिकारों के क्षेत्र में गैर—सरकारी गतिविधियों के सम्बन्ध में एक विश्वसनीय और लाभकारी आधार कायम करना चाहता है। इस व्यवस्था से न केवल आयोग को लाभ होगा बल्कि इससे गैर—सरकारी संगठनों को भी फायदा पहुँचेगा। वास्तव में आयोग को गैर—सरकारी संगठनों से बास—बार ऐसे अनुरोध प्राप्त होते हैं जिनमें वे उससे इस क्षेत्र में कार्यरत अन्य गैर—सरकारी संगठनों की सूची उपलब्ध कराने का आग्रह करते हैं। आयोग गैर—सरकारी संगठनों के इस जाल को फैलाना चाहता है और सुदृढ़ करना चाहता है। अतः आयोग इस रिपोर्ट के माध्यम से उन ऐसे गैर—सरकारी संगठनों से अपील करता है जो इस सम्बन्ध में आयोग से या आपस में एक दूसरे से सहयोग करना चाहते हैं, कि वे आयोग को उसके द्वारा निर्धारित प्रपत्र (प्रोफार्मा) में अपनी गतिविधियों के सम्बन्ध में समुचित जानकारी भेजें। आयोग इसके लिए सहयोग करने वाले गैर—सरकारी संगठनों के नाम उचित समय पर यथावश्यक तरीके से प्रकाशित करना चाहता है (पैरा 12.3)।



34. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 21 में राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। आयोग राज्य सरकारों से पुनः अनुरोध करता है कि जिन राज्यों में इस समय राज्य मानव अधिकार आयोग नहीं हैं वहां पर उनका गठन किया जाए और गठन के बाद उनके लिए पूरी सहायता सुनिश्चित की जाए। आयोग द्वारा इस मामले को राज्य सरकारों के साथ उठाना चाहता है, परन्तु यह सिफारिश भी करता है कि केन्द्र सरकार तथा राजनैतिक पार्टियां भी उच्चतम स्तर पर उसकी ओर ध्यान दें (पैरा 13.2)।
35. आयोग सिफारिश करता है कि उत्तर-पूर्व की राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार से आवश्यक परामर्श करके तथा अपनी संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ राज्य मानव अधिकार आयोग के लिए पर्याप्त ढांचा तैयार करें (पैरा 13.4)।
36. विभिन्न राज्यों में अधिसूचना जारी कर दिए जाने पर भी मानव अधिकार न्यायालयों की स्थापना, उनके द्वारा अपराधों की न्यायिक जांच (ट्रायल) और इस सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली कार्यपद्धति तय करना अभी बाकी है, जिसके परिणामस्वरूप इस बारे में पूरी संकल्पना ही निष्कल हो गई है। इस स्थिति में भी शीघ्र सुधार करने की आवश्यकता है। अतः आयोग इस सम्बन्ध में अपना विचार पुनः प्रस्तुत करना चाहेगा कि इस मामले में तुरन्त सुस्पष्टता लाई जाए। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो वैधानिक अथवा कानूनी कार्रवाई की जाए। जहां तक आयोग का सम्बन्ध है उसने इस सम्बन्ध में पहले ही अपने विचार विस्तार से बता दिए हैं। आयोग ने ऐसा तब किया जब यह मामला सुनवाई के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष आया था। साथ ही आयोग समय-समय पर इस विषय में अपने विचार व्यक्त करता रहा है (पैरा 17.9)।
37. इस सम्बन्ध में कुछ राज्यों द्वारा अपनी प्रतिक्रिया में दिखाई जा रही विलम्बकारी प्रवृत्ति से आयोग बहुत दुःखी है। इसलिए वह अपने नोटिसों और सिफारिशों की ओर सुनिश्चित रूप से तुरन्त ध्यान आकृष्ट करने की दृष्टि से राज्यों और बड़े संघ राज्य क्षेत्रों दोनों ही स्तरों पर, तथा अपने ही मुख्यालय में अतिरिक्त व्यवस्था करने की सोच रहा है (पैरा 14.2)।
38. आयोग के लिए समुचित स्टाफ की व्यवस्था करने में अभी और समय लगना है, इसलिए आयोग फिलहाल प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियुक्ति पर कार्मिक नियुक्त करता रहेगा। आयोग का अपने भर्ती नियमों में इस प्रकार संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि वह ऐसे व्यक्तियों की सेवाओं का तत्परता से उपयोग कर सकें जिन्हें मानव अधिकारों से सम्बन्धित मामलों में विशेषज्ञता हासिल हो (पैरा 16.4)।
39. मानव अधिकार सम्बन्धी साहित्य के निर्माण में राष्ट्रीय भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित करने



की दृष्टि से आयोग ने मानव अधिकारों पर मूल रूप से हिन्दी में लिखी पुस्तकों तथा मानव अधिकार से सम्बंधित पुस्तकों एवं साहित्य के हिन्दी अनुवाद के लिए रचयिताओं तथा लेखकों को पुरस्कार देने के लिए एक योजना का अनुमोदन किया है (पैरा 16.10)।



40. आयोग इस विचार से सहमत है कि इस क्षेत्र में प्राप्त अनुभव के आधार पर सम्बंधित कानूनों की कमियों और अस्पष्टताओं को यथाशीघ्र दूर करने की आवश्यकता है। अतः आयोग निकट भविष्य में अपने कानूनों पर व्यापक रूप से ध्यान केन्द्रित करना चाहता है (पैरा 17.5)।

41. यह एक विडम्बना की बात है कि जिन राज्यों से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को अधिकतम शिकायतें भिली हैं उन्होंने ही राज्य स्तर पर आयोग की स्थापना में तत्परता नहीं दिखाई है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर केन्द्र और राज्य दोनों में ही सरकार के उच्चतम स्तर पर और देश की राजनैतिक पार्टियों द्वारा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यह विषय ऐसा है जिस पर संसद में और राज्यों की विधान सभाओं में विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। आयोग ऐसे विचार-विमर्शों का स्वागत करेगा, क्योंकि मानव अधिकार जैसे विषयों पर विचार-विमर्श नहीं होने का सामान्यतया अर्थ यह लगाया जा सकता है कि लोग उनके प्रति उदासीन हैं अथवा यह कि ऐसे विषयों को उठाने से डरते हैं (पैरा 17.8)।

42. आयोग की स्वतंत्रता के आशय पर हमेशा स्पष्ट तौर पर अथवा तत्परता से कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसा सामान्यतया प्रशासनिक मामलों में किया जाना चाहिए था। इस काम में अत्यधिक थकान हो सकती है और समय भी अधिक लग सकता है, विशेषकर उन मामलों में ऐसा हो सकता है जिनके लिए समग्रतौर पर बजट-व्यवस्था की गई है। यह उन सिद्धांतों का भी उल्लंघन है जो राष्ट्रीय संस्थाओं के स्तर से सम्बंधित हैं जिन्हें पेरिस सिद्धांत कहा जाता है। इसलिए आयोग का व्यवहार और सरकार के साथ उसका सम्बन्ध इस तरीके का हो जो 'पेरिस सिद्धांतों को मानने' तथा व्यवहार में पालन करने में एक उदाहरण पेश करे। हमारे देश को चाहिए कि वह ऐसे मामलों में आगे रहे और उनका निहितार्थ (आशय) समझने में अपनी कमज़ोरी न प्रदर्शित करे (पैरा 17.10)।



वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान हिंसकीय मौतें




ब्यौरा अनुबंध ॥ में देखें



वर्ष 1997-98 के दौरान निर्देशों के साथ निपटाए गए मामलों की संख्या  
वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिनकी निपटान दर (एक) प्रतिशत से अधिक थी

कुल संख्या 5800




उपर्युक्त राज्यों/संघ राज्यों को एक साथ लेने पर – 96%  
शेष 20 राज्यों को एक साथ लेने पर – 4%

बौरा अनुबंध IX में देखें



वर्ष 1997-98 के दौरान पंजीकृत मामलों की संख्या

कुल संख्या 31293



आदान में ही टद विए गए  
40%

विचार किया गया \*  
28%

निर्देशों के साथ  
निपटाए गए  
19%

विचारार्थ लम्बित  
13%


संज्ञान में लिया गया / निपटान के लिए स्वीकृत

बौरा अनुबंध VIII तथा IX पर देखें



वर्ष 1997-98 के दौरान विचार किए गए/ निपटान के लिए स्वीकृत मामलों की संख्या  
वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिनके (निपटान के लिए) मामले स्वीकार करने की  
दर एक प्रतिशत से अधिक थी

कुल संख्या 8619




उपर्युक्त राज्यों/संघ राज्यों को एक साथ लेने पर — 94.76%  
शेष राज्यों को एक साथ लेने पर — 5.24%

व्यौरा अनुबंध VIII तथा IX पर देखें




वर्ष 1997-98 में आरम्भ में ही दद्द किए गए मामलों की संख्या  
वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिनकी (मामले) दद्द करने की दर एक प्रतिशत से अधिक थी

कुल संख्या 12870




उपर्युक्त राज्यों/संघ राज्यों को एक साथ लेने पर — 97.56%  
शेष 18 राज्यों को एक साथ लेने पर — 2.44%

ब्यौरा अनुबंध IX पर देखें



## वर्ष 1997-98 के दैरान निपटान के लिए स्वीकृत शिकायतों का स्वरूप और वर्गीकरण




निपटान के स्वीकृत मामलों की कुल संख्या—8619


व्यौरा अनुबंध X पर देखें




## पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार पंजीकृत शिकायतें



वर्ष 1997-98 का विवरण  
अनुबंध VIII पर देखें



## वर्ष 1997-98 के दौरान पंजीकृत शिकायतों का राज्यवार व्यौरा



व्यौरा अनुबंध VIII पर देखें

